पंचम माला, खंड 16, अंक 51—५ बुधवार, 24 मई, 1972/3 ज्येष्ठ, 1894 (शक)
Fifth Series, Vol. XVI, No.51 ५ Wednesday, May 24, 1972/Jyaistha 3, 1894 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

[खंड 16 में अंक 51 से 57 तक हैं
Vol. XVI contains Nos. 51 to 57]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 51, बुधवार, 24 मई, 1972/3, ज्येष्ठ 1894 (शक)
No. 51, Wednesday, May 24, 1972/ Jyaistha 3, 1894 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता.प्र. संख्या S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
961	यूनिवर्सल प्रैस एक अनाधिकृत समाचार एजेंसी	UPS not bona fide News Agency.	—1
962	टेलीफोन की मांग और सप्लाई में भारी अन्तर	Big Gap between Demand and supply of Telephones.	—4
964	भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र	Map of Indian Sub Continent.	—8
965	कृषि उद्योगों का वित्त विकास	Davelopment of Agro Industries.	—8
966	बिहार में उद्योगों में कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Materials in Industries in Bihar,	—10
967	1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को वेतन और भत्तों का भुगतान	Payment of Pay and Allowances to Temporary Government Employees who participated in 1968 Strike.	—11
968	गोरखपुर और इलाहाबाद का उत्तर प्रदेश के अन्य नगरों के साथ सीधे डायल घुमा कर टेलीफोन सम्बन्ध	Direct Dial Link of UP Cities with Gorakhpur and Allahabad.	—15
971	मैसूर के पिछड़े क्षेत्र	Backward Areas in Mysore.	—16
974	पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लिये सीमा आयोग	Boundary Commission for Punjab, Haryana and Himachal Pradesh.	—19
975	बिहारी मुसलमानों के आगमन के बारे में राज्य सरकारों को भेजे गये कथित अनुदेश	Instructions Allegedly given to State Governments regarding Influx of Bihar Muslims.	—20

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता. प्र. संख्या S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
977	इण्डियन सिविल सेवा के अधिकारियों के विशेषाधिकारों को समाप्त किया जाना	Doing away with special Privileges of ICS Officers.	—21
980	भारतीय टेलीफोन उद्योग में विदेशी शेयर	Foreign Shares in ITI.	—22
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	**Written Answers to Questions**	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
963	तारापर आणविक संयंत्र को पुनः चालू करना	Recommissioning of Tarapur Atomic Plant.	—22
969	भारत बुलगारियाई संयुक्त उपक्रम स्थापित करना	Setting up of Indo Bulgarian Joint Ventures.	—23
970	टेलीविजन सैटों का निर्माण	Manufacture of TV sets.	—24
972	प्लास्टिक के कारखानों का कार्यकरण	Working of Plastic Factories.	—24
973	आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र द्वारा कांग्रेस (नई) से सम्बन्धित समाचारों का दबाया जाना	AIR Delhi Suppressing Congress (N) News.	—24
976	आकाशवाणी से मौसम का हाल तथा विनाशकारी दैवी विपत्तियों की चेतावनी सम्बन्धी प्रसारण	Weather Broadcast and Warning over AIR against Destructive Natural Phenomenon.	—25
978	आसाम से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का हटाया जाना	Withdrawal of CRP from Assam.	—26
979	ताशकंद में अफ्रीकी ऐशियाई अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म मेला	Afro Asian International Film Festival in Tashkent.	—26
	अता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
7182	ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे सुपर बाजार खोले जाने के बारे में प्रतिवेदन	Report on opening of Mini Supar Bazars in rural areas.	—27
7183	इन्दौर और देवाल में टेप रिकार्डरों के निर्माण हेतु लघु उद्योगों की स्थापना	Setting up of Small Industries for manufacture of Tape Recorders in Indore and Dewas.	—27
7184	आकाशवाणी द्वारा कुल परिव्यय में से केवल 25 प्रतिशत परिव्यय का खर्च किया जाना	25 per cent of total outlay spent by A.I.R.	—28

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
7185 चौथी योजना के दौरान आण्विक संयंत्रों की स्थापना के लिए नियत राशि का उपयोग न किया जाना	Non Utilisation of amounts allocated for construction of atomic plants during Fourth Plan.	—28
7186 वैज्ञानिकों से उद्योग स्थापित करने के लिए आवेदन	Applications from Scientists for Setting up industries.	—30
7187 केरल में किराये के भवनों में डाक-घर	Post Offices in Kerala in rented building.	—30
7188 भारतीय टेलीफोन और दूर संचार व्यवस्था	Indian Telephone and Telecommunication system.	—30
7190 क्विलोन में इण्डियन रेयर अर्थस के खनिज प्रभाग में उत्पादन	Production in the Minerals Division of the Indian Rare Earths at Quilon.	—31
7191 सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय में काम कर रहे सम्पादकों के पदों की संख्या	Number of posts of Editors for callected works of Mahatma Gandhi.	—31
7192 आकाशवाणी में स्क्रिप्ट लेखकों की भर्ती	Recruitment of Script Writers in A.I.R.	—32
7193 विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय समिति द्वारा बनाया गया वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक जनशक्ति के नियोजन संबंधी पैनल	Panel on employment of Scientific and Technological manpower set up by National Committee on Science and Technology.	—32
7194 डाक तथा तार की समस्याओं की जांच करने के लिए समितियां	Committees on problems of P & T.	—33
7195 केन्द्रीय सूचना सेवा (ग्रेड चार) में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा	Competitive Examination for recruitment to Central Information Service (Grade IV).	—35
7196 दिल्ली प्रशासन में कानूनगो की विभागीय परीक्षा	Departmental Examination of Kanungos in Delhi Administration.	—36
7197 बिहार में पुलिस द्वारा बदअमनी फैलाने के बारे में संसद सदस्य की शिकायत	Complaint made by a Member of Parliament re : lawlessness by Police in Bihar.	—37
7198 देश भर में टेलीविजन	T.V. for entire country.	—37
7199 आकाशवाणी पर संसद सदस्यों आदि की वार्ताएं	Talks of MP's etd. over A.I.R.	—38
7200 आगामी दस वर्षों में टेलीविजन सेवा का विस्तार	T.V. expansion in coming ten years	
7201 डाक एवं तार कालोनी किदवाईपुरी, पटना में डाक तथा तार विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा	Illegal encroachment of P & T land in P and T Colony Kidwaipuri Patna	—39

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No,	विषय Subject	पृष्ठ Pages
7202 विदेशियों सम्बन्धी अधिनियम के अधीन जेलों में रखे गये बंगला देश के गैर बंगाली मुसलमान	Non Bengali Muslims from Bangladesh kept in Jails under Foreigners Act	—39
7203 कानपुर की ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के मामलों की दुबारा जाँच के लिए ज्ञापन	Memorandum for Second Enquiry into the Affairs of B.I.C, Kanpur	—40
7204 थिन्नर रखने और बनाने पर प्रतिबन्ध	Restrictions imposed for the possession and manufacture of Thinner	—41
7205 बम्बई स्थित अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार केन्द्र	International Telecommunication Centre Bombay	—41
7206 मगध विश्वविद्यालय में विधि परीक्षा में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा अनुचित तरीकों का अपनाया जाना	Unfair means adopted by IAS Officers at the Magadh University Law Examination	—42
7207 शराब के निर्माण, बिक्री तथा वितरण का राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव	Proposal to Nationalise Manufacture, sale and Distribution of Liquor	—42
7208 प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के विरुद्ध बिना लेखे जोखे के सम्पत्ति रखने के बारे में शिकायतें	Complaints against Class I Officers for Possessing Unaccountable Assets	—42
7209 परमाणु ऊर्जा विभाग के लिए माल का आयात	Import of Materials for the Department of Atomic Energy	—43
7210 मंत्रियों तथा अधिकारियों के लम्बी डोरी वाले टेलीफोन	Telephones of Ministers and Officials with Long Cords	—44
7211 अगरतल्ला के समीप अरूंधती नगर में तनाव की स्थिति	Tense situation in Arundhatinagar Near Agartala	—45
7212 डिस्ट्रिक्ट जेल, बरेली (उत्तर प्रदेश) से एक पाकिस्तानी बन्दी की रिहाई	Release of Pakistani Prisoner from District Jail, Bareilly (Uttar Pradesh)	—45
7213 उग्रवादियों की गतिविधियों से ग्रस्त क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक दशा का अध्ययन	Study on Socio Economic condition where activities of Extremists are concentrated	—46
7214 संविधान की एक प्रति को जलाने का कथित प्रयत्न	Alleged Intention to Burn a Copy of the Constitution	—46
7216 डाकुओं के आतंक की जांच करने हेतु गठित किया गया उच्चस्तरीय अध्ययन दल	High Level Study Team Constituted to Probe into Dacoit Menace	—46

अता. प्र. संख्या U. S. Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
7217 बम्बई औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम में संशोधन	Amendment of Bombay Industrial Relations Act	—
7218 नमक का उत्पादन	Producation of Salt	—47
7219 अजमेर के उर्स में पाकिस्तान से आये मुसलमान	Muslims from Pakistan Visited Ajmer Urs	—47
7220 गोआ के गृह विभाग में पारपत्र सम्बन्धी कथित गिरोह	Alleged Passport Racket in Home Department of Goa	—47
7221 बिहार में कोयला और अभ्रक निकालने के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करना	Issue of Industrial Licences for Coal and Mica raising in Bihar.	—48
7222 डा० जगजीत सिंह की गतिविधियो तथा उस पर लगे आरोपों की जाँच करने के लिए जांच आयोग	Commission of enquiry to go into the charges and activities of Dr. Jagjit Singh.	—49
7223 चौथी योजना के अन्तर्गत उत्तरप्रदेश की सिंचाई योजनाओं के लिए सहायता	Assistance to U.P. for Irrigation Scheme Under Fourth Plan.	—49
7224 पिछड़े क्षेत्रों में विशेषकर बिहार में उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण	Loans for Industries in backward areas particularly in Bihar.	—49
7226 बिहार कृषि उद्योग को ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए लाइसेंस देना	Issue of licence to Bihar Agro Industrial Corporation to Manufacture Tractors.	—51
7227 बिहार भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1970	Bihar Land Reforms (Amendment) Bill, 1970.	—52
7228 मध्य प्रदेश में डाकूग्रस्त चम्बल घाटी को उर्वरक बनाने के लिए रूस का प्रस्ताव	Soviet Union's offer for reclaiming the decoit infested Chambal Valley in Madhya Pradesh.	—52
7229 विदेशों में भारतीय वैज्ञानिक	Indian Scientists Abroad.	—52
7230 संगीत और नाटक विभाग से वस्त्रों, बल्बों और लकड़ी के सामान की चोरी	Costumes Bulb and Wood work missing from Song and Drama Division.	—53
7232 भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रण का सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय को हस्तांतरित करना	Transfer of administrative control of Bharat Heavy Electricals Ltd. to Ministry of Irrigation and power.	—54
7233 अहमदाबाद टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन द्वारा किये गये अनुसंधान	Researches made by Ahemdabad Textile Industries Research Association.	—54

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
7234	राष्ट्रीय झण्डे का सम्मान	Respect for National Flag.	—54
7235	यूनिवर्सल प्रैस सर्विस के संवाददाता को मान्यता देना	Accreditation of UPS Correspondent.	—54
7236	बड़े उद्योग गृहों के विरुद्ध चलाये गए मुकदमें	Cases launched against Large Industrial Houses.	—55
7238	बम्बई के इंजीनियर द्वारा बिजली की कार का निर्माण	Manufacture of Electric Car by Bombay Engineer.	—55
7239	अलमोड़ा और काफ्लीगढ़ के बीच टेलीफोन सेवा की व्यवस्था	Provision of telephone between Almora and Kaphaligarh.	—56
7240	वैज्ञानिकों का पूल	Scientists Pool.	—56
7241	महाराष्ट्र में सीमेंट की कमी	Shortage of Cement in Maharashtra.	—56
7243	सरकारी कार्यालयों में कागज की अपर्याप्त मात्रा	Government Officers without Adequate Quantity of Paper.	—57
7244	डाक-तार विभाग कर्मचारियों के बच्चों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तक शिक्षा भत्ता	Education Allowance to P & T Employees Children upto Graduation Level.	—57
7245	देश में कागज मिलें	Paper Mill in the Country.	—57
7246	केन्द्रीय जांच ब्यूरों की क्षमता को अपराधिक मामलों में वृद्धि के अनुरूप बनाना	Strengthening of C.B.I. to deal with Increasing Number of Cases	—58
7247	उद्योगों का वापस पश्चिम बंगाल ले जाया जाना	Return of Industries to West Bengal	—58
7248	पश्चिम बंगाल में उद्योगों का पुनः खोला जाना	Reopening of Industries in West Bengal	
7249	टेलीविजन केन्द्र और फिल्म डिवीजन में समाचार कैमरामैनों आदि के वेतनमान	Scales of pay of News Cameramen etc. in T.V. and Film Division	—59
7250	सर्वे आफ इंडिया एस्टेट हाथीवरकला देहरादून (उत्तर प्रदेश)	Survey of India Estate, Hathibarkala Dehra Dun (U.P.)	—60
7251	केरल के पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना	Setting up of Small Scale Industries in Backward areas of Kerala	—61

अता.प्र. संख्या U.S. Q, No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
7252 भौतिक अनुसन्धान प्रयोगशाला, अहमदाबाद में वरिष्ठ तकनीकी सहायक	Senior Technical Assistants in Physical Research Laboratory, Ahmedabad	—61
7254 समाचार-पत्र उद्योग सम्बन्धी पाँच सदस्यीय पैनल की रिर्पोट	Report of 5 Man Panel on Newspaper	—62
7255 सीमा सुरक्षा दल द्वारा इम्फाल के निकट भूमिगत नागाओं की गिरफ्तारी	Arrest of Underground Nagas by Border Security Force near Imphal	—62
7256 परमाणु परीक्षण के प्रभावों	Effects of Atomic Tests	—62
7257 ग्रामीण औद्योगिक योजना कार्यक्रम द्वारा पिछड़े क्षेत्रों के विकास में विषमता को दूर करना	Removal of Disparity by Rural Industries Project Programme in the Development of Backward Areas	—63
7258 फिल्म वित्त निगम के कार्यकरण के बारे में शिकायत	Complaint Re. Functioning of Film Finance Corporation	—63
7259 ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम की प्रगति	Progress of Rural Industries Project Programme	—63
7260 दिल्ली से प्रकाशित होने वाले दैनिक, साप्ताहिक पाक्षिक तथा मासिक समाचार-पत्र तथा पत्रिकायें	Delhi Pobulication of Dailies, Weeklies, Fortnightlies and Monthlies	—64
7262 लघु उद्योग विकास संगठन में राजपत्रित अधिकारी	Gazetted Officer in Small Scale Industries Development Organisation	—65
7263 'स्माल इण्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट' में स्टेनोग्राफरों की पदोन्नति	Promotion of Stenographers in Small Industries Service Institute	—65
7264 दिल्ली में अपराधों की संख्या	Crime situation in Delhi	—66
7265 पहाड़ी क्षेत्रों में डाक तार विभाग के परिवहन वाहन	P&T Transport Vehicles in Hilly areas	—66
7266 टाइम्स आफ इण्डिया को दस पृष्ठ की निर्धारित सीमा से छूट के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय	Supreme Court Judgement Exempting Times of India from Ten page Schedule	—67
7267 जन साधारण के लाभ के लिये आधुनिक विज्ञान में अनुसन्धान तथा विकास	Research and Development of Modern Science for the Benefit of Common Man	—67
7268 उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को स्थानान्तरण करने के लिए रियायतें	Concessions for shifting of Industies to Backward Areas of U.P.	—68

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
7269	अखबारी कागज के कोटे के आवंटन के बिना ही अलग संस्करणों का प्रकाशन	Printing of separate Editions without Allotment of Newsprint Quota	—68
7270	किसी समाचार पत्र को केवल एक संस्करण के पैसे लेकर दो संस्करण बेचने की अनुमति	Sale of two Editions of a Newspaper by charging for only one edition	—69
7271	गुजरात में लघु उद्योगों को ऋण	Loans for Small Scale Industries in Gujarat	—69
7272	गुजरात के औद्योगिक एककों द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड से वित्तीय सहायता की मांग	Demand of Financial Assistance by Gujarat Industrial Units from National Industrial Development Corporation Ltd.	—71
7273	'रेडियो लाइसेंस' के बारे नया विचार	A New Thinking on Radio Scheme	—71
7374	रोहतास पेपर मिल में कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Materials in Rohtas Paper Mills	—72
7275	रिफ्रेक्टरी उद्योग का विस्तार	Expansion of Refractory Industry	—72
7276	बलासौर, उड़ीसा के लिये 'पोस्टल इंजीनियरिंग डिवीजन'	Postal Engineering Division for Balasore Orissa	—73
7277	रामपुर के टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन मैकेनिकों आदि की संख्या	Number of Telephone Mechanics, etc. at Rampur Telephone Exchange	—73
7278	दिल्ली सर्किल में टेलीफोन मैकेनिकों की संख्या	Number of Telephone Mechanics in Delhi Circle	—73
7279	सीमेन्ट के उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता	Additional Manufacturing Capacity of cement	—74
7280	आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में औद्योगिक एकक स्थापित करना	Setting up of Industrial Units in Chittoor District, Andhra Pradesh	—74
7281	त्रिपुरा में मध्यम श्रेणी के उद्योग स्थापित करना	Setting up of Mediun Industries in Tripura	—74
7282	त्रिपुरा में लघु उद्योग	Small Scale Industries in Tripura	—75
7283	फिल्म सेंसर बोर्ड के कर्त्तव्य तथा कृत्य	Duties and Functions of Film Censors Board	—75
7284	देश में विशेषकर बिहार में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in the Country particularly in Bihar	—76

अता.प्र. संख्या U.S. Q.	विषय Subjeet	पृष्ठ Pages
7285 योजना विधि से पूर्व औद्योगिक लाइसेंस नीति का तैयार किया जाना	Formulation of Industrial Licensing Policy before Plan Period	—76
7286 चौथी योजना में प्रसारण और टेलीविजन योजनाओं का असन्तोष-जनक कार्य	Broadcasting and TV Scheme in Fourth Plan Unsatisfactory	—76
7287 अमरीकी फर्म के सहयोग से ब्लेडों का निर्माण	Manufacture of Blades with American Firm Collaboration	—77
7288 बैल टेलीफोन मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी	Bell Telephone	—77
7289 लाइन मैन और सब इन्स्पेक्टरों की सहायता के लिये नैमित्तिक श्रमिकों की गेंग पार्टियां	Gang Parties of Casual Labourers to help Lineman and Sub Inspectors	—78
7290 पटना डिवीजन में रेलवे डाक सेवा के कर्मचारियों की संख्या	Number of RMS Employees in Patna Division	—78
7291 पटना के डाक व तार विभाग के औषधालय में परिवार नियोजन केन्द्र	Family Planning Wing in Patna P & T Dispensary	—79
7292 'फास्ट ब्रीडर न्यूकलीयर रिएक्टर' का निर्माण	Construction of Fast Breeder Nuclear Reactor	—79
7293 आकाशवाणी और टेलीविजन द्वारा श्री अरविन्द शताब्दी मनाना	Observance of Sri Aurobindo Centenary by Air and TV	—80
7294 रोजगार की सम्भावनाओं को बढ़ाने हेतु पूंजी निवेश के लिये क्षेत्रों को निर्धारित करना	Sectors for Investmant eanmarked for job Potential	—80
7295 गाजियाबाद स्थित मोहन मोकिन्स ब्रूअरीज द्वारा शराब का उत्पादन	Production of wine by Mohan Meakens Breweries, Ghaziabad	—81
7296 गैर सरकारी और सरकारी क्षेत्रों में टेलीफोन के बिलों की बकाया राशि	Outstanding amount of Telephone Bills from Private and Public Sector	—81
7297 'अवन्तिका' के साझेदार	Partners in Avantika	—82
7298 गुलामों का व्यापार	Trade in Slaves	—83
7299 वर्ष 1971-72 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पदों का विज्ञापन	Posts advertised by UPSC during 1971-72	—83

अता.प्र. संख्या US.Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
7300	थुम्बा अन्तरिक्ष अनुसन्धान केन्द्र के 'इंजीनियरिंग प्रोपेलैंट डिवीजन' द्वारा अनुसन्धान पर किया गया व्यय Amount Spent on research by Engineering Propellent Division of Thumba Space Research Station	—84
7301	आसाम में तूफान के कारण बेघर हुए व्यक्ति Persons rendered Homeless due to Cyclone in Assam	—84
7302	खंडवा टेलीफोन एक्सचेंज, मध्य प्रदेश Khandwa Telephone Exchange, Madhya Pradesh	—85
7303	नेपा मिल में स्थानीय लोगों की नियुक्ति Appointment of Local Persons in Nepa Mills	—85
7304	मध्य प्रदेश के विकास के लिए योजना Scheme for Development of Madhya Pradesh	—85
7305	बिहार में भारी उद्योग Heavy Industries in Bihar	—86
7306	चौथीपंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार के लिए निधियों का आवंटन Allocation of Funds for Bihar during Fourth Plan	—86
7307	वजीर सुल्तान टोबेको कम्पनी के विस्तार के लिए लाइसेंस Licence for Expansion of Vazir Sutlan Tabacco Compani	—87
7308	विदेशों से तकनीक जानकारी Technical Know how from Foreign Countries	—87
7309	वी० पी० पी० और प्राप्ति स्वीकृति फार्मों पर शुल्क लगाना Priced VPP and Acknowledgement Forms	—87
7310	माधेपुर, दरभंगा में दुग्ध फैक्टरी Milk Factory at Madhepur Derbhanga	—88
7311	सुन्दरबन क्षेत्र के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम Special Programme for the Development of Sunderbans Region	—88
7312	श्री हरिकोटा द्वीप से हटाये गये परिवारों का पुनर्वास Rehabilitation of amilies evacuated from Sri Harikota Island	—89
7313	कलकत्ता टेलीफोन के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते के रूप में दी गई राशि Amount paid as O. T. to Calcutta Telephones Employees	—89
7314	चीनी हथियार रखने वाले मिजो विद्रोही Mizo Rebels having Chinese weapons	—89
7315	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा सीमा सुरक्षा दल के कर्मचारियों के वेतनमान Pay Scales of C.R. P. and B. S. F. Personnel	—89

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
7316	बंगाल फिल्म उद्योग की स्थिति का मूल्यांकन करने हेतु विशेषज्ञों के अध्यय दल का प्रस्ताव / Proposed Experts Study Team to Assess situation in Bengal Film Industry	—90
7317	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली में बेची गयी वस्तुओं के अधिक मूल्य / High Price of Commodities sold at Central Government Employees Consumer Cooperative Society Limited, New Delhi	—91
7318	केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली को हुई हानि / Loss suffered by Central Government Employees Consumer Cooperative Society Limited, New Delhi	—91
7319	रामकृष्णपुरम नई दिल्ली के एक कुंए से दो स्कूल जाने वाली लड़कियों के शवों का बरामद होना / Recovery of Dead Bodies of Two School going Girls from a Well near R. K. Puram, New Delhi	—92
7320	सीमा सुरक्षा बल द्वारा चांदमारी के दौरान हताहत असैनिक / Injuries to Civilians during field firing by Border Security Force	—92
7321	आसाम नागालैंड सीमा विवाद / Assam Nagaland Boundary Dispute	—93
7322	उत्तर प्रदेश, सर्किल, लखनऊ के पोस्ट मास्टर जनरल के कार्यालय का आंशिक रूप से इलाहाबाद/कानपुर स्थानान्तरण / Partial shifting of office of PMG UP Circle, Lucknow to Allahabad/Kanpur	—93
7324	ब्रह्मावार, मैसूर में आकाशवाणी केन्द्र / A. I. R. Station for Brahmaver, Mysore	—94
7325	पूर्वी क्षेत्र में अर्थ-सैनिक बलों की आपरेशनल आवश्यकतायें / Operational requirements of paramilitary forces in Eastern Region	—94
7326	दिल्ली पुलिस द्वारा चोरी हुई मूर्तियों का बरामद किया जाना / Recovery of stolen idols by Delhi Polsce	—94
7327	दिल्ली नगर निगम में असिस्टेंट इंजीनियरों की नियुक्ति / Appointment of Assistant Engineers in Delhi Municipal Corporation	—95
7328	मंत्रालयों में हिन्दी अनुवाद का कार्य करने वाले अधिकारी / Officers engaged on Hindi Translation work in Ministries	—96
7329	अधिकारियों को हिन्दी में प्रशिक्षण देना / Training of Officers in Hindi	—96
7330	विशेषज्ञ दल द्वारा अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा / Visit of Andaman and Nicovar Islands by Team of Experts	—97
7331	पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय नागरिकों का अपहरण / Kidnapping of Indian Nationals by Pak troops	—97

अता. प्र. सख्या U.S. Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
7332 अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह आवकारी विनियम	Excise regulation in Andaman and Nicobar Islands	—97
7333 अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में उद्योग	Industries in Andaman and Nicobar Islands	—98
7334 वैध पासपोर्ट पर पश्चिम बंगाल आये हुये पाकिस्तान के नागरिक	Pak Nationals who came to west Bengal on valid passports	—99
7335 दिल्ली महानगर परिषद के सदस्यों के वेतन में वृद्धि	Raise in Salary of DMC Councillors	—99
7336 यूनाइटेड न्यूज आफ इंडिया और 'तास' के बीच करार	Agreement between UNI and Tass	—99
7337 उत्तर प्रदेश में जाली मनीआर्डरों का पता लगाना	Detection of Forged MOs in UP	—100
7338 केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी स्टोर दिल्ली द्वारा अर्जित किया गया लाभ	Profit made by the Central Government Employees Consumer Cooperative Stores, Delhi	—100
7339 आकाशवाणी पर राष्ट्रीय गान	National Anthem over AIR	—101
7340 देवनागरी में तार	Telegrams in Devnagri	—101
7341 हिन्दी तार प्रणाली में प्रशिक्षण	Training in Hindi Telegraphy	—101
7342 टेलीप्रिंटर मशीनों वाले तारघर	Telegraph Offices with Teleprinter	—102
7343 स्थानीय टेलीफोन काल के शुल्क में वृद्धि	Increase in Local Telephone Call charges	—102
7344 आन्ध्र प्रदेश में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Andhra Pradesh	—102
7345 संश्लिष्ट कागज का निर्माण	Manufacture of Synthetic Paper	—103
7346 लाइसेंस जारी करने में विलम्ब के के कारण धीमी विकास दर	Slow Growth Rate due to delay in issuing of licences	—103
7347 भिण्ड और इटावा के बीच सीधा टेलीफोन सम्पर्क	Direct Telephone link between Bhind and Itawah	—104
7448 भिण्ड तथा ग्वालियर के बीच टेलीफोन लाइन	Telephon line between Bhind and Gwalior	—104
7349 मध्य प्रदेश में स्योंडा कस्बे में टेलीफोन व्यवस्था	Telephone system in Syondha Town Madhya Pradesh	—104
7350 मध्य प्रदेश के डाकूग्रस्त क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत उद्योगों की स्थापना	Set up of Industries in Public Sector in Dacoit infeseted area of Madhya Pradesh	—104

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
7351 आयोजना प्रचार निदेशालय के तकनीकी कर्मचारियों का वेतनमानों की अधिकतम सीमा पर पहुंचना	Stagnation of Techical Staff in the Directorate of Plan Publicity	—105
7352 बहराइच (उत्तर प्रदेश) में सीमेंट की कमी	Shortage of Cement in Bahraich (UP)	—105
7353 हैवी इलैक्ट्रिकल्स एकक में तोड़ फोड़	Sabotage in Heavy Electricals Ltd.	—106
7354 सदर बाजार, दिल्ली में जेब काटने के मामले	Cases of pick pocketing in Sadar Bazar, Delhi	—106
7355 फिरोजाबाद और आगरा के बीच स्वचालित टेलीफोन की सुविधा	Auto Telephone Service between Ferozabad and Agra	—107
7356 भारतीय सांख्यिकीय सेवा, चतुर्थ ग्रेड की प्रथम चयन सूची में अनुसूचित जाति के वरिष्ठ इन्वेस्टीगेटरों के नामों को शामिल न करना	Non inclusion of names of Scheduled Caste Senior Investigators in the first select list of Indian Statistical Service Grade IV	—107
7357 केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन में अनुसूचित जाति के वरिष्ठ इनवेस्टीगेटरों को स्थायी करने में विलम्ब	Delay in confirmation of Scheduled Caste Senior Investigators of Central Statistical Organisation	—108
7358 केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन में अनुसूचित जाति के वरिष्ठ इनवेस्टीगेटरों कीं वरीयता सूची को अन्तिम रूप देने में विलम्ब	Delay in finalising the seniority list of Scheduled Caste Sanior Investigators of Central Statistical Organization	—108
7359 भूतपूर्व नरेशों के पास सम्पत्ति	Properties in possession of former Rules	—109
7360 टेलीविजन केन्द्र दिल्ली में फिल्म इन्स्टीच्यूट में प्रशिक्षित कलाकार	Films Institute trained Artistes with TV Centre at Delhi	—109
7361 केरल के बन क्षेत्र के निकट उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries near forest area in Kerala	—110
7362 केरल में क्षेत्र प्रचार यूनिट	Field publicity Units in Kerala	—110
7363 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सर्वश्रेष्ठ फिल्म के चयन का मापदंड	Criteria of selecting best Actor, best Actress and best Film.	—111
विशेषाधिकार प्रश्न के बारे में, (प्रश्न)	Re. Question of Privilege (Query).	—112
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance.	—112
मौनसून के दौरान पोंग बांध क्षेत्र में बाढ़ का खतरा	Apprehension of floods in Pong Dam area during monsoons.	—112

विषय	Subject	पृष्ठ
श्री वीर भद्र सिंह	Shri Vir Bhadra Singh	—112
श्री बैजनाथ कुरील	Shri B.N. Kureel	—112
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table.	—116
ध्यानाकर्षण सूचना के बारे में (प्रश्न)	Re. Calling Attention Notice (Query).	—116
याचिका समिति	Committee on Petitions	—117
कार्यवाही सारांश	Minutes.	—117
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	Committee on Absence of Members from the Sittings of the House	—117
कार्यवाही सारांश	Minutes.	—117
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	Leave of Absence from the Sittings of the House.	—117
याचिका समिति	Comittee on Petitions.	—118
पांचवां प्रतिवेदन	Fifth Report.	—118
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति	Committee on Government Assurences.	—118
तीसरा प्रतिवेदन	Third Report.	—118
राजनयिक सम्बन्ध (वियना कन्वेक्शन) विधेयक	Diplomatic Relations (Veinna Convention). Bill	—118
प्रवर समिति का प्रतिवेदन	Raport of Select Committee.	—118
नियम 377 के अन्तर्गत मामला	Matter under Rule 377.	—118
मद्यनिषेध के लिए श्री गोकुलभाई भट्ट का अनशन	Fast by Shri Gokul Bhai Bhatt in the cause of prohibition.	—118
संविधान (30 वां संशोधन) विधेयक-पुरः स्थापित	Constitution (Thirtieth Amendment) Bill Introduced.	—119
होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद विधेयक	Homeopathy Central Council Bill.	—119
संयुक्त समिति में शामिल होने के लिए राज्य सभा की सिफारिश से सहमत होने का प्रस्ताव	Motion to concur in Rajya Sabha recommendation to join Joint Committee.	
विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर कराना तथा दस्तावेजों का पेश किया जाना) विधेयक	Departmental Inquiries (Enforcement of Attendance of Witnesses and production of Documents) Bill.	—122
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर सहमति प्रगट करने का प्रस्ताव	Motion to agree with Rajya Sabha Amendments.	
खान (संशोधन) विधेयक के बारे में वास्तु-विद विधेयक	Re. Mines (Amendment) Bill.	—124
	Architects Bill.	
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha.	
श्री डी० पी० यादव	Shri D.P. Yadav	—124

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	—125
श्री आर० वी० बड़े	Shri R.V. Bade	—125
श्री धामनकर	Shri Dhamankar	—126
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee	—126
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody	—127
श्री बी० वी० नायक	Shri B.V. Naik	—127
खंड दो से 45 और 1	Clauses 2 to 45 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass.	
उड़ीसा से आदिवासी लड़कियों की कथित बिक्री के बारे में चर्चा	Discussion re Reported sale of Adivasi girls from Orissa.	—131
श्री कार्तिक उराँव	Shri Kartika Oraon	—131
श्री दशरथ देव	Shri Dasarath Deb	—I32
श्री जे० बी पटनायक	Shri J.B. Patnaik	—133
श्री डी० के० पंडा	Shri D.K. Panda	—135
श्री मूल चन्द डागा	Shri M.C. Daga	—136
श्री जे० एम० गौडर	Shri J.M, Gowder	—137
श्री ड़ी० बसुमतारी	Shri D. Basumatari	—138
श्री जगन्नाथराव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi	—139
श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा	Shrimati T. Lakshmikanthamma	—140
श्री पी० के० देव	Shri P.K. Deo	—140
श्री सुबोध हंसदा	Shri Subodh Hansda	—142
प्रो० मधु दंडवते	Prof. Madhu Dandavate	—142
श्री अरविंद नेताम	Shri Arvind Netam	—143
श्री भगीरथ भंवर	Shri Bhagirath Bhanwar	—144
श्री प्रियरंजन दास मुन्शी	Shri Priya Ranjan Das Munsi	—144
श्री बी० के० दासचौधरी	Shri B.K. Daschowdhury	—145
श्री श्यामसुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mohapatra	—145
श्री अर्जुन सेठी	Shri Arjun Sethi	—146
श्री चन्द्र शैलानी	Shri Chandra Shailani	—146
श्री एम० एस० पुरती	Shri M.S. Purty	—I46
श्री एम० जी० उइके	Shri M.G. Uikey	—146
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K.C. Pant	—147
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion	
पटसन के समर्थन मूल्य में वृद्धि	Increase in Support Price of Jute.	—149
श्री वी० के० दासचौधरी	Shri B.K. Das chowdhury	—149
श्री एल० एन० मिश्र	Shri L.N. Mishra	—151
कार्य-मंत्रणा समिति	Business Advisory Comittee.	—152
13 वां प्रतिवेदन	Thirteenth Report.	—152

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 24 मई, 1972/3 जेष्ठ, 1894 (शक)
Wednesday, 24 May, 1972/Jaishtha 3, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए / Mr. Speaker *in the Chair* }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
Oral Answers to Questions

यूनिवर्सल प्रेस सर्विस एक अनधिकृत समाचार एजेंसी

*961. **श्री पीलू मोदी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो ने डाक व तार विभाग के महानिदेशक को पत्र लिखकर यह सूचना दी थी कि चूंकि अब यूनिवर्सल प्रेस सर्विस सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसी नहीं रही है अतः यह अधिकृत समाचार एजेंसी नहीं है और इसलिए यू० पी० एस० से वाणिज्यिक दरों से शुल्क वसूल किया जाना चाहिए न कि प्रेस की दरों से; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। डाक व तार बोर्ड को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा यह सलाह दी गई थी कि मंत्रालय मैसर्स यूनिवर्सल प्रेस सर्विस के लिए टेलीप्रिन्टर चैनल के आवंटन की सिफारिश करने में असमर्थ है। यूनिवर्सल प्रेस को दी जाने वाली सेवाओं के निमित्त बोर्ड द्वारा वसूल की जाने वाली दरों के बारे में डाक व तार बोर्ड को कोई सलाह नहीं दी गई थी।

श्री पीलू मोदी (गोधरा)। यूनिवर्सल प्रेस सर्विस तथा डाक तार महानिदेशक के बीच एक करार हुआ था जिसमें यह व्यवस्था थी कि उन्हें प्रेस से लिए जाने वाले प्रभार की दरों पर ही अपनी सेवाएं करने की अनुमति दी जायेगी। और करार की मध्यावधि में अकस्मात सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने उनसे यह प्रत्यायन वापस लेने का निर्णय कर लिया और डाक तार महानिदेशक

को स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि इस समाचार एजेंसी से वाणिज्यिक दरें वसूल की जा रही हैं और यदि वह एजेंसी वाणिज्यिक दरें देती रही तो उसे अपना गुजारा करना सम्भव नहीं हो सकता । इस तथ्य के बावजूद भी कि करार पर कई वर्ष पहले हस्ताक्षर किए गए थे, किस कारण सरकार को ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ा ?

श्री धर्मवीर सिंह : यूनिवर्सल प्रेस सर्विस को दिया गया प्रत्यायन वापस नहीं लिया गया है । दिल्ली में यूनिवर्सल प्रेस सर्विस के प्रतिनिधियों ने प्रेस इन्फारमेशन ब्यूरो को पत्र लिखा कि उनका अब यूनिवर्सल प्रेस सर्विस से कोई सम्बन्ध नहीं रहा और यूनिवर्सल प्रेस सर्विस ने भी स्वयं प्रेस इन्फारमेशन ब्यूरो को पत्र लिखा कि संवाददाता उनके लिए कार्य नहीं कर रहे हैं । इतने में यूनिवर्सल प्रेस सर्विस ने अपने दो मनोनीतों के लिए नए प्रत्यायन की माँग की । सैंट्रल प्रेस ऐक्रेडिटेशन कमेटी ने अपने आपको इन दो प्रतिनिधियों को प्रत्यायन प्रदान करने की स्थिति में नहीं पाया ।

श्री पीलू मोदी : मैंने इसका कारण पूछा है ।

श्री धर्मवीर सिंह : कारण यह है कि सैंट्रल प्रेस ऐक्रेडिटेशन कमेटी को पता चला कि यह समाचार ऐजेन्सी अधिकृत समाचार ऐजेन्सी नहीं है । मैं माननीय सदस्य को यह भी सूचित कर दूं कि सैंट्रल प्रेस ऐक्रेडिटेशन कमेटी में आल इण्डिया एडिटरज कान्फ्रेन्स और फेड्रेशन आफ इंडियन वर्किंग जर्नेलिस्ट के मनोनीत होते हैं । इस सैंट्रल प्रेस ऐक्रेडिटेशन कमेटी के सदस्यों ने इस समाचार ऐजेन्सी के दो मनोनीतों के लिए नया प्रत्यायन न देने का निर्णय किया ।

श्री पीलू मोदी : मंत्री महोदय ने कहा है कि प्रत्यायन समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची कि यह अधिकृत समाचार ऐजेन्सी नहीं है । मेरा विचार है कि किसी ऐसी समाचार ऐजेन्सी के विरुद्ध, जो कि 11 से 15 विभिन्न भाषाओं में तथा कई वर्षों से कार्य कर रही हो, पर जब इस प्रकार का गम्भीर आरोप लगाया जाये तो इसके लिए कोई तर्कपूर्ण कारण दिया जाना चाहिये कि कोई विशेष समाचार ऐजेन्सी एक अधिकृत समाचार एजेन्सी क्यों नहीं है । अतः मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जब वह यह कहते हैं कि कोई विशेष समाचार ऐजेन्सी अधिकृत नहीं है तो क्या फिर सरकार या मंत्रालय के लिए यह बताना आवश्यक नहीं है कि ऐसी कौन सी विशेष बात है जिसके कारण वह एजेन्सी अनधिकृत हो जाती है ?

श्री धर्मवीर सिंह : इस विशेष मामले के सम्बन्ध में मद्रास उच्च न्यायालय में एक लिखित याचिका लम्बित पड़ी हुई है । अतः मैं इस विशेष मामले के बारे में उल्लेख नहीं करना चाहता ।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहने का यह अर्थ है कि उनका यह विचार था कि वे अधिकृत नहीं हैं । क्या उन्होंने कारण बतलाये हैं ?

श्री धर्मवीर सिंह : सम्बन्धित समाचार ऐजेन्सी ने एक लिखित याचिका दायर कर दी है । कारण यही है । समिति ने बताया है कि यह समाचार ऐजेन्सी अनधिकृत समाचार ऐजेन्सी है ।

श्री पीलू मोदी : यदि मैं यह कहूं कि मंत्री अनधिकृत मंत्री है तो क्या इसका अर्थ यह होगा कि उन्हें मंत्री कक्ष के प्रत्यायन से रोक लिया जायेगा ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु उर्जा मन्त्री, ऐलेक्ट्रोनिकी मन्त्री, गृह मन्त्री और सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : बात यह है कि सरकार यह निर्णय नहीं करती कि कौन सी

ऐजेन्सी अधिकृत है और कौन सी अनधिकृत । यही वास्तविक बात है । निर्णय करने का काम तो इस समिति का है । जहाँ तक मैं समझ पाई हूं उन्होंने इसके लिए कोई कारण नहीं बताया है । किन्तु सरकार उनकी सिफारिशों को स्वीकार कर लेती है ।

श्री पीलू मोदी : महोदय मुझे इस सूचना से उत्पन्न एक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति मिल सकती है ? मैं यह जानना चाहता हूं । जब इस प्रत्यायन समिति ने ऐसा अन्याय ही करना है तो फिर इस मामले में अग्रेतर न्याय प्राप्त करने के लिए प्रभावित ऐजेन्सी को कुछ करने के लिए शेष क्या रह जाता है ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : ऐसा लगता है कि अब तक ऐसा कुछ नहीं किया गया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अब तो वास्तविकता प्रकट हो गई है ।

श्री धर्मवीर सिंह : यह प्रत्यायन व्यक्तिगत होता है । इसे समाचार पत्रों तथा समाचार ऐजेन्सी की सिफारिश पर दिया जाता है ।

श्री पीलू मोदी : किसी समाचार ऐजेन्सी की मान्यता रद्द की जा सकती है क्योंकि वे दिल्ली में किसी ऐसे व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करना नहीं चाहते जो कि उनको प्रसन्न न रखे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं आप अपना अगला प्रश्न पूछ सकते हैं । मैंने आपको अपना अगला प्रश्न पूछने के लिए बुलाया है और आप अनुपूरक प्रश्न पूछे जा रहे हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय अग्रिम रूप में धन्यवाद । मैं एक साधारण सा प्रश्न पूछता हूं । यदि प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया और यूनाइटेड न्यूज आफ इंडिया के विशेष संवाददाता वहां से अपना सम्बन्ध तोड़ देते हैं तो क्या फिर वही शर्तें प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया तथा यूनाइटेड न्यूज आफ इण्डिया पर भी लागू होंगी ? मैं यही प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : इससे यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय विपक्षी दल के प्रति सहानुभूति दिखायें । वह उत्तर देने के लिए तैयार हैं ।

श्री पीलू मोदी : सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी प्रश्न पूछने की बारी ही नहीं आती । किन्तु जब बारी आती है तो फिर हमें प्रश्न पूछने का अधिकार है । हमने कुछ भी उत्पीड़ित करने वाली बात नहीं पूछी है । हमने एक साधारण सा प्रश्न पूछा है । क्या किसी संवाददाता के बदल जाने से किसी समाचार ऐजेन्सी को प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं रह जाता ? यह एक सीधा और साधारण सा प्रश्न है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि कोई संवाददाता मर जाता है तो क्या उस समाचार ऐजेन्सी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है ?

श्री पीलू मोदी : ठीक यही बात इस समाचार ऐजेन्सी के साथ हुई है । क्योंकि एक आदमी ने त्याग पत्र दे दिया तो इस ऐजेन्सी का अस्तित्व ही समाप्त समझ लिया गया है ऐसा केवल उस व्यक्ति के त्यागपत्र दिये जाने के कारण समझा गया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय क्या आप यह बात स्वीकार करते हैं ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हमने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है।

श्री धर्मवीर सिंह : प्रत्यायन प्रदान करने के नियम, इस सम्बन्ध में कि प्रत्यायन व्यक्तिगत तथा अहस्तांतरणीय होता है, बिल्कुल स्पष्ट है। किन्तु निस्संदेह समाचार ऐजेन्सियों तथा समाचार पत्रों के प्रकारों को भी ध्यान में रखा जाता है। इस मामले में प्रत्यायन की अवधि समाप्त होने पर जब नये प्रत्यायन के लिए आवेदन पत्र आया तो समिति ने इसके दो अन्य मनोनीतों के लिए प्रत्यायन प्रदान करने हेतु सरकार से सिफारिश न करने का निर्णय किया।

श्री पीलू मोदी : ऐजेन्सी ने दो नामों की सिफारिश की। उनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं किया गया। क्या प्रत्यायन समिति ऐजेन्सियों तथा ऐजेन्सियों के अधिकारियों की सिफारिश करती है ? यह ऐसा नहीं कर सकती। इसकी नियुक्ति इस उद्देश्य के लिए नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय : मैं अगले प्रश्न पर आ गया हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय अपना प्रश्न पूछने से पहले मैं एक बात कहूंगा। लोगों को इस बात का पता चल जाना चाहिए कि देश में प्रेस पर कितना नियन्त्रण है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

टेलीफोन की मांग और सप्लाई में भारी अन्तर

*** 962. श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूर संचार क्षेत्र में हुए विकास के अध्ययन से पता लगता है कि देश की आवश्यकताएं पूर्णतया न समझ पाने और गलत आयोजन करने के कारण टेलीफोन कनेक्शनों की मांग और सप्लाई में भारी अन्तर उत्पन्न हो गया है,

(ख) यदि हां, तो उक्त अध्ययन के क्या मुख्य निष्कर्ष निकले हैं, और

(ग) इन निष्कर्षों पर यदि कोई कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है तो वह क्या है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) :(क) और (ख) विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जा रहा है।

(ग) योजना आयोग हर पंचवर्षीय योजना में इसके लिए पहले से अधिक राशि निर्धारित करता रहा है और देश में ही दूरसंचार सामग्री और साज-सामान की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि के लिए पहले ही कार्रवाही की जा चुकी है। हाल ही में दो उच्चाधिकार प्राप्त समितियां स्थापित की गई हैं जिन्हें सामग्री और साज-समान की मांग और सप्लाई के बीच अन्तर को पाटने और दूरसंचार टेकनोलाजी के आधुनिकीकरण के लिए योजनाएं और सुझाव तैयार करने का काम सौंपा गया है।

विवरण

दूर संचार के विकास का लगातार पुनरीक्षण किया जाता रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 25 वर्षों में टेलीफोन सेवा का 11 गुना विकास हुआ है। एक के बाद एक पंचवर्षीय योजना-

ओं में मांग और सप्लाई के बीच अन्तर कम करने के लिए लगातार प्रयत्न किए गए हैं। प्रत्येक योजना पिछली योजना से लगभग $2\frac{1}{2}$ गुना रही है। लेकिन वित्तीय और सामान सम्बन्धी साधनों की कमी के कारण मांग और सप्लाई के बीच कुछ अन्तर अपरिहार्य है। इसमें वर्ष-प्रति वर्ष हुई प्रगति और प्रतीक्षा सूची की स्थिति इस प्रकार है :

तारीख	टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या।	टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता (लाखों में)	सीधी एक्सचेंज लाइनें (लाखों में)	प्रतीक्षा सूची (पूरी न हुई मांग—लाखों में)
1	2	3	4	5
1-4-48	321	1.100	0.830	उपलब्ध नहीं है
1-4-51	540	1.225	1.022	—वही—
1-4-56	831	2.384	1.730	0.29
1-4-61	1374	4.126	3.320	1.65
1-4-66	2711	7.719	6.23	3.49
1-4-69 चौथी योजना के आरम्भ में	3432	10.324	8.138	4.28
1-4-71	3967	11.938	9.814	3.10

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे विदेश व्यापार मंत्रालय के सम्बन्ध में पुनः यह बात कहनी है। प्रतीक्षा सूची की स्थिति के बारे में आँकड़े 1-4-71 को दिए गए हैं। समें सरकार ने 3.10 की संख्या दी हुई है। यह पहला अवसर है जबकि सरकार ने दशमलव के पश्चात शून्य दिखाया है। इस सम्बन्ध में मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है। मेरे विचार से इस तिथि को आवेदनों की संख्या 3.4 लाख थी। बहुगुणा जी आपने समूची स्थिति को कम दिखाने का प्रयास किया है। मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि दूसरी स्विच फैक्ट्री की, जिसको स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था और जिसके द्वारा बंगलौर में भारतीय टेलीफोन उद्योग का उत्पादन बढ़ाना था तथा हैदराबाद में निर्माणाधीन दूसरी केबल फैक्ट्री की क्या स्थिति है ? वे कब तक तैयार हो जायेगी तथा कब उत्पादन आरम्भ कर देंगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : जहां तक दूसरी स्विच फैक्ट्री का सम्बन्ध है, ऐसा अनुमान है कि इस फैक्टरी की क्षमता 30,000 लाइनों की होगी किन्तु परियोजना प्रतिवेदन की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

जहाँ तक हैदराबाद में दूसरी केबल फैक्टरी की स्थापना का सबम्न्ध है, इसका सम्बन्ध औद्योगिक विकास मंत्रालय से है किन्तु हमें बताया गया है कि उन्होंने पहले ही इस परियोजना की स्वीकृति दे दी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने तो केवल एक साधारण सा प्रश्न पूछा है। आपके विचार में यह फैक्टरी उत्पादन कार्य कब तक करना आरम्भ कर देगी ? हम बड़ी-बड़ी बातें नहीं समझते। हम तो साधारण से ग्रामीण लोग हैं।

श्री हेमदती नन्दन बहुगुणा : मुझे आशा है कि हमारे ग्रामीण लोग श्री ज्योतिर्मय बसु की तरह बदल नहीं जायेंगे। फिर भी मेरे माननीय मित्र को यह जानने का अधिकार है कि वहां उत्पादन होना कब आरम्भ हो जायेगा। मैं उन्हें यह बता दूं कि परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त होने की आशा है और स्वीकृति मिलने के पश्चात वहां उत्पादन आरम्भ करने में तीन या साढ़े तीन वर्ष तक का समय लग जायेगा।

जहां तक केबल फैक्टरी का सम्बन्ध हैं, मैं पहले ही कह चुका हूं कि औद्योगिक विकास मंत्रालय ने हमें सूचित किया है कि उन्होंने परियोजना की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : लम्बी प्रतीक्षा सूची के अतिरिक्त मंत्री महोदय तथा उनकी सरकार द्वारा की जा रही बड़ी-बड़ी बातों से लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस बात की गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि अब बारी आने पर भी किसी को टेलीफोन नहीं मिल पाता। टेलीफोन की स्वीकृति प्राप्त करने या टेलीफोन प्राप्त करने के लिए लोगों को विभाग से सम्पर्क स्थापित करना पड़ता है। और जब तक किसी की उच्चाधिकारियों में से किसी के साथ जान पहचान न हो अथवा वह कोई महत्वपूण व्यक्ति या संसद सदस्य न हो तब तक उसे टेलीफोन नहीं मिल सकता।

अध्यक्ष महोदय : अब उन्हें अपना प्रश्न पूछने दिया जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा प्रश्न यह है कि जब किसी व्यक्ति की टेलीफोन प्राप्त करने की बारी आ जाती है तो फिर भी उसे इसकी स्वीकृति प्राप्त करने या कनेक्शन प्राप्त करने के लिए किसी बड़े आदमी की चापलूसी क्यों करनी पड़ती है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न किसी साधारण ग्रामीण व्यक्ति का नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : चापलूसी एक साधारण व्यक्ति का शब्द है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं इस आरोप का खंडन करता हूं कि टेलीफौन कनेक्शन प्राप्त करने के मामले में किसी प्रकार की चापलूसी करनी पड़ती है। किन्तु उनका यह कहना सही है कि देने के लिए हमारे पास पर्याप्त संख्या में टेलीफोन नहीं हैं। अतः इस दिशा में कुछ प्राथमिकताएं दी गई हैं। उदाहरण के लिए उन लोगों के मामले में जो बहुत ज्यादा अस्वस्थ हैं, जैसे कि कोई कैंसर के रोग से पीड़ित है तो ऐसे कई मामलों में माननीय सदस्यों ने उन लोगों को बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन देने की सिफारिशें की हैं। चुनाव आयोग द्वारा मान्य राजनीतिक दलों को, चाहे उनकी सदस्य संख्या अधिक न भी हो, प्रत्येक जिले में टेलीफोन दिए गए हैं।

जहां तक अन्य बातों का सम्बन्ध है, मैं यह कह सकता हूं कि इस मामले में प्राथमिकताएं दी जा रही हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या सरकार का इरादा टेलीफोन के स्वामित्व पर सीमाबन्दी करने का है ? इस समय तक एक व्यक्ति पांच टेलीफोन कनेक्शन रख सकता है।

श्री पीलू मोदी : यही तो वे भी कहते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मैं यह जान सकता हूँ कि टेलीफोनों तथा टेलीफोन सम्बन्धी उपकरणों का अभाव दोषपूर्ण क्राम-बार उपकरण के कारण हैं जो कि बेल टेलीफोन मैनुफैक्चरिंग कम्पनी के साथ हुए करार के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में बनाए गए हैं ? यह कम्पनी स्वयं अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन और तार निगम के नियन्त्रण में है। यह कम्पनी अमेरिका में सी० आई० ए० की ऐजेन्सी के रूप में कार्य कर रही है। इसका रहस्योद्घाटन जैकएंडरसन ने किया। मैं यह जानना चाहता हूं कि बेल टेलीफोन मैनुफैक्चरिंग कम्पनी के साथ किए गए करार की अवधि जो हाल ही में समाप्त हुई है, क्या उसका पुनः नवीकरण किया जायेगा और दोषापूर्ण उपकरण के सम्बन्ध में, जो उन्होंने सप्लाई किया है क्या कदम उठाये जा रहे हैं। क्योंकि इसका डिजायन उन्होंने ही तैयार किया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह मुख्य प्रश्न के अन्तर्गत आता है किन्तु मुझे पता नहीं है कि मंत्री महोदय के पास अभी इस सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध है अथवा नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उनके द्वारा निर्मित क्रास बार उपकरण दोषापूर्ण सिद्ध हुआ है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से पूर्णतया भिन्न हैं किन्तु फिर भी मैं इसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। ऐसी बात नहीं है कि दोषापूर्ण प्रौद्योगिकी के कारण ही उत्पादन में कमी आई है। इसकी बजाय अन्य कई कारणों से भी उत्पादन में कमी हुई है। फिर भी प्रौद्योगिकी में पाये इन सभी दोषों का पता लगा लिया गया है और हमने बेल टेलीफोन मैनुफेक्चरिंग कम्पनी को इस सम्बन्ध में मुआवजा देने के लिए कहा है जिससे उपकरण को ठीक किया जायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : करार का क्या होगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : जहाँ तक करार का सम्बन्ध है, जब तक बेल टेलीफोन मैनीफैक्चरिंग कम्पनी द्वारा परिशोधन का कार्य चल रहा है तब तक हमारा उनसे यह कहने का विचार है कि वे हमसे बिना किसी प्रकार के शुल्क की आशा किए बिना सहयोग देते रहें। हम उन्हें किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देंगे। आगे उन्हें यह आश्वासन देना पड़ेगा कि सभी प्रकार के परिशोधन कार्यों के लिए उन्हें व्यय देना पड़ेगा और उपकरण को कार्य करने की स्थिति में लाने के लिए आवश्यक सामग्री सप्लाई करनी पड़ेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आप सी० आई० ए० ऐजेन्सी को निरंतर यहां अपना काम करने की अनुमति देंगे ?

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : इस बात को ध्यान में रखते हुए, कि प्रतीक्षा सूची बहुत बड़ी है, एक नई योजना चालू की गई थी जिसके अनुसार उन लोगों को तत्काल टेलीफोन कनेक्शन दे दिया जायेगा जो 2500 रुपये जमा कर देंगे। किन्तु पता चलता है कि अभी भी प्रतीक्षा करने वाले लोगों की बहुत बड़ी संख्या है। क्या मैं जान सकता हूँ कि यह विभाग कम से कम उन लोगों को टेलीफोन कनेक्शन दे देगा जिन्होंने 2500 रुपये जमा किए हुए हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : पहली बात तो यह है कि 2500 रुपये वाली योजना गुप्त रूप से चालू नहीं की गई जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है। हमने इन लोगों में से कुछ निश्चित प्रतिशत लोगों को टेलीफोन दिए हैं। अन्यथा निर्धन वर्ग अथवा संस्थाओं को कठिनाइयां होतीं। दूसरे यद्यपि उन्होंने यह राशि जमा करली है किन्तु हम उन सबको टेलीफोन देने की स्थिति में नहीं हैं।

Map of Indian Sub-continent

*964. **Dr. Lakminarain Pandey** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the new State of Bangladesh has not been shown in the map of the Indian sub-continent issued by the Ministry of Information and Broadcasting; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) A map of a railway electrification in India was recently issued to newspapers to illustrate a feature article entitled 'Electric Traction on Indian Railways'. The map carried the word 'Pakistan' instead of Bangladesh. The error was noticed before the article with the map was published, and the newspapers were advised that it should be treated as cancelled.

(b) The error was due to oversight and is regretted.

Dr.Laxminarain Pandeya: It is a matter of satisfaction that hon.Minister has regretted for that. But I would like to know that after the considerable time of existence of Bangla Desh its non-extistence in the map is a grave error. Have you fixed responsibility on some person for this error ? And if so, who is that person ? Would you ensure that such error will not be repeated in future ?

Shri Dharam Bir Sinha : I would like to assure the Hon'ble member that Government have issued order to avoid such errors and the person responsible for this error has been instructed to avoil such error in future.

Dr. Laxminarain Pandeya : Who have been found responsible for this error ?

Shri Dharam Bir Sinha : It is not concerned to any person. It was a error for which we have regretted.

कृषि उद्योग का विकास

*965. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले कुछ वर्षों से कृषि-उद्योगों का विकास बहुत धीमा रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ।

(ख) क्या कृषि-उद्योगों का आधुनिक ढंग से विकास करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे उद्योगों के उद्यमकर्ताओं को क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

'कृषि उद्योग' शब्द के अन्तर्गत कृषि तथा खाद्य पदार्थों पर आधारित अधिकाँश ये उद्योग आते हैं, जैसे टैक्सटाइल, चीनी, चावल कुटाई, तेल पेराई, हाथ करघा, फल परिष्करण, डिस्टलरी, कृषि मशीनों (जैसे टैक्टर शक्ति चलित खुदाई के यंत्र तथा पम्पिंग सेट) कीट नाशक पदार्थ, डेरी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन आदि । ये उद्योग छोटे, मध्यम तथा बड़े आकार के हो सकते

हैं। चौथी योजना में कृषि उद्योग को प्राथमिकता दी गई है तथा उपरोक्त कई उद्योगों में अच्छी प्रगति हुई है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि विगत कुछ वर्षों में कृषि उद्योग के विकास की गति धीमी रही है।

प्रमुख रूप से कृषि उद्योग का विकास राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। लगभग सभी राज्य सरकारों ने कृषि उद्योग विकास निगम स्थापित किये हैं जिनका कार्य आधुनिक तरीकों से कृषि उद्योगों के विकास के संबंध में तकनीकी मार्ग दर्शन करना है।

ऐसे उद्योगों के स्थापित करने हेतु किसी विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था नहीं है। फिर भी, पिछड़े क्षेत्रों में जहां कुछ रियायतें मिलती हैं यदि ऐसे उद्योग स्थापित किये जाते है तो उद्यमकर्त्ता इन रियायतों का लाभ उठा सकते हैं। इसी तरह, यदि लघु क्षेत्र में उद्योग स्थापित किया जाता है तो उद्योग उस क्षेत्र में उपलब्ध सभी सुविधाओं से लाभान्वित हो सकते हैं।

श्री राम सहाय पांडे : कृषि-उद्योग के अन्तर्गत कृषि पर आधारित अनेक प्रकार के उद्योग आ जाते हैं। चौथी योजना में कृषि-उद्योगों को प्राथमिकता दी गयी है। इन में से अनेक उद्योगों को सूची में भी रखा गया है। किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हलों तथा पम्पिंग सैटों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को क्या प्रोत्साहन दिया गया है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : मुख्य प्रश्न के उत्तर में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जहां तक कृषि उद्योगों का सम्बन्ध है, कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। परन्तु यदि ये उद्योग पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किये जाते हैं, जहां कुछ रियायतें मिलती हैं, तो उद्यमकर्त्ता इन रियायतों का लाभ उठा सकते हैं। इसी भांति, यदि लघु उद्योग क्षेत्र में उद्योग स्थापित किये जाते हैं, तो उद्यमी इस क्षेत्र में उपलब्ध सभी सुविधाओं से लाभान्वित हो सकते हैं।

श्री राम सहाय पांडे : कृषि उद्योग स्थापित करने का उद्देश्य यह है कि सब राज्यों में कम से कम कृषिकों की बुनियादी जरूरतों, विशेषतया ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में, को पूरा किया जाये। इस योजना के अन्तर्गत क्या हम किसानों को ट्रैक्टर दे सकेंगे ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : सभा में कई बार यह स्पष्ट किया जाता है कि देश में ट्रैक्टरों का उत्पादन मांग से कहीं कम होता है। इसी लिए किसानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम विदेशों से ट्रैक्टरों का आयात करते हैं।

श्री वी० वी० जी० राजू : क्या खाद्यपदार्थों के परिक्षण के लिये जिला स्तर पर आधुनिक खत्तियां बनाने तथा देश में शीतागार सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : खत्तियाँ तथा शीतागार कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत आते हैं तथा मेरे पास सही आंकड़े नहीं हैं।

श्री के० सूर्यनारायण : कृषि उद्योगों के बारे में जब कभी कोई बात उठाई जाती है तो केवल यह कह दिया जाता है कि यह कृषि मामला कृषि विभाग के अन्तर्गत आता है। जहाँ तक राज्यों का प्रश्न है कृषि उद्योग विकास निगम भी कृषि विभाग के नियंत्रणधीन है। केन्द्र में यह उद्योग मंत्रालय के आधीन है।

अध्यक्ष महोदय : आप का प्रश्न क्या है ?

श्री के० सूर्यनारायण : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कृषि उद्योग आरम्भ करने के लिए कोई सहायता दी जाती है ? क्या वे उन कृषि उद्योगों के लिए जो राज्यों के कृषि विभागों के नियंत्रणाधीन है, कोई विशेष निधि उपलब्ध करायेंगे ? इन दिनों किसान सहायता के लिए सरकार पर निर्भर है और कृषि उद्योग निगमों के पास कोई धन नहीं है ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : माननीय सदस्य का कथन सही नहीं है । चौथी योजना में कृषि उद्योगों के लिए 28 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई थी । क्योंकि विभिन्न राज्यों के कृषि उद्योग निगम इस राशि को खर्च नहीं कर सके, इस लिए योजना आयोग को इस मामले पर पुनर्विचार करना पड़ा और पूंजी परिव्यय में कमी की गई ।

श्री के० सूर्यनारायण : कृषि उद्योग निगमों के पास कोई धन नहीं है क्या वह राज्य सरकारों से कहेंगे कि केन्द्र से प्राप्त सहायता का अच्छे से अच्छे ढंग से किस प्रकार इस्तेमाल किया जाये ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : हम समय पर मामलों को शीघ्रातिशीघ्र निबटारा करने का प्रयास करते रहे है । विकास आयुक्त, लघु उद्योग संगठन ने 75 योजनायें तैयार की हैं तथा अग्रेत्तर कार्यवाही के लिए हम उन्हें लघु उद्योग निगमों को परिचालित कर रहे हैं ।

Shri Shashi Bhusan : Mr. Speaker, Sir. I want to know from the hon. Minister whether the policy of the Government is same in regard to small tractors which they have adopted in regard to small cars and whether small tractors would not be manufactured in public sector and the priority sector like that of small cars?

Shri Sidheshwar Prasad : So for as the question of small tractors is concerned. I think the hon. Member is aware that a tractor factory has been set up by H.M.T. and the assemblage work has already started there in and later on manufacture of tractors will also be undertaken there.

बिहार में उद्योगों में कच्चे माल की कमी

***966 श्री सुख देव प्रसाद वर्मा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि कच्चे माल की कम सप्लाई के कारण बिहार में अनेक उद्योगों के बन्द होने का खतरा है ?

(ख) क्या आसाम और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में कच्चे माल के ले जाये जाने पर रोक लगा दी है, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार में इसकी अत्यधिक कमी हो गई है । और

(ग) यदि हाँ तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इस्पात और कई अन्य औद्योगिक कच्चे माल की सामान्य रूप से कमी है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव सम्पूर्ण देश के औद्योगिक उत्पादन पर पड़ा है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Sukhdeo Prasad Verma : It is an admitted fact that Bihar is an industrially backward area. I want to know from the hon. Minister the number of factories which have almosed closed down and the number of factories which are facing closure in Bihar because of short supply of raw material ?

Secondly I want to know whether Government are aware that besides storage of steel and other material the small industries are also facing closure on account of rise in the prices of coking coal and the non-availability of other material on account of shortage of wagons ? So I want to know from the Government the steps being taken to supply raw material to those factories which have been closed down on account of shortage of raw material ?

I want to know whether Government are aware of the adverse effect to the factories on account of non-availability of raw material or misuse there of ?

Shri Sidheshwar Prasad : The hon. Member has raised many points in one question. So far as the question of closure of factories on account of shortage of raw material is concerned. This is not correct as per information received from Bihar Governn ent. This is however correct that the raw material is in short supply which has affected the industrial production not only in Bihar but also in other States. But it has been informed by the Government of Bihar that there has been no case of closure of any factory on account of shortage of raw material, though it has certainly effected the industrial production. We are trying to meet the requirements of raw material.

So far as steel and other material is concerned which is used in Engineering and other industries, that would be imported and then supplied to the industries.

The hon. Member's second point is about distrution. We will request the Government of Bihar to improve these distribution system.

Shri Sukhdeo Verma : I also wanted to know whether Government are aware that besides shortage of steel and other material the small industries are also facing closure on account rise in the peices of coking coal and the non-availability of other raw material on account of shortage of wagons. So I want to know whether Government are taking any early steps for supplying raw material, especially those factories of Bihar, which have been closed down or facing closure ?

Shri Sidheshwar Prasad : I have already stated that there is general shortage of raw material in the country and we are trying to see that raw material is supplied to the factories. We are trying to import the raw material i.e. steel etc; which is not available in the country and the supply the same to the industries. We have been informed by the Government of Bihar that there has been no case of closure of any factory on account of shortage of raw material though it has certainly effected the industrial production. We are trying to augment the supply and meet the requiremer.t of raw material.

So far as the question regarding wagons is concerned, it can only be stated by the Railway Ministry whether the supply of raw material is being effected on account of shortage of wagons and if so, necessary action should be taken in this regard.

1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को वेतन और भत्तों का भुगतान

*967. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले अस्थायी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों

को वेतन तथा भत्तों के भुगतान के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार अन्तिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण है;

(ग) क्या इस बारे में अन्तिम निर्णय लेने में हो रहे इस असाधारण विलम्ब के कारण केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों में बहुत असंतोष है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

ऐसा अनुमान किया जाता है कि मान्य सदस्य 1971 की सिविल अपील संख्या 1706 (एन), दिनांक 18 फरवरी, 1972 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में पूछ रहे हैं। यदि ऐसा है तो उस निर्णय के अनुसरण में पहले ही कार्रवाही की जा चुकी है, और प्रस्तावित आगे के लिए की जाने वाली कार्रवाही की उसी सदस्य द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 2623 और तारांकित प्रश्न संख्या 776 के उत्तर में क्रमश 12 अप्रैल, 1972 एवं 10 मई, 1972 को इसी सदन में बतलाई गई थी।

केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) निगम, 1962 के सुसंगत नियम, जिन पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय में विचार-विमर्श हुआ था, हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों पर लागू होने के अलावा अन्य अस्थायी कर्मचारियों पर ही लागू होते हैं। अत: उन अस्थायी कर्मचारियों के मामलों को पृथक रूप से नहीं निपटाया जा सकता है जिन्होंने कि 1968 की हड़ताल में भाग लिया और जिन्हें बाद में बहाल कर दिया गया था। संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र के अधीन बनी राष्ट्रीय परिषद की 24 मार्च, 1972 को हुई पिछली बैठक में कर्मचारी पक्ष की तरफ से भी यह मामला उठाया गया था। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में हुए विचार विमर्श को ध्यान में रखते हुए भी समस्त अस्थायी कर्मचारियों से सम्बन्धित उच्चतम न्यायालय के निर्णय की कठिनाइयों की जांच की जा रही है। यह सदन इस तथ्य की अनुभूति करेगा कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें अन्तिम निर्णय लेने से पहले बहुत ही सावधानीपूर्वक जांच करने की आवश्यकता है।

श्री एस० एम बनर्जी : क्या मैं आपका ध्यान विवरण की ओर दिला सकता हूं। इस में कहा गया है :—

"ऐसा अनुमान किया जाता है कि माननीय सदस्य 1971 की सिविल अपील संख्या 1706 (एन) दिनांक 18 फरवरी, 1972 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में पूछ रहे हैं। यदि ऐसा है तो उस निर्णय के अनुसरण में पहले ही कार्यवाही की जा चुकी है और प्रस्ताविक आगे के लिए की जाने वाली कार्यवाही उसी सदस्य द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 2623 और तारांकित प्रश्न संख्या 776 के उत्तर में.....।"

श्री राम निवास मिर्धा : अगला पैरा भी पढ़िये।

श्री एस० एम० बनर्जी : अच्छा श्रीमान। इसमें कहा गया हैं :—

"राष्ट्रीय परिषद की बैठक में हुए विचार विमर्श को ध्यान में रखते हुए भी समस्त अस्थायी कर्मचारियों से सम्बन्धित उच्चतम न्यायालय के निर्णय की कठिनाइयों की जांच की जा रही है। यह सदन इस तथ्य की अनुभूति करेगा कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें अन्तिम निर्णय लेने से पहले बहुत सावधानी पूर्वक जांच करने की आवश्यकता है।"

Mr. Speaker : Please Put your question. you are reading the statement.

श्री एस० एम० बनर्जी : प्रश्न यह है कि प्रधान मंत्री की लातीनी अमरीका की यात्रा से वापसी के बाद उनके कहने पर 50,000 अस्थायी कर्मचारियों को जिन्होंने 19 सितम्बर 1968 की हड़ताल में भाग लिया था, बहाल किया गया था। परन्तु उन अस्थायी कर्मचारियों को वेतन तथा भत्ते नहीं दिए गये। फिर एक विशेष कर्मचारी न्यायालय में चला गया। उच्च न्यायालय ने उस कर्मचारी के पक्ष में निर्णय दिया। फिर सरकार द्वारा केरल उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की गई। उच्चतम न्यायालय ने भी कर्मचारी के पक्ष में ही निर्णय दिया। सरकार ने यह निर्णय अन्य कर्मचारियों पर लागू नहीं किया है। जबकि स्थाई कर्मचारियों को मुअत्तली की अवधि के लिए वेतन तथा भते दिए गए हैं, तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर अस्थाई कर्मचारियों को वेतन तथा भत्ते क्यों नहीं दिये गये ? सरकार को इस प्रश्न पर निर्णय लेने में कितना समय लगेगा।

श्री राम निवास मिर्धा : यह कहना सही नहीं है। कि यह निर्णय केवल एक कर्मचारी पर लागू किया गया है। इसी प्रकार के बहुत से अन्य मामले निलम्बित थे, जिनका निपटारा भी इसी ढंग से किया गया है तथा इस निर्णय से 100 से अधिक व्यक्तियों को लाभ हुआ है। जहा तक उच्चतम न्यायालय के निर्णय का प्रश्न है, जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, यह प्रश्न सभा में उठाया गया था तथा सभा के बाहर संयुक्त सलाहकार तंत्र की राष्ट्रीय परिषद में कर्मचारी पक्ष द्वारा भी उठाया गया था इस मामले पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार करना है और इसी लिए निर्णय लेने में विलम्ब हो रहा है। इस पर एकाएक निर्णय नहीं लिया जा सकता। यदि हम निर्णय की पैचिदगियों की जांच पड़ताल करें तो इसमें केवल वही व्यक्ति नहीं आते जिन्होंने हड़-ताल में भाग लिया था, अपितु अन्य व्यक्ति भी आ जाते हैं, जिनकी सेवा हड़ताल में भाग लेने के कारण नहीं अपितु अन्य कारणों से समाप्त की गई थी। अतः इस प्रश्न के इन सब पहलुओं पर विचार किया जा रहा है तथा सरकार इस मामले पर शीघ्र ही निर्णय लेगी।

श्री एस० एम० बनर्जी : केवल यह एक ऐसा अवसर था जबकि 56,000 कर्मचारियों को बहाल किया गया, तथा एक भी कर्मचारी ऐसा नहीं बचा था, जिसकी नौकरी बहाल न हुई हो। इस मामले में उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के आधार पर एक व्यक्ति को बहाल किया गया था। मेरे प्रश्न यह है कि वह निर्णय अन्य मामलों पर लागू क्यों नहीं किया जा सकता। जब प्रधान मन्त्री लातीनी अमरीका के देश के दौरे से वापस लौटी, तो उन्होंने उन सब कर्मचारियों को बहाल कर दिया था, जो स्थायी थे तथा हड़ताल में भाग लेने के कारण मुअत्तल किये हुये थे। यह निर्णय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रधान मन्त्री को की गई एक विशेष मांग के आधार पर किया गया था तथा एक विशेष मामले के रूप में सब कर्मचारियों को बहाल किया गया। इस मामले में भी यही सिद्धान्त लागू किया जाना चाहिए। इसे अन्य बातों से नही मिलाया जा सकता।

श्री राम निवास मिर्धा : उच्चतम न्यायालय ने बर्खास्तगी आदेश को इसलिए रद्द कर दिया था क्योंकि बर्खास्तगी के नोटिस के साथ एक महीने का वेतन नहीं दिया गया था। यह एक तकनीकी बात थी जिसके आधार पर निर्णय दिया गया था। परन्तु इस निर्णय को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया जाता है तो इसके बहुत व्यापक प्रभाव होंगे, जो कि 1968 की हड़ताल से प्रभावित व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं होंगे। इसीलिए हमें यह देखना है कि इस निर्णय को किस तरह तथा कहां तक लागू किया जाये।

श्री एस० एम० बनर्जी : वह पैंचीदगी क्या है ?

श्री राम निवास मिर्धा : मैंने एक पैंचीदगी का उल्लेख किया है कि इसका उन लोगों पर भी प्रभाव पड़ता है जिन्हें हड़ताल के कारण नहीं अपने अन्य कारणों से सरकार द्वारा बर्खास्त किया गया था।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या मैं जान सकता हूँ कि 1968 की हड़ताल भारतीय साम्यवादी दल द्वारा आयोजित की गई थी अथवा कर्मचारी परिषदों द्वारा ?

अध्यक्ष महोदय : श्री इंद्रजीत गुप्त, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वर्ष 1968 की हड़ताल में भाग लेने के कारण कुल कितने अस्थायी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था तथा तदुपरांत कितने व्यक्तियों को बहाल किया गया था ? फिर यह कैसे संभव है कि इनके मामले भी उन्हीं कर्मचारियों के मामलों के समान हैं। जिन्हें किन्हीं अन्य कारणों से बर्खास्त किया गया था तथा बाद में बहाल नहीं किया गया ? जब सरकार उन्हें बहाल करती है, तो उन के वेतन तथा भत्ते न देने का कोई कारण नहीं है। ये दोनों मामले समान कैसे हो सकते हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्य ने जो अर्थ लिया है, उसके अनुसार ये दोनों समान नहीं हैं। परन्तु यदि हम इस निर्णय को पूर्ण रूप से स्वीकार करें तो हम अन्य मामलों में भी इसे लागू क्यों न करें ? **(व्यवधान)**

श्री एस० एम० बनर्जी : कर्मचारियों के मामलों को लटकाये क्यों रखा जा रहा है ? **(व्यवधान)**

श्री राम निवास मिर्धा : कर्मचारियों के मामलों को लटकाये रहने का कोई प्रश्न नहीं है। हड़ताल से प्रभावित व्यक्तियों को हर सम्भव रियायत दी गई है। इस मामले में सरकार बहुत उदार रही है मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं कि माननीय सदस्य ही सरकारी कर्मचारियों के एक मात्र हितैषी हैं। सरकार भी उतनी ही उदार है, जितना कि माननीय सदस्य अथवा सभा का कोई अन्य सदस्य।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रश्न वेतन तथा भत्तों में कटौती से सम्बन्धित है। मैं जानना चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री को अपील के बाद उनकी बहाली को क्या नई नियुक्ति माना गया है ? यदि नहीं, तो उनके उस अवधि के वेतन तथा भत्ते क्यों नहीं दिये गये ?

श्री राम निवास मिर्धा : यह निर्णय लिया गया था कि उस अवधि को सम्बन्धित आदेशों में उल्लिखित कुछ उद्देश्यों के लिए नहीं माना जायेगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The hon. Minister have been refering to the Supreme Court decision again and again. I want to know whether it is not possible for the government to take a decision to the effect that pay and allowances should be given to those temporary government employees who were discharge for their participation in the strike and subsequently reinstated, is respective of the decision of the Supreme Court? My hon. friend Shri Benerjee has stated that the employees were reinstated after the return of the Prime Minister from her tour of Latin America and as such should the house understand that any suitable decision would be taken in the matter, when the Prime Minister would come back from her tour of Europe ?

Mr. Speaker : It is a suggestion for action.

Shri Atal Bihari Vajpayee : The first part of the question needs reply.

Shri Ram Niwas Mirdha : It is under consideration by the government.

गोरखपुर और इलाहाबाद का उत्तर प्रदेश के अन्य नगरों के साथ सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन सम्बन्ध

*968. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोरखपुर और इलाहाबाद का उत्तर प्रदेश के विभिन्न प्रमुख नगरों के साथ सीधे डायल घुमा कर टेलीफोन सम्बन्ध स्थापित करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उन नगरों के नाम क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हाँ ।

(ख) 1973 के शुरू में इलाहाबाद का कानपुर के ट्रंक आटो एक्सचेंज से सम्बन्ध जोड़ने की योजना है । इससे इलाहाबाद से कानपुर, लखनऊ, वाराणसी (और पटना के लिए भी) सीधी ट्रंक डायलिंग (एस० टी० डी०) की व्यवस्था हो जाएगी ।

गोरखपुर में इस समय एक मैनुअल एक्सचेंज है । इसकी जगह आटो एक्सचेंज लगाने की योजना है । आशा है कि यह 1976-77 में चालू कर दिया जाएगा । इसके आटो बनाए जाने के बाद ही गोरखपुर से एस० टी० डी० की व्यवस्था करना सम्भव हो सकेगा ।

लखनऊ और आगरा में दो और ट्रंक आटो एक्सचेंज लगाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं । आशा है कि ये 1976-77 तक तैयार हो जाएंगे । गोरखपुर और बरेली के आटो बनाए जाने के बाद लखनऊ ट्रंक आटो एक्सचेंज के सम्बन्ध जोड़ने का और अलीगढ़ के आटो बनाए जाने के बाद उसका और मध्य प्रदेश में ग्वालियर का आगरा के ट्रंक आटो एक्सचेंज से सम्बन्ध जोड़ने का प्रस्ताव है । इससे गोरखपुर और इलाहाबाद से उत्तर प्रदेश आगरा, अलीगढ़ बरेली, कानपुर, लखनऊ और वाराणासी के साथ-साथ बिहार में पटना और मध्य प्रदेश में ग्वालियर तक के लिए एस० टी० डी० सेवा की व्यवस्था हो जाएगी ।

Shri Krishna Chandra Pandey : The Minister of Communications deserves heartest congrtulations for this programme. He has paid attention to this backward area of Poorvanchal. Besides this I would like to know as to when Kanpur, Allahabad, Varanasi, Agara, Meerut, etc. are likely to be connected with Ghagiabad by this dial system.

Shri H.N. Bahuguna : So far as Allahabad, Kanpur, Agra. etc. are concerned, I have read this in the reply to the question. Regarding Ghaziabad it is not possible to say anything at present.

Shri Narsingh Narayan Pandey : I would like to know as to when automatic exchange is likely to be commissioned and when land was acquired for this. When the work is likely to be started in Gorakhpur ?

Shri H.N. Bahuguna : Regarding auto exchange at Gorakhpur, it has been stated that it is likely to be commissioned by 1976-77.

Shri Jyotirmoy Bosu : The Minister has given assurance in the House several times that Calcutta would be linked through S.T.D, early. But it oppears that this work is not going to be completed by 1973. I would like to know the time by which this work is likely to be completed.

Mr. Speaker : This question pertains to Uttar Pradesh. You can put separate question about Calcutta.

Shri Nathu Ram Ahirwar : A reference has been made about many cities of Uttar Pradesh where direct dialling system is going to be introduced shortly. Only one city of Madhya Pradesh i.e. Gwalior has been mentioned in this connection. I want to know whether the capital of Madhya Pradesh is to be connected with this system or not.

Mr. Speaker : Shri S.M. Banerjee.

Shri S.M. Banerjee : I welcome introduction of the Direct Dielling System. Whether government are formulating any scheme under which people cannot talk for more then six minuts ? where such arrangements exist, particularly in M.P.'s flats, the entire salary goes into it. So, if it does not disconnect automatically after expiry of six minutes, at least some sort of warning must be there.

Shri H.N. Bahuguna : As far as S.T.D. warning is concerned, we are making arrangements in Delhi to prevent S.T.D. There are no such arrangements about automatic disconections after expiry of six minutes.

Shri Vikram Mahajan : Everywhere in the world there are arrangements about disconnection automatically after three minutes.

श्री आर० पी० उलगनम्बी : महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं ।

श्री आर० आर० सिंह देव — अनुपस्थित

श्री एम० एम जोसफ — अनुपस्थित

श्री पम्पन गौडा

श्री आर० पी० उलगनम्बी : मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली और मद्रास के बीच कब डायरेक्ट डायलिंग सिस्टम चालू होगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : 1967 के चुनावों से पूर्व ।

मैसूर में पिछड़े क्षेत्र

***971. श्री पम्पन गौडा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग के अधिकारियों द्वारा तैयार की गई पिछड़े क्षेत्रों की सूची में मैसूर राज्य के जो गांव शामिल किये गये हैं क्या उससे स्थिति का सही विश्लेषण होता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार मैसूर राज्य के उन क्षेत्रों के संसद सदस्यों के परामर्श से इस बारे में स्थिति की जांच करेगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) राज्य सरकार ने बीदर जिले को राज्य में पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित किया है । राज्य सरकारें अपने पिछड़े क्षेत्र घोषित करने और उनका सुधार करने के लिए उपाय करने के लिए सक्षम हैं । उनके पास इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त प्रशासनिक व्यवस्था भी उपलब्ध है । अतः योजना आयोग ने, जिसने मैसूर सहित विभिन्न राज्यों से प्रत्येक राज्य में पिछड़े क्षेत्रों के बारे में सूचना एकत्रित की है, राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई सूचियों की सत्यता की जांच नहीं की है । यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य सरकारें अपने पिछड़े क्षेत्र घोषित करते समय सभी सम्बन्धित तथ्यों को ध्यान में रखें तथा समूचे देश में इस सम्बन्ध में समान स्तर हो, योजना आयोग ने राज्य सरकारों को 15 सूचकाँकों का एक ढेर (अनुबन्ध 1) उनके द्वारा पालन किये जाने के हेतु भेजा है । मैसूर सरकार द्वारा बीदर जिले का पिछड़े क्षेत्र के रूप में चयन योजना आयोग के विचार में सही है अथवा नहीं, इसका प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) सरकार माननीय सदस्यों के उन सुझावों की प्रशंसा करेगी तथा उनकी जांच करेगी, जो वे इस विवरण से संलग्न अनुबन्ध 1 में उल्लिखित हिदायतों के आधार पर अन्य क्षेत्रों को शामिल करने के बारे में दें ।

अनुबन्ध 1

विकास सम्बन्धी जानकारी के लिए प्रयत्न

(एक) कुल जनसंख्या और जनसंख्या का घनत्व ।

(दो) कृषि श्रमिकों सहित कृषि में लगे मजदूरों की संख्या तथा कुल मजदूरों की तुलना में उनका प्रतिशत ।

(तीन) प्रति कृषि मजदूर कृषि योग्य क्षेत्र* ।

(चार) प्रति कृषि मजदूर बोया गया शुद्ध क्षेत्र ।

(पांच) बोये गये शुद्ध क्षेत्र की तुलना में कुल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत ।

(छः) बोये गये शुद्ध क्षेत्र की तुलना में दो बार से अधिक बोये गये क्षेत्र का प्रतिशत ।

(सात) प्रति व्यक्ति (ग्रामीण जनसंख्या) कृषि उत्पादन का सकल मूल्य ।

(आठ) बिजली का उपयोग करने वाले संस्थान (निर्माण करने वाले तथा मरम्मत करने वाले)—

(क) कुल

(ख) घरेलू

(ग) गैर-घरेलू

(नौ) एक लाख जनसंख्या के पीछे पंजीकृत कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या ।

(दस) पक्का सड़कों की लम्बाई—

(क) प्रति 1000 वर्ग मील

(ख) एक लाख जनसंख्या के पीछे ।

(ग्यारह) किसी जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक मोटर गाड़ियों की संख्या ।

(बारह) शिक्षित जनसंख्या का प्रतिशत—

(क) पुरुष

(ख) महिलाएं

(तेरह) स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रतिशत—

??(क) लड़के

(ख) लड़कियाँ

(क) 6-11 वर्ष की आयु-वर्ग, और (ख) 11-14 वर्ष की आयु-वर्ग में ।

(चौदह) तकनीकी प्रशिक्षण के लिए 10 लाख की जनसंख्या के पीछे स्थानों की संख्या—

(क) कारीगर

(ख) डिप्लोमा स्तर

(पंद्रह) एक लाख जनसंख्या के पीछे अस्पतालों में शैयाओं की संख्या ।

श्री पम्पन गौडा : पिछड़े क्षेत्रों का सुधार करने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठाने का विचार कर रही है ?

श्री मोहन धारिया : जैसा कि मैंने सभा में कई बार कहा है कि पिछड़े क्षेत्रों को सुधारने के लिए कई एक योजनायें शुरू की गई हैं । इन पहलुओं पर विचार करने के लिए वाँचू समिति और पांडे समिति नियुक्त की गई थी और उनकी सिफारिशों पर राष्ट्रीय विकास परिषद ने कुछ निर्णय लिए हैं और उन विषयों के आधार पर राज्यों ने कई जिलों को औद्योगिक रूप में पिछड़े जिले माने हैं, जो रियायती अर्थव्यवस्था के हकदार हैं । औद्योगिक रूप में पिछड़े कई एक ऐसे जिले हैं जो रियायती अर्थव्यवस्था के साथ साथ निवेश के आधार पर 10% सीधी राज्य सहायता के भी हकदार हैं । इसके अतिरिक्त पिछड़े जिलों का सुधार करने के लिए कई एक योजनाओं को शुरू किया गया है ।

??*इसमें बोया गया शुद्ध क्षेत्र, चालू परती, चालू परती के अलावा परती भूमि शामिल है, कृषि योग्य फालतू तथा विविध वृक्ष फसलें और कुंज बोये गये शुद्ध क्षेत्र में शामिल नहीं है ।

श्री बी० वी० नायक : मैं जानना चाहता हूं कि क्या विशेषकर मैसूर के मामले में योजना मन्त्री ने उत्तरी कनारा जिले का औद्योगिक विकास करने के लिए विचार किया है, जिसके लिए विशेष रूप से सिफारिश की गई हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न केवल गाँवों की संख्या के बारे में है ।

श्री बी० वी० नायक : माननीय मंत्री ने हमें औद्योगिक विकास के बारे में बताया है । मैं केवल यह जानना चाहता हूँ कि क्या उत्तरी कनारा जिले के मामले पर योजना मंत्री द्वारा विचार किया गया है जिसके लिए राज्य सरकार और औद्योगिक विकास मन्त्रालय ने सिफारिश की है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या मैं जान सकता हूं कि इन क्षेत्रों को किस आधार पर पिछड़े क्षेत्र माना गया है ? क्या ऐसा केवल राज्य सरकार की सिफारिश पर किया जाता है ? अथवा क्या मैं जान सकता हूं कि क्या योजना आयोग के पास ऐसी कोई एजेन्सी है जो यह बताये कि कौन सा क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है । इसके लिए क्या माप दंड अपनाया जाता है ?

श्री मोहन धारिया : योजना आयोग ने कई एक मापदंड सुझाये है । यह उस विवरण के साथ संलग्न है जो मैंने सभा पटल पर रखा है । इस मापदंड के आधार पर राज्य सरकारों को यह बताने के लिए कहा जाता है कि उनके राज्य में कौन-कौन से पिछड़े क्षेत्र हैं । यदि किसी माननीय सदस्य को कोई शिकायत है तो हम राज्य सरकार से मामले पर विचार करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 972—श्री जी० वाई कृष्णन्—अनुपस्थिति

श्री जगन्नाथ मिश्र—अनुपस्थित

श्री आर० के० सिंहा—अनुपस्थित

प्रो० एन० सी० पराशर—प्रश्न संख्या 974

पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लिए सीमा आयोग

***974. श्री नारायण चन्द्र पराशर :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के राज्यों के बीच विद्यामान सीमा विवादों को हल करने के लिए सरकार का विचार कोई सीमा आयोग नियुक्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो आयोग की कब तक स्थापना होने की सम्भावना है और यदि नहीं, तो इन विवादों को सैल करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० सी० मोहसिन) : (क) और (ख) 29 जनवरी, 1970 को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में सरकार ने आयोग नियुक्त करने के अपने इरादे की घोषणा की थी । क्योंकि आयोग के विचारार्थ विषय जो संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से तय किये जाने हैं, अभी तक तैयार नहीं किए गए हैं, अत: आयोग की नियुक्ति के लिए कोई समय सीमा का संकेत देना संभव नहीं है ।

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : मुख्य मन्त्रियों के बीच कोई समझौता न होने के कारण

तीनों राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग, विशेषकर अबोहर और फाजिलका के लोग हानि उठा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : पंजाब को भी हानि हो रही है।

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर: हिमाचल को भी हानि हो रही है। यदि मुख्य मन्त्री इस सीमा आयोग के निदेश पदों से सहमत नहीं होते तो क्या सरकार के पास कोई अन्य समाधान है।

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : चूँकि वार्ता चल रही है इसलिए मैं यह नहीं समझता कि यह वार्ता असफल होगी।

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : 29. 1. 1970 को सीमा आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था। 2 वर्ष बीत गए है। मैं जानना चाहता हूँ कि माननीय मन्त्री मुख्य मन्त्रियों के बीच इसके समाधान के लिए कब तक प्रतीक्षा करेंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : महोदय, इस दौरान कई एक महत्वपूर्ण मामले आये हैं जिसके कारण मुख्य मन्त्रियों को इस ओर ध्यान देने के लिए समय नहीं मिल सका। इसके बाद लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनाव आ गये। यह सभी बातें ध्यान में रखी गई हैं। पंजाब में नये मुख्य मन्त्री आये हैं और हरियाणा में नई विधान सभा के साथ पुराने मुख्य मन्त्री हैं।

Shri A.B. Vajpayee : Whether the reply given by the Minister means that the decision taken in this regard earlier is being reconsidered and if the three Chief Ministers come to a new settlement, whether the old settlement would be put aside and the new one would be implemented.

Shri K.C. Pant : The decision taken earlier is not leving reconsidered. As has been stated in the reply terms of references are being settled with them. The position in regard to old decision remains states quo ante.

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : तीनों राज्यों में कांग्रेस सरकारें हैं और गृह मंत्रालय का कार्य बहुत आसान हो गया है इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या इस मामले को शीघ्र हल करने के लिए प्रधान मंत्री के प्रभाव का उपयोग किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई प्रश्न नहीं हैं। यह एक सुझाव है।

Shri Mani Ram Godra : I would like to know whether the whole matter would be settled or not within the period of 5 years stipulated in the case of Chandigarh.

Shri K.C. Pant : Efforts are being made to settle the case as early as possible.

बिहारी मुसलमानों के आगमन के बारे में राज्य सरकारों को भेजे गये कथित अनुदेश

***975 श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या गृह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बंगला देश से बिहारी मुसलमानों के आगमन की संभावनाओं के बारे में राज्य सरकारों को कोई अनुदेश जारी किये थे; और

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ०एच० महोसिन) : (क) और (ख) सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा अन्य सीमा प्राधिकारियों को ऐसे व्यक्तियों को देश में प्रवेश करने से रोकने

के लिए, जिनके पास यात्रा के वैध दस्तावेज नहीं हैं, अनुदेश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में उचित प्रबन्ध कर दिये गये हैं और सीमा पर सभी सम्बन्धित प्राधिकारी पूरी तरह सतर्क हैं।

श्री बी० के० दास चौधरी : महोदय, यद्यपि केन्द्रीय सरकार ने बंगला देश से लगने वाली राज्य सरकारों को समूची सीमा पर कड़ी निगरानी रखने के लिए निदेश दिये हैं, फिर भी समाचार मिले हैं कि कुछ व्यक्ति बिना किसी वैध दस्तावेज के प्रवेश कर रहें हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह बता सकती है कि इस प्रकार के कितने व्यक्ति पकड़े गये हैं, अर्थात् ऐसे कितने व्यक्ति हैं, जिन्होंने बिना वैध दस्तावेजों के सीमा पार की है।

श्री एफ० एच० मोहसिन : महोदय, राज्य सरकारों द्वारा दिये गये आंकड़ों से पता चलता है कि कुल 1962 व्यक्ति पकड़े गये हैं और उन्हें भिन्न-भिन्न शिवरों में रखा गया है। कुछ एक अदालत की हिरासत में हैं। उनमें से बहुत से व्यक्तियों को, जो सीमा पार करना चाहते थे, हमारे लोगों द्वारा रोक दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 976—श्री रण बहादुर सिंह—अनुपस्थित प्रश्न संख्या 997—श्री विभूति मिश्र

इण्डियन सिविल सेवा के अधिकारियों के विशेषाधिकारों को समाप्त किया जाना

***977 श्री विभूति मिश्र** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 23 अप्रैल, 1972 को हैदराबाद में यह कहा था कि संविधान में इण्डियन सिविल सर्विस के अधिकारियों को दी गई विशेष सुरक्षा को समाप्त करने के लिए सरकार चालू सत्र में एक संविधान (संशोधन) विधेयक लाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार कब तक विधेयक को सभा में प्रस्तुत करेगी ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) . (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) इस विधेयक को लोक सभा के चालू सत्र के दौरान प्रस्तुत करने के आशय की सूचना लोक सभा सचिवालय को दे दी गई है।

Shri Bibhuti Mishra : The hon. Minister has stated that Government are contemplating to bring a Bill in Parliament during the current session in this regard. I want to know whether Government propose to pass/adopt the said Bill in this very session or in the next session.

Shri Ram Niwas Mirdha : I have stated that Government propose to introduce this Bill in this very session for the consideration of the House. It is for the House as to when it passes the Bill. We want that it should be pleased as soon as possible.

Shri Bibhuti Mishra : When Government want that this Bill should be passed during the current session it self, whether they are determined to introduce and pass this Bill before 31st May i.e. the day upto which the House is in session.

Shri Ram Niwas Mirdha : I have already stated that this Bill will be brought before the House and we want that it should be passed as soon as possible.

भारतीय टेलीफोन उद्योग में विदेशी शेयर

*980. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड में कुछ विदेशी कम्पनियों के शेयर हैं;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या है तथा उनके शेयरों की राशि क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उनके शेयरों का राष्ट्रीयकरण करने का है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : (क) जी हां,

(ख) विदेशी कम्पनियों के नाम तथा इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड में उनके द्वारा धारित शेयरों का मूल्य इस प्रकार है :—

(i) आटोमेटिक टेलीफोन एन्ड इलैक्ट्रिक कम्पनी,
संयुक्त राष्ट्र (ब्रिटेन) 17,30,500 रु०

(ii) इण्टरनेशनल स्टैन्डर्स इलेक्ट्रिक कार्पोरेशन,
संयुक्त राज्य अमेरिका 63,47,800 रु०

(ग) इन शेयरों के भविष्य से सम्बन्धित मामला सरकार के विचाराधीन है ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बेल टेलीफोन मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, बेल्जियम, जिसका भारतीय टेलीफोन उद्योगों में शेयर है, बेल्जियम में आई० टी० टी० का एक सहायक उद्योग है और जो अमरीकी गुप्तचर विभाग से सम्बन्ध रखने के कारण काफी बदनाम है, क्या सरकार इन कम्पनियों के शेयरों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर तुरन्त विचार करेगी ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : बी० टी० एम० का इस कम्पनी में कोइ शेयर नहीं है । जैसाकि मैंने बताया है कि एक अन्य ऐसी कम्पनी है जो आई० टी० टी० की एक सहायक कम्पनी है और जिसके इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज में शेयर हैं । सरकार सक्रिय रूप से मामले पर विचार कर रही है ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : माननीय मंत्री के उत्तर के अनुसार बी० टी० एम० के शेयर हैं ।.....

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्नकाल समाप्त होता है ।

प्रश्नकाल समाप्त

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions

तारापुर आणविक संयंत्र को पुनः चालू करना

*963. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारापुर आणविक विद्युत केन्द्र के प्रथम एकक को, जिसे गत अगस्त में बन्द कर दिया गया था, पुनः चालू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस एकक में इस समय कितनी बिजली का उत्पादन हो रहा है;

(ग) इस एकक में निर्धारित पूरी क्षमता के अनुसार बिजली कब तक पैदा होने लगेगी; और

(घ) इसका दूसरा एकक कब तक चालू हो जायेगा ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री. तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तारापुर परमाणु बिजली घर के पहले यूनिट ने 27 अप्रेल, 1972 से पुनः काम करना शुरू कर दिया है ।

(ख) बिजली घर में, इस समय, प्रतिदिन लगभग 3.5 मिलियन किलोवाट घन्टे बिजली पैदा हो रही है ।

(ग) मानसून के बाद निर्धारित पूरी क्षमता के अनुसार बिजली पैदा करने का लक्ष्य है ।

(घ) तारापुर परमाणु बिजलीघर के दूसरे यूनिट के सितम्बर, 1972 में दुबारा काम शुरू करने की सम्भावना है ।

भारत-बुलगारियाई संयुक्त उपक्रम स्थापित करना

***969. श्री राज राज सिंह देव : क्या औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या भारत और बुलगारिया के बीच हाल ही में नई दिल्ली में व्यापार वार्ता हुई थी, और यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं

(ख) क्या भारत और बुलगारिया द्वारा कोई संयुक्त उपक्रम स्थापित किये जाने के प्रस्ताव हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनकी रूपरेखा क्या है ?

औद्योयोगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) से (ग) जनवादी गण तंत्र बल्गारिया के मशीन बिल्डिग मंत्रालय में प्रथम उपमंत्री श्री एच० ई० इंग आयोरडन जैवेता नौव की अध्यक्षता में एक बल्गेरिग्रन प्रतिनिधि मंडल ने 22 अप्रैल से 29 अप्रैल, 1972 तक भारत और बल्गेरिया के बीच और अधिक आर्थिक सहयोग की वृद्धि की संभावनाओं का पता लगाने के लिये दौरा किया था । प्रतिनिधि मण्डल ने औद्योगिक विकास मंत्री और औद्योगिक विकास मंत्रालय के कर्मचारियों, पैट्रोलियम और रसायन, रक्षा उत्पादन, विदेश व्यापार और योजना आयोग के साथ विचार विमर्श किया था ।

औद्योगिक विकास मंत्री के साथ हुई बैठक में आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग और सहायता की आवश्यकताओं पर बल दिया गया था । भारत में या किसी अन्य देश में प्रायोजनाओं की स्थापना की संभावनाओं और एक देश से दूसरे देश द्वारा मशीनों और सामान की खरीद संबंधी मामलों और औद्योगिक सहयोग की समस्याओं पर सामान्य रूप से औद्योगिक विकास मंत्रालय में विचार विमर्श किया गया था । अनेक क्षेत्रों में जहां दोनों देशों ने क्षमता और सामर्थ्य का विकास कर लिया है, औद्योगिक और व्यापार के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं का

पता लगाने के उद्देश्य से तकनीकी आंकड़ों के आदान प्रदान पर सहमति व्यक्त की है । वार्तालाप विचार विमर्श के प्रकार का था और आदान प्रदान की सूचना आदि के अतिरिक्त किसी की तरफ से कोई अंतिम निर्णय या वायदा नहीं किया गया था ।

टेलीविजन सैटों का निर्माण ।

*970. **श्री एम०एम० जौजफ** : क्या **प्रधान** मंत्री टेलीविजन सैटों के निर्माण में वृद्धि के बारे में 3 मई, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 665 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन सैटों के निर्माण के लिये देश में कुछ और एकक स्थापित किये गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो वे किस किस स्थान पर स्थापित किये गये हैं, और

(ग) वर्ष 1971-72 में देश में कितने टेलीविजन सैटों का निर्माण हुआ और इस अवधि में इनकी लगभग कितनी मांग रही ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्रपन्त) : (क) तथा (ख) चार इकाइयां पहले से ही उत्पादन में लगी हैं । जिन इकाइयों के प्रस्तावों का अनुमोदन हाल ही में किया गया था उनमें से किसी ने भी उत्पादन आरम्भ नहीं किया है, यद्यपि कुछेक ने आदि रूप तथा पायलट संयत्र मांडलों का निर्माण किया है जिनका परीक्षण किया जा रहा है ।

(ग) 1971-72 में 1724 टी० वी० सैटों का निर्माण किया गया । दिल्ली में एक मात्र टी० वी० केन्द्र के लिये मांग भी समान ही रही ।

प्लास्टिक के कारखानों का कार्यकरण

*972. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपयुक्त मशीनों की कमी के कारण, भारत में प्लास्टिक के कारखानों को कठिनाई का अनुभव हो रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे कितने प्लास्टिक के कारखाने हैं जो बिना कठिनाई के कार्य कर रहे हैं; और

(ग) सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) विद्यमान प्लास्टिक परिष्करण निर्माताओं से निर्माण की उपयुक्त मशीनों के न मिलने से उन्हें कठिनाइओं का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा कोई भी अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र द्वारा कांग्रेस (नई) से सम्बन्धित समाचार का दबाया जाना

*973. **श्री जगन्नाथ मिश्र** :

श्री आर० के० सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की सूचना मिली है कि आकाशवाणी का दिल्ली केन्द्र कांग्रेस (नई) द्वारा दिये गये समाचारों का प्रसारण नहीं कर रहा है;

(ख) क्या हाल ही के दिल्ली के चुनावों में 19 फरवरी, 1972 को दिया गया कांग्रेस (नई) का चुनाव घोषणा पत्र 21 फरवरी, 1972 को प्रसारित किया था जबकि अन्य दलों का, विशेष रूप से जनसंघ का चुनाव घोषणा पत्र उसी दिन प्रसारित कर दिया गया था;

(ग) यदि हाँ, तो इस भेदभाव के क्या कारण है; और

(घ) इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी): (क) जी, नहीं ।

(ख) दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का चुनाव घोषणा पत्र 19 फरवरी, 1972 को "प्रादेशिक समाचार" में शामिल करने के लिए बहुत देर से प्राप्त हुआ था । परन्तु इसको उसी दिन टेलीविजन समाचारों में शामिल कर दिया गया था । सम्पादकीय निर्णय की गलती के कारण चुनाव घोषणा-पत्र 20 फरवरी, 72 को प्रसारित किए गए समाचार बुलेटिन में से हटा दिया गया था । परन्तु इसको 21 फरवरी, 1972 को पूरी तरह प्रसारित किया गया था ।

(ग) और (घ) कोई भेदभाव नहीं है, अतः कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं है ।

आकाशवाणी से मौसम का हाल तथा विनाशकारी दैवी विपत्तियों की चेतावनी सम्बन्धी प्रसारण

*976. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रति वर्ष मार्च, अप्रैल और मई के महीनों के दौरान देश के मध्य भाग में तफान ओलों तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपों से खड़ी फसलों तथा जन धन की काफी मात्रा में क्षति होती है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अपेक्षित सावधानी बरतने हेतु आकाशवाणी अथवा किसी प्रकाशन के माध्यम से मौसम का हाल बताने तथा इस सम्बन्ध में चेतावनी देने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) ; (क) मार्च अप्रैल और मई के महीनों में तूफान, ओलो इत्यादि जिनकी आवृत्ति ऊंची नहीं है, से सम्पत्ति और फसलों को कुछ नुकसान होता है ।

(ख) देश भर के मौसम कार्यालय आकाशवाणी तथा समाचार-पत्रों एवम् समाचार एजेंसियों को सीधे ही सूचना और चेतावनियां भेजते हैं । यह चेतावनियां आकाशवाणी द्वारा तुरन्त प्रसारित की जाती हैं । बवंडर और बाढ़ जैसे संकटों के दौरान आकाशवाणी के द्वारा सामन्य बुलैटिनों के अतिरिक्त, मौसम के विशेष पूर्वानुमान तथा चेतावनियां भी प्रसारित की जाती है ।

आसाम से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का हटाया जाना

*978: **श्री एम० एस० शिवस्वामी :**

श्री निहार लास्कर :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने केन्द्र से यह मांग की है कि उस राज्य से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की तीनों बटालियन हटा ली जायें;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ताशकंद में अफ्रीकी-एशियाई अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म मेला

*979. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष मई में ताशकंद में एक बहुत बड़े अफ्रीकी-एशियाई अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म मेले का आयोजन किया जायेगा जिसका आदर्श होगा--"शान्ति, सामाजिक प्रगति तथा जन-स्वाधीनता";

(ख) क्या प्रत्येक भाग लेने वाले देश को एक छोटी तथा एक बड़ी फीचर फिल्म प्रदर्शित करने की अनुमति होगी; और

(ग) क्या भारत उक्त मेले में भाग ले रहा है; और यदि हां, तो उक्त मेले में भेजे जाने वाली दोनों फिल्मों के नाम क्या हैं तथा उनके निर्माता कौन हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रत्येक देश पूरी लम्बाई की एक फीचर फिल्म तथा छोटी फिल्मों का एक कार्यक्रम प्रविष्ट कर सकेगा।

(ग) भारत इस समारोह में भाग ले रहा है। फिल्मों तथा उनके निर्माताओं के नाम इस प्रकार हैं :—

फीचर फिल्म

"रेशमा और शेरा"—श्री सुनीलदत्त द्वारा निर्मित।

छोटी फिल्में	
1. क्रिएशन्स इन मैटल	फिल्म प्रभाग द्वारा निर्मित
2. ए विलेज स्माइल्स	
3. अमृता शेरगिल	
4. अहमद जान थिरकवा	
5. कैम्रोस	
6. ग्रेट स्पोर्टस	
7. रिद्म आफ केरल	
8. रिफ्यूजीज 1971	
9. फोर फ्रीडम फोर डैमोक्रेसी	
10. नाइन मन्थ्स टु फ्रीडम	श्री एस० सुखदेव द्वारा निर्मित

ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे सुपर बाजार खोले जाने के बारे में प्रतिवेदन

7182. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे सुपर बाजार खोलने के प्रश्न की जाँच करने के लिये सरकार द्वारा गठित कार्यकारी दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो जिन सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार किया है, उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

कार्यकारी दल की प्रमुख सिफारिश चुने हुए कृषि की दृष्टि से सम्पन्न करीब 100 जिलों के ताल्लुका कस्बों में चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में करीब 200 छोटे सुपर बाजार खोलने के विषय में है जिसमें पहले वर्ष में 10 केन्द्र स्थापित कर इसका समारम्भ किया जाना था। छोटे सुपर बाजारों की स्थापना उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा अंश पूंजी, ऋण तथा प्रबन्धकीय सहायता स्वरूप आर्थिक सहायता से की जाती थी। कार्यकारी दल ने इस पूर्ण योजना के लिये जो केन्द्र द्वारा प्रायोजिन क्षेत्रों के लिए थी। चौथी पंच वर्षीय योजना में 2.10 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने की सिफारिश की थी। सरकार ने सिफारिश की जाँच की किन्तु इस निष्कर्ष पर पहुँची कि कार्यकारी दल द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर विशुद्ध विभागीय कार्यक्रम स्थिति की मांग को पूरा नहीं कर सकेगा।

इन्दौर और देवास में टेप रिकार्डरों के निर्माण हेतु लघु उद्योगों की स्थापना

7183 **श्री मार्तण्ड सिंह**: क्या **ओद्योनिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यप्रदेश के इंदौर तथा देवास शहर में बिना किसी विदेशी सहयोग के टेप-रिकार्डरों के निर्माण हेतु लघु उद्योग एकक स्थापित किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इनकी मुख्य विशेषताए क्या है तथा इनकी निर्माण क्षमता कितनी है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में बिना विदेशी सहयोग टेप रिकार्डरों का उत्पादन करने के लिये तीन लघु उद्योग एककों को स्वीकृति दी गई है।

ये निम्नलिखित हैं:—

	स्वीकृत क्षमता
1. मे० रेडियो कार्नर, 29, महारानी रोड, इन्दौर	1800 नग
2. मे० एम० के० एलेक्ट्रीकल्स, 56, तुकागंज पथ, देवास, मध्य प्रदेश	1500 नग

3. मे० लाल रेडियोज
12; जेल रोड, इन्दौर 3 000 नग

ये एकक देशी जानकारी से हिस्से पुर्जे जोड़कर बनाने (असेम्बली आपरेशन) के आधार पर कार्य करेंगे :

आकाशवाणी द्वारा कुल परिव्यय में से केवल 25 प्रतिशत परिव्यय का खर्च किया जाना

7184 श्री विश्वनाथ झुंनझुनवाला : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी ने विस्तार योजनाओं के लिए नियत कुल परिव्यय में से अब तक केवल 25 प्रतिशत परिव्यय ही खर्च किया है तथा इस योजना अवधि की समाप्ति पर कुल नियत राशि खर्च नहीं की जा सकेगी;

(ख) यदि हां, तो योजना के लिए नियत राशि को धीमी गति से उपयोग किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसी 19 स्कीमों को, जिन्हें योजना में उच्च प्राथमिकता दी गई थी खटाई में डाल दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो उन स्कीमों के नाम क्या है तथा उन्हें किन-किन स्थानों पर लागू किये जाने का प्रस्ताव था तथा उन्हें छोड़ देने के क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क) तथा (ख) यह सच है कि चौथी योजना के लिए नियत कुल परिव्यय में से अब तक लगभग 25 प्रतिशत ही व्यय किया गया है। धीमी प्रगति मुख्यतया भूमि अधिग्रहण करने, डिजाइन तैयार करने, सिविल निर्माण कार्यों को पूरा करने तथा उपकरणों की प्राप्ति में लाने वाले समय के कारण प्रसारण परियोजनाओं के लिए अपेक्षित लम्बी गर्भावधि के कारण है । बहरहाल, अधिकांश मामलों में प्रारम्भिक कार्य पूरे हो चुके हैं और योजना की शेष अवधि में प्रगति अधिक जोरों पर होगी।

(ग) (घ) इन सभी परियोजनाओं को छोड़ा नहीं जा रहा है। उनमें से कुछेक को, उच्चतर प्राथमिकता वाली नई योजनाओं को स्थान देने के लिए स्थगित किया जा रहा है, परन्तु इस प्रकार के मामलों में भी स्थान अधिग्रहण करने, आदि के लिए प्रारम्भिक कार्रवाई चालू योजना के दौरान ही शुरू की जा रही है। अन्य मामलों में योजनाओं का स्थान नई योजनाएं ले रही हैं ताकि लक्ष्य क्षेत्रों को उत्तम प्रसारण सेवा उपलब्ध की जा सके। इन योजनाओं की एक सूची संलग्न है जिसमें प्रत्येक योजना की स्थिति दर्शाई गई है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 3036/72]

चौथी योजना के दौरान आण्विक संयंत्रों की स्थापना के लिए नियत राशि का उपयोग न किया जाना

7185. श्री विश्वनाथ झुंझनवाला : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए आण्विक संयंत्रों की स्थापना तथा निर्माणाधीन वर्तमान संयंत्रों को पूरा करने के लिए चौथी योजना में योजनाबद्ध राशि में से बहुत कम राशि का उपयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो चौथी योजना में इन कार्यों के लिए कुल कितनी राशि नियत की गई थी;

(ग) उक्त राशि का संयंत्रवार ब्यौरा क्या है तथा कितनी-कितनी राशि का उपयोग नहीं किया गया तथा इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) : माननीय सदस्य का संकेत सम्भवतः परमाणु विद्युत संयंत्रों तथा उनसे सम्बद्ध सुविधाओं की ओर है। चौथी पंचवर्षीय योजना में इन संयंत्रों के लिए किया गया आरम्भिक आवंटन, योजना काल के प्रथम तीन वर्षों में उन पर हुआ व्यय तथा 1972-73 में होने वाले अनुमानित परिव्यय का ब्यौरा देने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

परियोजना/योजना	चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया आरम्भिक आवंटन	योजना के प्रथम तीन वर्षों अर्थात् 1969 से 1972 तक हुआ व्यय	1972-73 का अनुमानित परिव्यय
	(लाख रुपयों में)		
विद्युत परियोजनाएं			
1. तारापुर परमाणु बिजली घर	506.00	741.00	6.96
2. राजस्थान परमाणु बिजली घर।	768.00	1929.00	178.52
3. राजस्थान परमाणु बिजलीघर ।।	5196.00	3040.00	855.28
4. मद्रास परमाणु बिजलीघर।	5252.00	1257.00	1598.63
5. मद्रास परमाणु बिजलीघर ।।	40.00	149.00	498.52
6. नये बिजलीघर (अप्रैल, 1970 में ही राशि का आवंटन किया गया)	1500.00		5.00
7. विविध तथा सहायक सुविधाएं	238.00	55.04	63.07
विद्युत परियोजनाओं के लिए कुल योग :	13500.00	7171.04	3205.98

विद्युत कार्यक्रम के सहायतार्थ लगाये जाने वाले औद्योगिक संयंत्र			
(क) नाभिकीय ईंधन संयंत्र	1351.00	801.41	218.10
(ख) भारी पानी संयंत्र	3170.00	1700.52	1580.00
(ग) पावर रिऐक्टर ईंधन पुनर्संसाधन संयंत्र	764.00	402.43	154.00
योग :	5285.00	2904.36	1952.10

वैज्ञानिकों से उद्योग स्थापित करने के लिए आवेदन

7186. श्री विश्वनाथ झुंझनवाला : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उद्योग स्थापित करने के लिए वैज्ञानिकों से आवेदन प्राप्त हुए है! और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने कौन से उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव किया है और सरकार उन्हें कार्यकर पूंजी, जानकारी और व्याहार्यता प्रतिवेदनों आदि के रूप में क्या सहायता देगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : सरकार को वैज्ञानिकों तथा तकनीकी उद्यमियों से उद्योग अधिनियम, 1951 के अधीन उद्योग स्थापित करने के बारे में समय-समय पर आवेदन पत्र मिल रहे हैं। ऐसे सभी आवेदनों पर प्रत्येक मामले को गुणावगुणों के आधार पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है। वैज्ञानिकों तथा तकनीकी उद्यमियों ने भी लघु उद्योगों की स्थापना में रूचि दिखलाई है। वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्त की गई रूचि भिन्न-भिन्न प्रकार की हैं तथा बहुत से उद्योगों के लिए हैं जिसमें इलेक्ट्रानिक भी शामिल है। संगठित क्षेत्र में, ऐसे आवेदक, सामान्य रूप से मध्यम क्षेत्र के उद्यमियों को दी जाने वाली सहायता के हकदार हैं। लघु क्षेत्र में, तकनीकी उद्यमियों को विशेष सुविधाएं दी गई हैं।

केरल में किराये के भवनों में डाक-घर

7187. श्री वयालार रवि : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में किराये के भवनों में कितने डाक-घर हैं और 1971-72 में उनके लिए कुल कितनी किराया राशि का भुगतान किया गया; और

(ख) वर्ष 1972-73 के दौरान केरल में डाक-घरों के लिए कितने नये कार्यालय भवनों का निर्माण करने का विचार है और इनका अनुमानित व्यय कितना होगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) 993; 1,16,661 रुपये।

(ख) 17; 57,98,770 रुपये।

भारतीय टेलीफोन और दूरसंचार व्यवस्था

7188. श्री वयालार रवि : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 अप्रैल, 1972 के 'बिल्ट्स' में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारत की टेलीफोन और दूरसंचार व्यवस्था के अधिकांश भाग पर अमरीका के अन्तर्राष्ट्रीय तार तथा टेलीफोन निगम का नियंत्रण है;

(ख) यदि हां, तो उनका कितना नियंत्रण है और हमारी टेलीफोन और दूरसंचार सेवा में वे कहाँ तक हस्तक्षेप करते हैं; और

(ग) उनका प्रभाव कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

संचार मंत्री श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर की 5 करोड़ रु० की चुकता पूंजीगत कुल लागत में से, 63,47,500 रु० के शेयर इण्टरनेशनल टेलीफोन एण्ड टेलीग्राफ कार्पोरेशन की सहायक कम्पनी न्यूयार्क की इंटरनेशनल स्टैण्डर्ड इलैक्ट्रिक कार्पोरेशन के है। इसके अलावा इण्टरनेशनल स्टैण्डर्ड इलैक्ट्रिक कार्पोरेशन की एक एक प्रतिनिधि इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक बोर्ड में भी है। एंटवर्प, बेल्जियम की बैल टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी ने, जो कि इण्टरनेशनल स्टैंडर्ड इलैक्ट्रिक कार्पोरेशन की सहायक है, भारत में पेंटाकोंटा क्रासबार टेलीफोन उपस्कर के निर्माण के लिए इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के साथ एक करार किया है। कम्पनी ने डाक-तार विभाग को कुछ क्रासबार स्थानीय और ट्रंक एक्सचेंज सप्लाई किये हैं। बैल टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी के साथ किये गए करार की कालावधि बढ़ाने के निर्णय को शीघ्र ही औपचारिक रूप दिये जाने की सम्भावना है।

क्विलोन में इण्डियन रेयर अर्थस के खनिज प्रभाग में उत्पादन

7190. श्री वयालार रवि : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि क्विलोन में इण्डियन रेयर अर्थस के खनिज प्रभाग में अधिक श्रमिक विवादों का उत्पादन पर काफी बुरा असर पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो प्रभावी कार्याचालन के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रोनिक मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड के क्विलोन स्थित खनिज प्रभाग के उत्पादन पर प्रायः होने वाले श्रमिक विवादों का असर नहीं पड़ा है। वास्तव में 1971-72 में हुआ उत्पादन 1970-71 के उत्पादन का दुगना था। तथापि, कार्यालय के कर्मचारी 28 अक्तूबर, 1971 से 18 जनवरी, 1972 तक हड़ताल पर थे। उत्पादन पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सम्पूर्ण गांधी वांगमय में काम कर रहे सम्पादकों के पदों की संख्या

7191. श्री भालजी भाई परमार : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि सम्पूर्ण गांधी वांगमय में कार्य कर रहे वर्तमान सम्पादकों के पदों की कुल संख्या कितनी हैं और इनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए बनाये गये और आरक्षित पदों की संख्या कितनी है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : प्रकाशन प्रभाग के संपूर्ण गांधी वांगमय एकक में सम्पादकों के 8 पद हैं। इनमें से एक पद अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है।

आकाशवाणी में स्क्रिप्ट लेखकों की भर्ती

7192. श्री चन्द्रशेखर सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रभाग द्वारा 9 दिसम्बर, '1971 को अंग्रेजी में स्क्रिप्ट लेखकों के पदों के लिए भर्ती हेतु कोई लिखित परीक्षाएं ली गईं थीं;

(ख) यदि हां, तो कितने रिक्त स्थान भरे जाने थे और क्या उन्हें अब तक भर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क) जी, हां।

(ख) दो; ये पद अभी तक भरे नहीं गये हैं।

(ग) तथा (घ) पद 425-25-625 रुपये के फीस स्केल में विज्ञापित किया गया। तथापि, तब से फीस स्केलों को संशोधित कर दिया गया है और 425-625 रुपये के स्थान पर तीन नये स्केल अर्थात 210-470 रुपए, 325-575 रुपए तथा 350-800 रुपए, निर्धारित किए गये हैं। सरकार यह विचार कर रही है कि सफल उम्मीदवारों को कौन-सा स्केल दिया जाना चाहिए।

विज्ञान और प्रोद्योगिकी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति द्वारा बनाया गया वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक जनशक्ति के नियोजन सम्बन्धी पैनल

7193. श्री देविन्द्र सिंह गरचा : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति ने योजना आयोग की सलाह से ठोस सुझाव तैयार करने के लिए वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी जनशक्ति के नियोजन सम्बन्धी एक पैनल बनाया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ग) इसकी रिपोर्ट कब तक प्राप्त होने की आशा है ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) योजना

आयोग के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति ने "शिक्षा और जनशक्ति" पर एक दल स्थापित किया है इसका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पंच वर्षीय योजना तैयार करना है।

(ख) दल में एन० सी० एस० टी० के निम्नलिखित चार सदस्य हैं।

1. प्रोफेसर सी० एन० आर० राओ—संयोजक

2. डा० ए० आर० किदवई--सदस्य

3. डा० आर० रामन्ना—सदस्य

4. डा० वी० डी० तिलक—सदस्य

योजना आयोग ने अपने एक सदस्य और सम्बन्धित विभागों के तीन प्रधानों को दल के साथ पारस्परिक कार्य करने के लिए नामांकित किया है।

(ग) पंच वर्षीय योजना की आवश्यकताओं को मूल्यांकित करने के लिए योजना आयोग ने "रोजगार और जनशक्ति" पर एक विषय निर्वाचन दल, "शिक्षा और रोजगार" पर एक कार्यकारी दल और जनशक्ति के विभिन्न वर्गों के लिये छः कार्यकारी दल स्थापित किये हैं। एन० सी० एस० टी० दल योजना आयोग के दलों के दलों के साथ मिलकर कार्य करेंगे। इनकी रिपोर्ट का कार्य इस वर्ष के अन्त तक पूर्ण हो जायेगा। रिपोर्ट अप्रैल 1973 तक प्रस्तुत कर दी जायेगी।

डाक तथा तार की समस्या की जांच करने के लिए समितियां

7194. श्री देविन्द्र सिंह गरचा : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) डाक तथा तार के कार्यकरण से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करने के लिए समितियां स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) दो समितियां, जैसे एक देश में दूरसंचार उपस्कर की मांग और सप्लाई की जांच करने तथा इनकी कमियों को दूर करने के उपाय तथा साधनों को सुझाने व देश में दूरसंचार उपस्कर के निर्माण की क्षमता को बढ़ाने की सुविस्तृत योजना की सिफारिश करने के लिए और दूसरी संचार मन्त्रालय के अधीनस्थ विभिन्न अनुसंधान विकास संगठनों की वर्तमान स्थिति का विस्तृत पर्यवेक्षण करने व यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे इस क्षेत्र में हुए अधुनातम तकनीकी बिकास के साथ कदम मिला सके। समितियों के विचारार्थ विषय संलग्न विवरण-पत्र में दिये गये हैं।

डाक-घरों और रेल डाक सेवा कार्यालयों में रजिस्टर्ड वस्तुओं के निपटान की वर्तमान कार्यविधि; डाक विशेषतः जंक्शन स्टेशनों पर रेल डाक सेवा में आदान-प्रदान करने की कार्यविधि; रेल डाक सेवा के कार्यालयों और अनुभागों में द्वितीय श्रेणी की डाक के निपटान की कार्यविधि; और इस प्रश्न की जांच करने के लिए अध्ययन का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है कि, क्या अन्तर्देशीय पार्सलों से सम्बद्ध पार्सल डाक की दरें, क्षेत्रीय आधार आदि पर निर्धारित की जा सकती है।

विवरण

1. देश में दूरसंचार उपस्कर की माँग और सप्लाई की जाँच करने के लिए स्थापित समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :—

(1) देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रगति को ध्यान में रखते हुए, अगले दो दशकों के लिए देश में विभिन्न दूरसँचार सेवाओं की संभावित मांगों का निर्धारण तथा पूर्वानुमान ।

(2) दूरसंचार सेवाओं की माँगों की पूर्ति के लिए विनियोग हेतु उपलब्ध राशि और इस क्षेत्र की विकास योजनाओं के संभावित स्वरूप की जांच और पूर्वानुमान ।

(3) उपर्युक्त 1 और 2 को ध्यान में रखते हुये विभिन्न प्रकार के दूरसंचार उपस्कर और उससे सम्बद्ध भंडारों की स्थानीय आवश्यकताओं का निर्धारण तथा पूर्वानुमान ।

(4) डाक-तार विभाग के दूरसंचार कारखानों सहित, दूरसंचार उपस्कर निर्माता देशी कारखानों की उत्पादन क्षमता की जांच और इन उपक्रमों की क्षमता के विस्तार के लिए आवश्यक कदम सुझाना ।

(5) अगले दो दशकों में दूरसंचार उपस्कर और सम्बद्ध भंडारों के निर्यात के अवसर का अध्ययन और पूर्वानुमान ।

(6) मौजूदा कारखानों और एककों का विस्तार और विभिन्न एककों के लिए विभिन्न आकारों सहित दूरसंचार उपस्करों और भंडारों की देशज और निर्यात आवश्यकाताओं को पूरा करने के लिए नए एकक स्थापित करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के साथ समाप्त हो रही अवधि के लिए सुविस्तृत योजना की सिफारिश करना ।

2. संचार मंत्रालय के अधीनस्थ विभिन्न अनुसंधान तथा विकास संघटनों की वर्तमान स्थिति का विस्तृत अध्ययन करने के लिए स्थापित, समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :—

(1) संचार मंत्रालय के अधीन विभिन्न संघटनों अर्थात डाक-तार विभाग का दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र तथा इसके दूरसंचार कारखाने तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एवं विदेश संचार सेवा द्वारा दूरसंचार के क्षेत्र में किए जा रहे अनुसंधान तथा विकास कार्य का पुनरीक्षण और इस क्षेत्र में देश के अन्य संस्थानों तथा संघटनों द्वारा किये जा रहे कार्यों की गणना ।

(2) ऐसे उपाय सुझाना जिससे देश के विभिन्न संघटनों द्वारा इस क्षेत्र में किये जा रहे कार्य का सक्रिय समन्वय हो सके ।

(3) ऐसे उपाय सुझाना जिनसे देश में इस क्षेत्र के विकास और अनुसंधान कार्य का क्षेत्र विस्तृत किया जा सके और इस दिशा में चल रही गतिविधियों में तेजी लाई जा सके ।

(4) उन क्षेत्रों का पता लगाना जिनमें अनुसंधान और विकास के प्रयासों में कमी हो या अपर्याप्तता हो और इन कमियों को दूर करने के उपाय सुझाना ।

(5) देशीय डिजाइनों और तकनीक को प्रगतिशील देशों के बराबर लाना ।

(6) ऐसे सुझाव देना जिनसे डाक-तार विभाग के दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र और इस मंत्रालय के उपर्युक्त अधीनस्थ संघटन अनुसंधान व विकास कार्य में उन्नति करे और विदेशों में हो रहे इन कार्य के समकक्ष आ जायें ।

(7) इन उद्देश्यों के अनुरूप, सहायक सुविधाओं को जुटाने के उपाय सुझाना ।

(8) उपर्युक्त कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वियन के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता की सिफारिश करना ।

(9) ऐसे साधन सुझाना जिनसे डिजाइन और विकास के आधार पर उत्पादन को बढ़ावा मिल सके ।

(10) समिति की सिफारिशों के सुचारू कार्यान्वयन के लिए उपर्युक्त प्रशासनिक तथा कार्मिक नीतियां सुझाना ।

केन्द्रीय सूचना सेवा (ग्रेड चार) में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा

7195. श्री काहनडोल : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग ने केन्द्रीय सूचना सेवा (ग्रेड चार) में भर्ती के लिए पहली खुली प्रतियोगी परीक्षा कब ली थी;

(ख) कुल कितने पदों के लिए विज्ञापन दिया गया था और सामान्य उम्मीदवारों में से नियुक्ति के लिए कुल कितने व्यक्तियों को चुना गया था;

(ग) इन पदों पर, जिनके लिए विज्ञापन दिया गया था, यदि किन्ही विभागीय उम्मीदवारों को बिना परीक्षा में प्रतियोगिता के लिए नियुक्य किया गया था तो उनकी संख्या कितनी है;

(घ) ऐसे विभागीय उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए क्या कसौटी अपनाई गई; और

(ड.) क्या उक्त परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिये गये थे और प्रतियोगिता में बैठने वाले उम्मीदवारों को परिणामों से सूचित कर दिया गया था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर केन्द्रीय सूचना सेवा के चतुर्थ ग्रेड की पहली सीधी भर्ती 1964-65 में की गई थी ।

(ख) आयोग द्वारा 171 पद विज्ञापित किए गये थे । बाद में यह संख्या घटा कर 70 कर दी गई थी । आयोग ने नियुक्ति के लिए 68 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी ।

(ग) तथा (घ) केन्द्रीय सूचना सेवा नियमावली के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके 101 अधिकारी विभागीय उम्मीदवार घोषित किए गये थे। इन अधिकारियों की, सेवा के चतुर्थ ग्रेड में नियुक्ति, उनके कार्य के मूल्यांकन, जो उनकी गोपनीय रिपोर्टों में प्रतिबिम्बित था, के तथा जहाँ आवश्यक समझा गया वहाँ इंटरव्यू के आधार पर, आयोग की सिफारिश पर की गई थी।

(ड.) विज्ञापन की शर्तों के आधार पर आयोग द्वारा, अपने विवेक पर, चयन किये गये उम्मीदवार जून-जुलाई 1964 में हुई लिखित परीक्षा में बैठे और केवल उन उम्मीदवारों को, जो लिखित परीक्षा में आयोग द्वारा निर्धारित दक्षता के न्यूनतम स्तर पर खरे उतरे, इण्टरव्यू के लिए बुलाया गया। 2 तथा 3 जून 1964 को हुई लिखित परीक्षा के आधार पर 334 उम्मीदवारों को इन्टरव्यू में बुलाने के लिए उपयुक्त समझा गया और आयोग ने अगस्त-सितम्बर 1965 में उनका इन्टरव्यू लिया। उन उम्मीदवारों जिनकी उनके इन्टरव्यू के आधार पर नियुक्ति की सिफारिश की गई थी, को छोड़कर अन्यों को आयोग द्वारा प्रत्येक को अलग-अलग यह सूचित कर दिया गया था कि उनका चयन नहीं किया गया है। आयोग द्वारा चयन किये गये तथा सिफारिश किये गये व्यक्तियों को सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के द्वारा केन्द्रीय सूचना सेवा के चतुर्थ ग्रेड में नियुक्ति प्रस्ताव जारी किये गये।

दिल्ली प्रसाशन में कानूनगो की विभागीय परीक्षा

7196. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रसाशन ने जनवरी, 1965 में विभागीय कानूनगो परीक्षा ली थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रसाशन ने यह परीक्षा पास करने वाले कुछ विभागीय कर्मचारियों को नियमित रूप से कानूनगो नियुक्त कर दिया था जबकि कुछ अन्य विभागीय कर्मचारियों को यह परीक्षा पास करने पर भी नियमित नियुक्ति से वंचित रखा गया था; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) : कानूनगो की नियुक्तियां इत्यादि दिल्ली भूमि राजस्व नियम, जो 1 मार्च, 1963 को प्रवृत हुए, द्वारा प्रशासित होती हैं। इससे पूर्व पंजाब भूमि राजस्व नियम लागू थे। इस प्रकार कानूनगो के दो वर्ग हैं जैसे एक वे जिन्होंने पंजाब के नियमों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षा पास की है और दूसरे वे जिन्होंने प्रशिक्षण स्कूल में सर्वेक्षण तथा भूमि रिकार्ड में नियमित प्रशिक्षण प्राप्त किया है और वे डिप्लोमेट कानूनगो कहलाते हैं। अतीत में यह प्रथा थी कि इस कार्यालय के स्थानापन्न कानूनगो भूमि रिकार्ड निदेशालय पंजाब/हरियाणा द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा में सम्मिलित हुआ करते थे। ऐसा एक उदाहरण सन् 1965 की विभागीय परीक्षा का था जिसके लिए 17 विभागीय उम्मीदवारों के नाम भेजे गये थे जिनमें से 13 पास हुए और दो कम्पार्टमेंट में आए। यह सही है कि इन सफल उम्मीदवारों में से तीन को नियमित रूप से नियुक्त किया गया था क्योंकि उन्होंने दिल्ली भूमि राजस्व नियमों के लागू होने से वर्षों पूर्व कानूनगो के रूप में कार्य करना आरम्भ कर दिया था। तदनुसार उनकी वरिष्ठता

निर्धारित की गई थी। किन्तु शेष अधिकारियों को सन् 1963 के पश्चात् जब कभी डिप्लोमेट कानूनगो उपलब्ध नहीं हुए स्थानापन्न नियुक्ति प्रदान की गई थी। इसके बाद जब डिप्लोमेट कानूनगो जैसा कि दिल्ली भूमि राजस्व अधिनियम, 1962 में निर्धारित किया गया था, उपलब्ध हुए, कुछ कनिष्ठतम गैर-डिप्लोमेट कानूनगोओं की पदावन्नति की गई जब कि अन्न को डिप्लोमेट कानूनगो उपलब्ध होने तक कार्य करते रहने की अनुमति दी गई थी। पदावनति आदेश से पीड़ित इन पदावनत कानूनगोओं ने उच्च न्यायालय में पदावनत आदेश के विरुद्ध इस आधार पर रिटयाचिका भी दायर की कि उन्होंने पहले ही भूमि रिकार्ड निदेशालय पंजाब द्वारा ली गई कानूनगो की विभागीय परीक्षा पास की थी इसलिए डिप्लोमेट कानूनगो कहलाने के लिए उनको प्रशिक्षण स्कूल में प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सन् 1970 के अपने निर्णय सी० आर० नं० 268 में कहा था कि पंजाब की परीक्षा दिल्ली भूमि राजस्व नियमों द्वारा निर्धारित नहीं की गई है। उच्च न्यायालय ने यह भी निदेश दिया था कि प्रशिक्षण स्कूल में भेजने के लिए इन व्यक्तियों पर विचार होना चाहिए ताकि दिल्ली भूमि राजस्व नियमों की आवश्यकतानुसार वे भी डिप्लोमेंट कानूनगो बन सके। दिल्ली भूमि राजस्व नियमों के नियम 258 के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन द्वारा गठित एक चयन बोर्ड द्वारा प्रशिक्षण स्कूल में भेजने के लिए ऐसे व्यक्तियों पर विचार किया गया था। जिनका चयन किया गया है उनको आने वाले सत्र में यह प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा जायेगा।

बिहार में पुलिस द्वारा बदअमनी फैलाने के बारे में संसद सदस्व की शिकायत

7197. श्री भोगेन्द्र झा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक संसद सदस्य ने बिहार के मधुबनी सब-डिवीजन की पुलिस तथा मजिस्ट्रेटों द्वारा बदअमनी के फैलाये जाने के विरुद्ध एक लिखित शिकायत की है;

(ख) क्या मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का वचन दिया था; और

(ग) यदि हाँ, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ़० एच० मोहसिन) (क) तथा (ख) : जी हां, श्रीमान्।

(ग) बल पूर्वक फसल काटने तथा लूटने के बारे में नवम्बर तथा दिसम्बर, 1971 के महीनों में चलाये गये मुकद्दमों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा 1008 व्यक्तियों के गिरफ्तार किये जाने की सूचना है। उनमें से लगभग 50-60 व्यक्तियों ने या तो आत्मसमर्पण कर दिया है अथवा पिछले विधान सभा चुनाव में राष्ट्रपति शासन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। भारतीय साम्यवादी दल के कार्यकर्ताओं अथवा समर्थकों के विरुद्ध तीन मुकद्दमे चलाए गए थे। जिनमें 43 व्यक्ति अन्तर्गस्त हैं। इनमें से 28 जमानत पर हैं और 15 फरार हैं।

देश भर में टेलीविजन

7198. श्री पम्पन गौडा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली से देश भर में टेलीविजन प्रसारण की संभावनाओं का पता लगाने के लिए लच्छीवाला वन में एक भू-उपग्रह संचार केन्द्र स्थापित करने के लिए कार्यवाही की है : और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क) तथा (ख) भू-उपग्रह संचार केन्द्र लच्छीवाला वन में स्थापित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य उपग्रह के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय दूर-संचार सम्बन्ध की व्यवस्था करना है। इसका सम्पूर्ण देश में टेलीविजन का जाल बिछाने की व्यवस्था से कोई सम्बन्ध नहीं है।

आकाशवाणी पर संसद सदस्यों आदि की वार्ताएं

7199. श्री अम्बेश : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित जनजातियों के संसद सदस्यों, दिल्ली के महानगर परिषद् के सदस्यों और विधान सभा सदस्यों के नाम क्या हैं जिनकी वार्ताएं आकाशवाणी के दिल्ली तथा अन्य केन्द्रों से वर्ष 1970-71 और 71-72 के दौरान प्रसारित की गई।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मती नन्दिनी सतपथी) : यह सूचना देना सम्भव नहीं है क्योंकि आकाशवाणी के केन्द्रों पर वार्ता प्रसारित करने के लिए आमन्त्रित वार्ताकार किस जाति से सम्बन्ध रखते हैं; इसका रिकार्ड नहीं रखा जाता।

आगामी दस वर्षों में टेलीविजन सेवा का विस्तार

7200 श्री राम सहाय पांडे :
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी दस वर्षों में पूरे देश में टेलीविजन सेवा का विस्तार करने का कोई कार्यक्रम बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या है; और

(ग) क्या देश-भर में टेलीविजन सेवा के विस्तार के लिए किसी विदेशी सहायता की आवश्यकता होगी और यदि हां, तो अब तक इस बारे में क्या प्रबन्ध किए गए हैं।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क) तथा (ख) जी, हां। अगले 10 वर्षों में पूरे देश में टेलीविजन का जाल बिछाने के लिए एक अनन्तिम कार्यक्रम बनाया गया है। इसमें 90 प्रतिशत आबादी को सेवा उपलब्ध करने के लिए 20 टेलीविजन केन्द्र तथा 150 रिले ट्रांसमीटर स्थापित करने का विचार है। कुल पूंजीगत लागत 112 करोड़ रुपए होने की संभावना है।

(ग) : जी, नहीं।

डाक एवं तार कालोनी किदवाईपुरी, पटना में डाक तथा तार विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा

7201. श्री ज्योतिर्मय बसु ; क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंने कि :

(क) क्या पटना, बिहार सर्किल में डाक एवं तार कालोनी किदवईपुरी में स्थिति डाक तथा तार विभाग की .05 एकड़ भूमि अब भी श्री रामलखन सिंह यादव जो इस समय विधान सभा के कांग्रेस (सतारूढ़) के सदस्य हैं और बिहार के भूतपूर्व लोक निर्माण विभाग मंत्री थे, के अवैध कब्जे में हैं,

(ख) क्या 19 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4937 के उत्तर में तत्कालीन संचार मंत्री ने उपरोक्त भूमि को खाली कराने का आश्वासन दिया था,

(ग) क्या डाक तथा तार के महानिदेशक ने बिहार के तत्कालीन पोस्टमास्टर जनरल को, जो इस समय बी एण्ड आई' के सदस्य हैं, भूमि को खाली कराने हेतु समुचित कार्यवाही करने का आदेश दिया गया था किन्तु उस अधिकारी ने कोई कार्यवाही नहीं की,

(घ) क्या इस तथ्य की जानकारी आयर कमीशन को नहीं दी गई थी, और

(ड.) यदि उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो भूमि को खाली कराने तथा सम्बन्धित अधिकारियों को दण्ड देने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) :(क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) तत्कालीन पोस्टमास्टर जनरल, बिहार को यह भूमि खाली कराने के लिए आदेश जारी किए गए थे । यह सही नहीं है कि पोस्टमास्टर जनरल, बिहार ने उस समय कोई कार्यवाही नहीं की थी । तत्कालीन पोस्टमास्टर जनरल ने इसे खाली कराने के लिए अवश्य ही कार्यवाई की थी ।

(घ) पता नहीं कि इस तथ्य की जानकारी अय्यर कमीशन को दी गई थी या नहीं ।

(ड.) इस भूमि को खाली कराने के लिए कार्यवाई की गई थी, लेकिन दिल्ली के उच्च न्यायालय और कुछ अन्य उच्च न्यायालयों ने सार्वजनिक स्थान (अनधिकृत कब्जे से खाली कराना) अधिनियम, 1956 को अवैध ठहरा दिया था ।

1956 के सार्वजनिक स्थान (अनधिकृत कब्जा खाली करना) अधिनियम में 1971 के सार्वजनिक स्थान (अनधिकृत कब्जा खाली करना) अधिनियम के द्वारा संशोधन कर दिया गया है । इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी ।

विदेशियों सम्बन्धी अधिनियम के अधीन जेलों में रखे गये बंगला देश के गैर-बंगाली मुसलमान

7202. श्री भोगेन्द्र झा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(क) विदेशियों सम्बन्धी अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत जेलों में रखे गए अथवा जमानत पर छोड़े गए उन गैर-बंगाली मुशलमानों की संख्या क्या है जो बंगला देश की मुक्ति से पहले और बाद में यहां आए हैं;

(ख) उनमें से कितनी स्त्रियां और बच्चे हैं जिनके परिवारों के वयस्क सदस्य 25 मार्च, 1971 के बाद तथा बंगला देश की मुक्ति से पहले मारे गये थे और ऐसे लोगों को मुक्त करने अथवा उनके विरुद्ध दर्ज मामलों को अविलम्ब वापिस लेने का कोई विचार है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) सम्बन्धित राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना संलग्न विवरण में दी जाती है ।

विवरण

राज्य का नाम	बंगला देश के उन गैर बंगाली मुसलमानों की संख्या जिनके विरुद्ध विदेशी व्यक्ति अधिनियम 1946 की धारा 14 के अधीन कानूनी कार्यवाही की जा रही है और जो या तो हिरासत में हैं अथवा जमानत पर हैं ।	उनमें, महिलाओं तथा बालकों की संख्या ।	ऐसी महिलाओं तथा बालकों की संख्या, जिनके परिवार के वयस्क सदस्य 25-3-71 से 16-12-71 तक मारे गये थे ।
असम	4	1 महिला और बालक कोई नहीं ।	शून्य
मेघालय	26	शून्य	शून्य
बिहार	227	54 महिलायें । लड़कों की संख्या मालूम की जा रही है ।	शून्य
उत्तर प्रदेश	5	शून्य	शून्य

टिप्पणी:—पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम सरकारों से सूचना आनी है ।

कानपुर की ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के मामलों की दुबारा जांच के लिए ज्ञापन

7203. श्री आर वी० बड़े : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन कर्मचारी यूनियन के

महासचिव से कानपुर की ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के मामले की दुबारा जांच के लिए ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार अपने नामित निदेशकों के माध्यम से बी० आई० सी० के कार्यों पर बराबर दृष्टि रख रही है। हाल ही में एक नवे अध्यक्ष ने भी कार्य भार ग्रहण कर लिया है।

थिन्नर रखने और बनाने पर प्रतिबन्ध

7204. श्री एम० एस० शिवस्वामी : क्या गृह मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने थिन्नर रखने अथवा उसके निर्माण पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या उक्त प्रतिबन्ध के कारण उद्योगों को कठिनाई हुई है; और

(ग) उद्योगों के लिए बैकल्पिक रसायन की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लागू पंजाब आवकारी अधिनियम 1914 के अन्तर्गत शराब की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए केवल ऐसे थिन्नर, जो स्प्रिट तथा घुलनशील पदार्थ (30 प्रतिशत से अधिक नहीं) का मिश्रण है आवकारी विनियमों के क्षेत्र में आते हैं। ऐसे थिन्नरों को पास रखने की सीमा 5 लीटर निर्धारित की गई है। उक्त सीमा से अधिक ऐसे थिन्नर की बिक्री तथा रखने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। चूंकि ऐसे लाईसेंस ऐसे थिन्नरों के वास्तविक प्रयोग कर्ताओं को उदारतापूर्वक और शीघ्रता से स्वीकृत किये जाते हैं अतः कुछ उद्योगों को कठिनाई होने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई स्थित अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार केन्द्र

7205 श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई स्थित अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार केन्द्र के कार्यालय के लिए 143 लाख रुपये की लागत के बहुमंजिली भवन के निर्माण के लिए अन्य फर्मों की निविदाएं प्राप्त किए बिना कार्य निष्पादन की देख भाल का काम एक वास्तुविद फर्म को सौंपा गया था;

(ख) क्या बातचीत द्वारा यह तय किया गया था कि उक्त वास्तुविद की फीस कुल लागत का 5 प्रतिशत होगी; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दनबहुगुणा) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) बम्बई के अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार केन्द्र के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य आर्वी के भू-केन्द्र चालू करने के साथ जोड़ा गया था। केन्द्रीय लोकनिर्माण विभाग के साथ इस विषय पर विचार-विमर्श किया गया था। उनकी सहमति के अनुसार उपर्युक्त कार्य को 143 लाख रुपये की अनुमानित समस्त लागत पर बातचीत द्वारा तय 5 प्रतिशत कमीशन पर गैर-सरकारी वास्तुकार को सौंपा गया था। यह सही है कि कोई टेंडर नहीं माँगें गये थे। तथापि, नियुक्ति की विस्तृत शर्तें विभागीय वार्ता समिति द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया तथा एअर इण्डिया, बम्बई जैसे अन्य संघटनों द्वारा इस फर्म को दिये गए ठेकों की शर्तों की जांच करने के बाद तय की गई थीं।

मगध विश्वविद्यालय में विधि परीक्षा में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा अनुचित तरीकों को अपनाया जाना

7206 श्री विभूति मिश्र : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान, पटना से प्रकाशित 19 अप्रैल, 1972 के "सर्चलाईट" के "मगध विश्वविद्यालय में विधि परीक्षा में भारतीय प्रशासनिक सेवा के तथा अन्य अधिकारियों द्वारा अनुचित तरीकों का अपनाया जाना" शीर्षक के अन्तर्गत एक समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां. तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) बिहार सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

शराब के निर्माण, बिक्री तथा वितरण का राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव

7207 श्री निहार लास्कर : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शराब के निर्माण, बिक्री तथा वितरण का राष्ट्रीयकरण करने का है जिससे अवैध रूप से शराब बनाने के कार्य तथा अन्य बुराइयों को न्यूनतम किया जा सकेगा; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के विरूद्ध बिना लेखे जोखे के सम्पत्ति रखने के बारे में शिकायत

7208 श्री एस० एन० मिश्र : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालयों अथवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग अथवा केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा प्रथम श्रेणी के अधिकारियों, जिनमें केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में सेवारत अथवा सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर सचिव सम्मिलित है, के विरुद्ध हिसाब में दिखाई गई राशि से बहुत अधिक की सम्पत्ति रखने के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों अथवा जानकारी का विश्लेषण तथा जाँच करने के लिए कोई प्रयास किया गया है; और

(ख) वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 में कितनी शिकायतें अथवा रिपोर्टें प्राप्त हुईं और कितनों का विश्लेषण तथा जाँच की गई ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सरकार उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने वाले कर्मचारियों तथा केन्द्रीय सरकार के सचिवों सहित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों, जिनके विरुद्ध अनुपात से अधिक परिसम्पत्ति रखने के आरोप हैं, के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों या सूचनाओं पर ध्यान दिया जाता है और जांच-पड़ताल का कार्य हाथ में लिया जाता है, यदि उनमें विशिष्ट तथा प्रमाणनीय सामग्री समाविष्ट हो। केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में आयोग ऐसी शिकायतों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो/सम्बन्धित प्रशासनिक प्राधिकारी को जांच के लिए सौंपता है।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

परमाणु ऊर्जा विभाग के लिए माल का आयात

7209 श्री एस० एन० मिश्र : क्या **परमाणु ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए भारत द्वारा कितने प्रतिशत माल का आयात किया गया है;

(ख) गत 3 वर्षों में इस पर धन के रूप में कितनी लागत आई है; और

(ग) क्या ऐसे आयातित कच्चे माल के स्थान पर स्वदेशी माल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) आयातित कच्चे माल के स्थान पर अधिक से अधिक स्वदेशी माल का प्रयोग करने का हर प्रयास किया जा रहा है।

विवरण

(क) परमाणु ऊर्जा बिभाग की प्रमुख परियोजनाओं की कुल लागत में विदेशी मुद्रा के अंश की प्रतिशतता का प्रदर्शक विवरण

	परियोजना	कुल लागत में विदेशी मुद्रा के अंश की प्रतिशतता
1.	राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना-पहला यूनिट	50
2.	राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना-दूसरा यूनिट	39
3.	मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना-पहला यूनिट	20
4.	मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना-दूसरा यूनिट	20
5.	नाभिकीय ईधन सम्मिश्र	38
6.	भारी पानी परियोजना (कोटा)	35
7.	भारी पानी परियोजना (बड़ौदा)	52
8.	भारी पानी परियोजना (तूतीकोरिन)	54
9.	विद्युत रिऐक्टर ईधन पुनर्संसाधन संयंत्र	18
10.	रिऐक्टर अनुसंधान केन्द्र	21
11.	परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रोन	12
12.	भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र (परियोजनायें)	12
13.	अन्तरिक्ष अनुसंधान परियोजनायें	29

(ख) पिछले 3 वर्षों में परमाणु ऊर्जा विभाग की विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं के लिए मुक्त की गई विदेशी मुद्रा का प्रदर्शक विवरण ।

वर्ष	मुक्त की गई विदेशी मुद्रा	टिप्पणी
	(लाख रुपयों में)	
1969-70	554.22	इन आंकड़ों में तारापुर परमाणु
1979-71	890.74	विद्युत परियोजना, राजस्थान परमाणु
1971-72	1365.51	विद्युत परियोजना, बड़ौदा के लिए पृथक परियोजनाबद्ध ऋणों के अन्तर्गत दी गई विदेशी मुद्रा शामिल नहीं है ।

मंत्रियों तथा अधिकारियों के लम्बी डोरी वाले टेलीफोन

7210. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रियों तथा सरकारी अधिकारियों के निवास-स्थान और कार्यालयों में टेलीफोन के लिए लम्बी डोरियों की व्यवस्था की जाती है;

(ख) क्या इसके लिए उनसे कोई अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है, और यदि हाँ तो किस आधार पर,

(ग) टेलीफोन उपभोक्ता के लिए कितनी न्यूनतम डोरी की व्यवस्था की जाती है, और

(घ) लम्बी डोरी के लिए किस आधार पर अथवा किस हिसाब से किराया लिया जाता है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के पास उनके कार्यालयों या घरों में लगे टेलीफोनों के साथ लम्बी डोरी की व्यवस्था डाक-तार विभाग संबंधित मंत्रालय/विभाग के मांग करने पर करता है ।

(ख) जी हाँ, पहली 5 लम्बी डोरी के लिए 30 रुपये प्रति वर्ष और प्रत्येक अतिरिक्त मीटर के लिए 15 रुपये प्रति वर्ष ।

(ग) टेलीफोन यंत्र के साथ सामान्यता: 1.5 मीटर लम्बी डोरी दी जाती है और अतिरिक्त चार्ज अदा करने पर कम से कम 5 मीटर लम्बी डोरी दी जाती है ।

(घ) टेलीफोनों के साथ लम्बी डोरी देने से उनमें अक्सर खराबी की संभावना रहती है और इसलिए यह चार्ज डोरी की लागत के आधार पर लेने के बजाय सेवा के रख-रखाव पर होने वाले खर्च के आधार पर लिया जाता है ।

अगरतल्ला के समीप अरूंधती नगर में तनाव की स्थिति

7211. श्री पी० गंगादेव :

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरतल्ला के समीप भारत बंगला देश की सीमा पर स्थित अरुंधती नगर क्षेत्र में तनाव की स्थिति विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या उस क्षेत्र में भूमि के स्वामित्व के बारे में कोई विवाद था; और

(घ) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ) त्रिपुरा सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Release of a Pakistani prisoner from District Jail. Bareilly (Uttar Pradesh)

7212. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that a Pakistanl prisoner has been released form District Jail, Bareilly (Uttar Pradesh) in suspicious circumstances; and

(b) if so, the action taken against the guilty persons involved in this conspiracy as also the action taken to recapture the said Pak prisoner ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) According to information received from the Government of Uttar Pradesh, a Pakistani national, who was in Barreily jail, both as an internee under the Foreigners (Internment)

Order, 1962, as well as in custody for offence under section 14 of the Foreigners Act, 1946, was wrongly relesaed in pursuance of an order of the Sessions Judge for his release on bail in the case under the Foreigners Act.

(b) As soon as the mistake came to notice he was re-arrested and lodged in the jail. The matter has been inquired into by the Additional District Magistrate, Barreily. Action has been initiated against a jailor and an assistant jailor. Circumstances in which release orders were wrongly issued are under examination.

उग्रवादियों की गतिविधियों से ग्रस्त क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक दशा का अध्ययन

7213. श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन स्थानों की सामाजिक-आर्थिक दशा का अध्ययन किया है जहाँ उग्रवादियों की हिंसात्मक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) इस प्रकार की कोई विशिष्ट जांच पड़ताल नहीं की गई है। किन्तु सरकार को मालूम है कि उग्रवादी दलों समेत स्वार्थी दलों ने अपनी हिंसात्मक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कुछ वास्तविक सामाजिक व आर्थिक दलों ने अपनी हिंसात्मक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कुछ वास्तविक व आर्थिक कठिनाइयों का लाभ उठाया है। अतः ऐसे क्षेत्रों में व्यक्तियों के आर्थिक व निकालने के लिए विकासशील गतिविधियों को तेज करने के उपाय आरम्भ किये गये हैं।

संविधान की एक प्रति को जलाने का कथित प्रयत्न

7214 श्री बी० के० दास चौधरी : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम में 14 अप्रैल, 1972 को कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था जो भारतीय संविधान की एक प्रति को जलाने का कथित प्रयत्न कर रहे थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है तथा उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री (एफ० एच० मोहासिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) केरल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अधीन छः व्यक्तियों को तथाकथित रूप से यह घोषणा करने के लिए गिरफ्तार किया गया था कि वे भारतीय संविधान की प्रतियाँ जलायेंगे। उनके विरूद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

डाकुओं के आंतक की जांच करने हेतु गठित किया गया उच्चस्तरीय अध्ययन दल

7216 श्री अर्जुन सेठी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का, चम्बल घाटी क्षेत्र जैसे देश के अन्य क्षेत्रों में डाकुओं के आंतक का विस्तृत अध्ययन दल गठित करने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ तो इसका गठन कब तक किया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम में संशोधन

7217 श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने बम्बई औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम में संशोधन करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने यह सुझाव स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) बम्बई औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले श्रमिकों को इस संशोधन से क्या लाभ होगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) गुजरात सरकार ने सुझाव दिया था कि बम्बई औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम, 1946 में कर्मचारी शब्द की परिभाषा, उसमें दी गई सीमा को 500/-रु0 से 1000/-रु0 बढ़ाकर विस्तृत कर दी जाय। चूंकि इस प्रश्न पर अखिल भारतीय नीति को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, अतः राज्य सरकार से इस प्रस्ताव पर जोर न देने का अनुरोध किया गया था।

Production of Salt

7218. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state the present salt production and the additional production sought to be achieved ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : While the productions of salt in 1971 was 5.4 million tonnes, the production of salt duriug 1972 is expected to be about 6.5 million tonnes.

Muslims From Pakistan Visited Ajmer urs.

7219. **Shri onkar lal Berwa** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Muslims, who came from Pakistan to attend Ajmer Urs during this year;

(b) the number out of them arrested for carring smuggled goods; and

(c) the nature of action taken against them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) None. No Urs has so far been held during this year.

(b) & (c) : Do not arise.

गोआ के गृह विभाग में पारपत्र सम्बन्धी कथित गिरोह

7220. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ सरकार द्वारा, उस राज्य के गृह विभाग में पारपत्रों के मामले में कथित रूप से गड़बड़ी कर रहे गिरोह की कोई जांच की थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले तथा इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) गोवा के गृह विभाग में पारपत्र के मामले तथा कथित गड़बड़ के सम्बन्ध में समाचार 18 अप्रैल, 1972 कैंदी डेली गोमान्तक' में प्रकाशित हुआ । तथाकथित अनियमितताओं को, यदि कोई हो, रोकने के लिए प्रारम्भिक उपाय के रूप में प्रशासन ने पारपत्र अनुभाग के अधीक्षक का तबादला कर दिया है । उन्होंने इस मामले में स्थानीय पुलिस की भ्रष्टाचार-विरोधी शाखा के माध्यम से जांच.पड़ताल का आदेश भी दिया है । उसकी रिपोर्ट प्रत्याशित है ।

बिहार में कोयला और अभ्रक निकालने के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करना

7221 कुमारी कमला कुमारी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्ष वार, बिहार में, जिला-वार कोयला और अभ्रक निकालने के लिए किन-किन पार्टियों और व्यक्तियों ने औद्योगिक लाइसेन्स के लिए आवेदन-पत्र दिये हैं;

(ख) उन पार्टियों/व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनके उक्त अवधि के दौरान औद्योगिक लाइसेंस के लिए अनुरोध मंजूर/नामंजूर किये गये थे; और

(ग) उन पार्टियों / व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनके आवेदन-पत्र सरकार के पास विचाराधीन पड़े हैं और प्रत्येक मामले में उसके क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) अनिर्णीत आवेदनों का ब्यौरा आमतौर पर बताया नहीं जाता है । बिहार से कोयले के लिये औद्योगिक लाइसेंस हेतु 1968 में 37, 1970 में 34, 1971 में 16 और 1972 में (15-5-72 तक) 4 आवेदन प्राप्त हुये थे । इन आवेदनों का राज्य-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता है । अभ्रक उद्योग विकास तथा विनिमयन अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अनुसूचित उद्योग नहीं है अतएव इस अधिनियम के अधीन अभ्रक के लिए आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं ।

(ख) इन आवेदनों में से, कलेन्डर वर्ष, 1969, 1970 और 1971 में कोयले के लिए 21 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं और 38 आवेदन रद्द कर दिए गए हैं, औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा साप्ताहिक "बुलेटिन आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेंसेज" इम्पोर्ट लाइसेंसेज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसेज, साप्ताहिक "इन्डियन ट्रेड जर्नल" और मासिक "जर्नल आफ इंडस्ट्री एण्ड ट्रेड" में प्रकाशित किया जाता है । इन प्रकाशनों की प्रतियाँ संसद के पुस्तकालय को भेजी जाती हैं ।

(ग) 1969 के 6, 1970 के 12, 1971 के 10, और 1972 (15-5-72) के 4 आवेदन अनिर्णीत पड़े हुए हैं। नाम आमतौर पर बताए नहीं जाते हैं। औद्योगिक लाइसेंस के लिए प्राप्त आवेदनों पर विचार करने में प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जाँच करनी पड़ती हैं और किसी भी आवेदन का निपटान करने में विभिन्न कारणों से विलम्ब होता है। कुछ मामलों में आवेदन पत्रों में आवश्यक ब्यौरा नहीं दिया गया होता है और कुछ अतिरिक्त जानकारी मंगानी पड़ती है। सरकार लाइसेंस के सभी आवेदनों का शीघ्रता से निपटान करने की आवश्वकता के प्रति सजग है और लाइसेंस के आवेदनों पर यथाशीघ्र निर्णय लेने के लिए हर प्रकार का प्रयत्न करने का सुनिश्चय किया जा रहा है।

डा० जगजीत सिंह की गतिविधियों तथा उस पर लगे आरोपों की जांच करने के लिए जांच आयोग

7222. श्री भान सिंह भौरा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डा० जगजीत सिंह की पत्नी की ओर से कोई पत्र मिला है जिसमें उसने माँग की है कि इंग्लैंड में रह रहे उसके पति पर लगे आरोपों तथा उसकी गतिविधियों की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाय; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) यह आवश्यक नहीं समझा गया कि इस प्रयोजन के लिए कोई जाँच आयोग नियुक्त किया जाय।

Asssitance to U.P. for Irrigation Schemes under Fourth Plan

7223 Shri Mahadeep Singh Shakya : Will be Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether the Government of Uttar Pradesh have asked for Central assistance to the tune of Rs. 107 crores for irrigation scheme in the State during Fourth Plan ; and

(b) if so, whether the said request has been acceded to and if not the reasons tharefor?

The Minister of State in the Ministry of Planing (Shri Mohan Dharia) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir, The request could not be acceded to as the total available amount of Central assistance having already been allocated among States on the basis of the criteria approved by National development Council, there was no unallocated amount at the disposal of the planning Commission out of which additional assiatance could be made available to the State Government However, the State Government was requested to carry out the re-appraisal of the States's Fourth Plan including the re-appraisal of the resources which the State Government may be able to raise to augment the Plan and meet the additional requirement for approved irrigation projects.

Loans for Industries in backward areas particularly in Bihar

7224. **Shri Ishwar Chaudhry :** Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state:

(a) the amount of loans given by the Central Government during the last three years for setting up new industries in backward areas in the country;

(b) the names of industries for which the loans have been given; and

(c) the names of industries in Bihar for which loans have been given and the amount thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of industrial Development (Shri Siddheshwar Prasat) (a) to (c) : The Central Government do not grant any direct loans for setting up new industries in backward areas of the country. However. the three Central financial instituions viz. Industrial Finance Corporation of India; Industrial Development Bank of India and Industrial Credit and Investment Corporation of India, have announced scheme of concessional finance for industries started in the various backward districts of the country. These have been in force from the areas later part of 1970. The details of the concessional finance sanctioned by the IFC to industrial units in backward areas upto 29. 2. 72 are:

Sl. No.	**Name or the Unit & location**	**Amount sanctioned Rs. lakhs**
1.	Amreli Sahakari Krishi Khand Udyog Limited, Ammreli Distt. Gujarat.	140 (rupees loan)
2.	Rajasthan Cooperative Spinning Mills Limited, Distt. Bhilwara, Rajasthan	45. 50 ,,
3.	Lakshmi Auto Cycles Ltd. Distt. Koraput, Orissa	75. 00 ,, & 10. 00 (under writing equity)
4.	Somani Steels Limited, Distt, Unnao, U. P.	70.00 (rupee loan) & 5.00 cunder writing)
5.	Jijimata S. S. K. Ltd., Distt. Buldhana, Maharashtra	150.00 (rupee loan)
6.	Shree Satpuda Tapi Parisar, S. S. K. Ltd. Distt. Dhulia, Maharashtra	150.00 (,,)
	Total :	645.50

The State-wise re-finance assistance sanctioned by I. D. B. I. for industrial units in backward areas up to 31. 12. 1971 are given at Annexure. The details of application-wise break-up of this assistance are not readily available. However, the data relating to Bihar are as under:

Sl. No.	**Name of the Unit and location**	**Amount sanctioned Rs. lakhs**
1.	Tribals Minerals (Palamau)	2.56
2.	Bihar Electrical Industries (Darbhanga)	1.45
3.	Amba-Engg. Corporation (Santhal Parganas)	0.60
4	Prakash Engg. works (Santhal Parganas)	0.80

5. North Bihar Green Fields Industries (Champaran)	3.90
Total:	9.31

The ICICI has not sanctioned any concessional finance to any industries in backward areas upto 31. 12. 1971

Statament

ANNEXURE

Statewise Re-Finance Assisstance Sanctioned By I. D. B. I. For Industrial Units In Backward Areas As On 31. 12. 1971. (At Concessional Rate of $3\frac{1}{2}\%$)

Sl. No.	State	No. of units	Amount sanctioned (Rs. lakhs)
1.	Mysore	16	36.45
2.	Maharashtra	15	30.73
3.	Uttar Pradesh	20	30.47
4.	Gujarat	35	21.68
5.	Orissa	1	18.00
6.	Haryana	10	17.50
7.	Goa	10	12.53
8.	Bihar	5	9.31
9.	Tamilnadu	3	7,03
10.	Rajasthan	5	6.82
11.	Himachal Pradesh	1	5.60
12.	Kerala	6	4.01
13.	Andhra Prdaesh	11	3.93
14.	Manipur	2	1.41
15.	Dadra, Nagar Haveli	1	0.60
16.	Madhya Pradesh	2	0.51
		143	206.60

NOTE: IDBI has not sanctioned any *direct* concessional financial assistance to any unit during this period.

बिहार कृषि उद्योग को टैक्टरों के निर्माण के लिए लाइसेंस देना

7226 श्री नवल किशोर सिंह : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य कृषि उद्योग निगम ने जापानी कम्पनी कुबोटा के सहयोग से छोटे तथा मध्यम आकार के ट्रैक्टरों के निर्माण हेतु वर्ष 1971 में लाइसेंस की माँग की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : (क) अप्रैल, 1972 में बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम ने ट्रैक्टर बनाने का लाइसेंस प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र दिया था। आवेदन पत्र में इस बात का उल्लेख था कि ब्रिटेन, अमेरिका, पश्चिमी जर्मनी, जापान में से किसी एक देश के विख्यात ट्रैक्टर निर्माताओं का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। तत्पश्चात अक्टूबर 1971 में निगम ने सरकार को बताया कि सहयोग की शर्तों पर वे जापान के मैसर्स कुबोता लिमिटेड से बातचीत कर रहे हैं।

(ख) उत्पादन हेतु अनुमोदित किये गये नमूनों की विविधता के कारण, ट्रैक्टर के नमूने के सहयोग के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया गया। फिर भी, एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जो विचाराधीन है।

बिहार भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक 1970

7227 श्री नवल किशोर सिंह :

श्री विभूति मिश्र :

क्या गृह मंत्री टाटा जमींदारी उत्पादन विधेयक के बारे में 29 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1412 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1970 की वर्तमान स्थिति क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : राष्ट्रपति के संदेश के अनुसरण में राज्य विधान मण्डल द्वारा फिर से विचार किया गया विधेयक अभी प्राप्त होना है।

Soviet Union's Offer for Reclaiming the Dacoit Infested Chambal Valley in Madhya Pradesh

7228. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Soviet Union has made an offer to help in reclaiming the dacoit infested Chambal Valley in Madhya Pradesh ; and

(b) if so, the full facts in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

विदेशों में भारतीय वैज्ञानिक

7229. श्री के० बालदण्डायतम : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में कार्य कर रहे कितने भारतीय वैज्ञानिकों को गत दस वर्षों में भारत लौटने को राजी किया गया;

(ख) क्या बहुत से भारतीय वैज्ञानिक, वैज्ञानिकों के पूल में शामिल होने के बाद विदेश वापस लौट गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनके विदेश लौटने के क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रामण्यम) : विदेशों में रहने वाले भारतीय वैज्ञानिकों के लिए स्वदेश लौटना आकर्षक बनाने के लिए सरकार ने कई कार्यवाहियां की हैं, जैसे वैज्ञानिकों के पूल की योजना वैज्ञानिक संस्थानों, एवं औद्योगिक संगठनों में अधिसंख्यक पदों का सृजन करना, नियमित रिक्त पदों पर नियुक्तियों के लिए विदेशों में इन्टरव्यू की व्यवस्था करना और चुने गये ऐसे उम्मीदवारों और उनके परिवारों को, जो कम से कम तीन वर्ष तक भारत में सेवा करने का वचन देते हैं, वायुयान द्वारा भारत आने का व्यय देना ।

पिछले दस वर्ष में (31. 12. 71 तक) 7370 वैज्ञानिकों, इन्जीनियरों, टैक्नोलौजीविज्ञों को, जो कि विदेशों में अध्ययन अथवा कई अन्य कार्य कर रहे थे, वैज्ञानिक पूल में नियुक्तियों का प्रस्ताव भेजा गया था । उनमें से 3284 भारत लौट आये और पूल में सम्मिलित हो गये । अन्य 679 व्यक्ति भारत लौट आये थे और उन्हें बिना पूल में सम्मिलित हुए नियमित पदों पर नियुक्तियों के अवसर प्राप्त हो गये थे ।

(ख) 179 भारतीय वैज्ञानिक पूल में सम्मिलित होने के बाद विदेशों को वापस चले गये थे । उनमें से 23 पुनः भारत लौट आये थे ।

(ग) उनके द्वारा वापस जाने के निम्न कारण बताए गये :

1. आगे अनुसन्धान-कार्य—	17
2. आगे अध्ययन-कार्य—	22
3. आगे प्रशिक्षण —	6
4. रोजगार	65
5. वैयक्तिक	8
6. अनिर्दिष्ट	61
	कुल 179

संगीत और नाटक विभाग से वस्त्रों, बल्बों और लकड़ी के सामान की चोरी

7230. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 29 अप्रैल, 1972 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के पृष्ठ 3 पर प्रकाशित समाचार के अनुसार यह सच है कि सरकार के संगीत और नाटक विभाग से कई लाख रुपये के मूल्य के वस्त्रों, बल्बों और लकड़ी के सामान की चोरी हो गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) तथा (ख) सरकार का ध्यान हिन्दुस्तान टाइम्स में छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है । खरीदे गये सामान की आवश्यक जांच- पड़ताल की जा रही है ।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रण का सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय को हस्तांतरित करना

7232. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड का प्रशासनिक नियंत्रण सिंचाई और विद्युत मंत्रालय को हस्तांतरित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसा कब तक हो जायेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अहमदाबाद टैक्सटाईल इण्डस्ट्रीयल रिसर्च ऐसोसिएशन द्वारा किये गये अनुसंधान

7233. **श्री बेकारिया** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदाबाद टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन ने गत तीन वर्षों में क्या-क्या अनुसंधान किये; और

(ख) उद्योगों में उन्हें कहां तक लागू किया गया ?

योजना मन्त्री और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रख दिया गया है। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3037/72)

राष्ट्रीय झण्डे का सम्मान

7234. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिचूर के एक स्कूल अध्यापक ने केरल उच्च न्यायालय में "क्या किसी नागरिक को राष्ट्रीय झंडे को सलामी देने पर बाध्य किया जा सकता है यदि यह कार्य संविधान में सुनिश्चित उसकी धार्मिक आस्था के विरुद्ध हो" विषय पर लेखा याचिका दायर की थी; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर क्या निर्णय लिये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) मामला न्यायाधीन है।

यूनिवर्सल प्रेस सर्विस के संवाददाता को मान्यता देना

7235. **श्री पीलू मोदी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनिवर्सल प्रेस सर्विस नामक एक द्विभाषी समाचार एजेंसी के संवाददाता को सरकार ने मान्यता दी थी;

(ख) यदि हां, तो मान्यता कब दी गई थी और कितने समय के लिए दी गई थी;

(ग) क्या यूनिवर्सल प्रेस सर्विस के किसी संवाददाता को अब मान्यता दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) मद्रास की यूनिवर्सल प्रेस के एक संवाददाता को अगस्त, 1967 में भारत सरकार के मुख्यालय में प्रत्यायित किया गया था। संवाददाता द्वारा पत्र सूचना कार्यालय को यह सूचित किये जाने पर कि उसने उक्त संगठन के लिए कार्य करना बन्द कर दिया है, फरवरी, 1968 में प्रत्यायन वापस ले लिया गया था।

(ग) तथा (घ) यूनिवर्सल प्रेस सर्विस का कोई संवाददाता अब भारत सरकार के मुख्यालय में प्रत्यायित नहीं है।

बड़े उद्योग गृहों के विरूद्ध चलाये गये मुकदमें

7236. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **प्रधान** मंत्री उद्योग-गृहों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के बारे में 26 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4020 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में बड़े उद्योग-गृहों जैसे बिड़ला, साहू-जैन सूरजमल नुगरमल, बांगुर, बर्ड और गोयंका के विरुद्ध, जिनका 'डुन-कुन ब्रदर्स' पर नियंत्रण है, विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन करने के कारण अब तक कितने मुकदमें चलाये गये हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक ने वास्तव में किस प्रकार के अपराध किये हैं; और

(ग) इन मुकदमों का क्या परिणाम रहा ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) प्रश्न में उल्लिखित छः उद्योग गृहों में से प्रत्येक में बहुत सी संस्थाएं समाविष्ट है। यदि आदरणीय सदस्य उन संस्थाओं/कम्पनियों/उद्योग गृहों के व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करें तो वांछित सूचना एकत्रित करके दे दी जाएगी।

Manufacture of Electric Car by Bombay Engineer

7238. Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Bibhuti Mishra :

Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether Government's attention have been drawn to the claim made by Prof. Hate of Victoria Jubilee Technical institute, Bombay that he can manufacture an electric car of high speed at a low cost; and

(b) if so, the salient features thereof and Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Sidheshwar Prasad) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Provision of Telephone between Almora and Kaphaligarh

7239. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether telephone facilities have not been provided from Almora to Kaphaligarh.

(b) whether Minister of State in the Ministry of Industry of the Government of Uttar Pradesh has written a letter to the Central Government on 7th January, 1972 in this connection; and

(c) if so, the broad outlines of action taken in this regard ?

The Minister of Communications (Shri H.N. Bahuguna) : (a) No, Telephone facilities have not been provided from Almora to Kaphaligarh.

(b) No, No, such letter has been received.

(c) Question does not arise.

वैज्ञानिकों का पूल

7240 **श्री सी० जनार्दन** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिकों का पूल बनाये जाने के पश्चात् कितने वैज्ञानिकों ने इसमें अपने नाम लिखाए हैं ; और

(ख) उनमें से कितने वैज्ञानिकों को रोजगार दिया गया है ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री(श्री सी सुब्रहमण्यम) : (क) और (ख) योजना के आरम्भ होने से अब तक 3, 796 वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और डाक्टरों आदि ने वैज्ञानिकों के पूल में प्रवेश लिया, उनमें से 3242-पूल अधिकारियों ने रोजगार, मिल जाने पर पूल त्याग दिया ।

महाराष्ट्र में सीमेंट की कमी

7241 श्री धामनकर :

श्री जी० टी० गोटखण्डे :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) सरकार को महाराष्ट्र में सीमेंट की कम सप्लाई की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां । सामान्यतया देश के कुछ क्षेत्रों में, प्रतिवर्ष, खाद्यान्न के स्थानान्तण हेतु मई से सितम्बर के बीच रेल वैगनों के खप जाने से सीमेंट की कमी, कई जगहों पर हो जाया करती है । इस वर्ष बिजली के बन्द होने तथा राज्य को माल संभरण करने वाले कारखानों में श्रमिक हड़तालों के कारण, महाराष्ट्र राज्य में सीमेंट पहुँचने में विलम्ब हुआ है ।

(ख) वैगनों के पहुँचाने की स्थिति में सुधार करके, ऊँचे स्थानों पर अधिक भाड़े पर भी सीमेंट पहुँचाकर, कई स्थानों में सीमेंट के खत्ते लगाकर, रेल तथा सड़क मार्ग से सीमेंट ले जाकर ऐसे विभिन्न अभ्युपाय कार्यान्वित करके ये सामयिक कमियां दूर की जा रहीं हैं। रेल तथा सड़क मार्ग द्वारा सीमेंट ले जाने की अनुमति पूना, शोलापुर तथा मीराज के खत्तों में कार्य हेतु दी गई है। समुद्री मार्ग से रानावत से ओखा होते हुए 20, 000 मीट्रिक टन सीमेंट के परिवहन की अनुमति दी गई है जिसमें अधिक भाड़े की क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी।

Government offices without Adequate Quantity of Paper

7243. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minisier of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether Government offices are not getting adequate quantity of paper after the control on paper was lifted ? and

(b) if so, whether Government propose to impose partial control on paper ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Develodment (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) According to the Thirty-Eighth Report of the Public Accounts Committee relating to the Ministry of Supply (1971-72), against rate contracts entered into with the paper mills for the years 1968-69, 1969-70 and 1970-71, Government received only 79%, 46% and 60% respectively of the quantities ordered for, Copies of the Report of the Public Accounts Committee have been laid on the Table of the House.

(b) A recommendation to this effect made by the Public Accounts Committee in its Thirty-Eighth Report is under consideration of Government.

Education Allowance to P & T Employees' Children upto Graduation Level

7244. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government propose to grant education allowance to the children of P & T employees up to Graduation level; and

(b) if so, the date from which it would be given effect to ?

The Minister of Communications (Shri H.N. Bahuguna) : (a) No. (The Children's education allowance is only admissible up to Higher Secondary level subject to stipulated conditions)

(b) Does not arise.

Paper Mills in the Country

7245. **Dr. Laxminarain Pandey :**
Shri Hari Singh :

Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) the total number of paper mills functioning in the country at present together with their location;

(b) the number of Paper Mills functioning in the public and private sectors separately;

(c) the annual production of paper in the country and its demand; and

(d) the quantity of paper imported from foreign countries annually ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) A statement is attached. [Placed in Library. See No. LT-3038/72]

(b) There is, at present, no paper mill in the public sector. The number of private sector paper mills is 59. There is a Newsprint Manufacturing Mill in the Joint Sector.

(c) The production of paper, at present, is of the order of 7.5 lakh tonnes. The demand is slightly more than the production.

(d) Except for certain very special varieties of paper, there is no import of paper. The import during 1971-72 of such speciality paper was of the order of 1200 tonnes.

केन्द्रीय जांच ब्यूरो की क्षमता को अपराधिक मामलों में वृद्धि के अनुरूप बनाना

7246. श्री राम सहाय पांडेय : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो की वर्तमान क्षमता धोखाधड़ी, गबन आदि के बढ़ रहे मामलों का काम निबटाने के लिए पर्याप्त नहीं है ।

(ख) यदि हाँ, तो भविष्य में मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने क्या कसौटी निर्धारित की है; और

(ग) इस संगठन की क्षमता को बढ़ रहे मामलो के अनुरूप बनाने के लिए किन्ही उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) : हालाँकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो अपने कार्य-क्षेत्र के किसी भी मामले को जाँच कर सकता है, आम-तौर पर यह अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण मामलों को ही लेता है । साधारण तथा छोटे-मोटे मामले आम-तौर से सम्बन्धित विभागों या स्थानीय पुलिस द्वारा ही निपटाए जाते हैं । कार्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कर्मचारियों की संख्या की बराबर समीक्षा होती रहती है ।

उद्योगों का वापस पश्चिम बंगाल ले जाया जाना

7247 श्री राम सहाय पांडेय : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्षों पूर्व-कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाने के कारण पश्चिम बंगाल से जो उद्योग दूसरे स्थानों पर ले जाये गये थे वे फिर से उस राज्य में स्थापित हो गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या हाल के चुनाव के बाद राज्य की कानून और व्यवस्था की

स्थिति में सुधार को देखते हुये सरकार ने उन उद्योगों को वहां पुनः स्थापित करने के बारे में कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) सोलह सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वित होने तथा राज्य सरकार को प्रोत्साहन सम्बन्धी नई योजना घोषित होने से कई बन्द कारखाने फिर से खुल गये हैं 1 जनवरी, से 3 अप्रैल, 1972 तक 71 एकक, तथा उद्यमी राज्यों में उद्योग चालू करने में रुचि प्रदर्शित कर रहे हैं। ऐसा बताया गया है कि पश्चिमी बंगाल औद्योगिक विकास निगम नये उद्यमियों से प्राप्त 17 आवेदन पत्रों की संवीक्षा कर चुका है जिसमें कुल 102 करोड़ रुपये का निवेश होगा। तथा पेपर, ब्रिक्स, फायर ब्रिक्स, एम० एस० बिलैट, ऐलाय तथा स्टील बिलैट, मैल्टिंग तथा रि-रोलिंग स्टील, तेल निकालने व कृषि सम्बन्धी मशीनें, आदि, वस्तुएं बनेंगी।

पश्चिमी बंगाल में उद्योगों का पुनः खोला जाना

7248. श्री राम सहाय पांडेय : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति में सुधार होने में पश्चात भी वहाँ बहुत से उद्योग बन्द पड़े हैं;

(ख) क्या उन उद्योगों को पुनः चालू करने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित करने तथा उसके पश्चात् उनका राष्ट्रीयकरण करने के बारे में सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध कोई निर्णय कर लिया गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) यद्यपि पश्चिम बंगाल राज्य में अनेक औद्योगिक एकक बन्द पड़े हैं फिर भी पिछले कुछ महीनों में उनकी संख्या में कमी हुई है। बन्द पड़े एककों को पुनः चालू करने के लिए भी और प्रयास किये जा रहे हैं।

(ख) इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

टेलीविजन केन्द्र और फिल्म डिवीजन में समाचार कैमरामैनों आदि के वेतनमान

7249. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फिल्म डिवीजन और टेलीविजन केन्द्र में समान कार्य करने वाले समाचार कैमरामैन, दक्ष फोटोग्राफर

तथा अन्य के वास्तविक वेतनमान क्या हैं तथा यदि उनमें कोई असमानता है तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : फिल्म प्रभाग तथा टेलीवीजन स्कन्ध में कैमरामैनों/फोटोग्राफरों के वेतनमान नीचे दिये गये हैं :—

फिल्म प्रभाग :

(1) निर्देशक कैमरामैन	(700—1250 रुपये)
(2) मुख्य कैमरामैन	(590—830 ,)
(3) न्यूजरील अधिकारी	(590—800 ,,)
(4) सहायक न्यूजरील अधिकारी	(325—475 ,,)
(5) कैमरामैन (डाकूमेन्ट्री)	(475—680 ,,)
(6) कैमरा मैन (कार्टून फिल्म्स)	(590—800 ,,)
(7) कैमरामैन ग्रेड-एक	(425—680 ,,)
(8) सहायक कैमरामैन	(200—320 ,,)
(9) फोटोग्राफर	(150—180 ,,)

टेलीवीजन स्कन्ध :

(1) केमरामैन ग्रेड-एक	(590—800 ,,)
(2) कैमरामैन ग्रेड-दो	(325—560 ,,)
(3) प्रोडक्शन सहायक (फोटोग्राफ्स)	(235—480 ,,)

फिल्म प्रभाग और दिल्ली टेलीविजन केन्द्र के कैमरामैनों के वेतनमान तुलनीय नहीं हैं क्योंकि इन दोनों संगठनों में इन पदों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व अलग-अलग हैं।

सर्वे आफ-इन्डिया एस्टेट हाथीवरकला देहरादून (उत्तर प्रदेश)

7250. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वे आफ इण्डिया एस्टेट, हाथीवरकला, देहरादून (उत्तर प्रदेश) में एक नल-कूप खोदा गया था;

(ख) क्या पाईप डालने और पानी की सप्लाई के काम में प्राक्कलनों और लेखा संबंधी

औपचारिकताओं के कारण, विलम्ब हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो हाथीवरकला सर्वे एस्टेट, देहरादून में पानी की विकट कमी को दूर करने के लिए यह कार्य पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

योजना मंत्री और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां।

(ख) नल-कूप सम्बन्धी कार्य परीक्षण के तौर पर हाथ में लिया गया था। यह निश्चय हो जाने के पश्चात कि हाथीवरकला एस्टेट की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नल-कूप का पानी पर्याप्त होगा ऊपर की टंकी को बनाने, पम्पिंग सैटों की स्थापना और आवश्यक पाईप लाईन बिछाने के लिए सी०पी०डब्ल्यू०डी० से आगणन प्राप्त किये गये थे।

(ग) नल-कूप को पूर्ण करना अभी शेष है, फिर भी ऐस्टेट में स्थित आवासीय खण्डों को सरकारी वाहन द्वारा पानी संभरित किया जा रहा है।

केरल के पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना

7251. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के पिछड़े जिलों में गत तीन वर्षों में कितने तथा किस प्रकार के लघु उद्योगों की स्थापना की गई है;

(ख) उनको दी गई वित्तीय प्रशिक्षण, विद्युत, विपणन तथा अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य के पिछड़े जिलों में, जिलावार, 1972 और 1973 के दौरान कितने तथा किस प्रकार के लघु उद्योग स्थापित किये जायेंगे; और

(घ) इस उद्देश्य के लिए कितना धन आवंटित किया गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) से (ग) राज्य सरकार से आवश्यक जानकारी देने के लिये कहा गया है, जिसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

(घ) केरल में ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के लिए 1972-73 का कुल स्वीकृत परिव्यय 208 लाख रुपये है।

Senior Tachnical Assistants in Physical Reseacrh Laboratory Ahmedabad

7252. Shri Lalji Bhai : : Will the Minister of **Atomic Energy** be pleased to state :

(a) whather there are senior technical assistants in Physical Research Laboratcry, Ahmedabad, who are working there for a period of more than ten years but still not considered for next grade or category even though some of them have acquired additional qualifications, and

(b) if so, how many such senior technical assistants are there in Physical Research Laboratory, Ahmedabad and the reasons for not being considered for next promotions or grade ?

Prime Minister. Minister of Atomic Energy, Minister of Electronic, Ministery of Home Affairs, Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi) (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

समाचार उद्योग सम्बन्धी पांच सदस्यीय पैनल की रिपोर्ट

7254. श्री एम० एम० जोजफ : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार उद्योग सम्बन्धी पांच सदस्यीय पैनल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग) यह स्पष्ट नहीं है कि प्रश्न समाचारपत्रों की अर्थव्यवस्था सम्बन्धी तथ्य अन्वेषक समिति के बारे में है अथवा समाचारपत्रों के प्रबन्ध तथा स्वामित्व की समस्या पर विचार कर रहे मन्त्रियों के अनौपचारिक समूह के बारे में । दोनों में से किसी ने अभी तक कोई रिपोर्ट पेश नहीं की है ।

Arrest of underground Nagas By Border Security Force Near Imphal

7255. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Boraer Security Force has arrested 6 underground Nagas at a place known as Takadu near Imphal; and

(b) if so, when and the material recovered from them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) & (b) The Central Reserve Police Force, on the 22nd April, 1972, apprehended 3 Naga hostiles at Taphou, about 4 miles west of Karong in Manipur and recovered from them some arms and ammunition. including a semi-automatic rifle.

Effects of Atomic Tests

7256. Shri Pool Chand Verma : Will the Minister of **Atomic Energy** be pleased to state :

(a) the names of countries which conducted atomic tests during April last.

(b) the name of the country which conducted the maximum number of atomic tests, and,

(c) the global effect of these atomic tests and the reaction of Government thereto ?

Prime Minister Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics, Minister of Home Affairs and Minister of Imformation and Boraadcasting (Shrimati Indira Gandhi) : (a) from the available seismological data, no country appears to have conducted atomic test during the month of April, 1972.

(b) The United States of America appear to have carried out maximum number of atomic tests so far.

(c) As far as the fall-out from the atomic tests are concerned, so far there has been

only marginal increase in radio-activity. The Government is concerned about the continuation of atmospheric nuclear explosions by some countries.

ग्रामीण औद्योगिक योजना कार्यक्रम द्वारा पिछड़े क्षेत्रों के विकास में विषमता को दूर करना

7257. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण औद्योगिक परियोजना कार्यक्रम के अन्तगत योजनाओं द्वारा पिछड़े क्षेत्रों के विकास में विषमता को दूर करने में अब तक कितनी सफलता मिली है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : असमानता का दूर करना एक लम्बी प्रक्रिया है। पिछड़े हुए क्षेत्रों में ग्रामीण उद्योग परियोजना स्थापित करना असमानता को कम करने के लिए उठाया गया एक कदम है। ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम के निर्माणात्मक अवस्था में होने के कारण इस अवस्था में इस बारे में उपलब्धि को आंकने का कार्य नहीं किया जा सकता है।

Complaint Re. Functioning of Film Finance Corporation

7258. **Shri G. Y. Krishnan** : Will the Minister of **Infarmation and broadcasting** be pleased to state :

(a) whether complaints have been lodged regarding the functioning of Film Finance Corporation; and

(b) if so, the nature of complaints and the reaction of Government thereon ?

The Deputy Minister in the Ministrry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) No, Sir. Suggestions have, however, been received from time to time to improve the working of the Corporation. These are given due consideration by Government.

(b) Does not arise.

ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम की प्रगति

7259. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम के अन्तर्गत, जो ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए आरम्भ किया गया था, अब तक कितनी प्रगति हुई हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

योजना आयोग ने 1962-63 में एक केन्द्रीय योजना के रूप में एक ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम प्रायोजित किया था। 1962-63 से 1970-71 की अवधि में, कार्यक्रम पर कुल 13.75 करोड़ रु० खर्च किया गया है। इसमें 6.81 करोड़ रु० अनुदान के रूप में जो प्रतिदिन तथा प्रतिक्षण, कर्मचारियों पर व्यय, सामान्य सुविधाएं तथा अन्य विकास कार्यक्रमों जैसी—प्रोत्साहनात्मक योजनाओं पर खर्च किया गया है तथा उद्योग में निवेश करने के लिए औद्योगिक

एककों को 6.94 करोड़ रुपये अग्रिम ऋण के रूप में दिये गये हैं सम्मिलित है कार्यक्रम की प्रगति इस प्रकार है :—

	मार्च, 1970 तक उपलब्धि	मार्च, 1971 तक उपलब्धि	मार्च, 1970 से मार्च 1971 में विकास का प्रतिशत
1. औद्योगिक एककों की संख्या जिन्हें वित्तीय सहायता दी गई है।	38,641	30,171	5.4
2. स्थापित किये जाने वाले सहायता प्राप्त नए एककों की संख्या।	13,319	13,877	4.2
3. विद्यमान एककों की संख्या जिन्हें अपनी क्षमता उत्पादन तथा रोजगार का विस्तार करने के लिए सहायता दी गई।	15,322	16,294	6.3
4. निवेष (करोड़ रु० में) कुल	16.68	18.58	11.3
(क) अचल	8.02	8.64	7.7
(ख) कार्यकारी पूंजी	8.66	9.94	14.8
5. उत्पादन का कुल मूल्य (करोड़ रु० में)	9.74 (1969-70)	26.41 (1970-71)	23.9
उत्पन्न रोजगार (व्यक्ति)	1,16,500	1,33,343	14,6

Delhi Pubiication of Dailies, Weeklies Fortnightlies and Monthlies

7260. Shri Atal Bihari Vajpayee : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the names of the dailies, weeklies, furtnightlies and monthlies being published from Delhi ; and

(b) the newsprint demanded by each of them and the quantity actually supplied to each of them during the last three years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) Newspapers of different periodicities published from Delhi at the end of December, 1970 numbered 961. The names and particulars of these newspapers will be included in Part II of the 15th Annual Report of the Registrar of Newspapers for India

which is under print. A copy of Part II of the Report will, as in the past, be laid on the Table of the House when printed copies become available.

(b) A statement giving information in regard to the quantity of newsprint asked for by the newspapers concerned and their entitlement in accordance with the newsprint allocation policy, is attached. *[Placed in Library See No. L.T. 3039/72]* The statement does not indicate the quantity actually supplied to each of newspapers in a particulars licensing period, as there is a continuous process of adjustment as between their entitlment, the allocation made, actual consumption, carryover from the past, delayed shipments etc. Also, there are some publishing companies which apply jointly for all their publications including separate editions. Allocations are made to them jointly on the basis of the entitlement of each individual publication. The publishing companies release the quantities so obtained to the different publications according to their individual requirements. Such publications have been grouped together. It also happens some times that the newsprint quota sought for by a newspaper is less than its actual entitlement. In such cases the quantity allocated is the quantity asked for.

लघु उद्योग विकास संगठन में राजपत्रिक अधिकारी

7262 श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री लघु उद्योग विकास संगठन के कर्मचारियों के बारे में 12 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2674 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि लघु उद्योग विकास संगठन में 1 अप्रैल, 1969 से 20 मार्च, 1972 तक राजपत्रिक अधिकारियों के वर्षवार कितने नये पद बनाये गये और उनके वेतनों पर सरकार द्वारा प्रति वर्ष कितनी धनराशि खर्च की गई ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीसिद्धेश्वर प्रसाद) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट आरगेनाइजेशन में 1 अप्रैल 1969 से 20 मार्च, 1972 तक राजपत्रित अधिकारियों के नये पदों का विवरण और उनके वेतन पर किया गया वार्षिक व्यय का वर्षवार ब्यौरा।

वर्ष	राजपत्रित अधिकारियों के नये पद	उनके वेतन पर सरकार द्वारा किया गया व्यय (लगभग)
1969	2	
1970	36	रु० 27,22188
1971	11	
1972 (1-1-72 से 20-3-72)	126	

स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट में स्टैनोग्राफरों की पदोन्नति

7263 श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री स्माल इण्डस्ट्रीज सर्विस

इन्स्टीट्यूट में स्टैनोग्राफरों के बारे में 12 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2673 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि स्माल इन्डस्ट्रीज सर्विस इन्स्टीट्यूट में ग्रेड 3 के स्टैनोग्राफरों के लिए पदोन्नति के अवसरों की कोई व्यवस्था न किये जाने के क्या कारण हैं जबकि केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालयों में उक्त अधिकारियों के लिये पदोन्नति के अवसर विद्यमान हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : लघु उद्योग विकास संगठन के अन्तर्गत लघु उद्योग सेवा संस्थानों की स्थापना प्रारम्भिक तौर पर तकनीकी संस्थाओं के रूप में ; लघु उद्योगपतियों की तकनीकी सलाह, व्यवहारिक प्रदर्शन आदि के माध्यम से उनकी सहायता करने के उद्देश्य से किया गया है। इस प्रकार गैर तकनीकी कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसर बहुत सीमित हैं। लघु उद्योग सेवा संस्थानों के कार्य को देखते हुए आशुलिपिकों की पदोन्नति के अवसर निकालने की गुन्जाइश नहीं है।

दिल्ली में अपराधों की संख्या

7264 श्री नारायण चन्द्र पराशर :

श्री महादीपक सिंह शाक्य :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में चालू वर्ष के पहले चार महीनों में अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां। पिछले वर्ष के प्रथम चार महीनों की तुलना में चालू वर्ष के प्रथम चार महीनों में दायर किये गये मामलों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई थी। विस्तृत आंकड़े इस प्रकार हैं :—

अवधि	दायर किये गये मामलों की संख्या
जनवरी — अप्रैल, 1971	11232
जनवरी — अप्रैल, 1972	11841

(ख) कुछ वृद्धि का कारण आबकारी, जुआ, शस्त्र तथा अफीम अधिनियमों जैसे स्थानीय तथा विशेष कानूनों के अन्तर्गत और विविध भारतीय दन्ड संहिता तथा चोरी के मामलों में अधिक खोज है।

(ग) उन इलाकों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है जहाँ अपराध की घटनाओं में वृद्धि हुई है। पैदल तथा वाहनों द्वारा गश्त बढ़ा दी गई है।

पहाड़ी क्षेत्रों में डाक तार विभाग के परिवहन वाहन

7265. श्री नारायण चन्द्र पाराशर : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में, विशेषकर जम्मू-काश्मीर, उत्तर प्रदेश

सर्किलों में डाक-तार के कार्य की सुविधा के लिए परिवहन वाहनों की व्यवस्था की है।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अन्य पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में भी जहां रेलें नहीं हैं, यह व्यवस्था करने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो चालू वित्तीय वर्ष 1972-73 में ये सुविधाएं देने सम्बन्धी नीति क्या है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) सरकार ने देश के कुछ ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे वाहनों की व्यवस्था की है जहां इनकी जरूरत महसूस की गई थी।

(ख) जी हां। जब भी कभी संबंधित सर्किलों से ऐसे प्रस्ताव प्राप्त होंगे, उनकी जांच करने पर यदि उचित पाया गया तो वाहनो की व्यवस्था कर दी जाएगी।

(ग) जैसा कि ऊपर (ख) में उत्तर दिया गया है।

टाइम्स आफ इण्डिया को दस पृष्ठ की निर्धारित सीमा से छूट देने के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

72 ((श्री नारायण चन्द पाराशर :

श्री समर गुह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'टाइम्स आफ इण्डिया' को दस पृष्ठ की निधारित सीमा से छूट देने के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय की सरकार को जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) अन्य समाचार-पत्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हाँ। सरकार को टाइम्स आफ इण्डिया द्वारा दायर की गई याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की जानकारी है।

(ख) सरकार न्यायालय के आदेश का आदर करेगी और उसका पालन करेगी।

(ग) इस पर और इसी प्रकार के बाद के सब प्रार्थना-पत्रों पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश उन समाचार-पत्रों पर लागू नहीं होते जो उन आदेशों से कवर नहीं हैं।

जनसाधारण के लाभ के लिए आधुनिक विज्ञान में अनुसंधान

7267. श्री वी० के० दास चौधरी : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के जनसाधारण के लाभ के लिए आधुनिक विज्ञान में अनुसंधान और इसके विकास के लिए कोई उपाय करने पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति ने योजना आयोग के साथ मिलकर पंचवर्षीय योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों से सम्बन्धित विभिन्न विकास कार्यों को अपने अन्तर्गत ले लिया है। इस योजना का सम्पूर्ण उद्देश्य देश के जनसाधारण की सेवा करना होगा और साथ ही साथ इसका लक्ष्य रोजगार में वृद्धि, गरीबी का उन्मूलन, कपड़े की व्यवस्था, आवास, घरेलू ईंधन, पीने के पानी की सुविधा, आरोग्य और चिकित्सा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करना और पर्याप्त संचार सेवाएं जुटाना होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना विज्ञान और प्रोद्योगिकी के कार्य में उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने में एक रूपता लाएगी। समुचित अनुसंधान और विकास सम्बन्धी कार्यक्रम इसके बाद आरम्भ किये जायेंगे।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी योजना का प्रारूप अप्रैल 1973 के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है।

उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों का स्थानान्तरण करने के लिये रियायतें

7268. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री उद्योगों को पिछड़े क्षेत्रों में ले जाने के लिए रियायतों के बारे में 19 अप्रैल, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 471 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन उद्योगों का उत्तर प्रदेश के किन-किन क्षेत्रों में स्थानान्तरण करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई रियायतों और राज्य सरकारों द्वारा किये गये प्रोत्साहनों का उद्देश्य नये उद्यमियों को अपने उद्योग पिछड़े क्षेत्रों में लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। उत्तर प्रदेश सरकार से ज्ञात हुआ है कि झांसी जिले के 5 एककों ने 10 प्रतिशत उपदान कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयं को पंजीकृत कराया है।

अखबारी कागज के कोटे के आवंटन के बिना ही अलग संस्करणों का प्रकाशन

7269. श्री बेकारिया : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि कुछ श्रृंखलाबद्ध समाचार-पत्र जिन्हें अन्य नगरों से भिन्न-भिन्न संस्करण निकालने की अनुमति दी गई थी, अपने समाचार-पत्र काला-बाजार में खरीदे गये अखबारी कागज पर निकाल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इस मामले में जांच करने का है कि अलग-अलग संस्करण प्रकाशित हो रहे हैं जब कि उसे विशिष्ट संस्करण के लिए अखबारी कागज का आवण्टन नहीं किया जाता है; और

(ग) अनधिकृत स्रोतों से खरीदे गये अखबारी कागज का उपयोग करने वाले प्रकाशकों के विरुद्ध यदि कोई कानूनी कार्यवाही करने का विचार है तो वह क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) इस बात पर

विश्वास करने के कारण है कि कुछ समाचार-पत्रों द्वारा अखबारी कागज अनधिकृत रूप से खरीदा गया है।

(ख) जिन समाचार-पत्रों को अखबारी कागज अलाट किया जाता है, उनकी अखबारी कागज की खपत पर सरकार निगरानी रखती है। तथापि, जिस समाचार-पत्र को अखबारी कागज अलाट नहीं किया जाता, उसके द्वारा अखबारी कागज के अतिरिक्त खुले बाजार से खरीदे गये अन्य कागज पर संस्करण निकाला जाना सम्भव है।

(ग) अखबारी कागज का अनधिकृत इस्तेमाल आश्वयक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के अन्तर्गत दण्डनीय है। सरकार का उपयुक्त मामलों में कार्रवाई करने का विचार है।

किसी समाचार-पत्र को केवल एक संस्करण के पैसे लेकर संस्करण बेचने की अनुमति

7270. श्री बेकारिया : क्या **सूचना और प्रसार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी समाचार पत्र को, जिसे किसी अन्य नगर से दूसरा संस्करण निकालने की भी अनुमति हो, केवल एक संस्करण के पैसे लेकर, दोनों संस्करण साथ-साथ बेचने की अनुमति है; और

(ख) क्या यह प्रथा गैर-कानूनी है, और यदि हां तो इस प्रकार की हानि के लिए क्या कार्यबाही की जाती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मबीर सिंह) : (क) तथा (ख). दोनों संस्करण एक साथ बेचने और केवल एक के पैसे लेने पर कोई कानूनी रोक नहीं है।

गुजरत में लघु उद्योगों को ऋण

7271 श्री बेकारिया : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के कितने लघु उद्योगों ने 1969-70, 1970-71 तथा 1971-72 वर्षों में लघु विकास निगम और लघु उद्योग संस्थान, नई दिल्ली को ऋण और अन्य सुविधाओं के लिए आवेदन-पत्र दिये ; और

(ख) कितने एककों को ऋण तथा अन्य सुविधाएं दी गई ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) और (ख) :

(1) गुजरात लघु उद्योग निगम द्वारा दी गई सहायता।

	1970	1971
1. दिया गया कच्चा माल	6 करोड़ रु०	8. 24 करोड़ रु०
2. किराया खरीद के आधार पर दी गई मशीनें		
किराया खरीद के लिये स्वीकृत आवेदनों की संख्या	60	19
मशीनों का मूल्य	8. 58 लाख रु०	3. 25 लाख रु०

3. लघु उद्योगों के उत्पादों के विपणन के लिये स्वीकृत टेंडरों का मूल्य	6. 47 लाख रु०	8. 60 लाख रु०
4. ऐसे लघु उद्योगों की संख्या जिनकी ओर से निगम ने वस्तुओं का आयात किया	44	108
5. उद्यमियों के लिये प्राप्त की गई बढ़िया मशीनी औजारों का मूल्य	6. 27 लाख रु०	25. 69 लाख रु०

(2) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम नई दिल्ली द्वारा दी गई सहायता :

वर्ष	प्राप्त हुए आवेदन		स्वीकृत आवेदन		दिये गये आर्डर	दी गई मशीनें
	संख्या	मूल्य (लाख रु० में)	संख्या	मूल्य (लाख रु० में)	(लाख रु० में)	(लाख रु० में)
1969-70	154	187.3	145	184. 23	121.71	32.56
1970-71	142	203.39	39	58. 41	137.50	91. 23
1971-72	117	156.23	60	62. 73	91. 69	186. 57

(3) लघु उद्योग सेवा संस्थान, अहमदाबाद द्वारा दी गई सहायता

	1969-70	1970-71	1971-72
1. मौके पर सलाह देने के लिये जितनी बार उन स्थानों पर जाना पड़ा उनकी संख्या	4562	4021	3850
2. पार्टियां जिन्हें पूर्णत: तकनीकी सहायता दी गई	2690	प्राप्त नहीं	3000
3. पार्टिया जिन्हें नए उद्योग शुरु करने के लिये जानकारी दी गई	2092	प्राप्त नहीं	1000
4. पार्टियां जिन्हें अन्य सहायता दी गई	5607	4915	500
5. उद्योगिक प्रबन्ध पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित किये गये व्यक्तियों की संख्या	325	127	30
6. तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किये गये व्यक्तियों की संख्या	149	184	266

गुजरात के औद्योगिक एककों द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड से वित्तीय सहायता की मांग

7272 **श्री बेकारिया** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के कितने और किन किन औद्योगिक एककों ने राष्ट्रीय औद्योगिक विकास लिमिटेड से वित्तीय और अन्य प्रकार की सुविधाओं की मांग की है ; और

(ख) 1969-70, 1970-71 तथा 1971-72 में उनको किस प्रकार की सुविधाएं दी गई ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 3040/72]

(ख) गुजरात राज्य में कम्पनियों को 1969-70, 1970-71 और 1971-72 में वितरित की गई राशि निम्न प्रकार है :

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	1969-70	1970-71	1971-72
		(लाख रुपयों में)		
1	मे० न्यू गुजरात काटन मिल्स लि० अहमदाबाद	2. 46		
2	मे० दि भारत सरबुदिया मिल्स क० लि० अहमदाबाद (दूसरा कर्जा)	0. 27	2. 12	1. 23
3	मे० एसाखा मिल्स लि०, अहमदाबाद।	0. 24	0. 26	0. 28
4	मे० भारत विजय मिल्स लि०, कलौल।	0. 43	1. 08	
5	मे० यमुना मिल्स कं० लि०, बड़ौदा।	—	1. 53	0. 38

'रेडियो लाइसेंस' के बारे में नया विचार

7273. **श्री विभूति मिश्र** :
श्री पी० नरसिंहा रेड्डी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेडियो लाइसेंस के लिए किसी नई योजना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) देश में रेडियो की वर्तमान संख्या कितनी है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जारी किए गए लाइसेंसों के अनुसार 31 दिसम्बर, 1971 को रेडियो सैटों की कुल संख्या 1,37,29,509 थी।

Shortage of Raw Materials in Rohtas Paper Mill

7274. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether the Central government have asked Rohtas Paper Mill to Increase production from 65 thousand tonnes to one lakh and 25 thousand tonnes in two phases ;

(b) whether recently there has been a set back to production in the Mill on account of shortage of raw material ; and

(c) if so, the steps propased to be taken by Government to ensure supply of raw material ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Sidheshwar Prasad) : (a) M/s. Rohtas Paper Mill had itself applied for expansion from 60,000 tonnes. They have been granted a letter of Intent.

(b) & (c) Wood and bamboo which are the main raw materials in the production of paper have always to be arranged directly by the Mill with the particular State Government concerned. They are, infact, required to ensure such supply from the State Government prior to setting up a mill.

रिफ्रेक्टरी उद्योग का विस्तार

7275. श्री एम० एस० शिवस्वामी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात, कांच, परिशोधनशालाओं, उर्वरकों और पैट्रोरसायन जैसे निरन्तर विकसित होने वाले उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रिफ्रेक्टरी उद्योग के श्रेणी-वर्धन और विस्तार की आवश्यकता की जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क): जी, हां।

(ख) विद्यमान रिफ्रेक्टरी एककों में उत्पादन बढ़ाया जा रहा है, उन्हें अपने संयत्रों के लिए सन्तुलन उपकरणों के आयात करने की अनुमति दी गई है जिससे वे उपभोक्ता उद्योगों के लिये ऊंची किस्म की रिफ्रेक्टरी तैयार कर सकें। इस्पात तथा अन्य उद्योगों में ऊंची किस्म का माल पहुंचाने हेतु एककों को अपने उत्पादन कार्यक्रम का विविधीकरण करने को भी कहा गया है। नये एकक स्थापित करने तथा विद्यमान एककों की क्षमता में विस्तार करने के आवेदन पत्र सरकार के विचाराधीन है। विगत दो वर्षों में स्वीकृत क्षमता क्रियान्वित हो रही है।

सिद्धांत रूप से यह निश्चय किया गया है कि सरकारी क्षेत्र में वार्षिक 1 लाख मी० टन क्षमता वाला एक रिफ्रेक्टरी एकक स्थापित किया जाये। 'रिफ्रेक्टरी विषय' दिनांक 1 जनवरी, 1972 की प्रेस टिप्पणी में अधिसूचित उन 54 उद्योगों में से है जिसके अनुसार विदेयमस्त उपक्रमों को, संयत्र तथा मशीनरी के अधिकतम उपयोग के आधार पर अथवा कुछ शर्तों के अधीन, लाइसेंसीकृत क्षमता से 100 प्रतिशत अतिरिक्त क्षमता तक, उत्पादन बढ़ाने दिया जा सकेगा।

आगामी कुछ वर्षों में विभिन्न प्रकार की रिफ्रेक्ट्रियों की संभावित मांग के निर्धारण तथा सम्बन्धित विषयों पर सरकार ने एक तदर्थसमिति बनाई, समिति से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है व विचाराधीन है।

बालासौर उड़ीसा के लिए 'पोस्टल इन्जीनियरिंग डिवीजन'

7276. श्री अर्जुन सेठी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बालासौर अथवा बारीपाडा में मुख्यालय के साथ उड़ीसा के बालासौर, मयूरभंज और क्योंझर जिलों के लिए एक अलग पोस्टल इन्जीनियरिंग डिवीजन बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है जिससे वर्तमान डिवीजन के कार्यभार को हल्का किया जा सके और राज्य के इन पिछड़े जिलों में संचार व्यवस्था में सुधार हो सके ; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब बनाया जायेगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) उड़ीसा सर्किल में इन्जीनियरी मंडलों और उप-मंडलों के पुनर्गठन का प्रश्न विचाराधीन है। नये मंडलों और उप-मंडलों के सीमा क्षेत्र के निर्धारण को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

रामपुर के टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन मैकेनिकों की संख्या

7277. श्री झारखन्डे राय : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर (उत्तर प्रदेश) के टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन मैकेनिकों, क्लर्कों, और टेलीफोन निरीक्षकों की अलग अलग कुल संख्या कितनी है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) :

	मंजूरशुदा संख्या	वास्तविक संख्या
टेलीफोन मैकेनिक	3	3
क्लर्क	कोई नहीं	कोई नहीं
टेलीफोन निरीक्षक	2	2

दिल्ली सर्किल में टेलीफोन मैकेनिकों की संख्या

7278. श्री झारखण्डे राय : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सर्किल में इस समय कुल कितने टेलीफोन मैकेनिक कार्य कर रहे हैं और कितने पद रिक्त पड़े हैं ; और

(ख) दिल्ली सर्किल के कितने टेलीफोन मैकेनिक तीन वर्ष या इससे अधिक अवधि से टी० एंड डी० सर्किल में प्रतिनियुक्ति पर है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) :(क) दिल्ली टेलीफोन जिले में इस समय कुल 630 मैकेनिक काम कर रहे हैं। 47 पद खाली पड़े हैं।

(ख) दिल्ली टेलीफोन जिले से आठ।

सीमेंट के उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता

7279 श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भावी वर्षों में सीमेंट की संभावित मांग की पूर्ति के लिए सीमेंट के उत्पादन की कितनी अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : सीमेंट उद्योग की विद्यमान क्षमता 195 लाख टन है। नये एककों की स्थापना और पुराने एककों का विस्तार करके 71.23 लाख टन की अतिरिक्त क्षमता के लिये लाइसेंसों स्वीकृति दी जा चुकी है। 66.44 लाख टन की और क्षमता के मामले पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है।

आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में औद्योगिक एकक स्थापित करना

7280 श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में औद्योगिक एककों की स्थापना के लिए लाइसेंस हेतु कुछ आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(ख) क्या आंध्र प्रदेश के चित्तूर ज़िले में उनमें से कोई स्थापित किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) जी,हां। आंध्र प्रदेश में औद्योगिक एककों स्थापित करने के लिये लाइसेंस हेतु 62 आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं। इनमें से 3, 1969 के, 12, 1970 के, 24, 1971 के तथा 23 1972 (अप्रैल 1972 तक) के हैं।

(ख) जिलेवार आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

त्रिपुरा में मध्यम क्षेणी के उद्योग स्थापित करना

7281 श्री दशरथ देव : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिपुरा में मध्यम श्रेणी के कुछ उद्योगों की स्थापना करने हेतु त्रिपुरा सरकार से कोई योजना प्राप्त हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : (क) और (ख): त्रिपुरा

सरकार से ऐसी कोई योजना नहीं मिली है । राज्यों में जूट मिल स्थापित करने के लिये राज्य की 1972-73 की वार्षिक योजना में संभाव्यता अध्ययन कराने की व्यवस्था है ।

त्रिपुरा में लघु उद्योग

7282 श्री दशरथ देव : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तथा 'सरकार प्रायोजित योजना ' के अन्तर्गत त्रिपुरा में पिछले वर्ष किसी लघु उद्योग की स्थापना की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उद्योगों के नाम क्या है और उनमें कितने व्यक्तियों को काम दिया गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) राज्य सरकार से आवश्यक जानकारी मांगी गई है, वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

फिल्म सेंसर बोर्ड के कर्तव्य तथा कृत्य

7283. श्री धर्मराव अफजलपुरकार : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फिल्म सेंसर बार्ड के कर्तव्य और कृत्य क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्म वीर सिंह) : भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को स्वीकृति देने के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रिय फिल्म सेंसर बोर्ड गठित किया गया है । बोर्ड के कार्य, जो चलचित्र अधिनियम, 1952 तथा चलचित्र (सेंसर) नियमावली, 1958 में दिये गये हैं, संक्षिप्त रूप से निम्नलिखित हैं :-

(1) फिल्मों को प्रमाणीकृत करने के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त करना तथा निर्धारित पद्धति के अनुसार फिल्मों की जाँच करके या जांच करवा करके तथा सम्बन्धित आवेदनकर्ता को मामले में अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर देने के उपरान्त—

(क) फिल्म को अनिर्बंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए मजूर करना ; या

(ख) फिल्म को केवल व्यस्कों के लिए निर्बंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए मंजूर करना; या

(ग) फिल्म को अनिर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन या केवल व्यस्कों के लिए निर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए, जैसी भी स्थिति हो, मंजूर करने से पूर्व उसमें ऐसी काट-छाँट या परिवर्तन, जो यह आवश्यक समझे, करने के निर्देश देना; या

(घ) सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्म को अस्वीकार करना ।

(2) केन्द्रीय सरकार को वार्षिक रिपोर्ट देना जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा किये गये कार्य की समीक्षा हो ।

(3) बोर्ड के रजिस्टर, रिकार्ड तथा लेखा किस प्रकार रखा जाना चाहिये, इसके लिए पद्धति निर्धारित करना ।

(4) प्रादेशिक अधिकारियों तथा सलाहकार पैनलों के सदस्यों के कार्य का पुनर्विलोकन करना ।

देश में विशेष कर बिहार में उद्योगों की स्थापना

7284. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मध्यम दर्जे के इंजिनियरिंग सामान, मोटर गाड़ी पुर्जों और स्कूटरों आदि का निर्माण करने के लिए देश भर में अनेक कारखाने स्थापित करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) बिहार में कौन कोन से उद्योग स्थापित किये जायेंगे और कहां कहाँ पर ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) इन्जीनियरी सामानों, आटोमोबाइल के पुर्जों ओर स्कूटरों के उत्पादन के लिये देश भर में मंझोले आकार के अनेक उद्योगों के स्थापित करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। इन वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है तथा वर्तमान नीति के अनुसार आशय पत्र जारी किए जाते हैं। एक गैर सरकारी पार्टी को प्रति वर्ष 24, 000 स्कूटर बनाने के लिऐ बिहार में एक नया एकक स्थापित करने हेतु एक आश्य पत्र जारी किया गया है।

Formulation of Industrial Licensing Policy before plan Period.

7285. Shri M. C. Daga : will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether there is any propasal before Government that the industrial licencing policy should be formulated before the commencement of each plan period and adhered to till the end of the plan period; and

(b) if so, Government's decision thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar prasad) : (a) The Estimates Committee in its 19th Report on Industrial Licensing has, *inter. alia*, recommended that the Industrial licensing policy should generaly hold good for a minimum period of 5 years co-terminus with the Five year plans.

(b) This recommendation of the Estimates Committee alongwith othres recommendations is under consideration of the Government.

चौथी योजना में प्रसारण और टेलीविजन योजनाओं का असन्तोषजनक कार्य

7286. श्री निहार लास्कर : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यावधि मूल्यांकन के अनुसार, चौथी योजना के प्रारम्भिक चरणों में प्रसारण और टेलीविजन योजनाओं का कार्य संतोषजनक नहीं रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क) तथा (ख) चौथी योजना के प्रारम्भिक चरणों में प्रसारण और टेलीविजन योजनाओं को कार्यान्वित करने में प्रगति स्थान अधिग्रहण करने, डिजाइन तैयार होने, सिविल निर्माण कार्य पूरे होने, तथा उपकरणों की प्राप्ति में बहुत ज्यादा समय लगने के कारण कुछ धीमी रही है।

सिविल निर्माण कार्य शीघ्र करने के लिए आकाशवाणी में हाल ही में एक सिविल स्कन्ध स्थापित किया गया है। कुछ कार्यविधिक विलम्ब समाप्त करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

अमरीकी फर्म के सहयोग से ब्लेडों का निर्माण

7287. श्री राजदेव सिंह : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'स्चिक' और 'जिल्लेट' नामक दो अमरीकी कम्पनियों ने अपने मार्के के ब्लेडों का निर्माण करने के लिए सरकार से देश में संयंत्र स्थापित करने की अनुमति माँगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप ब्लेडों के भारतीय निर्माण पर गम्भीर कुप्रभाव पड़ने की आशंका है, और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

बैल टेलीफोन मेन्युफेक्चरिंग कम्पनी

7288. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में 'क्रासबार' प्रणाली स्थापित करने के लिए बैल टेलीफोन मेन्युफेक्चरिंग कम्पनी के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) समझौते की शर्तें क्या थीं और उन्हें कहाँ तक पूरा किया गया है; और

(ग) क्या सरकार ने कार्य निष्पादन का पुनरावलोकन किया है; और यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण दी गई है।

(ग) जी हां, इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज द्वारा उत्पादित क्रासबार किस्म के उपस्कर का अधिकांश भाग अभी प्रस्थापनाधीन है। इन क्रास-बार एक्सचेंजों में से जो चालू कर दिये गये हैं, कुछ एक्सचेंजों में इंजीनियरी के लिहाज से कमी देखी गई है। उनकी जांच कर ली गई है और उन्हें सुधारने का प्रयत्न किया जा रहा है।

विवरण

21 मई, 1964 के करार की मुख्य शर्तें निम्नांकित हैं :—

बेल टेलीफोन मेनुफेक्चरिंग कम्पनी को (1) क्रासबार टेलीफोन स्विचिंग प्रणाली और पेण्टा-

कोंटा उपस्कर के उपयोग तथा रखरखाव और फैक्ट्री में अपेक्षित उपस्करों की स्थापना उनके रखरखाव और परिचालन सम्बन्धी सभी प्रकार की तकनीकी सूचना निर्माण सम्बन्धी जानकारी और विशेषज्ञ सलाह देनी थी (2) आवश्यक इन्जीनियरों और तकनीशियनों की व्यवस्था करनी थी (3) अगस्त, 1967 तक प्रतिवर्ष एक पारी में 1,00,000 लाइनों वाले क्रासबार किस्म के स्विचिंग उपस्कर का निर्माण करने वाले संयंत्र की स्थापना के लिए मशीनों, औजारों और उपस्करों की सप्लाई करनी थी।

कुछ आलेखनों और डिजाइनों को छोड़कर, बेल टेलीफोन मेन्युफेक्चरिंग कम्पनी ने जानकारी प्रदान करने और आवश्यक इन्जीनियरों तथा तकनीशियनों की सेवायें उपलब्ध कराने का अपना वचन पूरा किया है। फिर भी क्रास-बार उपस्कर के निर्धारित तारीख तक निर्माण के लक्ष्य में कमी रही। उन कठिनाइयों का पता लगा लिया था जिन के कारण यह कमी हुई और सर्वश्री बेल टेलीफोन मेन्युफेक्चरिंग कम्पनी के उच्च प्रतिनिधियों से बातचीत की गई थी, जिन्होंने अपने ही खर्च पर कुछ मशीनें दे दी है और हाल ही में विभाग द्वारा प्रारम्भ किये गये सुधार कार्य में भाग लेने के लिए अपने तकनीकी विशेषज्ञों की सेवायें भी प्रदान कर दी है। आई० टी० आई के क्रास-बार प्रभाग ने मार्च, 1972 से 1,00,000 लाइनों की निर्धारित वार्षिक क्षमता प्राप्त कर ली है।

लाइन मैन और सब-इन्स्पेक्टरों की सहायता के लिए नैमित्तिक श्रमिकों की गैंग पार्टियां

7289. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन लाइनों और तारों के रखरखाव और मरम्मत कार्यों को तेजी से करने में लाइन मैनों और सब-इन्स्पेक्टरों की सहायता के लिए कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और नई दिल्ली टेलीफोन जिलों में नैमित्तिक श्रमिकों की स्थायी गैंग पार्टियां हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या चार बड़े टेलीफोन जिलों की तरह पटना के लिए भी एक स्थायी गैंग पार्टी की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है जिससे कि प्रयोक्ताओं की बेहतर सेवा प्राप्त हो सके और टेलीफोनों के दोषों की शीघ्रता से मरम्मत की जा सके; और

(ग) क्या सर्विस-यूनियनों ने भी प्रशासन से ऐसी मांग की है और यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या निर्णय है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) से (ग) . नैमित्तिक श्रमिकों को टेलीफोन जिलों में विभिन्न प्रकार के हाथ के काम के लिए देखा जाता है, जिसमें फील्ड स्टाफ की सहायता का काम भी शामिल है। इस आशय के आदेश जारी किए गए हैं कि 1 अक्तूबर, 1970 तक इनमें से जिन नैमित्तिक श्रमिकों ने 5 वर्ष या इससे अधिक की लगातार सेवा पूरी कर ली हो उन्हें नियमित स्थापना पर लाया जाये, बशर्ते कि वे कुछ निर्दिष्ट शर्तें पूरी करते हों। ये आदेश सभी टेलीफोन जिलों पर लागू होते हैं, जिनमें पटना में नया बनाया गया टेलीफोन जिला भी शामिल है।

Number of RMS Employees in Patna Division

7290. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the total number of RMS employees under the posts and Telegraphs Department in Patna Division;

(b) the number of employees allotted Government residential accommodation; and

(c) the broad outlines of Government's scheme for providing housing facilities to those employees who have no residential accommodation and the time by which it is proposed to be implemented ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna): (a) 1179.

(b) 73. (45 Departmental quarters and 28 rented quarters from Railway).

(c) During this Fourth plan, additional 100 quarters at patna for all arms of the Department are under construction by P&T Board which are likely to be completed in July, 1972. Besides this, 20 units at Sahebganj are proposed to be rented from Railways for RMS staff.

पटना के डाक व तार विभाग के औषधालय में परिवार नियोजन केन्द्र

7291. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना के डाक व तार विभाग के औषधालय में परिवार नियोजन केन्द्र खोलने सम्बन्धी प्रस्ताव को अभी कार्यरूप नहीं दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं।

(ख) रोजगार दफ्तर अभी तक परिवार नियोजन फील्ड वर्कर के दो पदों के लिए समुचित उम्मीदवारों के नाम नहीं भेज सका है। इन पदों को भरने के लिए राज्य सरकार से डेपूटेशन पर आदमी लेने के लिए लिखा पढ़ी चल रही है।

'फास्ट ब्रीडर न्यूकलीयर रियेक्टर' का निर्माण

7292. श्री समर गुह : क्या **परमाणु ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रूस के सरकारी समाचार पत्र 'इज़्वेस्तिया' के अनुसार रूस ने विश्व के प्रथम "फास्ट ब्रीडर न्यूकलीयर रिऐक्टर" का सफलतापूर्वक निर्माण किया है;

(ख) क्या इसकी बिजली उत्पादन की क्षमता 350,000 किलोवाट है;

(ग) क्या विश्व में कोई अन्य देश भी 'फास्ट ब्रीडर रिऐक्टर' बनाने में सफल हुआ है; और

(घ) क्या भारतीय आणविक वैज्ञानिकों ने पूर्ण अथवा प्रौद्योगिकी 'फास्ट ब्रीडर रिऐक्टर' का निर्माण करने में कोई प्रगति की है और यदि हां, तो किन क्षेत्रों में प्रगति हुई है ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री इलेक्ट्रोनिकी मंत्री गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तथा (ख). जी, हां।

(ग) अमरीका के दो टैस्ट रिऐक्टर काम कर रहे हैं नामतः इदाहा स्थित ई बी आर०-II, जिसकी उत्पादन क्षमता 62.5 मैगावाट (थर्मल अर्थात् 20 मैगावाट इलैक्ट्रिक है तथा

डिट्रायट स्थित एनरिको फर्मी, जिसकी कम से कम उत्पादन क्षमता 280 मैगावाट (थर्मल) है जिसे बढ़ा कर 400 मैगावट (थर्मल) तक ले जाया जा सकता है।

मार्कोल में बनाये जा रहे 250 मैगावाट इलैक्ट्रिक क्षमता के प्रारूप रिऐक्टर के निर्माण में फ्रांस काफी प्रगति कर चुका है।

ग्रेट ब्रिटेन के पास डाउन रे में काम कर रहा 14 मैगावाट क्षमता का एक टैस्ट रिऐक्टर है तथा 250 मैगावाट क्षमता के एक प्रारूप रिऐक्टर के निर्माण में काफी प्रगति हो चुकी है। वर्ष 1972-73 में किसी समय ब्रिटेन और फ्रांस के रिऐक्टर क्रांतिकता प्राप्त कर लेंगे।

(घ) जहां तक भारत द्वारा की गई प्रगति का सम्बन्ध है, एक छोटे आकार का टैस्ट फास्ट रिऐक्टर 22 मई को चालू हो गया है। एक बड़े आकार के टैस्ट रिऐक्टर, जिसकी उत्पादन क्षमता 50,000 किलोवाट (थर्मल) होगी, जिसे 16,000 से 18,000 किलोवाट तक की विद्युत शक्ति में बदला जा सकेगा, का निर्माण शीघ्र ही शुरू किया जायेगा।

आकाशवाणी और टेलीविजन द्वारा श्री अरविन्द शताब्दी मनाना

7293. श्री समर गुह : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी और टेलीविजन द्वारा 'श्री अरविन्द शताब्दी' मनाने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो उस कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती नंदिनी सत्पथी) : (क) जी, हाँ।

(ख) कार्यक्रमों में वार्ताएं, चर्चायें, अंग्रेजी हिन्दी तथा अन्य सभी प्रादेशिक भाषाओं में लेख जिनमें श्री अरविन्द के जीवन, विचार तथा दर्शन तथा भारतीय क्रांति के पथ-प्रदर्शक के रूप में उनकी भूमिका प्रतिबिम्बत होगी, सम्मिलित होंगे।

रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने हेतु पूंजी निवेश के लिए क्षेत्रों को निर्धारित करना

7294. श्री समर गुह : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए भारी, मध्यम तथा लघु उद्योगों में पूंजी निवेश के लिए क्षेत्र निर्धारित किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). फरवरी, 1970 की संशोधित लाइसेंस नीति में विनियोजन के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात भारी, मंझोले और लघु उद्योगों में किया गया विभाजन देश के उद्यमी परक आधार को और व्यापक बनाने के उद्देश्य से किया गया है। सरकार ने श्री वी० भगवती की अध्यक्षता में बेरोजगारी के आधार पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है जो औद्योगिक क्षेत्र में और अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने की सम्भावनाओं का पता लगायेगी।

Production of Wine by Mohan Meakens Breweries, Ghaziabad.

7295. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) the quantity of liquor for which production licence has been granted to Mohan Meakens Brewery Ghaziabad ;

(b) the quantity of liquor produced by this firm, year-wise, during the last three years ;

(c) whether the said firm prduced and sold more liquor than that specified in the licence during this period ; and

(d) if so, the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) & (b). M/s. Mohan Meakens Breweries Ltd,, Ghaziabad were given a licence in 1959 for the manufacture of 1000 KL of Alcohol. The Alcohol Industry was delicensed in 1966 and remained so till February, 1970. The firm's production of Alcoholic drinks during the last three years is as follows :

1969	1970	1971
1920 KL	3281.6 KL	1963.0 KL

(c) Yes, Sir.

(d) Action in respect of this firm will be determined in the light of the general policy decision to be taken relating to the various industries whose production has exceeded their licensed capacity.

Outstanding Amount of Telephone Bills from Private and Public Sector

7296. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Communication** be pleased to state the total amount of arrears of telephone bill at present in respect of Private and Public Sectors, separately, circle-wise ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : Total amount of telephone revenue arrears as on 1.3.72 in respect of bills issued upto 30.1.71 is Rs. 5,90.72 lakhs.

The break up of the arrears into "Private" and "Public" sectors as such is not available. However, the break up into "Private" and "Others" is given below :

Private	Rs. 3,75.93 lakhs
Others	Rs. 2,14.79 lakhs
Total	Rs. 5,90.72 lakhs

Circle-wise statement is appended.

Statement

Circle-wise telephone revenue outstanding as on 1.3.72 in respect of bills issued upto 30.11.71.

Figures in Lakhs of Rupees

Sl. No. Sl. No.	Circle/District Circle/District	Private Private	Others	Others Total	Remarks
1.	Andhra Circle	6.42	.20	6.62	
2.	Assam Circle	35.61	49.49	85.10	

3.	Bihar Circle	34.25	9.44	43.69
4.	Madhya Pradesh	32.71	10.77	43.48
5.	Maharashtra Circle	1.18	8.99	10.17
6.	Gujarat Circle	7.15	1.19	8.34
7.	Jammu & Kashmir Circle	7.12	18.69	25.81
8.	Kerala Circle	2.71	.14	1.85
9.	Tamil Nadu Circle	2.24	.21	2.45
10.	Mysore Circle	2.74	.12	2.86
11.	Orissa Circule	8.56	4.99	13.55
12.	Punjab Circle	9.33	6.47	15.80
13.	Rajasthan Circle	10.61	5.77	16.38
14.	U.P. Circle	40.33	9.04	49.37
15.	West Bengal Circle	16.96	18.77	35.73
16.	Calcutta Telephones	37.82	9.24	47.06
17.	Bombey Telephones	37.12	4.55	41.67
18.	Delhi Telephones	59.38	47.62	107.00
19.	Madras Telephones	4.17	.11	4.28
20.	Hyderabad Telephones	1.28	.03	1.31
21.	Bangalore Telephones	1.62	.12	1.74
22.	Ahmedabad Telephones	2.15	1.37	3.52
23.	Poona Telephones	1.71	—	1.71
24.	Kanpur Telephones	8.62	7.04	15.66
25.	Nagpur Telephones	4.14	0.43	4.57
	Total	375.93	214.79	590.72

Partners in 'Avantika'

7297. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Information and Braod** casting be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No, 467 on the 17th November, 1971 and state :

(a) the number of permanent partners and dummy partners in the Hindi daily 'Avantika' from the 24th January, 1968 to date, separately; and

(b) the amount of capital invested by each of them indicating the dates of investment and the source from which this capital was obtained ?

NOTE :—

* These figures represent the position as on 1.2.72 in respect of bills issued upto 31.10.71.

** These figures represent the position as on 1.1.72 in respect of bills issued upto 31.9.71

*** These figures represent the position as on 1.10.71 in respect of bills issued upto 30.6.71

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a)

Year	No. of partners*
1968	4
1969	3
1970	3
1971	2

*No Information is available as to the nature of the partnership.

(b) The equity capital held by each of the three partners at the end of 1970 was Rs. 7,989/-Further details are not available, as the publishers are not required to furnish these details to the Registrar of Newspapers.

Trade in Slaves

7298. Shri K. M. Madhukar :
Shri M. M. Joseph :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether Home Minister of the Government of Orissa has written a letter to the Government of Madhya Pradesh regarding trade in slaves and that more than 20 labourers from Orissa have been sold in Madhya Pradesh for the purpose;

(b) if so, the steps taken by Government in this regard;

(c) whether Government propose to enact any legislation to provide for stringent action against the persons indulging in such a heinous trade in Harijan, Adivasi and other backward areas: and

(d) if so, the broad outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) to (d). The information is being collected from the State Government concerned and will be laid on the Table of the Sabha on receipt.

वर्ष 1971-72 में संघ-लोक सेवा आयोग द्वारा पदों का विज्ञापन

7299. श्री वयालार रवि : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग ने वर्ष 1971-72 में कुल कितने पदों के लिए विज्ञापन दिए;

(ख) कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और कितने व्यक्तियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया;

(ग) उक्त अवधि में आवेदन पत्रों के साथ और परीक्षा शुल्क के रूप में कुल कितनी धन-राशि वसूल की गई; और

(घ) परीक्षाओं पर व्यय हुए व्यय के साथ इसकी तुलनात्मक स्थिति क्या है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) संघ लोक सेवा आयोग ने वर्ष 1971-72 में कितने पदों के लिए विज्ञापन दिये :

(i) चयन द्वारा भर्ती :

(ii) परीक्षा द्वारा भर्ती : 2,013

एक विवरण संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3041/72]

(ख) 1,33,590 आवेदन पत्र प्राप्त हुए और 12,552 व्यक्तियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था ।

(ग) 23,62,451 रुपये ।

(घ) चयन तथा परीक्षाओं में हुआ कुल व्यय 24,66,770 रुपये है, जिसमें कार्यालय स्थापना तथा भर्ती से सम्बन्धित व्यय शामिल नहीं है ।

थुम्बा अन्तरिक्ष अनुसन्धान केन्द्र के 'इंजीनियरिंग प्रोपेलेंट डिवीजन' द्वारा अनुसन्धान पर किया गया व्यय

7300. **श्री वयालार रवि :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थुम्बा अन्तरिक्ष अनुसंधान केन्द्र के इंजीनियरिंग प्रोपेलैंट डिवीजन में अनुसंधान कार्यों पर कुल कितना व्यय किया है; और

(ख) इस अनुसंधान के क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रीनिकी मंत्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) वर्ष 1967-68 में अन्तरिक्ष विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी केन्द्र के प्रणोदक इंजीनियरी प्रभाग के प्रारम्भ होने से सेकर तथा वर्ष 1971-72 तक उस पर कुल मिलाकर पूंजी खाते में 16.95 लाख रुपये तथा राजस्व खाते में 51.70 लाख रुपये व्यय हुए हैं ।

(ख) अपेक्षित सूचना परमाणु ऊर्जा विभाग के वार्षिक प्रतिवेदनों में; जो माननीय सदस्यों को प्रसारित किये जाते हैं तथा संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं, दी जाती है ।

आसाम में तूफान के कारण बेघर हुए व्यक्ति

7301. **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि आसाम में 18 अप्रैल, 1972 के भयंकर तूफान के परिणामस्वरूप बहुत से लोग बेघर हो गये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इन व्यक्तियों को राहत देने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) जैसा कि असम सरकार द्वारा बताया गया है, 18 अप्रैल, 1972 को भारी ओला-वृष्टि के साथ एक भयंकर तूफान गुहाटी सबडिविजन के एक विस्तृत क्षेत्र में आया, जिसके परिणामस्वरूप रिहायशी मकान व फसलें नष्ट हो गई । राज्य सरकार ने पीड़ित लोगों को मुफ्त राहत देने के लिए 20,000 रुपये की धन राशि स्वीकृत की है और प्रभावित क्षेत्र में, जहां कहीं आवश्यक होगा उचित दर की दुकानें खोली जानी हैं । राज्य सरकार द्वारा उन परिवारों की वास्तविक संख्या का पता लगाने की व्यापक जांच

की जा रही है, जिनके मकान नष्ट हो गये हैं और जो बेघर हो गये हैं। मकानों के निर्माण/मरम्मत के लिए अनुदान देने हेतु उनके मामलों पर विचार किया जायगा।

Khandwa Telephone Exchange, Madhya Pradesh

7302. **SHRI G. C. Dixit** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state

(a) whether the work load in the Telephone Exchange located at Khandwa in Madhya Pradesh is very heavy because some area of Mharashtra State has also been included in this Circle ; and

(b) if so, whether Government propose to sub-divide this Circle so as to reduce its area of operation ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) & (b). Khandwa telephone Exchange is having direct links to 14 different stations of which 4 belong to Maharashtra State. These are Akola Bhusawal' Bombay and Nagpur. The remaining 10 stations are within Madhya Pradesh State.

For meeting the traffic load additional trunk and special service positions are being added in the Khandawa Exchange.

The sub-division or reduction in area of the exchange is not Justified.

Appointment of Local persons in Nepa Mills

7303. **SHRI G. C. Dixit** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state:

(a) the number of employees in different grades working in the Nepa-nagar Peper Mills indicating their pay scales;

(b) whether orders of the Ministry of Finance (Bureau of public Enterprises) to appoint local people against posts carrying a salary of not more than Rs. 500 p. m. are being followed by the said factory; and

(c) the number of local people working in the factory against posts carrying pay scales: of not more than Rs. 500 p. m. and the number of such posts ?

The Dupty Minister In The Ministry Of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Scheme for Development of Mdahya Pradesh

7304 **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state:

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have reformulated any scheme recently fore development of the State and sent it to the Central Government for sanction;

(b) if so the salient features thereof ; and

(c) the reaction of the Central Government thereto ?

The Deputy Minister In The Ministry Of Industrial Development (Shri Siddheshwer Prasad) : (a) No such scheme has been received in the Ministry of Industrial Development.

(b) & (c) : Do not arise.

बिहार में भारी उद्योग

7305. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में कितने भारी उद्योग हैं, वे किस स्थान पर स्थित हैं और उनमें कौन कौन सी वस्तुएं बनती हैं ;

(ख) दोनों क्षेत्रों के भारी उद्योगों में अलग अलग कुल कितनी पूंजी लगी हुई है ; और

(ग) भारी उद्योगों में अलग अलग कितने व्यक्ति नियुक्त हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). ऐस विश्वास है कि माननीय सदस्य का 'भारी उद्योगों' से अभिप्राय एक करोड़ रु० तथा उससे अधिक के निवेश वाले उद्योगों से है। केन्द्रिय सरकारी क्षेत्र में एक करोड़ रु0 तथा उससे अधिक की पूंजी वाले उद्योगों की एक सूची संलग्न है (अनुबन्ध -1) [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3042/72] गैर सरकारी क्षेत्र के बारे में इसी तरह की जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है। फिर भी 1969 से 1971 की अवधि में बिहार में उद्योगों को स्थापित करने के लिए जारी किए गये लाइसेंसों की एक सूची संलग्न है (अनुबन्ध-2)। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 3042/72] इन उद्योगों में ठीक ठीक निवेश तथा कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार के लिए निधियों का आवंटन

7306. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में बिहार के लिये कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) केन्द्रीय सहायता तथा राज्य राजस्व से कुल आवंटित राशि का मद-वार ब्यौरा क्या हैं और बिहार में जिला वार इसका अग्रेतर आवंटन क्या है;

(ग) क्या प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता तुलनात्मक रूप से कम है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) बिहार राज्य के लिए 531.28 करोड़ रुपये के अनुमोदित चौथी योजना परिव्यय को निम्नांकित रूप में वित्तीय सहायता देना स्वीकार किया गया था :

	(करोड़ रुपये)
केन्द्रीय सहायता	338.00
राज्य संसाधनों से—	193.28
कुल	531.28

चौथी योजना की जिलेवार आवंटन संबंधी सूचना, राज्य योजना विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) . बिहार को दी गई प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता, सभी राज्यों को दी गई प्रति व्यक्ति औसत केन्द्रीय सहायता से कम है. फिर भी आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को दी गई प्रति-व्यक्ति केन्द्रीय सहायता से यह अधिक है। बिहार को दी गई केन्द्रीय सहायता की राशि का निर्धारण, राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित फार्मुले के अनुसार किया गया है। प्रत्येक अन्य राज्य के मामले में भी यही किया गया है अतएवं इसमें किसी किस्म के संशोधन करने की आवश्यकता नहीं।

बजीर सुल्तान टोबेको कम्पनी के विस्तार के लिए लाइसेंस

7307- **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डिया टोबेको और बजीर सुल्तान टोबेको कम्पनी परस्पर सम्बद्ध हैं और उन दोनों के मालिक विदेशी हैं;

(ख) क्या वजीर सुल्तानपुर टोबेको कम्पनी ने चार मीनार सिगरेटों के उत्पादन के विस्तार के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) क्या मै० इण्डिया टोबेको कम्पनी तथा मै० वजीर सुल्तान टोबेको कम्पनी परस्पर सम्बद्ध कम्पनियां हैं, यह प्रश्न कम्पनी कार्य विभाग के विचाराधीन है। ये दोनों कम्पनियां ब्रिटिश-अमेरिकन टोबेको को० लि० नामक एक ही स्वामित्व वाली कम्पनी की सहायक कम्पनियां हैं।

(ख) तथा (ग) . मै० वजीर सुल्तान टोबेको कं० ने उद्योग (विकास तथा विनिमयन) अधिनियम 1951 के अधीन सिगरेटों का निर्माण करने के लिये पर्याप्त विस्तार करने हेतु लाइसेंस की मंजूरी के लिये आवेदनपत्र दिया है। यह प्रस्ताव विचारधीन है।

विदेशों से तकनीक जानकारी

7308. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने भारत के तकनीकी विकास में इसकी सहायता करने की पेशकश की है, और

(ख) यदि हाँ, तो यह सहयोग किन विभिन्न क्षेत्रों में मिलेगा और इसकी क्या प्राप्तियां होने की सम्भावना है।

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है सभा पटल पर रख दी जायेगी।

वी० पी० पी० और प्राप्ति स्वीकृति फार्मों पर शुल्क लगाना

7309. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वी० पी० पी० और प्राप्ति स्वीकृति फार्मों पर शुल्क लगाने का निर्णय मंत्रालय स्तर पर किया गया था अथवा वित्त मंत्रालय से भी सलाह ली गई थी;

(ख) वर्ष 1970-71 और 1971-72 में प्रयोक्ताओं द्वारा इन फार्मों को बेकार किये जाने से वास्तव में कितनी हानि हुई थी;

(ग) बजट प्रस्तुत करने के समय इस सम्बन्ध में निर्णयन लेने के क्या कारण है; और

(घ) क्या तार फार्म आदि जैसे अन्य फार्मों पर भी शुल्क लगाया जायेगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) इन फर्मों की कीमत रखने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) क्योंकि इन फार्मों की कीमत रखने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इस लिए बजट के समय इन फार्मों की कीमत रखने का प्रश्न ही नही उठता।

(घ) जी नहीं।

माधेपुर, दरभंगा में दुग्ध फैक्टरी

7310. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरभंगा जिला (बिहार) में माधेपुर में गैर सरकारी क्षेत्र में एक दुग्ध फैक्ट्री स्थापित करने का कोई प्रस्ताव था,

(ख) क्या प्रस्ताव को क्रियान्वित कर दिया गया था,

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सरकार को इस प्रकार का अभी तक कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

सुन्दरवन क्षेत्र के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम

7311 श्री माधुर्य हालदार : क्या **योजना** मंत्री सुन्दरवन क्षेत्र के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम के बारे में 26 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4090 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'सुन्दरवन डेल्टा परियोजना' योजना आयोग के विचाराधीन है अथवा मंजूर कर दी गई है,

(ख) क्या इस योजना के लिए कोई धनराशि आवंटित की गई है अथवा इस पर खर्च की गई है, और

(ग) यदि इसकी मंजूरी दे दी गई है तो इस पर कब कार्य आरम्भ होगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) केन्द्रीय जल और बिजली आयोग ने सुन्दरवन डेल्टा परियोजना की जांच करने के बाद राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वे विस्तृत अन्वेषण जारी रखें, अभिकल्प कार्यों के लिए अतिरिक्त आँकड़े तैयार करें और स्कीम के बारे में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार करें, ताकि समुचित संशोधनों के साथ स्कीम को स्वीकार किया जा सके । इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार और केन्द्रीय जल और बिजली आयोग के मध्य बातचीत हो रही है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नही उठता ।

श्री हरिकोटा द्वीप से हटाये गये परिवारों का पुनर्वास

7312. **श्री के० कोडण्डा रामी रेड्डी** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री हरिकोटा द्वीप से कितने परिवारों को हटाया गया है;

(ख) उनके पुनर्वास के लिये कुल कितनी धनराशि का आवंटन किया गया था और अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है; ओर

(ग) उनके पुनर्वास अर्थात् उन्हें जमीन, मकान का प्लाट इत्यादि देने की प्रक्रिया क्या है ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री मती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) श्री हरिकोट द्वीप के निवासियों को हटाने तथा उनके पुनर्वास का प्रश्न आंध्रप्रदेश की सरकार द्वारा निबटाया जा रहा है ।

कलकत्ता टेलीफोन के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते के रूप में दी गई राशि

7313. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 में कलकत्ता टेलीफोन कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते के रूप में वास्तव में कितनी धनराशि दी गई;

(ख) क्या वास्तविक कार्य के लिए यह राशि वास्तव में आवश्यक थी; और

(ग) क्या कलकत्ता टेलीफोन प्रयोक्ताओं की टेलीफोन सेवा में अब तक कुछ सुधार हुआ है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) 29,20,700 रुपये

(ख) जी हां,

(ग) कर्मचारियों की कमी की वजह से समयोपरि भत्ते पर खर्च करना पड़ा । समुचित टेलीफोन सेवा के लिए पर्याप्त कर्मचारियों का होना अनियार्य है । सेवा में और भी सुधार आए इसके लिए बराबर प्रयास किया जा रहा है ।

चीनी हथियार रखने वाले मिजो विद्रोही

7314. श्री प्रिय रंजनदास मुंशी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मिजो विद्रोहियों को हाल ही में कुछ चीनी हथियार मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनको यह हथियार किस साधन से मिले हैं।

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सरकार के पास मिजो को हाल में प्राप्त चीनी हथियार के बारे में ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा सीमा सुरक्षा दल के कर्मचारियों के वेतनमान

7315. श्री प्रिय रंजनदास मुंशी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारियों के वेतनमानों में कोई अन्तर है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो क्या सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारियों के लिए कोई विशेष ध्यान रखा जायेगा ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) तृतीय वेतन आयोग सशस्त्र सेवाओं तथा अर्ध सैनिक बलों के कर्मचारियों समेत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को ग्राह्य वेतनों के सम्पूर्ण ढाँचे की जांच कर रहा है। वेतन आयोग द्वारा इस व्यापक अध्ययन को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार सीमा सुरक्षा बल के बारे में इस प्रश्न पर अलग से विचार नहीं कर रही है।

बंगाल फिल्म उद्योग की स्थिति का मूल्यांकन करने हेतु विशेषज्ञों के अध्ययन दल का प्रस्ताव

7316. श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अनुदानों की मांगो पर भाषण के दौरान सरकार बंगाल फिल्म उद्योग, कलकत्ता की स्थिति के पुनर्विलोकन के लिये स्थिति की जांच के लिए विशेषज्ञों का एक अध्ययन दल भेजने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हाँ, तो दल अपना कार्य कब आरम्भ करेगा; और

(ग) क्या दल कठिनाइयों को दूर करने हेतु व्यावहारिक प्रयोजन हेतु कार्य करेगा अथवा केवल उपायों की सिफारिश करेगा ?

सूचना और प्रसारण मंलालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हाँ। पूर्वी क्षेत्र में फिल्म उद्योग की समस्याओं के अध्ययन के लिए एक दल भेजने का प्रस्ताव है।

(ख) तथा (ग) प्रस्ताव के विवरण तैयार किए जा रहे हैं।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली में बेची गई वस्तुओं के अधिक मूल्य

7317. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली को गृहकार्य मंत्रालय ने 1963 में इसलिए बनाया था कि दैनिक जरूरत की वस्तुओं के मूल्य न बढ़ें और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को राहत मिले;

(ख) क्या समिति द्वारा बेची गई अधिकांश वस्तुओं के मूल्य बाजार के मूल्यों से अधिक होते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संगठन को व्यवस्थित करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली को हुई हानि

7318. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति घाटे पर चल रही है यदि हां, तो 1971 के अन्त तक उसको कुल कितनी हानि हुई थी;

(ख) क्या 1970-71 के सन्तुलन पत्र में कुछ शुद्ध लाभ दिखाया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या लाखों रुपयों की क्षतिग्रस्त तथा न बिकने वाली वस्तुओं को (स्टोर तथा गादामो में पड़ी) बेचा नहीं गया है और झूठा लाभ दिखाया गया है; और

(घ) क्या 1970-71 में जो भी लाभ दिखाया गया है वह जब्त की गई वस्तुओं के कारण ही दिखाया गया है जिनसे 25 प्रतिशत से शत प्रतिशत लाभ होता है और यदि इन वस्तुओं की बिक्री को हिसाब में न दिखाया जाये तो इसे भारी हानि होगी ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :(क) जी हां, श्रीमान । जून, 1972 के अन्त तक समिति को कुल 22.97 लाख रुपये की हानि हुई थी ।

(ख) जी हाँ, श्रीमान् । वर्ष 1970 71 के समिति के अनन्तिम लेखे से 4.76 लाख रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त होता है ।

(ग) वर्ष 1970-71 के अन्त में समिति के पास क्षतिग्रस्त तथा न बिकने वाली वस्तुएं 89,724.00 रुपये की थीं । इसके लिए, वर्ष 1970-71 के सन्तुलन पत्र में क्षतिग्रस्त तथा अप्रयुक्त वस्तुओं के कारण हुई हानि को पूरा करने के लिए 2,32,012.36 रुपये की व्यवस्था की गई है । तथापि, वर्ष 1970-71 का लाभ तथा हानि का लेखा सही ढंग से तैयार किया गया है ।

(घ) जी नहीं, श्रीमान् । वर्ष 1970-71 के दौरान साधारणतया सभी वस्तुओं में मिश्रित लाभ प्राप्त हुआ है ।

रामकृष्णपुरम नई दिल्ली के एक कुंए से दो स्कूल जाने वाली लडकियों के शवों का बरामद होना

7319. **श्री भानसिंह भौरा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 12 मार्च, 1972 को रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली के निकट बरकी सराय नाम गांव के एक कुएं से दो स्कूल जाने वाली लड़कियों के शव बरामद हुए थे जिनके हाथ किसी पुरुष के रूमाल से बन्धे हुए थे :

(ख) क्या 11 मार्च, 1972 को इन लड़कियों के माता-पिता सम्बन्धित पुलिस स्टेशन गये थे और पुलिस अधिकारियों ने उनकी शिकायत लिखने अथवा समय पर कार्यवाही करने के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया था;

(ग) क्या इन लड़कियों के माता-पिता ने एक उच्च स्तरीय जांच की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस बारे में अब तक कोई कार्यवाही गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) (क) जी हाँ :

(ख) यह गलत है। 11-3-72 को लड़लियों के माता-पिता पुलिस थाने नहीं आये थे। कुंए में इन शवों की सूचना 12-3-1972 को प्रातः 8-37 बजे केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष से पुलिस थाना हाजखास में प्राप्त हुई थी।

(ग) जी हां। माता-पिता ने विशेष जाँच ऐजेन्सी अथवा गुप्तचर विभाग द्वारा जांच की मांग की है।

(घ) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के आधीन मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 121 दिनांक 20-3-72 की प्रारम्भिक जांच दक्षिण जिला पुलिस के विशेष कर्मचारियों द्वारा की गई थी। 6 अप्रैल, 1972 को जांच कार्य दिल्ली पुलिस के गुप्तचर विभाग की अपराध शाखा को स्थानान्तरित कर दिया गया।

सीमा सुरक्षा बल द्वारा चांदमारी के दौरान हताहत असैनिक

7320. **श्री दशरथ देव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या त्रिपुरा के गोकुलपुर नगर में सीमा सुरक्षा बल द्वारा 13 अप्रैल, 1972 को की गई चांदमारी के दौरान गोली लगने से एक महिला की मृत्यु हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसके परिवार को कितना मुआवजा दिया गया;

(ग) गत दो वर्षों में सीमा सुरक्षा बल द्वारा की गई चाँदमारी के कारण त्रिपुरा के विभिन्न मार्गों में कितने अवसरों पर आम नागरिक मारे गये अथवा घायल हुये; और

(घ) क्या सरकार का विचार बस्ती तथा उसके आस पास के क्षेत्रों में चाँदमारी को रोकने का है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 13 अप्रैल 1972 को जब सेना की एक टुकड़ी सीमा सुरक्षा बल गोकुलनगर क्षेत्र में चाँदमारी कर रही थी तो एक गोली

लगने के परिणामस्वरूप एक महिला गम्भीर रूप से घायल हो गई। प्राप्त सूचना के अनुसार घाव घातक नहीं था।

(ख) यदि कोई दावा प्राप्त होता है तो रक्षा मंत्रालय द्वारा उस पर तत्सम्बन्धी नियमों के अनुसार विचार करेगा।

(ग) गत दो वर्षों में त्रिपुरा में सीमा सुरक्षा बल द्वारा की गई चांदमारी के कारण कोई नागरिक मारा अथवा घायल नहीं हुआ।

(घ) क्योंकि सीमा सुरक्षा बल द्वारा चांदमारी करने से पूर्व स्थानीय निवासियों को चेतावनी देकर सभी सुरक्षा के पूर्व उपाय किये जाते हैं, अतः ऐसी चांदमारी को बन्द करने का कोई विचार नहीं है।

आसाम-नागालैंड सीमा-विवाद

7321. **श्री डी० बसुमतारी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान 4 मई, 1972 के "स्टेट्समैन" में "सेमा आबजैक्ट्स टूसेन्टर्स स्टैण्ड" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें नागालैंड के मुख्यमंत्री ने गोहाटी के समाचार पत्र में छपे समाचार पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि जब नागालैंड और आसाम के सीमा विवाद का सम्पूर्ण प्रश्न गृह मंत्रालय में एक परामर्शदाता के विचाराधीन है तो इस प्रकार की समय से पूर्व तथा विवादास्पद रिपोर्ट से अच्छाई के स्थान पर हानि ही अधिक होगी; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सरकार ने प्रैस रिपोर्ट देखी है।

(ख) कानून के अन्तर्गत असम-नागालैंड सीमा की स्थिति नागालैंड के मुख्यमंत्री को स्पष्ट कर दी गई है। इस सीमा में किसी समायोजन का प्रश्न असम तथा नागालैण्ड के मुख्य मंत्रियों के बीच बात-चीत से निकले निष्कर्ष और सलाहकार की सिफारिशों पर निर्भर होगा।

उत्तर प्रदेश, सर्किल, लखनऊ के पोस्ट मास्टर जनरल के कार्यालय का आंशिक रूप से इलाहाबाद/कानपुर स्थानांतरण

7322. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश सर्किल, लखनऊ के पोस्टमास्टर जनरल के कार्यालय को आंशिक रूप से इलाहाबाद अथवा कानपुर स्थानांतरित करने के आदेश दिये हैं; और

(ख) उक्त निर्णय के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ब्रह्मावार, मैसूर में आकाशवाणी केन्द्र

7324. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य के दक्षिण कनारा जिले में ब्रह्मावार में एक आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त केन्द्र कब स्थापित किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क) जी, हाँ। मंगलौर में एक कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर तथा स्टूडियो सहित ब्रह्मावार के निकट उदीपी में मध्यम शक्ति के एक ट्रांसमीटर की स्थापना के लिए एक परायोजना स्वीकृत हो चुकी है।

(ख) 1974-75

पूर्वी क्षेत्र में अर्ध सैनिक बलों की आपरेशनल आवश्यकतायें

7325. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व क्षेत्र में अर्ध सैनिक बलों की आपरेशनल आवश्यकताओं को बहुत कम कर दिया गया है;

(ख) क्या उचित आयोजन और इनके अन्य क्षेत्रों/सैक्टरों में तैनात किये जाने, इनकी संख्या कम किये जाने से वह करोड़ों रुपयों का बेकार का खर्च बचाया जा सकता है जो अन्य क्षेत्रों/सैक्टरों में प्रतिरक्षा सैनिकों के रूप में इनको लगाने पर हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग). अर्ध सैनिक बलों की कुल आवश्यकताओं का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है और कर्तव्यों के अनुरूप इन बलों को देश की सुरक्षा बनाये रखने के लिए कार्य करना पड़ता है। इन पर होने वाले खर्च को यथा सम्भव कम रखा जाता है।

Recovery of Stolen Idols by Delhi Police

7326. **Shri Chandulal Chandrakar** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Delhi police have recovered the idols stolen from a house in Chanakyapuri, New Delhi in the recent past;

(b) if so, the number of persons arrested in this connection; and

(c) the nature of the goods recovered ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Ves Sir; All the idols/antiques stolen from 13, Teen Murti Marg, have been recovered.

(b) Three.

(c) A list of the articles recovered is attached.

Statemem

Sl. No.	Name of the articles	Number
1.	Terracotta head without base size $4\frac{1}{2}$"X" 3	One
2.	White stone Taxilla Buddha head along wooden base, square in shape	One
3.	Siting Buddha in black stone size 11"X8"	One
4.	Black sitting Buddha from Bodh Gaya in blackish bronze metal, size about 9"X4"	One
5.	Boddhi-Satva (Monks) Bronze, brass coloured, size 4"X 9"	Two
6.	Buddhist figure sitting, of bronze, size 2"X 4"	One
7.	Tara, bronze sitting figure 9"X 6"	One
8.	Khajurao Stone head long in shape, sand stone colour, Size 9"X 4"	One
9.	Silver tea set	One
10.	Silver ball	One
11.	Silver bottle cover	One
12.	Cushion with cover green in colour	One
13.	Stone temple size 6"X 5" Shiva-like figure sitting in the middle.	One

दिल्ली नगर निगम में असिस्टेंट इंजीनियरों की नियुक्ति

7327. श्री के० सूर्य नारायण : क्या गृह मंत्री दिल्ली नगर निगम में असिस्टेंट इंजीनियरों की नियुक्ति के बारे में 3 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4976 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने अप्रैल, 1971 में किसी समय दिल्ली नगर निगम के जल सप्लाई तथा मल निष्कासन विंग में असिस्टेंट इंजीनियरों (सिविल) के पद के लिए सीधी भर्ती हेतु आवेदन पत्र मांगे थे;

(ख) क्या इन पदों के लिये अभी तक किसी का चयन नहीं किया गया है और एक तालिका बनाई गई थी और नगर निगम को भेजी गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके कब तक भर जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) जलप्रदाय तथा मल निष्काषन उपक्रम के कुछ सहायक इंजीनियरों श्री उद्धम दादवानी तथा अन्य द्वारा दायर की गई रिट याचिका को जो दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली में निलंबित पड़ी है दृष्टि में रखते हुए तथा इस तथ्य के लिए कि वहां कुछ अन्य व्यक्ति हैं जो रिट याचिका में एक पक्ष के रूप में तो नहीं हैं परन्तु वे उसी स्थिति के हैं और उच्च न्यायालय के निर्णय से उनके भी प्रभावित होने की सम्भावना है इसलिए संघ लोक सेवा आयोग ने इस अवस्था में चयन पर कार्यवाही न करने का निर्णय किया है ।

Officers Engaged on Hindi Translation work in Ministries

7328. **Shri Sudhakar Pandey** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the number of Gazetted Officers including those among Translators, separately, engaged on Hindi translation work in various Ministries, Departments and Subordinate offices of the Government of India at present and the number of such offices having more than 100 employees where no post of Hindi Translator has been created so far ?

The Minister of state in the Ministry of Home Affairs and in the Depatmant of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Training of officers in Hindi

7329. **Shri Sudhakar Pandey** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the number of Central Government gazetted officers Imparted training in Hindi upto 1970 and during the current year and the number of those yet to be imparted training in Hindi ?

The Minister of state in The Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : From the information so for available the total number of Central Government employees who have been trained in one or more prescribed courses in Hindi under the Hindi Teaching Scheme of Home Ministry is indicated in a statement attached. No separate figures are maintained in respect of the gazetted officers.

Many officers are recruited in the employ of the Central Government every year throughout the country; likewise many employees retire every year. As such, it is difficult to work out the actual number of employees yet to be trained in Hindi. However, according to rough estimate there are about two lakh employees gazetted as well as non-gazetted who are yet to be trained in Hindi.

Emphasis is now, however, being laid on the training of Gazetted officers in Hindi and many of them are receiving the training through the Hindi Classes run by the Ministry of Home Affairs or through the correspondence courses run by the Ministry of Education.

Statemre

Number of Employees who Have Passed Hindi Examinations under the Hindi Teaching Scheme

Year	Prabodh	Praveen	Pragya	Total
1953	36	—	—	36
1954	655	—	—	655
1955	362	—	—	362
1956	259	124	—	383
1957	1,488	605	337	2,430
1958	1,963	2,289	1,119	5,371
1959	2,179	2,253	1,707	6,139
1960	3,190	3,045	2,393	8,628
1961	5,712	10,148	3,721	19,581
1962	12,216	21,063	8,130	41,409
1963	8,707	16,888	11,421	37,016
1964-65	4,827	7,230	14,233	26,290

1965-66	4,888	8,731	9,382	23,001
1966-67	3,131	5,875	7,398	16,404
1967-68	3,533	5,378	6,332	15,243
1968-69	2,166	4,341	6,016	12,523
1969-70	6,760	5,937	6,082	18,779
1970-71	6,954	7,182	7,207	21,343
1971-72	3,966	6,287	6,469	16,722
Total	729,92	1,07,376	91,947	2,72,315

विशेषज्ञ दल द्वारा अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा

7330. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में वर्तमान औद्योगिक विकास का अनुमान लगाने और भावी औद्योगिक विकास के संबंध में योजना बनाने तथा नीति निर्धारण करने के लिए विशेषज्ञों का एक दल अन्दमान और निकोवार द्वीपसमूह गया था, और

(ख) यदि हां, तो उक्त दल के निष्कर्ष क्या हैं, उन्हें क्रियान्वित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय के अधिकारियों के एक दल ने जनवरी, 1968 में द्वीपों का दौरा किया था और द्वीपों में लघु उद्योग के विकास पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ज्ञात हुआ है कि प्रशासन द्वारा इस रिपोर्ट के आधार पर कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे जो इस समय गृह मंत्रालय के विचाराधी हैं।

Kidnapping of Indian Nationals By Pak Troops

7331. **Shri Jagannathroa Joshi :**
Shri S. N. Misra :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that a large number of Indian Nationals have been kindnapped from border areas by the Pakistani troops; and

(c) if so, the number of these kidnapped during the last two years ?

The Deputy Minister In The Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) (a) & (b) : Informtion is being collected from the State Government concerned and will be laid on the Table of the House as soon as received,

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में आवकारी विनियम

7332. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ शासित क्षेत्र अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए बनाये गये नये आवकारी विनियम जिन पर उक्त द्वीप समूह से सम्बन्धित गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति ने

नवम्बर / दिसम्बर, 1970 में हुई अपनी बैठक में विचार करने के पश्चात् स्वीकृति दे दी थी, लागू हो गया है;

(ख) क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मुख्य आयुक्त के उस प्रशासनिक आदेश को, जिसके अनुसार द्वीप समूह में शराब का आयात और उसकी बिक्री बन्द कर दी गई थी, अवैध घोषित कर दिया था; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या उक्त द्वीपसमूह में शराब का आयात और इसकी बिक्री करने की अनुमति है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन):(क) अन्दमान व निकोबार द्वीपसमूह आबकारी विनियम प्रारूप जिसका गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा नवम्बर 1970 में अनुमोदन किया गया था नीति सम्बन्धी प्रश्नों के कारण जो बाद में उठे थे अब तक लागू नहीं किया जा सका।

(ख) उच्च न्यायालय ने कहा है कि कानूनी अनुमति के अभाव में मुख्य आयुक्त प्रशासनिक कार्यवाही द्वारा पूर्ण निषेध लागू नहीं कर सकता।

(ग) एक याचिका पर, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इन द्वीप समूहों में शराब की दुकान की निलामी को रोकने का आदेश दिया है और अभी मामला निर्णयाधीन हैं। अतः सुरक्षा कर्मचारियों तथा धार्मिक प्रयोजनों के प्रयोग को छोड़कर शराब के आयात तथा बिक्री की अनुमति दी जा रही है।

Industries in Andaman and Nicobar Islands

7333. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of Industrial Development be pleased to state:

(a) the administrative and organisational set-up for the industrial development of the Andaman and Nicobar Islands under the Development Commissioner, Port Blair;

(b) whether the existing set-up is adequate to look after the existing industries and to promote further development of industries in the Islands;

(c) the budget allocation for industries in the Islands budget for 1972-73, and its proportion to the total budget of the Islands for 1972-73; and

(d) the broad outlines of the budget allocation for industries and the amount that would directly be spent for helping the existing industries and promoting new industries in the Islands particularly in the smallscale sector ?

The Deputy Minister in The Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad): (a) to (d): The Development Commissioner, Port Blair, has an administrative set up for the development of cottage and small scale industreis in the Andaman & Nicobar Islands, consisting of himself as the head of department and a Cottage Industries Officer working under him. This arrangement is considered adequate to look after the existing cottage and small scale industries and to promote further development of such industries.

(c) The total budget allocation for industries for 1972-73 is Rs. 4, 18,000/-and its proportion to the total budget of the Islands for 1972-73 is 0·23%

(d) The broad allocation is as under : u. p Rs. 358,000/- revenue expend ture which includes (i) subsidy at 50% on supply of improved tools and implements to local artisans (Rs. 15,000/—) and (ii) managerial subsidy to industrial cooperatives (Rs. 3,000/-). Amount

that would directly be spent for helping existing industries and promoting new industries in small scale sector would be Rs. 18,000/- subsidy and Rs. 60,000/- loan. In addition, the 10% Central outsight grunt or subsidy scheme is also under implementation.

Pak Nationals Who Came To West Bengal On Valid Passports

7334. Shri Hukam Chand Kachwai:
Shri Jagannath Rao Joshi:

will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of Pakistani nationals who came to West Bengal on valid passports and got their names registered there, District-wise since lst January, 1970 todate:

(b) the number of those whose visas have been extended during the said period;

(c) the present number of Pakistani nationals who have gone underground in the entire State as per information of the Central and State Governments; and:

(d) the steps taken by Government to trace and deport them ?

The Deputy Minister in the Minisiry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) (a) to (d): The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

दिल्ली महानगर परिषद के सदस्यों के वेतन में वृद्धि

7335. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 मई, 1972 के स्टेटसमैन में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली महानगर परिषद के सदस्यों ने अनुरोध किया है कि उनके वेतन एवं अन्य सुविधाओं में वृद्धि की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार दिल्ली महानगर परिषद् के सदस्यों की मांग पूरी करने के बारे में विचार कर रही है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच मोहसिन) : (क) और (ख) माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित समाचार का सम्बन्ध दिल्ली नगर निगम से है न कि महानगर परिषद से। सरकार को इस सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

यूनाइटेड न्यूज आफ इण्डिया और 'तास' के बीच करार

7336. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड न्यूज आफ इण्डिया और 'तास' के बीच हाल ही में कोई करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) यूनाइटेड न्यूज़ आफ इण्डिया के सद्भाव से प्राप्त करार की मुख्य बातें निम्न-लिखित हैं :-

(1) 'तास' ने यूनाइटेड न्यूज़ आफ इण्डिया को भारत में यूनाइटेड न्यूज आफ इण्डिया समाचार सेवा इस्तेमाल करने का अधिकार दिया है। 'भारत में 'तास' समाचार रेडियो टेलीप्रिन्टर के माध्यम से प्राप्त होंगे।

(2) यूनाइटेड न्यूज आफ इण्डिया ने भी 'तास' को 'तास' समाचार सेवा में यूनाइटेड न्यूज आफ इण्डिया समाचार इस्तेमाल करने का अधिकार देना मान लिया है। यूनाइटेड न्यूज आफ इण्डिया अपनी घरेलू समाचार सेवा नई दिल्ली में 'तास' प्रतिनिधि को सप्लाई करेगी।

(3) 'तास' तथा यूनाइटेड न्यूज आफ इण्डिया ने एक दूसरे के समाचारों को क्रमशः भारत तथा सोवियत संघ में घटित घटनाओं को कवर करने में प्राथमिकता देना स्वीकार किया है।

उत्तर प्रदेश में जाली मनीआर्डरों का पता लगाना

7337. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में कुछ डाकघरों में कुछ जाली मनी आर्डर पकड़े गये हैं,

(ख) यदि हाँ, तो यह जाली मनी आर्डर कुल कितनी राशि के हैं,

(ग) क्या इस मामले की जांच पड़ताल करने हेतु कोई जांच समिति गठित की गई है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) जी हां। 2249 रुपये की रकम के 13 मनीआर्डर जो अमरोहा (उत्तर प्रदेश) से 28 मार्च, 1972 को जारी किए गए बताए गए थे, जाली पाए गए। इनमें से 1230 रुपये की रकम के सात मनीआर्डरों का पांच का बरेली में और दो का शाहजहांपुर में वास्तव में भुगतान कर दिया गया, जबकि छह मनीआर्डरों का भुगतान नहीं किया गया। शाहजहांपुर में भुगतान किए गए एक मनी आर्डर की रकम पाने वाले से वसूल कर ली गई थी।

(ग) और (घ) इन सभी मामलों की पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करा दी है और विभागीय जांच-पड़ताल भी चल रही है।

केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी स्टोर, दिल्ली द्वारा अर्जित किया गया लाभ

7338. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी स्टोर, दिल्ली ने 1969, 1970 और 1971 में कितने रुपयों का लेनदेन किया; और

(ख) इन वर्षों में सहकारी समिति ने कितना लाभ अर्जित किया ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) तथा

(ख) 1968-69, 1969-70 और 1970-71 सहकारी वर्षों के दौरान समिति द्वारा किया गया वार्षिक लेनदेन तथा अर्जित लाभहानि इस प्रकार है :-

वर्ष	लेनदेन		शुद्ध लाभ ... (+) शुद्ध हानि (—)	
	रुपये		रुपये	रुपये
1968-69	78,74,324.22	(—)	8,15,737,22	(—)
1969-70	77,11,799.12	(—)	1,63,465.57	
1970-71	1,10,09,456.64	(+)	4,75,819.93	

(लेखा-परीक्षा

की शर्त के साथ)

आकाशवाणी पर राष्ट्रीय गान

7339. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी ने सभी आकाशवाणी केन्द्रों पर राष्ट्रीय गान बजाना बन्द करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क) तथा (ख) . जी, हां सरकार ने दिन के कार्यक्रम के अन्त में राष्ट्रीय गान का प्रसारण बन्द करने का निर्णय इसीलिए लिया क्योंकि ऐसा महसूस किया गया था कि उस समय श्रोतागण या तो आराम कर रहे होते हैं या सोने की तैयारी में होते हैं और वे राष्ट्रीय गान को उपयुक्त आदर देने की स्थिति में नहीं होते ।

Telegrams in Devnagri

7340. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Communications** be pleased to state the number of telegrams sent in 'Devnagri' by the various Telegraph offices in 1960 and the increase registered in the number during 1971-72 ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : Number of telegrams in Devnagri script booked during the year 1960-61 was about 1.75 lakhs.

Number of Devnagri telegrams booked during the year 1971-72 was about 9.52 lakhs showing an increase of about 7.77 lakhs.

Training in Hindi Telegraphy

7341. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Communications** be pleased to State the arrangement being made to provide the facility of sending telegrams in Hindi Telegraph Offices where it does not exist at present and to impart training to more employees in Hindi Telegraphy ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna): Devnagari telegrams are accepted at present. at more than 4,000 telegraphs offices. The service is also being progressively extended to other telegraph offices.

Training is being imparted in training classes 13 places in the country in Devanagari telegraphy throughout the year. More than 8,000 operators have been trained in Devnagari telegraphy so far.

Telegraph Offices with Teleprinter Machines

7342. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of Telegraph Offices in India where Teleprinter machines have been installed to send telegrams;

(b) the total number of such machines and also the numoer of machines in Deavnagri script out of them: and

(c) the arrangements being made to install Devnagri Teleprinter machines in Telegraph Offices of other important cities in the country?

The Minster of Comuinications (Shri H. N. Bahuguna) (a) 601

(b) Total Number 4582

No. of Devanagri T/P machines. 214

(c) With the increase in the volume of Devanagari telegrams, Devanagari teleprinter machines are being gradually installed in telegraph offices of other important cities of the country. Heads of Circles have been authorised to obtain Devanagari teleprinter machines for telegraph offices under their control as required according to prescribed standards of traffic.

स्थानीय टेलीफोन काल के शुल्क में वृद्धि

7343. श्री नवल किशोर शर्मा .

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय टेलीफोन काल का शुल्क प्रति काल 20 पैसे से बढ़ा कर 30 पैसे करने के बारे में सरकार विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस प्रकार की वृद्धि से सरकार को कितनी आय होगी ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आन्ध्र प्रदेश में उद्योगों की स्थापना

7344. श्री के० कोडन्डा रामी रेड्डी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में वर्ष 1970-71 और 1971-72 में सरकारी क्षेत्र (केन्द्रीय क्षेत्र और राज्य क्षेत्र) और गैर सरकारी क्षेत्र में कितने नये उद्योग स्थापित किये गये और वर्ष 1972-73 में कितने नये उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) आन्ध्र प्रदेश के पिछड़े जिलों में कितने उद्योग स्थापित हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के आधार पर गैर सरकारी क्षेत्र वर्ष 1970-71 में स्वीकृत की गई नई औद्योगिक प्रायोजनाओं का विस्तृत ब्यौरा अनुबन्ध 1 में और सरकारी क्षेत्र में वर्ष 1969 से 1971 की अवधि में स्वीकृत नई औद्योगिक प्रायोजनाओं का ब्यौरा अनुबन्ध 2 में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3043/72] इस प्रकार की वर्ष 1971-72 की जानकारी और वर्ष 1972-73 के प्रस्ताव इस समय उपलब्ध नहीं हैं। दिये गये अनुबन्ध में 7 प्रायोजनायें (तारांकित) राज्य के पिछड़े जिलों में स्थापित की गई हैं।

संश्लिष्ट कागज का निर्माण

7345. श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि संश्लिष्ट कागज अमरीका में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है, और

(ख) क्या सरकार देश में संश्लिष्ट कागज का निर्माण आरम्भ करने सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार कर रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) अमरीका में सिंथैटिक फाइबर से कागज बनाने के बारे में विगत दस वर्षों से अनुसंधान कार्य चल रहा है।

(ख) अधिक उत्पादन लागत और जटिल प्रकार की टेकनालाजी की दृष्टि से निकट भविष्य में देश में सिंथेटिक कागज का निर्माण करना सम्भव नहीं हो सकेगा।

लाइसेंस जारी करने में विलम्ब के कारण धीमी विकास दर

7346. श्री श्रीकिशन मोदी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकास दर धीमी होने के कारण औद्योगिक लाइसेंस जारी करने में विलम्ब होता है;

(ख) 1 जनवरी, 1971 से लेकर आज तक कुल कितने लाइसेंस जारी किए गये हैं और इस अवधि में कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, और

(ग) लाइसेंस जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं ?

(ख) 1 जनवरी, 1971 से 31 मार्च, 1972 तक 742 लाइसेंस दिये गये हैं। इस अवधि में औद्योगिक लाइसेंसों के लिये 3583 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) औद्योगिक लाइसेंस के आवेदनों पर जांच करते समय प्रस्तावों के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जांच करने की आवश्यकता होती है और किसी आवेदन का निपटान करने में विभिन्न कारणों से विलम्ब होता है। कुछ मामलों में आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण नहीं दिये होते हैं और कुछ अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करनी होती है। कुछ अन्य मामलों में सम्पूर्ण उद्योगों पर नीति संबंधी निर्णय लेना होता है। गत वर्ष से लाइसेंस के आवेदनों का निपटान करने की गति काफी तेज कर दी गई है, और सरकार इसको और अधिक तेज करने के लिये प्रभावशाली कदम उठा रही है।

Direct Telephone link between Bhind and Itawah

7347. Shrimati V.R. Scindia : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the Department of Communications had agreed to link Bhind Town of Madhya Pradesh and Itawah Town of Uttar Pradesh with direct telephone line; and

(b) if so, the progress made in this regard ?

The Minister of Communications (Shri H.N. Bhahuguna) : (a) No.

(b) Does not arise.

Telephone line between Bhind and Gwalior

7348. Shrimati V.R. Scindia : Will the Minister of **Communications** be pleased to state the broad outlines of the progress made in regard to the implementation of already approved programme of installing another telephone line between Bhind city and Gwalior in Madhya Pradesh ?

The Minister of Communications (Shri H.N. Bahuguna) : Two direct telephone lines are already operating between Bhind and Gwalior. For the purpose of augmentation of circuits, a new 3 channel Carrier System has been allotted for this route in June, 1971, On receipt of the equipments from ITI, they will be installed and additional Trunk circuits given.

The Department is also examining possibility of installing one eight channel Carrier System on this route at a later date.

Telephone system in Syondha Town, Madhya Pradesh

7349. Shrimati V.R. Scindia : Will the Minister of **Communications** be pleased to state the steps being taken to improve the telephone system of Syondha town in Datia District of Madhya Pradesh.

The Minister of Communications (Shri H.N. Bahuguna) : Syondha in Datia District has at present a long distance P.C.O. parented to Datia exchange. There is a proposal to install a 25 lines SAX. The installation is held up for ACSR wire, required to replace the iron wire serving the P.C.O. at present. This work will take about six months.

Set up of Industries in Public Sector in Dacoit-infested area of Madhya Pradesh

7350. Shrimati V.R. Scindia : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether the Central Government propose to set up industries in public sector in the dacoit-infested area in Madhya Pradesh in order to provide relief to the people of the said area; and

(b) if so, the broad outlines of the proposal ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b). While the Central Government do not have, at present, any proposal to set up industries in the public sector in the dacoit infested areas of Madhya Pradesh, the state Government have reported that a Cooperative Sugar Mill has been started in Morena District and the necessary facilities/concessions such as land, water and power at cheaper rates etc. are being given to the Cooperatives for establishment of other industries in these areas.

आयोजना प्रचार निदेशालय के तकनीकी कर्मचारियों का वेतनमानों की अधिकतम सीमा पर पहुंचना

7351. **श्री राम कंवर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयोजना प्रचार निदेशालय में कार्य करने वाले तकनीकी कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इनमें से अनेक कर्मचारी अधिकतम वेतनमान पर पहुंचने के बाद कई वर्षों से वहीं पर है; और

(ग) यदि हां, तो इन कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसर क्या है; और उनका सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय में 194।

(ख) मई, 1972 में 53 कर्मचारी अपने ग्रेड से वेतनमान की अधिकतम सीमा पर पहुंच चुके थे।

(ग) इस प्रकार के कर्मचारी उच्चतर पदों के लिए पदोन्नति के पात्र हैं बशर्ते कि वे निर्धारित अर्हताएं रखते हों।

बहराईच (उत्तर प्रदेश) में सीमेंट की कमी

7352. **श्री बी०आर० शुक्ल** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बहराईच जिले में दिसम्बर, 1971 से सीमेंट की अत्यन्त कमी है;

(ख) क्या सीमेंट उपलब्ध न होने के कारण साम्य रोजगार संबंधी द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत लोक उपयोगिता के कार्य रुक गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). जिला बहराईच में सीमेंट की औसत मासिक खपत 1000 मी० टन है। चूंकि दिसम्बर 1971 और जनवरी, 1972 में इस जिले में क्रमश: 1.118 मी० टन और 1,600 मी० टन सीमेंट भेजी गई है अत: वहां सामान्यत: सीमेंट की कमी नहीं होनी चाहिये।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स एकक में तोड़-फोड़

7353. **श्री डी०के० पण्डा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 मई, 1972 के समाचार पत्र 'पैट्रियट' में 'सैबोटेज इन हैवी इलैक्ट्रिल्स लिमिटेड' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हाँ ।

(ख) प्रबन्धक के खिलाफ लगाये गये आरोपों की जांच की गई है और वे संगत नहीं पाये गये । उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग द्वारा किस यूनियन को मान्यता दी जाती है यह निर्धारित करने के लिये विशेष रूप से की गई जांच की अवधि में, यूनियनों की आपसी प्रतिद्वन्दिता ही प्रबन्धक के खिलाफ की गई ऐसी निराधार शिकायतों और आरोपों का कारण है । बताया गया है कि हिंसा और मारपीट की घटना भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बस्ती के बाहर घटी है और उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले की जांच कर रही है ।

सदर बाजार, दिल्ली में जेब काटने के मामले

7354. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सदर बाजार, दिल्ली में कुछ समय से जेबकतरों का एक गिरोह कार्य कर रहा है;

(ख) क्या अधिकांश मामलों की रिपोर्ट नहीं की जाती है क्योंकि क्षेत्र की पुलिस परेशान करती है और सम्बन्धित व्यक्ति दिल्ली से बाहर का होता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने और अपेक्षित कार्यवाही करने का है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) सदर बाजार दिल्ली में जेब कतरों का कोई गिरोह कार्य नहीं कर रहा है । किन्तु वहां जेब काटने के कुछ छुट-पुट मामले होते हैं ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् । सरकार के ध्यान में ऐसा कोई दृष्टान्त नहीं आया है । दिल्ली में रहने वाले व्यक्तियों और बाहर से आने वाले व्यक्तियों द्वारा भी मामलों की रिपोर्ट की गई है । 1-1-72 से 30-4-72 तक की अवधि में सदर बाजार पुलिस थाने में जेब कतरने के 44 मामलों की रिपोर्ट की गई थी, जिनमें से 6 मामलों की रिपोर्ट दिल्ली में बाहर से आने वाले व्यक्तियों द्वारा की गई थी । इस अवधि में 9 जेबकतरे गिरफ्तार किये गये ।

(ग) जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता । जेब काटने को रोकने के लिए वर्दी में तथा सादे कपड़ों में कर्मचारी भीड़ वाले बाजारों में तथा बस स्टापों पर तैनात किये जाते हैं और जेब कतरों के विरुद्ध समय-समय पर विशेष अभियानों का आयोजन किया जाता है ।

फिरोजाबाद और आगरा के बीच स्वचालित टेलीफोन की सुविधा

7355. श्री अम्बेश : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद (आगरा जिला) और आगरा के बीच स्वयं-चालित टेलीफोन सेवा आरम्भ करने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय सांख्यिकीय सेवा, चतुर्थ ग्रेड की प्रथम चयन सूची में अनुसूचित जाति के वरिष्ठ इनवेस्टीगेटरों के नामों को शामिल न करना

7356 श्री चन्द्र शैलानी : क्या **प्रधान** मंत्री केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन में अनुसूचित जाति के वरिष्ठ इनवेस्टीगेटरों की नियुक्ति के बारे में 12 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2686 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन में अनुसूचित जाति के वरिष्ठ इनवेस्टीगेटरों की सेवाओं को 1962 से नियमित करने के बारे में 10 महीने पहले निर्णय लेने के बाद भी उनके नाम अभी तक भारतीय सांख्यिकी सेवा, चतुर्थ ग्रेड की प्रथम चयन सूची में शामिल नहीं किये गये हैं;

(ख) क्या फीडर सूची के आगामी संस्करण में उनका नाम शामिल करके इन मामलों में विलम्ब किया जा रहा है; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इन मामलों को अन्तिम रूप कब दिया जायेगा ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) 12 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2686 के उत्तर के सम्बन्ध में यह पहले ही कहा जा चुका है कि भारतीय सांख्यिकीय सेवा के चतुर्थ ग्रेड में पदोन्नति के लिए प्रथम चयन सूची में उनके नाम शामिल करने के लिए इन अधिकारियों की पात्रता तथा उपयुक्तता के प्रश्न पर संघ लोक सेवा आयोग से बातचीत आरम्भ की गई है । संघ लोक सेवा आयोग से हाल ही में यह सलाह प्राप्त हुई है कि सम्बन्धित दो अनुसूचित जाति के वरिष्ठ इनवेस्टीगेटरों को प्रथम चयन सूची में प्रवरण के लिए शामिल करने हेतु पात्रता के लिए इस बात को ध्यान में रखते हुए योग्य समझा जाना चाहिए कि वरिष्ठ इन्वेस्टीगेटरों के ग्रेड में आरक्षित रिक्तियों में उनके स्थायीकरण के परिणामस्वरूप उनकी वरिष्ठता का पुनरीक्षण किया जा चुका है । संघ लोक सेवा आयोग की सलाह विचाराधीन है । यद्यपि इन अधिकारियों के पात्र समझे जाने पर भी क्या उन्हें प्रथम चयन सूची में शामिल करने के लिए उपयुक्त समझा जाएगा यह प्रश्न संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से अभी विचाराधीन है । अतः आगामी फीडर सूची तैयार होने तक उनके मामलों में विलम्ब करने का प्रश्न ही नहीं उठता । इस समय यह बतलाना सम्भव नहीं है कि कब तक उनके मामलों को अन्तिम रूप दिया जा सकेगा ।

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन में अनुसूचित जाति के वरिष्ठ इनवेस्टीगेटरों को स्थायी करने में विलम्ब

7357. **श्री चंद्र शैलानी** : क्या **प्रधान** मंत्री केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन में अनुसूचित जाति के वरिष्ठ इन्वेस्टीगेटरों को स्थायी करने के बारे में 12 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2685 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गये, विशेषकर चार वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे कर्मचारियों को भविष्य में उस ग्रेड पर वेतन वृद्धि तथा सेवा में आवर्ती सुविधाएं दी जायेंगी; और

(ख) क्या केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के अनुसूचित जाति के वरिष्ठ इन्वेस्टीगेटरों को, जिन्हें 1962 में नियुक्त किया गया था, स्थायी बनाये जाने में विभागीय विलम्ब और उसके परिणामस्वरूप सहायक निदेशक के रूप में उनकी तदर्थ पदोन्नति में विलम्ब के कारण उनको निरन्तर रूप से वित्तीय हानि हो रही है और यदि हाँ, तो इस हानि को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिकी मन्त्री गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री मती इन्दिरा गांधी) : (क) तदर्थ आधार पर की गई पदोन्नतियां, भारतीय साँख्यिकीय सेवा के ग्रेड IV पदों पर नियमित पदोन्नति के लिए कोई अधिकार नहीं प्रदान करती, परन्तु इस प्रकार पदोन्नति किए गए व्यक्तियों को एसे तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप में कार्य करते समय वेतन-वृद्धि का हक होता है । यदि भविष्य में वे उसी ग्रेड में नियमित तौर पर पदोन्नत किए जाएं, तो उक्त तदर्थ पदोन्नति की अवधि के आधार पर वे वेतन-वृद्धियों के फायदे के हकदार होंगे । तथापि, और आगे पदोन्नति के प्रयोजन के लिए, ऐसी अवधि, भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड IV में नियमित सेवा के रूप में नहीं गिनी जायेगी ।

(ख) जिन फीडर पद धारकों में से भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड पदों पर पदोन्नतियां की जानी हैं, उनको समाकलित-सूची में अनुसूचित जाति के उक्त दो वरिष्ठ अन्वेषकों के नाम समाविष्ठ करने का प्रश्न संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से सरकार के विचाराधीन है । आवर्ती आर्थिक सेवा का प्रश्न तो तभी उठेगा जब कि उनके नाम ऐसी समाकलित सूची में समाविष्ट कर लिए जायें और वे भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड IV पदों पर नियमित रूप से पदोन्नत किए जायें ।

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन में अनुसूचित जाति के वरिष्ट इनवेस्टीगेटरों की वरीयता सूची को अन्तिम रूप देने में विलम्ब

7358. **श्री चंद्र शैलानी** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के वरिष्ठ इन्वेस्टीगेटरों को संयुक्त वरीयता सूची को अन्तिम रूप देने में कुछ विलम्ब हुआ था और क्या इस विलम्ब से अनुसूचित जाति के वरिष्ठ इन्वेस्टीगेटरों के हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा; और

(ख) यदि हां तो अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के मामलों को अन्तिम रूप देने में इस विलम्ब को रोकने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मन्त्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) केन्द्रीय साँख्यिकीय संगठन के वरिष्ठ अन्वेषकों (सीनियर इन्वेस्टीगेटरों) के 7 निश्चित स्थायी पदों पर सितम्बर 1971 में स्थायी तौर पर नियुक्तियां की गई थी। इन नियुक्तियों के परिणामस्वरूप कुछ वरिष्ठ अन्वेषकों को परस्पर वरिष्ठता स्थिति में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया था। ये परिवर्तन किए गए और 9 नवम्बर 1971 को संशोधित वरिष्ठता सूची परिचालित की गई। इस प्रकार केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के वरिष्ठ अन्वेषकों को वरिष्ठता-सूची को अन्तिम रूप देने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

सितम्बर, 1971 में किए गए स्थायीकरणों के परिणाम-स्वरूप कुछ वरिष्ठ अन्वेषक जिन्हें पहले केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन में तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक पदों पर स्थानापन्न तौर पर पदोन्नत किया गया था उन दो अनुसूचित जाति के वरिष्ठ अन्वेषकों से जो केवल 1971 में उसी प्रकार तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक पदोन्नत किए गए थे, वरिष्ट अन्वेषकों के ग्रेड में कनिष्ठ हो गये। तदर्थ आधार पर की गई इन वरिष्ठ अन्वेषकों की पदोन्नतियां केवल उस समय तक जारी रहेंगी जब तक इन पदों पर नियुक्ति के लिए भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड IV के नियमित अधिकारी उपलब्ध नहीं हो जाते। इस प्रकार की तदर्थ पदोन्नतियां भारतीय साँख्यकीय सेवा के ग्रेड IV पदों पर नियमित पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार नहीं प्रदान करती। ऐसी दशा में तदर्थ पदोन्नतियों के विलम्ब के कारण उक्त व्यक्ति के सेवा हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यद्यपि कुछ आर्थिक क्षति हुई होगी। जिन फीडर पद धारकों (को सूची) में से भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड IV पदों पर पदोन्नतियां की जानी है, उनको समाकलित सूची में अनुसूचित जाति के उक्त दो वरिष्ठ अन्वेषकों के नाम समाविष्ट करने का प्रश्न संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श में सरकार के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भूतपूर्व नरेशों के पास सम्पत्ति

7359. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार को भूतपूर्व नरेशों के पास उनके पूर्व पद के आधार पर सम्पत्ति होने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगने के लिए कोई पत्र लिखा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) मामला विचाराधीन है।

टेलीविजन केन्द्र, दिल्ली में फिल्म इन्स्टीट्यूट में प्रशिक्षित कलाकार

7360. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री 26 अप्रैल, 1972 के अतारां-

कित प्रश्न संख्या 4047 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म इन्स्टीट्यूट में प्रशिक्षित कलाकारों की, जिन्होंने दिल्ली स्थित टेलीविजन केन्द्र में दो से आठ वर्षों तक पहले ही कार्य किया है, ऐसे व्यक्तियों की तुलना में, जिन्हें श्रव्य-दृश्य विभाग में कार्य करने का कोई अनुभव नहीं है टेलीविजन प्रोड्यूसर, कैमरामैन, संपादक, रिकार्डिस्ट, लेखक के पदों पर नियुक्त करने के मामले में उपेक्षा की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कायवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) जी, नहीं। टेलीविजन केन्द्र, दिल्ली में पदों के लिए पात्रता रखने वाले अन्य उम्मीदवारों के साथ फिल्म संस्थान में प्रशिक्षित आर्टिस्टों पर भी विचार किया जाता है। नियुक्तियाँ अर्हताओं, अनुभव और उपयुक्तता के आधार पर की जाती हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल के वन क्षेत्र के निकट उद्योगों की स्थापना

7361. श्रीमती भार्गवजी तनकप्पन : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के वन क्षेत्र के निकट उद्योग स्थापित करने की कोई नई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां। केरल औद्योगिक विकास निगम का वहां राज्य के वनों से उपलब्ध कच्ची सामग्री पर आधारित एक सुसम्बद्ध लुगदी कागज (पल्प एण्ड पेपर) परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) कम्पनी की प्रमुख बातें नीचे दी जाती हैं।

(1) लिखने व छपाई के कागज तथा गत्ते की वार्षिक क्षमता 1,00,000 मीट्रिक टन।

(2) निवेश—60 करोड़ रुपये।

(3) रोजगार—3,300 लोगों को।

(4) स्थान—बताया नहीं गया।

केरल में क्षेत्र प्रचार यूनिट

7362. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में उन जिलों के नाम क्या हैं जहाँ क्षेत्र प्रचार यूनिटें खोली गयी थीं;

(ख) केरल के प्रत्येक जिले को क्षेत्र प्रचार यूनिट के अन्तर्गत कब तक लाया जायेगा; और

(ग) ऐसे कार्यों में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार लाने के अब लिए के तक क्या प्रयास किये गये है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) (1) एलेप्पी (2) कन्नानौर (3) एर्नाकुलम (4) कोट्टायम (5) कोजीकोड (6) त्रिचुर तथा (7) त्रिवेन्द्रम् ।

(ख) केरल में स्थित 7 क्षेत्रीय प्रचार यूनिटें आपस में मिल जुल कर राज्य के सभी 10 जिलों को कवर करती है । क्षेत्रीय प्रचार यूनिटों का और विस्तार, स्रोतों की उपलब्धि पर निर्भर करेगा

(ग) परिवार नियोजन सहित विकास विभागों से निकट सम्पर्क स्थापित करके तथा कृषि विस्तार अधिकारियों, चिकित्सकों, आदि जैसे विशेषज्ञों को क्षेत्रीय कार्यक्रमों में श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आमन्त्रित करके गुण सम्बन्धी सुधार किये जा रहे हैं । मात्रात्मक दृष्टि से क्षेत्रीय प्रचार यूनिटों द्वारा आयोजित प्रदर्शनों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो कर्मचारियों तथा उपकरणों की पूर्व उपयोगिता बताती है ।

सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ फिल्म के चयन का मापदंड

7363. श्री एम० ए० मुरूगनन्तम : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या प्रत्येक राज्य में क्षेत्रीय बोर्ड हैं जो केन्द्रीय बोर्ड को पुरस्कार देने हेतु फिल्मों की सिफारिश करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तथा अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का चयन करने का मापदण्ड क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) वार्षिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए प्रादेशिक समितियां प्रति वर्ष बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जो फिल्म निर्माण के प्रधान केन्द्र हैं, में बनाई जाती है ।

(ख) केन्द्रीय समिति तीनों प्रादेशिक समितियों की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात तथा अपने स्वतन्त्र विवेक के आधार पर विभिन्न पुरस्कारों की सिफारिश करती है । सर्वोत्तम अभिनेता एवं सर्वोत्तम अभिनेत्री तथा सर्वोत्तम फिल्म के चयन के लिए मापदंड सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किए जाते । केन्द्रीय समिति अपने मापदंड एवं कार्याविधि स्वयं निश्चित करती है और उसके लिए अपनी सिफारिशों के कारण बताना न तो अपेक्षित है और न ही वह वास्तव में देती है ।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में (प्रश्न)

Re : Question of Privilege (Query)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने नियम 222 और 223 के अधीन विशेषाधिकार के प्रस्ताव की सूचना दी है ।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन मुझे आपकी सूचना प्राप्त नहीं हुई ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम स्पष्ट हैं कि प्रश्न काल के तुरन्त बाद विशेषाधिकार का प्रस्ताव लिया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : किन्तु मुझे उनसे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं बाद में सिद्ध कर दूंगा कि मैंने इसकी सूचना आपको पहले दी थी।

अध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत खराब उदाहरण होगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना अप्रैल के तीसरे सप्ताह में दी गई थी । यह बहुत गम्भीर मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य हर बार खड़े हो जाते हैं और कुछ न कुछ कहना शुरू कर देते हैं । उन्हें यह नहीं करना चाहिए ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance

मौनसून के दौरान पौंग बांध क्षेत्र में बाढ का खतरा

श्री वीरभद्र सिंह (मंडी) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर सिंचाई और विद्युत मंत्री का ध्यान दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

> "पोंग बाँध क्षेत्र में आगामी मौनसून के दौरान 8,000 परिवारों के डूब जाने का कथित खतरा और मौनसून से पूर्व इन परिवारों के पुनर्वास के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही ।"

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : व्यास नदी इस समय 5 सुरंगों से होकर निर्बाध रूप से बह रही है । मानसून के महीनों में, निर्माणाधीन बांध का प्रतिप्रवाह जल स्तर बढ़ जाएगा । गत वर्ष 5 लाख क्यूसेक जल के निस्सार के लिए अधिकतम जल स्तर सिर्फ 1190 था । असाधारण स्थितियों में बाढ़ों को लगातार लहरों का अनुमान लगाने पर अधिकतम जल स्तर 1240 से 1260 तक जा सकता है । सिर्फ तीन ग्रामों को छोड़कर टिक्कों में इससे प्रभावित होने की सम्भावना वाली भूमि और सम्पत्ति का अनुमान लगा लिया गया है और उसके मुआवजे की अदायगी अंशतः की जा चुकी है ।

हिमाचल प्रदेश के अधिकारी इस स्थिति के प्रति पूरी तरह सक्रिय हैं और जिन परिवारों के इससे प्रभावित होने की संभावना है, उनके लिए उन्होंने पर्याप्त राहत सम्बन्धी उपाय और

अस्थायी आश्रय की व्यवस्था करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है । इस कार्य के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकार में पहले ही 2 लाख रुपये की राशि रख दी गई है ।

राजस्थान में विस्थापितों को फिर से बसाने के लिए कार्यवाही जारी है । बहरहाल, राजस्थान में भूमि के आवंटन के लिए विस्थापितों की पात्रता के सम्बन्ध में कुछ मामलों पर राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के बीच मतभेद के कारण कुछ देर हो गई है । इन मामलों को तय करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं

Shri Virbhadra Singh : About 20,000 families would be rendered homeless following construction of Pong Dam. In the begining it was proposed that 3.25 lakh acres of land would be given for the rehabilitation of these displaced people. Later on, the load proposed to be given was reduced from 3.25 lakh acres to 2.25 lakh acres. Dr. K.L. Rao had assured in the House that unless the ousters were properly settled, Government would not allow any impounding of water in the Beas river and any construction of dam across the river. Government had drawn up a scheme for the rehabilitation of these ousters. It was envisaged thereunder that 8000 families would be settled in Rajasthan by the end of 1971. But only 568 families have so far been rehabilitated and there is no arrangement for electricity, water, roads, schools etc. for them. As such, these families are facing great hardships there.

Rajasthan Government have no so far allotted the land for these ousters and these ousters have also not for the compensation declared by the Compensation Load Acquisition Officer till now. Because of these two factors, these ousters are not able to shift to their new-places.

Dr. K. L. Rao had further assured that the ousters of the Pong Dam would be allotted load formally by the Rajasthan Government, but the Himachal Pradesh Government would be the main authority to allot the land and also decide the extent of load.

The crux of the problem is that the Himachal Pradesh Government have been requesting for a very long time to make the land available for allotment to the ousters. Government should accede to this request of the Himachal Pradesh and the entire issue may be thrashed out in a meeting of the Chief Ministers of Himachal Pradesh and Rajasthan.

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : मैंने हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों से कहा है कि वे इन समस्याओं को हल करें । मुख्य मंत्रियों ने कहा है कि वे पहली मई तक इन समस्याओं को हल कर सकेंगे और यदि वे ऐसा न कर सके तो वे अपने अपने विचार केन्द्रीय सरकार के पास भेजे देंगे और तब मंत्रिमंडल के सचिव से सारे मामले की जांच करने तथा अपना निर्णय देने के लिये कहा जा सकता है । किन्तु पहली मई को उनकी बैठक नहीं हुई । उन्होंने अपनी अपनी सरकारों के विचार भेज दिए तथा हमने उनके विचार मंत्रिमंडल सचिवालय के पास भेज दिये हैं । हमें उम्मीद है कि वे आगामी कुछ दिनों में इसका अध्ययन करके अपनी सलाह देंगे । दोनों मुख्य मंत्री उसके निर्णय को मानने के लिए तैयार हैं । मंत्रिमंडल सचिव के निर्णय दिये जाने के बाद हम आगे कार्यवाही करेंगे ।

Shri Pratap Singh (Simla): The question of rehabilitation of the ousters of Pong dam has been hanging fire since long, as a reguest of which th re is widespread resentment among the people there.

The Chief Minister of Himachal Pradesh wrote to the Chief Minister of Rajasthan to hold a meeting to through out the issue keeping in view the impending threat of monsoon and floods but the latter said that he had no time for this. In such a situation, the

Central Government should intervene and fix a date by which both the Chief Ministers should settle the issue.

Government should immediately arrange for the rehabilitation of the ousters of the said dam.

It had been decided in the Chief Minister's Conference that 2.25 lakh acres of land would be given to the Himachal Pradesh Government for allotment to the ousters There should not be any difficulty in making that land available to the Himachal Pradesh Government.

Chief Minister's Conference should be called to settle this issue and the Central Government should help in the rehabilitation of these ousters so that they may get adequate compensation and land.

डा० के० एल० राव : हमें 45 करोड़ रुपया मुआवजे के रूप में देना होगा और 12 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में देने होंगे और फिर हम उन्हें राजस्थान में भूमि भी दे रहे हैं। इन सब बातों पर शुरू में विचार नहीं किया था। मुआवजा तो देना ही होगा और साथ ही इस सम्बन्ध में कुछ सीमा भी निर्धारित की जानी चाहिए। यह सीमा न्यायोचित होनी चाहिए। हम यह सब करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री विक्रम महाजन : किसानों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कभी भी नहीं हुआ जैसा कि पोंग बाँध के मामले में हुआ जिसमें पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र आते हैं। किसानों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये।

माननीय मंत्री ने इसी सदन में आश्वासन दिया था कि प्रत्येक परिवार को 15 स्टैंडर्ड एकड़ भूमि दी जायेगी। अब वह इस आश्वासन से विमुख हो रहे हैं। यह बड़ी विचित्र बात है। इन विस्थापितों को पर्याप्त भूमि इस लिए नहीं दी जा रही है क्योंकि गुजरात सरकार ने भी पर्याप्त भूमि नहीं दी है। मेरा निवेदन है कि भारत के नागरिकों के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। इससे गरीब किसानों और विस्थापितों की सहायता करने का प्रधान मंत्री समस्त कार्यक्रम ही समाप्त हो जायेगा। अतः आपको उन लोगों की ओर ध्यान देना होगा जिन्हें अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। आपने पोंग डैम की दो सुरगें बन्द कर दी हैं। 8000 परिवार इससे प्रभावित होंगे। आप उन्हें भूमि भी नहीं दे रहे हैं। जब आप उन्हें भूमि भी नहीं देंगे और मुजावजा भी नहीं देंगे तो ये लोग कैसे जिन्दा रहेंगे ?

डा० के० एल० राव : मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि कोई भी सुरंग बन्द नहीं की जा रही है। एक सुरंग में अधिकारी पलास्तर लगा रहे थे। मैंने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया क्योंकि इस से रास्ते में कुछ इन्च की रूकावट आ जायेगी। सुरगें बन्द नहीं की जायेंगी। मैं आशा करता हूं कि पिछले वर्ष की भांति स्तर 1190 से अधिक नहीं बढ़ पायेगा। कुछ असाधारण स्थितियों में ही यह 1240 से 1260 तक बढ़ सकता है तथा हम इस स्तर तथा इससे और अधिक स्तर से रक्षा की व्यवस्था करने के लिए उत्सुक हैं।

हम उन्हें मुआवजा देना चाहते हैं। हमने धन की व्यवस्था कर ली है। रुपये वितरण के लिए तैयार हैं। किन्तु वे लोग ब्याज मांगते हैं। अब देखना होगा कि कितना ब्याज दिया जा सकता है।

हम लोगों को भली भाँति बसाना चाहते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है।

मैं उन व्यक्तियों में से हूं जिन्होंने कहा था कि हमें उन्हें राजस्थान नहीं जाने देना चाहिये, हिमाचल प्रदेश में ही भूमि को सुधारना चाहिए और वहां सभी सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि ये लोग अन्यत्र न जाकर वहीं पर रहें । मेरा अभी भी यही विचार है ।

मैं आशा करता हूं कि दोनों राज्य सरकारें आपस में कुछ फैसला कर लेंगी और मंत्रिमण्डल सचिव का निर्णय मान लेंगी ।

Shri Paripoornanand Penuli (Tehri-Garhwal) : If the Hon'ble Minister had linked the question of compensation and rehabilitation with the problem of construction of Pong Dam, the position could have been much better. 35 lakh acres of land of Rajasthan would be irrigated and 10,50,000 acres of barren land of Punjab would be brought under cultivation after the construction of Pong Dam and these would be additional annual yield of foodgrains worth Rs. 100 crores as a result thereof. But it is very sad that when the question of compensation and rehabilitation comes, we start beating about the bush.

A dam is proposed to be constructed at Tehri. It would be the biggest dam of Asia and would cost about Rs. 197 crores. But Government have not drawn up any scheme for the payment of compensation to the persons who would be displaced as a result thereand also for rehabilitation them. 1300 meganatt of electricity would 'be produced by the proposed Tehri dam and the intire nation would be benefited thereby. But no scheme for the rehabilitation of the persons likely to be displaced thereby has been drawn up.

If the question of rehabilitation of the ousters of Pong dam had been made an integral part of the Pong dam, it would have been a healthy precedent and such a difficulty would not have arisen in the case of other dams proposed to be constructed in future in other parts of the country.

प्रो० नारायण चन्द पाराशर (हमीरपुर) : डा० के० एल० राव ने कहा था कि पोंग बाध के विस्थापितों को भूमि औपचारिक रूप से राजस्थान सरकार द्वारा अलाट की जायेगी किन्तु हिमाचल प्रदेश सरकार भूमि अलाट करने और कितनी भूमि अलाट की जाये इसका फैसला करने के लिए "मुख्य" प्राधिकारी होगी । यदि हिमाचल प्रदेश सरकार को भूमि सौंप दी जाये तो वह अपने अधिकारी भेजने और भूमि अलाट करने के लिए तैयार है ।

डा० के० एल० राव ने कहा है कि अधिकतर जल-स्तर 1240 या 1260 फुट तक जा सकता है । किन्तु यह जल-स्तर इससे भी ऊपर चला गया तो उस स्थिति में क्या होगा । माननीय मंत्री को इस पर भी विचार कर लेना चाहिए ।

माननीय मंत्री ने कहा है कि इस मामले को मंत्रिमण्डल सचिव को सौंप दिया गया है । किंतु मंत्रिमण्डल सचिव को इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लेना चाहिए ।

हिमाचल प्रदेश द्वारा भूमि का तुरन्त वितरण स्थिति का एक पहलू हैं । दूसरी बात यह है कि जो 13 गांव बादलों की ओर देख रहे हैं उन्हें बचाया जाना चाहिए । डा० राव को इन दोनों पहलुओं पर विचार करना चाहिए और हमें बताना चाहिए कि यदि जल-स्तर 1260 फुट से ऊपर चला गया तो वह क्या कार्यवाही करने का विचार रखते हैं ?

डा० के० एल० राव : इस सम्बन्ध में हमें इन्जीनियरों की राय पर निभर रहना पड़ता है । मैं मानता हूं कि हमें उन गांवों से सभी लोगों को निकाल देना चाहिए । मैंने इंजीनियरों से कह दिया है कि यदि जल-स्तर और ऊपर चला जाये तो हमें वहां पर लोगों को नहीं रहने देना चाहिए । मैंने यह बात हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री को भी बताई है ।

हम स्वयं सभी सावधानी बरतने के इच्छुक हैं ।

सभा–पटल पर रखे गये पत्र

Papers Laid on the Table

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : Mr. Speaker, I lay on the Table of the House following papers on behalf of Shri Moinul Haque Choudhary :—

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English varsions) of the Development Council for Instruments Industry for the period 1969-71, under sub-section (4) of section 7 of the Industries (Development and Regulation) Act. 1951.
[*Placed in the Liberary See No. L.T. 3033/72*]

(2) A copy of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act. 1956 :—

(i) Review by the Government on the working of the Bharat Heavy Electricals Limited, New-Delhi, for the year 1970-71.

(ii) Annual Report of the Bharat Heavy Electricals Limited, New Delhi, for the 1970-71 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
Placed in the Library See No. L.T.3034/72]

ध्यानाकर्षण सूचना के बारे में (प्रश्न)

Re : Calling Attention Notice (Query)

श्री पी० के० देव : मैं जानना चाहता हूं कि आप को जिस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूचना मैंने सुबह दी थी, उसका क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को सभा में नहीं बता सकता ।

श्री पी० के० देव : इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया गया है । इस पर अभी आपने विचार करना है । हमारा आपसे अनुरोध है कि आप इस पर कल या परसों चर्चा करने की अनुमति दें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी कुछ नहीं कह सकता ।

श्री पीलू मोदी : मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मामले के बारे में कुछ कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई सूचना नहीं मिली है ।

श्री पीलू मोदी : मैंने आपको लिखा था कि कल आपकी अनुमति से हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मामले पर चर्चा करेंगे । किन्तु आज हिन्दुस्तान टाइम्स में हमने पढ़ा है कि सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्यकलापों की जांच करने के लिए एक समिति बनाई है । यह बहुत अनुचित बात है । सरकार को संसद के समक्ष स्थिति स्पष्ट करने से पहले समाचार पत्रों में ऐसी घोषणा नहीं करनी चाहिए थी ।

श्री पी० के० देव : सभा की उपेक्षा की गई है । इसके लिए आपको सरकार को डाँटना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मै उन्हें कब तक डांटता रहूं ।

सभा–पटल पर रखे गये पत्र–जारी

Papers Laid on the Table—Contd.

Shri Siddheshwar Prasad : I lay on the Table of the House a copy each of the following Papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619-A of the Companies Act, 1956 :—

(1) Review by the Government on the working of the Hindustan Photo Films Manufacturing Company Limited, Ootacmund, for the year 1970-71.

(2) Annual Report of the Hindustan Photo Films Manufacturing Company Limited, Ootacamund, for the year 1970-71 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor-General thereon.

[*Pleaced in the Library See No. L.T. 3035/72*]

याचिका समिति

Committee on Petition

कार्यवाही सारांश

श्री अन्नत प्रसाद शर्मा : मैं याचिका समिति की चौथी से ग्यरहवीं बैठक के कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखता हूँ ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

Committee on Absence of Members from the Sitting of the House

कार्यवाही सारांश

श्री एस० जी० सामन्त : मैं सभा की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की वर्तमान सत्र के दौरान हुई चौथी से छठी बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखता हूं ।

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

Leave of Absence from the Sitting of the House

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने छठे प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को प्रतिवेदन में दिखाई गई अवधि के लिए अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की जाये :—

1. श्री एस० आर० दामाणी
2. श्री सी० के० जफर शरीफ
3. श्री गैंदा सिंह
4. श्री टी० एच० गावीन

मैं समझता हूं कि सभा समिति की सिफारिशों से सहमत है ।

कई माननीय सदस्य : हां, हां ।

अध्यक्ष महोदय : तदनुसार सदस्यों को सूचित कर दिया जायेगा ।

याचिका समिति

Committee on Petitions

पांचवा प्रतिवेदन

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मैं याचिका समिति का पांचवा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

Committee on Government Answers

तीसरा प्रतिवेदन

श्री इन्द्रजीत जे० मल्होत्रा : मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

राजनयिक सम्बन्ध (वियना कन्वेन्शन) विधेयक

Diplomatic Relations (Vienna Convention) Bill

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

श्री बी०आर० भगत : मैं राजनयिक सम्बन्धों पर वियना कन्वेशन 1961 को प्रभावी करने और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

नियम 377 के अन्तर्गत मामला

Matter under Rule 377

मद्यनिषेध के लिए श्री गोकुल भाई भट्ट का अनशन

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : आपकी अनुमति से मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले की ओर सरकार का ध्यान दिलाता हूं। जैसा कि सभा को मालूम हैं कि एक स्वतंत्रता सेनानी और आधुनिक राजस्थान के निर्माता, एक महान सर्वोदय नेता श्री गोकुल भाई भट्ट मद्यनिषेध के लिए गत 9 दिनों से अनशन कर रहे हैं। श्री भट्ट गत 16 तारीख से अनिश्चित काल तक के लिए अनशन पर हैं, क्योंकि वह राजस्थान सरकार से 1 अप्रैल, 1972 तक पूर्ण मद्यनिषेध लागू कराने में असफल रहे।

सभा को यह मालूम होगा कि श्री भट्ट द्वारा सत्याग्रह किये जाने के कारण राजस्थान सरकार 1 अप्रैल, 1972 तक पूर्ण मद्यनिषेध लागू करने के प्रस्ताव से सहमत हो गई थी। यह कार्यक्रम भारत सरकार के साथ परामर्श करके बनाया गया था और यह कार्यक्रम दो वर्ष तक चला। अब ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान सरकार अपने वचन से पीछे हट रही है और भारत सरकार इस प्रश्न पर चुप्पी साधे हुए है हम चाहते हैं कि भारत सरकार इस मामले में शीघ्र हस्तक्षेप करे और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करें जिससे श्री गोकुल भाई भट्ट अनशन तोड़ दें।

मैं याद दिलाता हूं कि अखिल भारतीय काँग्रेस समिति ने 1968 में अपने गोआ अधिवेशन में इस बात से सहमति व्यक्त की थी कि सात वर्षों में मद्यनिषेध लागू किया जाये।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : गत एक माह से चंडीगढ़ में भूख हड़ताल की जा रही है। चंडीगढ़ भत्ते के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक से अधिक प्रश्न उठाने के लिए अनुमति नहीं दूंगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : आप मुझे कल के लिए अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं कल देखूंगा।

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : सरकार श्री गोकुल भाई भट्ट द्वारा किये जा रहे अनशन से चिन्तित हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। राजस्थान सरकार ने बताया है कि उनकी हालत संतोषजनक है और उनका समुचित ध्यान रखा जा रहा है। भारत सरकार द्वारा मद्यनिषेध की नीति से हटने का कोई प्रश्न नहीं है। वास्तव में प्रधान मंत्री विरोधी दलों के नेताओं के साथ इस अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करना चाहती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस निर्देशक तत्व को किस प्रकार से अच्छी तरह लागू किया जा सकता है। प्रधान मंत्री ने श्री भट्ट को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने श्री भट्ट से अनशन तोड़ने की अपील की है। आशा है कि श्री भट्ट उनकी अपील पर ध्यान देंगे और अपना अनशन तोड़ देंगे।

संविधान (30वां संशोधन) विधेयक

Constitution (Thirtieth Amendment) Bill

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने के लिये मैं विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव पेश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने सम्बन्धी विधेयक को पेश करने के लिए अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was Adopted

श्री एच० आर० गोखले : मैं विधेयक पेश करता हूं। (व्यवधान)

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् विधेयक

Homoeopathy Central Council Bill

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० के किस्कु) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा द्वारा अपनी 3 अप्रैल, 1972 की बैठक में स्वीकृत और 4 अप्रैल, 1972 को इस सभा को भेजे गये प्रस्ताव में राज्य सभा द्वारा की गई इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा होम्योपैथी की एक केन्द्रीय परिषद् के गठन और होम्योपैथी का एक केन्द्रीय रजिस्टर रखे जाने तथा तत्सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं

की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए लोक सभा के निम्नलिखित 30 सदस्य नामनिर्दिष्ट किये जायें, अर्थात :—

(1) श्री जियाउर्रहमान अन्सारी
(2) श्री विद्याधर वाजपेयी
(3) श्री कुशोक बाकुला
(4) श्री मुहम्मद खुदा बख्श
(5) श्री ए० एम० चेलाचेमी
(6) श्री भाऊ साहेब घामणकर
(7) श्री हीरालाल डोडा
(8) श्री नागेश्वर द्विवेदी
(9) श्री पम्पन गोडा
(10) श्री माधुर्य्य हाल्दर
(11) श्री चिरंजीव झा
(12) श्री पोपटलाल एम० जोशी
(13) श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली
(14) श्री बी० आर० कावड़े
(15) श्री टी० एस० लक्ष्मणन्
(16) श्री मल्लिकार्जुन
(17) श्री प्रसन्नभाई मेहता
(18) श्री एन० श्रीकान्तन नायर
(19) डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय
(20) श्री जानकी बल्लभ पटनायक
(21) श्री एस०एल० पेजे
(22) श्री झारखण्डे राय
(23) श्री एम० सत्यनारायण राव
(24) श्री उमेद सिंह राठिया
(25) श्री के० रामकृष्ण रेड्डी
(26) डा० संकटा प्रसाद
(27) श्री अवधेश चन्द्र सिंह
(28) श्री रामदेव सिंह
(29) श्री रण बहादुर सिंह
(30) श्री टी० सोहनलाल

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि यह सभा राज्य सभा द्वारा अपनी 3 अप्रैल, 1972 की बैठक में स्वीकृत और 4 अप्रैल 1972 को इस सभा को भेजे गए प्रस्ताव में राज्य सभा द्वारा की गई इस सिफारिश से सहमत है, कि यह सभा होम्योपैथी की एक केन्द्रीय परिषद् के गठन और होम्योपैथी का एक केन्द्रीय रजिस्टर रखे जाने तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी

दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए लोक-सभा के निम्नलिखित 30 सदस्य नाम निर्दिष्ट किये जायें, अर्थात :—

(1) श्री जियाउररहमान अन्सारी
(2) श्री विद्याधर वाजपेयी
(3) श्री कुशोक बाकुला
(4) श्री मुहम्मद खुदाबख्श
(5) श्री ए० एम० चेलाचेमी
(6) श्री भाऊसाहेब धामणकर
(7) श्री हीरालाल डोडा
(8) श्री नागेश्वर द्विवेदी
(9) श्री पम्पन गोडा
(10) श्री माधुर्य्य हाल्दर
(11) श्री चिरंजीन झा
(12) श्री पोपटलाल एम० जोशी
(13) श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली
(14) श्री बी० आर० कावड़े
(15) श्री टी० एस० लक्ष्मणन्
(16) श्री मल्लिकार्जुन
(17) श्री प्रसन्नभाई मेहता
(18) श्री एन० श्रीकान्तन नायर
(19) डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
(20) श्री जानकी बल्लभ पटनायक
(21) श्री एस० एल० पेजे
(22) श्री मौलाना इसहाक सम्भली
(23) श्री एम० सत्यनारायण राव
(24) श्री उमेद सिंह राठिया
(25) श्री के० रामकृष्ण रेड्डी
(26) डा० संकटा प्रसाद
(27) श्री अवधेश चन्द्र सिंह
(28) श्री राम देव सिंह
(29) श्री रण बहादुर सिंह
(30) श्री ए० के० किस्कु

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर कराना तथा दस्तावेजों का पेश किया जाना) विधेयक

Departmental Inquiries (Enforcement of Attendance of witness and production of documents) Bill

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कतिपय विभागीय जांचों में साक्षियों के हाजिर कराने और दस्तावेजों के पेश किए जाने का तथा तत्सम्बद्ध अथवा तदानुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाये :—

अधिनियमन सूत्र

Enacting Formula

(एक) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में, 'बाईसवें वर्ष' शब्दों के स्थान पर 'तेईसवें वर्ष' शब्द प्रतिस्थापित किये जायें ।

खण्ड 1

(दो) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में, '1971' अंकों के स्थान पर '1972' अंक प्रतिस्थापित किये जायें ।

खण्ड 7

(तीन) कि पृष्ठ 4, पंक्ति 1 से 3 में —

दो क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जायेगा और यदि उस सत्र के, जिसमें उसे ऐसे रखा गया हो, या ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व शब्दों के स्थान पर

दो या अधिक क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जायेगा और यदि, उस सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व या उक्त क्रमवर्ती सत्रों में शब्द प्रतिस्थापित किए जायें ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि कतिपय विभागीय जांचों में साक्षियों के हाजिर कराने और दस्तावेजों के पेश किए जाने का तथा तत्समबद्ध अथवा तदानुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये निम्मलिखित संशोधनों पर विचार किया जाये :—

अधिनियमन सूत्र

Enacting Formula

(एक) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में, 'बाईसवें वर्ष' शब्दों के स्थान पर 'तेइसवें वर्ष' शब्द प्रतिस्थापित किए जायें ।

खण्ड 1

(दो) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में, '1971' अंकों के स्थान पर '1972' अंक प्रतिस्थापित किये जायें।

खण्ड 7

(तीन) कि पृष्ठ 4, पंक्ति 1 से 3 में—

दो क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जायेगा और यदि उस सत्र के, जिसमें उसे ऐसे रखा गया हो, या ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व" शब्दों के स्थान पर

दो या अधिक क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जायेगा और यदि उस सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व या उक्त क्रमवर्ती सत्रों में 'शब्द प्रतिस्थापित किये जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

अधिनियमन सूत्र

Enacting Formula

(एक) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में 'बाईसवें वर्ष, शब्दों के स्थान पर 'तेईसवें वर्ष शब्द प्रतिस्थापित किये जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was Adpoted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

खण्ड 1

(दो) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में, '1971' अंकों के स्थान पर '1972' अंक प्रतिस्थापित किये जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was Adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

खण्ड 7

(तीन) कि पृष्ठ 4, पंक्ति 1 से 3 में—

दो क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जायेगा और यदि उस सत्र के, जिसमें उसे ऐसे रखा गया हो, या ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व शब्दों के स्थान पर

दो या अधिक क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जायेगा और यदि उस सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व या उक्त क्रमवर्ती सत्रों में शब्द प्रतिस्थापित किये जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

श्रीराम निवास मिर्धा : मैं प्रस्ताव करता हूँ।

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किये गये संशोधनों पर सहमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किये गये संशोधनों पर सहमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

खान (संशोधन) विधेयक के बारे में

Re : Mines (Amendment) Bill

अध्यक्ष महोदय : मैं अब यह मद संख्या 14 को लेता हूं।

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : महोदय मुझे यह प्रस्ताव बाद में पेश करने की अनुमति दी जाये। इस विधेयक को संयुक्त समिति में भेजने का निर्णय किया गया है। अतः मैं आपकी अनुमति से इसे कल पेश करूंगा।

वस्तुविद विधेयक

Architects Bill

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : प्रो० एस० नूरुल हसन की ओर से मैं प्रस्ताव पेश करता हूँ :

"कि वास्तुविदों के रजिस्टरीकरण का तथा तत्सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

जैसा कि सभा को मालूम है कि वास्तुविदों की एक संस्था बनाने और इनके पेशे को विनियमित करने का प्रश्न काफी समय से भारत सरकार के विचाराधीन है। मामले के सभी पहलुओं पर पूरी तरह विचार करने के बाद सरकार ने विधेयक तैयार किया और इस पर केन्द्रीय मंत्रियों और अन्य सम्बन्धित संस्थाओं, राज्य सरकारों, व्यावसायिक निकायों और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ चर्चा की। इस चर्चा के आधार पर विधेयक को अन्तिम रूप देकर 10 दिसम्बर, 1968 को चौथी लोक सभा में पेश किया गया था। दुर्भाग्यवश, विधेयक के पास होने के पूर्व ही चौथी लोक सभा भंग कर दी गई और विधेयक व्यपगत हो गया। अतः सरकार ने इस विधेयक को इस सभा में पुनः पुरःस्थापित किया है।

विधेयक का प्रत्येक उपबन्ध पूरी सावधानी और विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है और इसमें विशेषज्ञों, संस्थाओं और अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों के विचारों को ध्यान में रखा गया है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक न्यायसंगत हित की पूरी तरह रक्षा की जाये। मैं सभा से अनुरोध करता हूँ कि विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : यह एक सर्वविदित सिद्धांत है कि प्रत्येक किस्म के व्यवसायी लोगों के कार्यकलापों को विनियमित करने के किये कोई कानून होना चाहिए और इस उद्देश्य से इस विधेयक का स्वागत है। किन्तु यह सभी जानते हैं कि वास्तुविद केवल योजनाओं के प्रारूप अथवा डिजाइन तैयार करते हैं। वे वास्तव में निर्माण-कार्य नहीं करते हैं। यह काम इंजीनियरों का होता है, जिन्हें इस विधेयक के क्षेत्राधिकार से पूरी तरह बाहर रखा गया है। इसमें वास्तुविदों के रजिस्टरीकरण की व्यवस्था है। जो विधेयक सभा के समक्ष पेश किया गया है, यह एक खण्डशः विधेयक है, जिससे इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है ?

जिस दूसरी बात की ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि यदि इसका उद्देश्य यह है कि हमें दक्ष वास्तुविदों की सेवाएं मिलनी चाहिये और भवन निर्माण का काम भी दक्ष व्यक्तियों के हाथ में होना चाहिये और जन सामान्य को भी इन दक्ष व्यक्तियों की सेवाओं का लाभ होना चाहिये। इसके लिये सरकार को वास्तुविदों की तालिकायें तैयार करनी चाहिये और जनसाधारण को उनकी सेवायें उपलब्ध करानी चाहिये। किन्तु इस पहलू की ओर ध्यान नहीं दिया गया है और वास्तुविदों के रजिस्ट्रीकरण के लिये कुछ उपबन्ध किये गये हैं। क्या इससे सभी समस्यायें हल हो जायेंगी।

इस विधेयक के खण्ड 30 में किसी वास्तुविद द्वारा किये गये व्यवसाय सम्बन्धी कदाचार के सम्बन्ध में की जाने वाली जांच-पड़ताल सम्बन्धी प्रक्रिया दी गई है। किन्तु उसकी अकुशलता या अक्षमता के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। यह व्यवसायिक कदाचार में शामिल नहीं है। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ वह इस पर विचार करें। यदि इसका उद्देश्य अधिक सुरक्षित भवनों अथवा बेहतर भवनों या अधिक सस्ते भवनों का निर्माण करना है, तो आयोग्य वास्तुविद अथवा अदक्ष वास्तुविद नहीं होने चाहिये। अतः मंत्री महोदय इस पर विचार करें और यदि संभव हो तो इस दोष को दूर करें।

जहां तक विधेयक के अन्य उपबन्धों का सम्बन्ध हैं, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर समुचित रूप से विचार करें। सरकार को वास्तुविदों की तालिका बनाकर उनकी फीस निर्धारित करनी चाहिये जिससे जनसाधारण योग्य और दक्ष लोगों की सेवाओं को अपने भवन निर्माण-कार्य के लिये प्राप्त कर सकें। अन्यथा इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

Shri R.V. Bade (Khargone) : Mr. Speaker, the Bill should have been named as Registration of Architects Bill instead of Architect Bill as it is mainly concerned with the regisration procedure.

It appears that the Government has paid no attention to the points which have been raised during the deliberations of this Bill in the joint select Committee one point which was specially raised in the committee is that the architects should be included in the Bill. But no amendment has been made in this regard. Again, in the Joint Select Committee,

three or four schedules have been suggested but the ministry has accepted only one. Therefore this Bill is uncomplete. I hope that civil Engineers shall be included in the Bill. With these words I support this Bill.

श्री धामनकर (भिवंडी) : देश में विकास की गतिविधियाँ तेजी से बढ़ती जा रही हैं और इस व्यवसाय में ऐसे गलत लोग आ रहे हैं जिनके पास उपयुक्त अर्हतायें नहीं हैं और कभी कभी भवन असुरक्षित हो जाते हैं। इस की रक्षा करने के उद्देश्य से सरकार ने यह विधेयक पेश किया है। अर्हताओं की अनुसूची में हम देखते हैं कि सिविल इंजीनियरों को शामिल नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि उन सिविल इंजीनियरों को इसमें शामिल किया जाना चाहिये जिन्हें वास्तुशिल्पी फर्म में कम से कम एक वर्ष का अनुभव प्राप्त हों।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

इस विधेयक में 20 रुपये फीस की व्यवस्था की गई है। यदि यह फीस बढ़ाकर 250 रुपये कर दी जाये और उन्हें समूचे भारत में काम करने की अनुमति दी जाये तो मैं समझता हूँ कि इससे वास्तुविदों की एक समस्या हल हो जायेगी। इस सुझाव के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री एस०एम० बनर्जी (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय. मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। खण्ड 25 में कुछ त्रुटियों का उल्लेख किया गया है, यह कहा गया है कि सिविल इंजीनियरों को भी शामिल किया जाना चाहिये। एक वास्तुविद और एक सिविल इंजीनियर में कुछ अन्तर होता है। इस मामले में कोई भी व्यक्ति जो न तो सिविल इंजीनियर है तथा न ही ओवरसियर और न ही, जिसके पास किसी संस्थान से प्राप्त कोई डिप्लोमा है परन्तु जिसने किसी वास्तुविद के साथ पांच वर्ष तक काम किया है, वास्तुविद बन सकता है। इस उपबन्ध के सम्बन्ध में अन्य अर्हताओं जिनका नियमों में उल्लेख किया गया है, का कुछ स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये। मंत्री महोदय को बताना चाहिये कि इस विशेष खण्ड को क्यों रखा गया है किसी व्यक्ति को केवल इस आधार पर छूट नहीं दी जानी चाहिये तथा लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिये कि उसने किसी विख्यात वास्तुविद के साथ काम किया है।

यह निर्णय नहीं किया गया है कि परिषद् में काम करने वाले अधिकारियों या कर्मचारियों के वेतन और भत्ते क्या हों। खण्ड 12 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिये कि केन्द्रीय सरकार को पूर्वानुमति से परिषद् के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वही वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें हों जो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में हैं। इस मामले में यह स्पष्ट किया जाना चाहिये कि इस विशिष्ट परिषद् में काम करने वाले कर्मचारियों पर वही नियम तथा विनियम लागू होंगे जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू हैं। यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिये कि वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाओं के मामले में इन्हें केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समझा जाना चाहिये।

अब मैं खण्ड 30 को लेता हूं। खंड 30 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यदि किसी शिकायत की प्राप्ति पर परिषद की राय में कोई वस्तुविद ऐसे व्यावसायिक कदाचार का दोषी हैं, तो उसे वास्तुविद के रूप में व्यवसाय करने से वंचित किया जा सकेगा। व्यावसायिक कदाचार बहुत व्यापक शब्द है। इसमें 'कार्य-अकुशलता' शब्द जोड़ा जाना चाहिये। मन्त्री महोदय को महाराष्ट्र की वास्तुविद परिषदों में से एक परिषद द्वारा की गई मांगों पर विचार करना चाहिए।

विधेयक के उपबन्धों के अनुसार एक व्यक्ति बिना किसी अर्हता के पांच वर्ष के अनुभव के आधार पर अपने आपको वास्तुविद के रूप में पंजीकृत करा सकता है। लेकिन अर्हता प्राप्त लोगों का क्या होगा ? मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह ऐसे वास्तुविदों की एक सूची तैयार करें जो बेरोजगार हैं। कम से कम वास्तुविद और इन्जीनियर तो बेरोजगार नहीं होने चाहिये।

यदि इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में सिविल इन्जीनियरों को लाना संभव हो, तो मैं इस का स्वागत करूंगा।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : इस विधेयक के बारे में अनेक गलत धारणायें हैं। यह केवल एक ऐसा विधेयक है जो "वास्तुविद" शब्द का संरक्षण करता है। इससे वास्तुविदों को रोजगार नहीं मिलेगा। इससे इस व्यवसाय की अन्य कठिनाईयां दूर नहीं होगीं।

इस विधेयक से एक यह गलत धारणा उत्पन्न हुई प्रतीत होती है कि जो वास्तुकला का व्यवसाय कर रहे हैं तथा अपने आपको 'वास्तुविद' कहते हैं, उनको उस व्यवसाय से वंचित नहीं किया जाना चाहिये जिसे वे गत पांच वर्षों से कर रहे हैं। इस खंड से वास्तुविद व्यवसाय में सुधार होगा किन्तु इसके साथ-साथ इस विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने के फलस्वरूप जिन कई लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता था, उसे कम करने में भी इससे काफी सहायता मिलेगी।

एक सुझाव यह दिया गया है कि कार्य-अकुशलता के लिए दंड की व्यवस्था होनी चाहिये। चूंकि हम इस विधेयक को विवादास्पद नहीं बनाना चाहते, अतः हम एक व्यक्ति को जो कुछ अर्हतायें पूरी करता है, उसको अपने आपको वास्तुविद कहने की अनुमति दे रहे हैं। यह उपबन्ध आगामी पीढ़ियों के लिए हैं। जो अपने आपको वास्तुविद कहेंगे उनके पास कुछ अर्हताएं होंगी।

एक और सुझाव दिया गया है कि इसमें इंजीनियरों को क्यों न शामिल किया जाये। मुझे बताया गया है कि उनके लिए विधेयक शीघ्र पेश किया जा रहा है जिससे इंजीनियरों के अधिकारों की सुरक्षा हो सकेगी। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का स्वागत करता हूँ और मैं सभा को सिफारिश करता हूँ कि हम इस विधेयक को और वाद-विवाद किये बिना पास कर दें।

श्री वी० वी० नायक (कनारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। जबकि विधेयक आन्तरिक रूप में स्वयंपूर्ण है, इसमें एक दोष यह है कि क्या हमारे लिए ऐसे लोगों का रखना संभव होगा जो अपनी सेवाओं के साथ इस देश के आन्तरिक क्षेत्रों में उपलब्ध होंगे और जो ग्रामीण निर्माण कार्यों में तथा गाँवों में भवनों के निर्माण में हमारी सहायता कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि जो लोग इस देश के आन्तरिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे होंगे उनके लिए यह उनके साधनों से बाहर की बात होगी कि वे यहां आ सके अथवा 'मुख्यालयों में' अर्थात नई दिल्ली में आ सकें और तब अपने आपको वास्तुविद के रूप में दर्ज करा सकें। यह कहना उचित नही होगा कि वास्तुविद का यह व्यवसाय केवल सिविल इंजीनियरों के स्नातकों के लिए छोड़ दिया गया है। किसी वास्तुविद से यह अपेक्षा करना कि वह सिविल इन्जीनियर की सभी अर्हताएं पूरी करे ठीक नहीं है।

परिवीक्षा अवधि के सम्बन्ध में अथवा किसी समय से अध्ययन किए जा रहे सिद्धान्त के सम्बन्ध में समूचे विधेयक में कोई उपबन्ध नही किया गया है। अत: मैं समझता हूं कि इस समय अथवा भविष्य में मंत्री महोदय के लिए यह संभव होगा कि वह उस उपबन्ध को विधेयक में शामिल करे जिसका अध्ययन किया जा रहा है या जिसका कतिपय प्रसिद्ध वास्तुविदों के अधीन अध्ययन किया जा सकता है। यह वास्तुविदों के समूचे व्ययसाय के प्रति एक अच्छा योगदान होगा।

श्री डी० पी० यादव : मैंने विधेयक को पुरःस्थापित करते समय अपने भाषण में यह बात कह दी थी कि इस विधेयक को अन्तिम रूप में प्रस्तुत करने में पांच वर्ष लग गये हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से अनुभव करता हूँ कि इस समय इसमें कोई अन्य संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। विधेयक का उद्देश्य वास्तुविदों को संरक्षण प्रदान करना है। इन्जीनियरों को इमारतों के डिजाइनों तथा निर्माण कार्य सम्बन्धी कार्य करने की पूरी स्वतन्त्रता है, बशर्ते कि वे अपने आपको वास्तुविद न कहें। कोई भी इंजीनियर जो गत पांच वर्षों से वास्तुकला का अभ्यास कर रहा हो, वास्तुविदों के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। अत: यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता और इस बात की आशंका करने की कोई आवश्यकता नही है कि इन्जीनियरों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

मैं सभा से अनुरोध करता हूँ कि वह इस स्थिति में इस विधेयक को पारित करे और यदि सभा महसूस करती है कि कोई संशोधन आवश्यक है तो सरकार को उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है 'कि वास्तुविदों के रजिस्टरीकरण का तथा तत्सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किए गये रूप में विचार किया जाये'।

[**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**
The Motion was adopted]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम इस पर खंडवार विचार करेंगे।

श्री आर० पी० बड़े (खरगोन) : मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं यह प्रस्ताव पेश करने की अनुमति चाहता हूँ : पृष्ठ 1, पंक्ति 11 के अन्त में निम्न शब्द जोड़ दिये जाएं "और किसी भवन के निर्माण के लिए डिजाइन तैयार करने और उसका निरीक्षण करने के लिए अर्हता प्राप्त व्यक्ति सम्मिलित है और इस में सिविल इन्जीनियर भी सम्मिलित हैं।"

'वास्तुविद' का अथ वह व्यक्ति है, जिसका नाम इस समय रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है। मैं अन्त में यह शब्द जोड़ना चाहूँगा : "और किसी भवन के निर्माण के लिए डिजाइन तैयार करने और इसका निरीक्षण करने के लिए अर्हता प्राप्त व्यक्ति सम्मिलित है और इसमें सिविल इन्जीनियर भी सम्मिलित हैं।"

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो०एस० नूरूल हसन) : मैं इस संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खंड 2 इस विधेयक का भाग है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

खंड 2 को इस विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 3

श्री आर० वी बड़े : मैं यह प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं : पृष्ठ 2, पंक्ति 32 के अन्त में "वास्तुविदों में से" जोड़ दिया जाये ।

पृष्ठ 2 में पंक्ति 38 के पश्चात यह जोड़ दिया जाये "5 वर्षों का अनुभव रखने वाले और परामर्शदात्री इन्जीनियरों में से दो व्यक्ति ।"

प्रो० नूरूलहसन : मुझे खेद है कि मैं इन संशोधनों को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ ।

ये संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खँड 3 इस विधेयक का अंग बने हैं ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खंड 3 को इस विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 4 से 12 भी इसी विधेयक में जोड़ दिए जाये ।

खंड 13

श्री आर० वी० बड़े : मैं निम्न प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं : पृष्ठ 5, पंक्ति 42 के पश्चात यह जोड़ दिया जाये "(1 क) इस निधि का कुछ अंश परिषद द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार बेरोजगार वास्तुविदों को बेरोजगारी भत्ते के भुगतान के लिए उपयोग किया जायेगा ।"

श्री डी० पी० यादव : हम इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकते ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 4 सभा के मतदान के लिए रखूंगा ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है : "कि खंड 13 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

खंड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 13 से 23 भी इस विधेयक में जोड़ दिये गए ।

खंड 24

श्री आर बी० बड़े : मैं यह प्रस्ताव रखता हूँ · संख्या 5 और 6 पृष्ठ 9, पंक्ति 32 के पश्चात इसे जोड़ दिया जाये', बशर्ते कि यदि निर्धारित समय के भीतर कोई आवेदन पत्र नहीं दिया जाता हैं और यदि यह विलम्ब संतोषजनक कारणों से हुआ है, तो इसे क्षमा कर दिया जाये ।"

पृष्ठ 9, पंक्ति 36 के अन्त में यह जोड़ दिया जाये "और यदि आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो अस्वीकृति के कारणों को लिखित रूप में बताया जाये।"

श्री डी० पी० यादव : मैं इस संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 5 और 6 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खंड 24 इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

खंड 24 को इस विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : समय तो समाप्त हो चुका, किन्तु यदि हम कुछ समय और लगायें, तो इस विधेयक पर जिस, पर हम विचार समाप्त करने ही वाले हैं, पूरा हो जायेगा।

प्रश्न यह है "कि खंड 25 इस विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

खंड 25 को इस विधेयक में जोड दिया गया।

खंड 26

श्री आर० वी० बड़े : मैं यह प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं : संख्या 7 पृष्ठ 10, पंक्ति 41 में 'तिथि'के पश्चात 'अथवा जानकारी' जोड़ दिया जाये।

श्री डी० पी० यादव : हम इसे स्वीकार नहीं करते।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं इस संशोधन को मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और वह अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खंड 26 इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

खंड 26 को इस विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 27-45, अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये :"

श्री डी० पी० यादव : मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूँ "कि इस विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि यह विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

उड़ीसा से आदिवासी लड़कियों की कथित बिक्री के बारे में चर्चा

Discussion re : Reported sale of Adivasi girls from Orissa

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : स्थानीय ठेकेदारों द्वारा देश के विभिन्न भागों में उड़ीसा से लगभग 2000 आदिवासी लड़कियों की कथित बिक्री के बारे में सभा को अवगत कराया गया था। इस सम्बन्ध में यहां एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी पेश किया गया था, किन्तु उसका जो उत्तर दिया गया था, वह अपर्याप्त, अपूर्ण एवं असन्तोषजनक था।

वास्तविकता यह है कि गोरमाहीशनी और बादामपहाड़ में टाट के स्वामित्व वाली खानों में कार्य 1967 से बन्द पड़ा है। इससे बेरोजगारी की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई थी। 1969 में देश के विभिन्न भागों में आदिवासी लड़कियों के अवैध व्यापार के कुछ मामले सामने आये। सितम्बर 1971 में इस बात के समाचार भी मिले थे कि 3 लड़कियों को बेचा गया और बाद में उसी वर्ष 3 और लड़कियों को बेचने का समाचार मिला था। अब देश के विभिन्न भागों में इन बेची जाने वाली लड़कियों की संख्या बढ़कर 2,000 तक पहुंच गई है।

माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि राज्य सरकार ने इस संख्या का खंडन किया है। किन्तु सरकार ने कहीं भी इन समाचारों का जो 2000 लड़कियों के बारे में नियमित रूप से समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहे हैं, खण्डन नहीं किया है।

दोषी व्यक्तियों को पकड़ने और उन्हें दण्ड देने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया। सरकार ने इन लड़कियों के अपरण को रोकने के लिए भी कुछ नहीं किया है राज्य सरकार ने जान-बूझ कर और निश्चित ही सूचना को छुपाकर इस मामले में अनुचित कार्य किया है। केन्द्रीय सरकार का कहना हैं कि यह राज्य का विषय है है, इसलिए हम राज्य सरकार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। राज्य सरकार को इस बात की कोई परवाह ही नहीं है। कोई भी सरकार इस बुराई को सदा के लिए रोकने की जिम्मेंदारी लेना स्वीकार नहीं कर रही है। केन्द्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए दिये गये सरंक्षण देने की जिम्मेदारी से अपने को मुक्त नहीं कर सकती।

उड़ीसा की दुखद घटना के अतिरिक्त, बेलाडिला तथा अन्य स्थानों में इसी प्रकार की घटनायें बढ़ चढ़ कर हो रही हैं। बेलाडिला की अयस्क परियोजना की स्थापना हो जाने से निराश्रय हुई 400 आदिवासी लड़कियों की दर्दनाक कहानी का वर्णन इस सभा के माननीय सदस्य द्वारा सप्लाई किये गये एक इश्ताहार में किया गया है। इस क्षेत्र में बलात्कार, अपहरण और धोखाधड़ी का ही बोल बाला है। वहां कोई कानून और व्यवस्था नहीं है और आदिवासी लोगों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था भी नहीं है।

इस सभा में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के विरुद्ध किये जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध निरंतर चर्चा होती रही है। हरिजन स्त्रियों को जला दिया जाता है, हरिजनों के बारातों पर आक्रमण होना है और हरिजन लड़कियों को नंगा करके गलियों में घुमाया जाता है। यह सभी कुछ प्रत्येक स्थान पर घटित हो रहा है। अतः, यह बहुत ही गंभीर स्थिति है।

सरकार को इसके विरुद्ध जनता की भावना अर्थात शक्तिशाली दबाव का ध्यान रखना चाहिए हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हमारी सरकार दक्षतापूर्ण और प्रभावी ढंग से कार्य

कर रही है । अतः, हमें इस भावना को बदल देना चाहिए कि सब कुछ सही हो रहा है ।

ऐसे अनेक कार्य हैं । जिन्हें सरकार कर सकती है । उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन क्षेत्रों में परियोजनाओं को आरम्भ न किया जाये, जहाँ आदिवासी रहते हैं । इस समय एक अथवा अन्य परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए प्रत्येक स्थान पर आदिवासी लोगों के जीवन को अस्तव्यस्त किया जा रहा है और इस कारण आदिवासी लोग बहुत ही उत्तेजित हैं । आदिवासी कल्याण बोर्ड अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के लिए एक आयुक्त कार्य कर रहे हैं और अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के कल्याण के सम्बन्ध में एक समिति भी कार्य कर रही है । तब भी कोई अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा है ।

इस सरकार को एक संसदीय समिति नियुक्त करनी चाहिए, जो स्थिति का अध्ययन करने और यथाशीघ्र प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में शीघ्र जाये । इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए । मेरा सुझाव है कि आदिमवासी लोगों के लिए वैकल्पिक नौकरियों की व्ययस्था अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए । मेरा यह भी सुझाव है कि फायर ब्रिगेड की तरह का एक न्याय मंत्रालय स्थापित किया जाना चाहिए और इस विभाग के जिम्मे ऐसे मामले सौंपे जाने चाहिए, जिनमें कानून की अनदेखी न की गई हो । इसके मंत्री को किसी अन्य मंत्रालय के प्रभारी मंत्री की तरह संसद के प्रति उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए । इसका एक मुख्य कार्य कानून के सामान्य कविास का पुनर्विलोकन करते रहना और कानून की किसी धारा के सम्बन्ध मे प्रतिवेदन प्रस्तुत करना और संसद के सामने कानूनी सुधारों को लाना होना चाहिए ।

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : केन्द्र की कांग्रेस सरकार यह भी बहाना ढूंढने का प्रयास कर सकती है कि वह वहाँ पर सत्तारूढ़ नहीं है । किन्तु कांग्रेस सरकार अपनी जिम्मेदारी से हिचकिचा नहीं सकती न ही उसे हिचकचाना चाहिए, क्योंकि वे वहां सत्तारूढ़ नहीं हैं ।

6 अप्रैल को 'स्टेट्समैन' में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि केन्द्रपारा के 26 नवयुवकों को 10 हजार रुपये में बेचा गया । मैं सरकार से यह जानना चाहूँगा कि क्या उसने इस बारे में कोई जांच की है और क्या उसने इन दुर्भाग्यशाली लोगों को उन लालची लोगों के हाथों से बचाने के लिए कोई कार्यवाही की है ।

एक अन्य समाचार भी छपा है कि केवल मयूरभंज जिले की गोरमलसानी और राजरंगपुर तहसीलों में लगभग 2,000 आदिवासी लड़कियों को इस प्रकार ले जाया गया है और उनमें से अधिकाँश के बारे में अभी तक पता नहीं है कि वे कहां है । मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि उसने इन दुर्भाग्यशाली लड़कियों का पता लगाने के लिए क्या पग उठायें हैं ।

इस घटना से यह पता चलता है कि समाज के उच्चस्तर के लोग, जो स्वतंत्रता प्राप्ति से हमारे देश में शासन करते चले आ रहे हैं, इन दोषों से युगों से पीड़ित आदिवासी लोगों के प्रति कठोर रवैया अपनाये हुये हैं ।

केन्द्र की कांग्रेस सरकार राज्य के मामलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ पर आदिवासी लड़कियों को बाजार में वस्तुओं के रूप में बेचा जाता है । केन्द्रीय सरकार पर, उन लोगों के, जो सर्वाधिक पिछड़े और पीड़ित है, उत्थान के लिए पूरी जिम्मेदारी है ।

इस का मुख्य कारण आदिवासियों की अत्याधिक निर्धनता, लाभकारी व्यवसाय का अभाव,

रोजगार संबंधी सुविधायों का अभाव है उनका शोषण है। इनमें अधिकाँश लोग भूमिहीन हैं, अनेक लोग ग्रामों में कृषि मजदूर हैं, जिन्हें दैनिक मजदूरी पर थोड़ी सी राशि मिलती हैं और वह भी सारा वर्ष उन्हें नहीं मिलती। इन में से अधिकाँश आदिवासियों के पास खेती-बाड़ी करने के लिए भूमि नहीं है। इसका लाभ उठाकर लालची बन ठेकेदार इन लोगों से, जिनकी स्थिति बड़ी ही शोचनीय और दयनीय है, बन मजदूर के रूप में काम कराते हैं। यह वर्ग देश के गरीब वर्गों में से सब से अधिक गरीब है। उनकी भूख और भुखमरी का लाभ उठाते हुए बहुत से लालची और धनी लोग, व्यापारी लोग और ठेकेदार उन्हें लूट रहे हैं।

कांग्रेस सरकार आदिवासी लोगों की तो उपेक्षा करती रही है। किन्तु सरकार ने पूर्व पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को शरण देने तथा उनके पुनर्वास की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी और इस के साथ ही हाल में याह्याखां सरकार द्वारा किये गये अत्याचारों के कारण बंगला देश से आये, शरणार्थियों में भी उन्हें शरण देने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। परन्तु त्रिपुरा में आदिवासी शरणर्थियों के साथ भी इस प्रकार व्यवहार क्यों नही किया गया? त्रिपुरा सरकार ने इन लोगों को स्वीकार नहीं किया है। उन लोगों को त्रिपुरा की सीमा से निकाल देने के लिए पुलिस भेजी गई। उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया। आदिवासी लोग समाज का सब से कमजोर वर्ग है। इसी लिएलों सरकार ने उनके माम क जानबूझ कर अवेहलना की है।

आदिमवासी लोग बहुत ही निर्धन हैं और उनका शोषण किया जा रहा है। वे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। जब तक उनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की जाती तथा जब तक उनके लाभप्रद रोजगार की व्यवस्था नहीं कर दी जाती, तब तक केवल नैतिक उपदेश देते रहने से कोई भी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा।

यदि सरकार इस समस्या का उन्मूलन और समाधान करना चाहती है, तो उसे सर्वप्रथम आदिमवासी लोगों को खेती करने के लिए भूमि देनी चाहिए, उन्हें रोजगार दिया जाना चाहिए उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए उन्हें जहां सम्भव हो वहां क्षेत्रीय स्वायत्ता प्रदान की जानी चाहिए, ताकि वे लोग अपनी देख-रेख करने की जिम्मेवारी स्वयं उठा सकें। अभी उसी दिन हमने पूर्णिया में रूपसपुर में 14 आदिवासियों की हत्या के बारे में सभा में चर्चा की है। इस सभा में मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि कुछ कार्यवाही की जायेगी। मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में क्या हुआ है।

एक और घटना आदिवासी लड़की के साथ हुए दुव्यवहार के बारे में है, जो भारत पाक युद्ध में शहीद हुए एक जवान की विधवा है। वह दिल्ली आई थी। इन निर्धन लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? श्री पंत को इस का उत्तर देना चाहिए।

श्री जे० बी० पटनायक (कटक) : वास्तव में यह बहुत ही खेदजनक बात है कि यह सभा स्वतंत्रता के 25 वर्षों और हमारे गणतन्त्र के 20 वर्षों के पश्चात इस मामले पर चर्चा कर रही है। हम आज मयूरभंज के लोगों की महानता के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, अपितु उस राज्य के आदिवासियों के दुर्भाग्य पर विचार कर रहे हैं। यह समस्या बहुत ही विशाल है और इसकी जड़ बहुत ही गहरी है।

राज्य सरकार ने इस समस्या को सुलझाने का प्रयास किया है। राज्य सरकार का कहना है कि आदिवासी लड़कियों की बिक्री के इक्के दुक्के मामले हुए हैं। उसने कहा है कि केवल दो

मामलों की रिपोर्ट मयूरभंज पुलिस थाना में दर्ज करवाई गई है। उनमें से एक मामला सितम्बर में तथा दूसरा पूजा से पहले का है तथा ये दो मामलों में 6 आदिवासी लड़कियों की बिक्री से संबंधित हैं। उसने इस संबंध में एक जांच अधिकारी की नियुक्ति की है। इस अधिकारी ने अभी तक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। किन्तु जैसा कि यू० एन० ओ० की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि इस वर्ष कोई 2000 मामले इस तरह के हुए हैं। इस संबंध में न केवल राज्य के सी० आई० डी० अधिकारी ने एक ऐसा वक्तव्य दिया है, बल्कि पुलिस के महा निरीक्षक ने भी संवाददातओं को बताया है कि उस क्षेत्र में पुलिस ने लोगों को ओरतों की बिक्री के बारे में चेतावनी दे दी है।

भारत सरकार को इस बात का पता लगाना चाहिए कि समस्या कितनी गम्भीर है। सरकार यह नहीं कह सकती कि उसके पास ऐसी कोई स्वतन्त्र ऐजंसी नही हैं, जो इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र कर सके। केन्द्रीय गुप्तचर अधिकारी प्रत्येक राज्य में उपस्थित हैं। सूचना एकत्र करने के उनके अपने स्रोत हैं। उन्हें इस सम्बन्ध में अवश्य ही सही जानकारी मिल गई होगी कि कितनी लड़कियों को उनके घरों से अपहृत कर अथवा फुसला कर उन्हें देश के अन्य भागों में बेचा गया।

इस समस्या के मूलकारण क्या हैं। एक मूल कारण उस क्षेत्र विशेष में दो बड़ी-बड़ी लौह अयस्क खानों का बन्द हो जाना है। इन दोनों खानों में लगभग 30 हजार लोगों को काम मिला हुआ था। अतः, 1967 में इन खानों के बन्द हो जाने के कारण 30 हजार लोग बेकार हो गये। उनको पुनः रोजगार दिलाने अथवा कोई वैकल्पिक रोजगार दिलाने की दिशा में कोई पग नहीं उठाये गये। राज्य सरकार ने इन लोगों के पुनर्वास के संबंध में कोई विशेष कार्यक्रम नहीं बनाया था।

जहां तक केन्द्रीय सरकार का संबंध है इन लोगों के प्रति उसका दायित्व है। संविधान के अनुसार केन्द्रीय सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह हमारे देश के पिछड़े तथा श्रमिक वर्गों के कल्याण के लिए कार्य करें। यह आदिवासी पिछड़े लोग भी हैं तथा श्रमिक वर्ग भी हैं तथा ऐसे लोग बेरोजगार कर दिये गये। उन्हें पुनः रोजगार दिलाने के सम्बन्ध में कोई पग नहीं उठाये गये तथा उन्हें वैकल्पिक रोजगार दिलाने के संबंध में कोई प्रयास नहीं किये गये।

अब राज्य सरकार का कहना है कि उसने आदिवासियों के पुनर्वास के लिए एक योजना भेजी थी और इस योजना पर 30·5 करोड़ रुपये ता व्यय होना था।

तूफान के दौरान राज्य सरकार ने एक योजना भेजी थी, जिस पर मुख्य रूप से 60 करोड़ रुपए का व्यय होना था जिसे कम कर 30 करोड़ रुपये कर दिया गया। इस विशेष मामले में इसे कम करके 13.5 करोड़ रुपये कर दिया गया। राज्य सरकार कहती है कि केन्द्रीय सरकार इस योजना को कार्यान्वित नहीं कर रही है। किन्तु भारतीय सरकार का इन दुर्भाग्यशाली और निस्सहाय लोगों के प्रति निश्चित दायित्व है और इसे अवश्य ही उनके पुनर्वास और उन्हें वैकल्पिक रोजगार देने वाली अपनी योजना बनानी चाहिए।

अब हम मयूरभंज जिले में आदिवासियों के कष्टों की बात कर रहे हैं। किन्तु उड़ीसा में क्योंझर नाम का जिला भी है, जो कुछ खानों में लोह अयस्क के जमा हो जाने के कारण दुखद स्थिति का सामना कर रहा है। वहाँ 10 हजार लोह अयस्क जमा हो गया है। संघ के महासचिव के वक्तव्य के अनुसार गत दो-तीन वर्षों के दौरान इस लोह-अयस्क को ले जाने के लिए माल डिब्बे, उपलब्ध नहीं किये गये, जिसके परिणाम स्वरूप 10 हजार आदिवासी लोगों को नौकरी से

निकाल दिया गया । यहां भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी और ठेकेदार लोग इस स्थिति से लाभ उठायेंगे और सारे देश में यही शर्मनाक स्थिति उत्पन्न हो जायेगी ।

अत: मैं माननीय मंत्री से इन लोगों के पुनर्वास के लिए एक योजना बनाने और इस राज्य के खान क्षेत्रों में आदिवासी श्रमिकों की दयनीय स्थितियों का अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त करने की प्रार्थना करता हूं ।

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : जहां तक इस विशेष मामले का संबंध है क्या केन्द्रीय सरकार यह जानने के लिए तैयार है कि आर्थिक दुखद स्थिति के कारण इस प्रकार की घटना हुई है और होती रही है और यह आर्थिक स्थिति गत अनेक वर्षों से चली आ रही है ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने बताया है कि राज्य सरकार द्वारा इन तथ्यों की पुष्टि नहीं की जा रही है । केवल इस आधार पर कि राज्य सरकार ने इन तथ्यों की पुष्टि नहीं की, हम इस महत्वपूर्ण मामले की उपेक्षा नहीं कर सकते ।

दूसरे, जब सभी दलों के सदस्यों ने इस तथ्य को मान लिया है, तो मेरा सुझाव यह है कि केन्द्रीय सरकार की बुद्धिमानी इसी में है कि वह इन तथ्यों को स्वीकार करे और इस के लिए आवश्यक पग उठाये ।

गुरुमाहेशानी और बादाम पहाड़ खानों के बन्द होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप 30 से 40 हजार लोग बेरोजगार हो गये हैं । 10 हजार लोग पहले ही माल डिब्बों की सप्लाई न किये जाने के कारण बेरोजगार हो चुके हैं । ये दोनों मुख्य तथा माने हुए तथ्य हैं ।

इसके अतिरिक्त आदिवासियों को अन्य आर्थिक स्थितियों का भी सामना करना पड़ता है । उड़ीसा में 63.99 प्रतिशत परिवारों के पास 5 एकड़ से भी कम भूमि है । यह केन्द्रीय अध्ययन दल के 1968 वर्ष के प्रतिवेदन में बताया गया है । 1964 के बाद से तो आदिवासी लोगों के हाथों से निकल कर उनकी भूमि के गैर आदिवासियों के नाम स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है । इसके फलस्वरूप वही लोग जो कृषि पर अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे और जो कुल आबादी का 63 प्रतिशत लोग हैं, अब गरीबी के कगार पर खड़े हुए । हैं । उनका सभी प्रकार के लोगों के द्वारा शोषण किया जा रहा है । ऐसा उनकी गरीबी के कारण हो रहा है ।

एक और बात जिसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उन 50 हजार लोगों का, जिनमें लड़कियां और महिलायें भी हैं, पुनर्वास किया जाये तथा उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाये । इस अभिप्राय के लिए बन्द किये गये खान क्षेत्रों को पुनः चालू किया जाये ।

केन्द्रीय सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि विशेष विधानों के द्वारा इन आदिवासी लोगों को, जिनकी भूमि स्थानांतरित हो चुकी हैं, भूमि उन्हें फिर देदी जाये ।

तीसरा, हम यह जानना चाहते हैं कि केन्द्रीय अध्ययन दल ने 1968 के प्रतिवेदन में यह स्पष्ट सुझाव दिया है कि इन क्षेत्रों में खनिज प्रधान उद्योग स्थापित करने और उन्हें विकसित करने के लिए योजनाएं और परियोजनाएं बनाई जानी चाहिये । इस विशेष क्षेत्र में अर्थात आदिवासी और अनुसूचित क्षेत्र में 90 प्रतिशत खनिज सम्पत्ति है । हम यह जानना चाहते हैं कि क्या हम इस क्षेत्र का विकास करने जा रहे हैं और क्या इसके लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम है ।

इस दल ने आदिवासी क्षेत्रों के विकास के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में कई सिफारिशें की हैं। इन आदिवासी क्षेत्रों में खनिज पदार्थ का आधिक्य है, अतः इनमें खनिज प्रधान उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिये।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि 1968 में जो सिफारिशें की गई थी उस समय से क्या केन्द्रीय सरकार ने कोई कदम उठाया है। इस सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाया गया है और हरेक व्यक्ति इस प्रतिवेदन को भूल चुका है। चौथी पंचवर्षीय योजना में आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए अल्प धन की व्यवस्था की गई है।

कुछ अधिनियमों के बावजूद भी ये लोग भारी ऋणों में फंसे हुए हैं। ये आदिवासी लोग जितना ही उत्पादन करते हैं और जितनी ही भूमि उन्हें मिलती है वह महाजनों और साहूकारों के हाथों में जा रही है। इस प्रकार की बातें उड़ीसा में घट रही है। इन अधिनियमों के होते हुए भी कई संगोष्ठियाँ हुई, कई समितियां नियुक्त की गई और कई सिफारिशें की गई तथा सरकार ने भी यह घोषणा की है कि वह वास्तव में 'गरीबी हटाओ' की समर्थन है, किंतु फिर भी ऐसी बातें हो रही है। इस प्रकार ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि इन लोगों को अपनी भूमि महाजनों को देनी पड़ती है और ये महाजन उनके समर्थक बन जाते हैं और यही बड़े-बड़े जमींदार उसी सत्तारूढ़ दल के समर्थक भी बन जाते हैं।

श्री पी० के० देव (कालाहाँडी) : जिसमें भारतीय साम्यवादी दल भी शामिल है।

श्री डी० के० पंडा : जहां तक राज्य सरकार का सम्बन्ध है वह बहुत ही गलत ढंग से कार्य कर रही है क्योंकि मेरे विचार में इन लोगों के कल्याण की ओर ध्यान देने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है किंतु इसके साथ-साथ केन्द्रीय सरकार का भी कर्त्तव्य है कि वह समय समय पर अनुदेश जारी करे और इस बारे में रिपोर्ट मांगती रहे कि ऋणग्रस्तता को रोकने के लिए, आदिवासियों से भूमि छीने जाने पर तथा अन्य प्रकार के शोषणों जैसे महाजनों द्वारा किये जा रहे शोषणों पर रोक लगाने के लिए क्या कानून उचित ढंग से लागू किये जा रहे हैं।

अंत में मैं यह मांग करता हूं कि मंत्री महोदय को आगे आना चाहिये और यह बताना चाहिये कि इस प्रकार की अमानवीय स्थिति को रोकने के लिए वह क्या कदम उठाने जा रहे हैं जिसके कारण आदिवासी लड़कियों की बिक्री जैसे घृणित व्यापार हुए हैं। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि केन्द्र और राज्य को एक दूसरे पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिये। तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए तथा आदिवासी लड़कियों की बिक्री को रोकने के लिए एक संसदीय समिति गठित की जानी चाहिये।

Shri M.C. Daga (Pali) : Sir, we hate prostitutes because they sell their body for money. But what about those persons who do not sell their body but sell their conscience for petty gains. He is great sinner but it has become the tendency of the society which keeps eye on the women that they are characterless What action has been taken against those contractors who have abducted girls from Orissa and sell to other states for immoral purposes. Who is responsible for this act. Central Government cannot shirk responsibility in this case. was it not the duty of Government to look into this situation ? We must find out who is responsible for such state of affairs. Those are the anti-social elements who had amassed immense wealth on account of under hand dealings and they are always interested to squander their wealth on these filthy pursuits. Such type of people takes prostitution as a mean of pleasure.

A new class has come up in this society whose only motto is to lead in luxury. This is the result of the present policies followed by the Government. Government should inform the House how many such cases have been brought to their notice. Who is the contractor who has abducted the girls. How many cases have been registered where it can be investigated that for what purposes these girls were taken from their lawful guardians. In how many cases action was taken by the police and how many girls have been recovered so far through these cases, we would be able to know why these Adivasi girls were sold in Punjab & U.P.

When this news comes in the newspapers that girls have been taken a way from Orissa, we feel ashamed but police has not taken any action against the persons responsible for such acts. This evil of immoral traffic can be attacked by two ways One, legislative measures should be passed to stop the recurrence of such incidents and two, social consciousness should be aroused through education. Whatever is being happened today, it is not the fault of only Orissa Government or Central Government, but social societies are also responsible for this.

[श्री के०एन० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K.N. Tiwary *in the Chair*]

Even today Devdasi System is prevalent in our society. On the name of religion, girls are being exploited and they are living corpses of our society. So I would say if this evil is not tackled in time, the situation may deterorirate further. We should propagate our culture so that people should know about the high ideals of morality.

Mr. Chairman : I would like to say that we should concentrate to the motion concerned. This motion is connected with the abduction of the girls of Orissa and if we talk about them. we would be able to give chance to all of the speakers.

श्री जे०एम० गौडर (नीलगिरि)* : सभापति महोदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 25 वर्ष से इस देश पर कांग्रेस दल का राज्य है और विशेषकर इस समय एक महिला प्रधान मंत्री का शासन है । बड़े दुःख की बात है कि एक महिला के सेवेंसर्वा होने के बावजूद भी आदिवासी लड़कियों को खुलेआम बेचा जा रहा हैं और सरकार इस स्थिति को असहाय होकर देख रही है । मुझे भय है कि यदि इस देश पर कांग्रेस का और समय तक राज्य रहा तो लड़कियां गलियों में बिकती हुई दिखाई देंगी । अतः यही समय है कि सरकार को उड़ीसा की आदिवासी लड़कियों की इस घृणित बिक्री की ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिये ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि टाटा खानों के बंद हो जाने के कारण हजारों आदिवासी लोग बेरोजगार हो गये हैं और ठेकेदार तथा अन्य बिचौलिये उनका शोषण कर रहे हैं । सरकार ने इन दुखी आदिवासी लोगों के लिए रोजगार तथा जीविकोपार्जन की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाये हैं । सरकार इन खानों को अपने हाथ में ले सकती है और इस प्रकार की दुभर्गयपूर्ण स्थिति पर काबू पा सकती है । सरकार के इस तर्क को सभा स्वीकार नहीं कर सकती खानों के बंद होने के कारण बेरोजगारी फैली जिसके परिणामस्वरूप कुछ आदिवासी लड़कियां बेची गई । क्या इस में सरकार की अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है ? क्या केन्द्रीय सरकार यह बहाना करके अपना बचाव कर सकती है कि राज्य सरकार इस मामले की जाँच कर रही है । जिस प्रकार से श्री लाल बहादुर शास्त्री ने रेल दुर्घटना के कारण

*तमिल मे दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।
Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

त्यागपत्र दिया था उसी प्रकार से गृह मंत्री को, जो इस विभाग के प्रभारी हैं, त्यागपत्र देना चाहिये। यदि वह प्रभारी नहीं है तो समाज कल्याण विभाग के मंत्री को त्यागपत्र देना चाहिये। वे इस अपराध से अपने आप को कैसे मुक्त कर सकते हैं। क्या महिला प्रधान मंत्री को, जिसके प्रशासन में आदिवासी लड़कियों का मामला आता है, त्यागपत्र नहीं देना चाहिये। सत्तारूढ़ दल और सरकार सदैव इस बात की रट लगाते रहते हैं कि वे देश में समाजवादी समाज स्थापित करने के लिए वचनबद्ध है। प्रधान मंत्री सर्वत्र यही कहती हैं कि क्षेत्रीय विषमता की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक किसी भी राज्य अथवा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों में कोई भी आर्थिक विकास नहीं हो सकता। मुझे इस बात का दुःख है कि हमारे समाज के एक बहुत बड़े वर्ग के आर्थिक पिछड़ेपन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। यदि सरकार ने इन खानों के बंद होने के परिणामस्वरूप बेरोजगार हुए हजारों आदिवासी लोगों की ओर ध्यान दिया होता तो यह स्थिति आज यहां तक नहीं पहुँचती कि आदिवासी लड़कियों की बिक्री की जाती।

जब माननीय सदस्य श्री पंडा ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया तो उन्होंने इस घटना की जाँच कराने का अनुरोध किया तो मंत्री महोदय ने यह कहा कि इसकी जाँच नही हो सकती क्यों कि राज्य सरकार इस पर ध्यान दे रही है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। यदि ऐसा है तो यह सरकार इस देश पर प्रशासन क्यों कर रही है। गत् तीन वर्षों में बंद खानों को पुनः चालू करने के मामले में केन्द्रीय सरकार अपनी जिम्मेदारी से परे हुई है और अब प्रभारी मंत्री यह कह रहे है कि इस मामले की ओर ध्यान देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार निभा रही है तो क्या यह उचित नहीं है कि मंत्री महोदय को अपना त्याग पत्र देना चाहिये। इन तीन वर्षों की अवधि में खानों को पुनः चालू करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं।

यदि बम्बई या किसी अन्य महानगर में कोई मिल बंद हो जाये तो क्या सरकार उस मिल को इतने लम्बे समय के लिए बंद रहने देगी ? श्रमिक उस मिल को शीघ्र खोलने के लिए सरकार को बाध्य कर देते किन्तु चूंकि आदिवासी लोग निस्सहाय और शक्तिहीन है और इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने वाला उनमें कोई नहीं है, इसलिए उनका दमन किया जा रहा है मैं नहीं जानता कि केन्द्रीय सरकार समाज के इन भोले भाले और निरीह लोगों के साथ कब न्याय करेगी। मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह अपने ही हित में अनुसूचित जन जातियों, अनुसूचित जातियों तथा समाज के अन्य पिछड़े वर्गों की शिकायतों और कठिनाइयों की ओर ध्यान दे।

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझार) : सभापति महोदय, जब इस मामले पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में विचार किया जा रहा है तो माननीय मंत्री जी ने जिस ढंग से उत्तर दिया है उससे मुझे ऐसा लगा है कि सरकार इस ओर गम्भीरता से ध्यान नहीं दे रही। वह राज्य सरकार के प्रतिवेदन पर निर्भर कर रही है। मैं यह नहीं कह रहा कि राज्य सरकार कांग्रेस की सरकार नहीं है। मैं तो यह कह रहा हूँ कि चाहे वह केन्द्रीय सरकार हो या राज्य सरकार हो या कोई अन्य तंत्र हो सभी इस स्थिति के प्रति उदासीन हैं। जब कभी अनुसूचित जन जाति या अनुसूचित जाति के प्रश्न पर सरकार का ध्यान दिलाया जाता है तो उत्तर इस ढंग से दिया जाता है तो उससे कोई भी व्यक्ति गम्भीर नहीं लगता। आदिवासी लोगों की दुर्दशा के बारे में हम इन्हें नहीं समझा सके। संविधान सभा में और 1957 से मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं और कह कह कर थक

गया हूं किंतु आदिवासी लोगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आज जब इस घृणित दु:खदायक और शर्मनाक घटना के बारे में कुछ लोग बात कर रहे थे तो अन्य कुछ लोग हंस रहे थे। आदिवासी लोगों की दुर्दशा के प्रति हमारा यह रवैया है।

जैसा कि मेरे मित्र श्री पटनायक ने कहा है कि आदिवासी लड़कियों की बिक्री का मुख्य कारण खानों का बंद होना है। ये राष्ट्रीय परियोजनाएं केवल आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित की गई है। अत: मैं यह कहता रहा हूँ कि आदिवासी लोगों को धन दिया जाना चाहिये और उनकी जो भूमि ली गई है वह वापिस की जानी चाहिये तथा उन का पुनर्वास समुचित रूप से किया जाना चाहिये।

अब हम ठेकेदारों पर दोष लगा रहे हैं किंतु ये ठेकेदार हैं कौन ? वे राष्ट्रीय नेता नहीं है। वे इन लोगों की गरीबी निरक्षरता और भोलेपन का लाभ उठायेंगे। इस देश पर एक महिला का शासन है। उसे इनकी दुर्दशा को समझना चाहिये।

मेरे विचार में कांग्रेस पर दोष नहीं लगाना चाहिये वरन् ब्रिटेन के लोगों पर जिन्होंने हमारी जनता में पृथकता की भावना उप्पन्न की है। अत: हम किसी पर दोष नहीं लगा सकते। यदि सरकार आदिवासी लोगों की स्थिति में सुधार करने के लिए निष्ठावान है तो इन जातियों के कल्याण संबंधी कार्य समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत न रख गृहमंत्रालय के अंतर्गत रखना चाहिये। इसका कारण यह है कि अनुसूचित जातियों और जन जातियों के कल्याण संबंधी कार्य को क्रियान्वित करने के लिए हर बार गृहमंत्रालय की शरण लेनी पड़ती है और गृहमंत्रालय सीधे रूप में जिम्मेदारी नहीं लेता। अत: इस कार्य को गृहमंत्रालय को सौंप देना चाहिये।

आदिवासी लड़कियों के बिक्री संबंधी मामलों की जाँच के लिए एक संसदीय समिति नियुक्त की जानी चाहिये, तभी सच्चाई और तथ्य प्रकट हो सकेंगे। संसदीय समिति को वहां पर जाना चाहिये क्यों कि मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि बिना वहां गये हम नहीं जान सकते कि इन आदिवासी लोगों का शोषण किस प्रकार किया जा रहा है। स्कूलों में जायें तो देखेंगे कि उनमें केवल 6 प्रतिशत आदिवासी छात्र होंगे। वहां पर आपको भवन ही भवन दिखाई देंगे किंतु आदिवासी लड़के आपको अधनंगे और आधे भूखे मिलेंगे। उड़िसा में 'बोंदा परजा' नामक एक आदिवासी जाती है वे पूर्णतया नंगे रहते है। स्त्रियां केवल एक छोटी सी लंगोटी पहनती है। जब हम कोई प्रतिवेदन भेजते है तो उसे ताक पर रख दिया जाता है। इस प्रकार की अनेक बातें हैं जिन से उन आदिवासी लोगों पर हो रहे शोषण का पता चलता है। अत: यदि मंत्री महोदय संसदीय समिति नियुक्त नहीं करते तो वह स्वयं घटनास्थलों पर जायें तो उन्हें मूलकारण का पता चल जायेगा कि किस प्रकार उन आदिवासी लड़कियों के साथ व्यभिचार किया गया और उन्हें बेचा गया। इस प्रकार सच्चाई और तथ्यों का पता चल सकेगा।

Shri Jagannath Rao Joshi : (Shajapur) : Mr. Chairman, Sir, The incidents involving trafficking in Adivasi girls in Orissa are really shameful and annoying. It is really regrettable that such incidents occurred even after 25 years of independence. It is the main responsibility of the Central Government to free them from exploitation, but it is sad to say that Government have not fulfilled their responsibility.

(Shri R. D. Bhandare on the chair)

On 24th April, this matter was raised in the House through a Calling Attention Motion. Today is 24th May and the Minister must have found out the details by now.

The House should be informed about the details of the incidents and the action taken against the culprits. Stringent action should be taken against the contractors responsible for the incidents.

I am agreed with Shri Daga that whatever education we are providing, that has its own importance. Actually the task of providing education to the tribal people and of looking after their medical needs have been left on the foreign missionaries, particularly christian missionaries. And we have not tried to have some connections with these poor people. So it is our duty to attend to the needs of the tribal people. While foreign missionaries are working in the tribal areas, why we are not inspired to work for the welfare of these people. It is the lack of such education which infuse the inspiration to work for the welfare of mankind.

There is need for changing the out look of our people so that the feelings of separatism can be eradicated. All Sections of our society should have fellow feelings for one another. So it is the responsibility of our Government to inculcate such feelings in our society and to punish those people who are found guilty in this regard.

श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्माम) : सभापति महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि उड़ीसा की आदवासी लड़कियों के प्रति हो रहे अन्याय के संबंध में हमारे कुछ सदस्यों ने चर्चा की है। सभा के समक्ष इस प्रस्ताव को लाने के लिए मैं श्री कार्तिक उराव और अन्य सदस्यों का धन्यवाद करती हूं। न केवल उड़ीसा में, अन्य कई स्थानों पर पिछड़े वर्गों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। अत: आदिवासी लोगों की स्थिति में सुधार लाने के लिए केन्द्र और राज्य को सम्मिलित कार्यवाही करनी चाहिये।

वास्तव में स्त्रियों को इन्सान नहीं समझा जाता। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें स्त्रियों को वस्तु के रूप में लाया गया, प्रयोग किया गया और बेचा गया। यही स्थिति देवदासियों के साथ भी रही है। आज भी सुन्दर लड़कियों के साथ धोखा किया जाता है और उन्हें ठेकेदार बेच देते हैं। इस प्रकार की अनेक घटनायें हमें मिलती हैं किंतु पुलिस गंभीरता से कार्यवाही नहीं करती।

आदिवासी लड़कियों की दशा में सुधार लाने के लिए कुछ योजनाएं प्रारंभ की जानी चाहिये। दस्तकारी आदि में प्रशिक्षण देने के लिए तथा उनकी शिक्षा के पश्चात् उन्हें रोजगार देने के लिए कुछ योजनाएं बनाई जानी चाहिये। अपहृत लड़कियों को प्राप्त करने हेतु प्रयास करना चाहिये और उन्हें किसी प्रशिक्षण गृह में रखा जाना चाहिये जिसमें प्रशिक्षण दिया जाये और उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाये।

किसी व्यक्ति ने कहा है कि अत्यधिक धन भी समाज की बुराई है। अतः यह सामंतवाद समाप्त होना चाहिये। जब ये विषमताएं समाप्त होंगी तो समानता आयेगी और तभी ये बुराइयां समाप्त होंगी।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं अपने मित्र श्री कार्तिक उराव को बधाई देता हूँ जिन्होंने इस मानवीय समस्या को उठाया है। यह एक सामाजिक बुराई है और मैं इस रोचक वाद-विवाद को सुनता रहा हूं।

सभापति महोदय:—यह रोचक वाद-विवाद नहीं, है, अपितु गंभीर वाद-विवाद है।

श्री पी० के० देव : यह बड़े दुःख और चिन्ता की बात है कि इस प्रकार की घटनायें हो रही हैं किन्तु ये घटनाएं केवल उड़ीसा तक ही सीमित नहीं है। इस समस्या का मूल गरीबी है। इस समस्या को दूर करने के लिए कुछ प्रयास किये जाने चाहिये

उड़ीसा की इन घटनाओं की जांच करने के लिए एक संसदीय समिति की नियुक्ति की सिफारिश की गई है। मैं यह कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कल्याण की ओर ध्यान देने के लिए एक संसदीय समिति है जिसके अध्यक्ष पहले श्री बासुमतारी थे और अब श्री बूटासिंह है। यह समिति इस मामले की भी जांच कर सकती है।

मयूर भंज ज़िले की अधिकांश जनसंख्या आदिवासी है दो लौह-अयस्क खानों को, जिनमें 45,000 लोगों को रोज़गार मिला हुआ था, बंद कर दिया गया तथा इस कारण वहां बेरोजगारी की समस्या और बढ़ गई। उड़ीसा सरकार ने वैकल्पिक रोज़गार की व्यवस्था करने के लिए अत्यधिक प्रयास किये किन्तु उसे सफलता नहीं मिल सकी। उड़ीसा में इन खानों के बंद हो जाने के बाद बिहार में नामण्डी में कुछ नई खानों का विकास किया गया। श्रमिक भर्ती किये गये थे और जो ठेकेदार श्रमिकों की भर्ती करने आये थे, वे मुख्य रूप से दोषी हैं। उड़ीसा पुलिस इस बारे में बहुत सतर्क रही तथा 29 दिसम्बर, 1971 को उसने एक प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा जनता से अनुरोध किया कि वे वास्तविक एवं संदेह स्पद मामलों की जानकारी स्थानीय पुलिस थानों को दें।

जब तक खनन क्षेत्र में ठेका श्रम प्रणाली रहेगी तब तक यह बुराई जारी रहेगी।.....

श्री वसंत साठे सरकार ने वहां क्या कार्यवाही की है।

श्री पी० के देव : उन्होंने दो मामलों का पता लगाया है।

श्री वसंत साठे : 2000 मामलों में ?

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अब अपना भाषण समाप्त कर सकते हैं।

श्री पी०के० देव : श्रीमन् मैं अभी समाप्त करने वाला हूँ। इसलिए ठेका प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए। खनन क्षेत्रों में नैमित्तिक श्रमिकों के रूप में श्रमिकों को भर्ती करना बंद कर देना चाहिए तथा पुरानी खानों को पुन: खोला जाना चाहिए। टाटा बंधुओं को इन खानों को बंद करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

1968 में केन्द्रीय अध्ययन दल ने यह सुझाव दिया था कि खनन-आधारित उद्योगों के स्थलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इससे उड़ीसा में दूसरे इस्पात संयंत्र के मामले को और बल मिलता है।

यद्यपि उड़ीसा सरकार ने कई क्षेत्रों में प्रायोगिक आधार पर आदिम जातीय विकास परियोजना आरम्भ करने का सुझाव दिया था, किन्तु योजना आयोग ने केवल दो क्षेत्रों के लिए इन परियोजनाओं को स्वीकार किया है तथा इनके लिए योजना अवधि के शेष दो वर्षों के लिए केवल 3 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की है जो कि बहुत कम है। सरकार को कुछ प्रायोगिक परियोजनाएं, विशेष का आदिम जातीय क्षेत्रों में आरम्भ करनी चाहिए।

अन्त में मैं अण्डमान के बारे में कहना चाहूंगा। अण्डमान की जनता समुद्री जीवन व्यतीत करती है। रति रोगों के कारण अण्डमान की नस्ल समाप्त हो रही है। केवल दो नस्लें रह गई हैं। लिटल अण्डमान में केवल 144 ओंगीस रह गये हैं।

इन सब पहलुओं पर विचार कर सरकार को इस ओर ठोस कदम उठाना चाहिये।

श्री सुबोध हंसदा (मिदनापुर) : उड़ीसा की आदिवासी लड़कियों के बेचने के घृणित कार्य की जितनी भी निंदा की जाये, थोड़ी है। स्वतन्त्रता के 25 वर्षों के बाद भी सरकार आदिवासी लोगों को शोषण से बचाने में असमर्थ रही है। इनमें से काफी अधिक लोगों से घर बार और भूमि सम्बन्धी सम्पत्ति भी छिन गई है। सरकार ने उन्हें उनकी भूमि वापिस दिलाने के लिए पग नहीं उठाये हैं।

काफी अधिक आदिवासी लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। उन्हें ईसाई बनाया जा रहा है। उन लोगों ने श्रद्धा के कारण ईसाई धर्म को स्वीकार नहीं किया बल्कि ईसाई मिशनरियों ने, जो ब्रिटिश शासन के दौरान बहुत शक्तिशाली थे, उन्हें भोजन, मकान, शिक्षा और चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं का लालच देकर इन लोगों से ईसाई धर्म स्वीकार कराया गया है। उन आदिवासी लोगों ने, जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार नहीं किया, उन्हें सभी सुविधायें देना बन्द करके उन पर दबाव भी डाला।

पश्चिमी बंगाल में नवसलवादी आन्दोलन आरम्भ हुआ तो आदिवासी भी उससे अछूते नहीं रह सके क्योंकि वहां इस तरह के आन्दोलन के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल थी। वहां के लोग सीधे सादे, ईमानदार तथा गरीब है तथा उन्हें सुविधाओं का लालच देकर ही उनका शोषण किया जा रहा है।

ठेकेदारों द्वारा आदिवासी लड़कियों की बिक्री एक गम्भीर बात है। सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इस तरह की बातें वहां काफी अरसे से हो रही हैं। ठेकेदार सामान्यतया युवतियों को लालच देते हैं कि वे उन्हें रोजगार देंगे। उनकी गरीबी का लाभ उठाकर वे इन लड़कियों को विभिन्न स्थानों पर बेच देते हैं। यदि गरीबी दूर नहीं की जा सकती तो इस प्रकार की बात तो रोकी जा सकती है। केन्द्र को इन लोगों की आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। उन्हें स्थानीय क्षेत्रों में ही रोजगार देने के लिए हर प्रयास किया जाना चाहिए ताकि इन लोगों को रोजगार की तलाश में बाहर न जाना पड़े।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : यह बड़े दुख की बात है कि इस भारी मानव संकट के मामले में भी कुछ व्यक्ति दलगत रवैये से ऊपर नहीं उठ पाये हैं। मेरा कहने का अर्थ यह है कि ये अत्याचार भिन्न भिन्न दलों की सरकारों के शासनकाल में किए गए हैं। इसके लिए कोई एक सरकार अथवा दल दोषी नहीं है, परन्तु इतने भारी मानव संकट को देखते हुए हम सब दोषी हैं।

ये अत्याचार आदिवासियों, हरिजनों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों पर किये गये हैं। यदि समाज के समृद्ध वर्गों पर ऐसे अत्याचार किये गये होते, तो समूचे समाचार पत्र, आकाशवाणी तथा संचार के अन्य सब माध्यम इनकी कटु आलोचना में जूट जाते और देश में एक भारी तूफान आ जाता। यह बड़े दुख की बात है कि हमारा समाज केवल तभी तिलमिलाता है, जबकि धनी समृद्ध वर्गों पर अत्याचार किया जाता है, परन्तु जब ऐसे अत्याचार समाज की छोटी जातियों पर किये जाते हैं, तो उन पर ध्यान नहीं देता।

उड़ीसा की यह घटना अपनी किस्म की कोई अकेली घटना नहीं है। देश भर में ऐसी घटनायें हो रही हैं तथा यह तो केवल उसका एक अंश मात्र है। हाल ही में महाराष्ट्र के साधारण चुनाव प्रचार में एक गांव में सवर्ण हिन्दुओं ने उस गांव के समूचे हरिजन समुदाय का

सामाजिक तथा आर्थिक बहिष्कार केवल इसलिए कर दिया, क्योंकि रिपब्लिकन दल द्वारा किसी स्वर्ण हिन्दु के विरुद्ध कोई हरिजन उम्मीदवार खड़ा किया गया था। यह समझ कर कि ऐसा करना ही पर्याप्त नहीं है, कुछ व्यक्ति उस कुंए में जिससे हरिजन पानी लेते थे-जहरीले रसायन डालने की योजना बना रहे थे।

हमने महाराष्ट्र के सम्बन्ध में एक और समाचार भी सुना है कि दो हरिजन विवाहित महिलाओं को, जो कुंए पर पानी भरने गई थी, नंगा कर दिया गया तथा उन्हें गलियों में से नग्न अवस्था में ही दौड़ना पड़ा। ऐसी घटनायें आँध्र प्रदेश तमिलनाडु तथा मध्य प्रदेश में हो रही है। अतः क्या हम किसी एक ही दल अथवा सरकार को इसके लिए दोषी ठहरा सकते हैं।

जब हम ऐसे अत्याचारों पर चर्चा करते है, तो तुरन्त इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि इनका मूल कारण आर्थिक निर्धनता है। परन्तु यह समस्या का अति सरलीकरण करना है। आर्थिक समृद्धि के बाद भी ऐसा रवैया बना रहता है। अतः हमें समस्या का अतिसरलीकरण नहीं करना चाहिये कि आर्थिक शोषण के खत्म होते ही यह समस्या अपने आप हल हो जायेगी।

जिला परिषदों का तो कहना ही क्या हमें इस समस्या को केवल राज्य सरकारों पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हरिजनों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नये आयुक्त को जो कि ग्राम पंचायतों तथा राज्यों के ऊपर हो, व्यापक शक्तियाँ देनी चाहिये। जब कभी आदिवासियों एवं हरिजनों पर अत्याचार किये जायें, तो इस आयोग को उनकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी चाहिए तथा आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए, ताकि ऐसे अत्याचार फिर न किए जायें।

जनसंघ के सदस्य ने ईसाई धर्म प्रचारकों का उल्लेख किया है जिन्होंने आदिवासी तथा अन्य लोगों में धर्म प्रचार करने का प्रयास किया है। किन्तु हिन्दू प्रचारकों को देश के सुदूर क्षेत्रों में जाकर लोगों को धर्म का प्रचार करने से कौन रोक सकता है ? अतः हमें ईसाई धर्म प्रचारकों को दोष नहीं देना चाहिए। आदिवासी लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि धर्म प्रचारक ईसाई, मुसलमान अथवा बौद्ध या हिन्दू नव बौद्ध है। जो उसे सुरक्षा प्रदान करता है वह उसी के प्रभाव में आ जाता है।

Shri Arvind Netam (Kakar): In fact, it is a matter of great shame that even after 25 years of India's Independence, the Adivasis and Harijans are being exploited continuously and this problem is has become very grave in Bastar district of Madhya Pradesh. The employees working in the Beladela Iron Ore Project have been keeping these girls with them for their own entertainment. According to one survey conducted by Government, about 500 girls have become victim of these employees and some girls of tender age have become mothers of their illigitimate children. The then collector of Bastar has rendered a loudable service by checking such exploitations and for seving up a Mana Panchayat for the purpose. But as the State Government has not extended its co-operation in this regard, tangible result, has not been achieved. Whenever the incidents of rape occurs there, the police do not take any action in this ragard.

Some of the said employees were prepared to give some maintenance allowance to these unfortunate girls but after the transfer of the collector from there, they stopped paying them this allowance whether the National Mineral Development Corporation do not owe any responsibility towards them ?

The collector had issued an order that no girl under the age of 25 years would be

allowed to work as maid servant, but after his transfer, the order was not imposed and the situation has become grave again.

The Governor has special powers under the Fifth Schedule of the constitution for the Adivasi people. Why the Governor does not axercise these powers invested in time.

Shri Bhagirath Bhanwar (Shalva) : It is a matter of shame for the country and the society. Government should seriously consider over this problem and take some action.

[**श्री कमल नाथ तिवारी** पीठासीन हुए
Shri Kamal Nath Tiwari *in the Chair*]

The states have opened separate departments for the welfare of the scheduled Tribes and there is one Social Welfare Ministry in the centre but this ministry does not pay my attention to the welfare of Adivasis. I want that a separate Ministry for Adivasis should be set up so that it could deal with their massive and Numerous problems. Separate Tribes Welfare Departments should be opened in the centre also.

All the problems of the Adivasis are due to their bad economic condition. I want that Government should chalk out a programme to improve their economic lot. This programme should be implemented invariable so that the wish of Gandhiji about the upliftment of Harijans and Adivasis should be fulfilled. If the Government did not think about their problems seriously, the consequences could be grave. The girls of Orissa are being sold. The girls of Madhya Pradesh are being. These girls are being sold in other States and are being exploited there. Government should be serious about it.

I want to stress on the demand for a separate Ministry. A committee should be set up to enquire the whole affair regarding the sale of Adivasi girls.

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (कलकत्तादक्षिण) : हमें यह महसूस करना चाहिए कि आदिवासी लड़कियों की बिक्री हमारी अपनी बहनों और बेटियों की बिक्री है। और आदिवासी लड़कियों के साथ किये जा रहे बलात्कार को सभी भारतीय लड़कियों के साथ हो रहे बलात्कार के रूप में समझा जाना चाहिए, चाहें वे कहीं पर हो रहे हों।

इन दुर्भाग्य पूर्ण घटनाओं के तीन विशिष्ट कारण हैं। एक कारण है आदिवासी लोगों के कल्याण कार्य में असंतुलन। दिल्ली में केन्द्रीय सचिवालय से लेकर पुलिस के सिपाही तक सेवाओं में आदिवासियों पिछड़ी जातियों को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। यह स्थिति तभी आयी है जब हमने किसी तदर्थ दृष्टिकोर्ण को अर्थात किसी अस्थायी दृष्टिकोण को अपनाने का प्रयास किया है। इस समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए हमने इस समस्या की गहराई में जाने का प्रयास नहीं किया है। गृह मंत्रालय को समाज कल्याण विभाग के सहयोग से एक स्थायी नीति अपनानी चाहिए ताकि आदिवासियों, पिछड़ी जातियों और हरिजनों की दशा में सुधार करने के लिए उद्योग के क्षेत्र में और शरणार्थी राहत तथा पुनर्वास के क्षेत्र में समय बद्ध कार्यक्रम अपना सके ठगों के बहुत बड़े गिरोह है जो बड़े शहरों में अपना जाल बिछाये हुए हैं और जब तक गृह मंत्रालय काश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक पूरी जांच नहीं करता तब तक हम उन लोगों का पता नहीं लगा सकते, जो इन कामों में लिप्त हैं। एक सक्षम पुलिस कार्मिक दल होना चाहिए, इसकी पूरी जांच करने के लिए सक्षम पुलिस दल को भी भेजा चाहिए और हमें यह पता लगाना चाहिए कि वास्तविक लोग कौन हैं और देश की समस्या के आकार के बारे में जानना चाहिए जिससे यह पता चल सके कि कौन से लोग इस गिरोह में हैं जो बड़े शहरों में कार्य कर रहें हैं।

मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इन बिक्रियों तथा हरिजनों के जलाने के दोषियों के बारे में

सभा को बतायेंगे । जिस प्रकार ये घटनायें समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई हैं इसी प्रकार इन्हें भी समाचार पत्रों के माध्यम से बताया जाना चाहिए । जनता को यह बताना चाहिए कि सरकार इनके विरुद्ध क्या कदम उठा रही है ।

श्री बी०के० दास चौधरी :(कूच बिहार) आदिवासी लड़कियों का अवैध व्यापार किया जा रहा है । आदिवासी लड़कियों को बेचा जा रहा है और विभिन्न तरीकों से उनका शोषण किया जा रहा है । जब तक हम इस मामले की गहराई तक नहीं जायेंगे तब तक सभा में इस मामले पर चर्चा करने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा । जब हमारे संविधान में पांचवीं और छटी अनुसूचियाँ हैं । पांचवीं अनुसूची में आदिवासी तथा आदिम जातियों सम्बन्धित समस्यायें आती हैं । छटी अनुसूची के अन्तर्गत आसाम राज्य आता है जिसमें राज्य पाल को, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके विकास कार्यक्रमों में किसी भी तरह से बाधा उत्पन्न हो कुछ कदम उठाने के लिए विशेष शक्तियां प्राप्त हैं । हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि पांचवी अनुसूचि की बजाय आदिवासी लोगों की सभूची समस्या को छटी अनुसूचीं में सम्मलित किया जाये जो इस समय विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्रों के लिए है और वह भी विशेष कर आसाम राज्य के लिए ।

इलायापेरूमल समिति के प्रतिवेदन में यह बात विशेष रूप से कही गई है कि सरकार को एक विशेष सामाजिक नीति संकल्प पेश करना चाहिए । जब सरकार से लिए अन्य विषयों के बारे में कई नीति संकल्प बनाने सम्भव है तो फिर अनुसूचित जातियों तथा हरिजनों के विकास के लिए एक नीति संकल्प क्यों नहीं बनाया जा सकता ।

सरकार को प्रति वर्ष आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए कम से कम एक सौ करोड़ रुपए निर्धारित करने चाहिए और यह कार्यक्रम दस वर्ष के लिए बनाया जाना चाहिए । मंत्री महोदय को स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिए कि इस सामाजिक नीति संकल्प तथा इस सम्बन्ध में 100 करोड़ रुपये तक की व्यवस्था करने के बारे में सरकार की भविष्य में क्या नीति है ताकि इस समुदाय के समुचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए विशेष विकास कार्यक्रम तैयार किया जा सके ।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासोर) : उड़ीसा के पुलिस महानिरीक्षक ने अपने वक्तव्य में कहा कि स्त्रियों की बिक्री यहां तक पहुंच चुकी है कि पुलिस को आदिवासी तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक रूप में चेतावनी देनी पड़ी है । मेरी समझ में नहीं आता कि किस प्रकार राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी के हस्ताक्षर के अन्तर्गत एक परिपत्र जारी किया है कि यह एक विरल घटना है ।

मयूरभंज के इस विशेष क्षेत्र के लोग नितान्त अशिक्षित हैं । मयूरभंज के साक्षरता के आंकड़े केवल 14.2 हैं और स्त्रियों के सम्बन्ध में यह आँकड़े 4.0 है । कोई भी इस बात को समझ सकता है कि जब इन हजारों अशिक्षित लोगों के पास खाने लिए भोजन नहीं होता । तब उन्हें किस प्रकार ठेकेदारों का शिकार बनना पड़ता है । गत वर्ष भारत में 4000 लोगों ने आत्म हत्या की । इन आत्म हत्याओं के बावजूद यह स्त्रियां, जिन्हें पूरा खाना नहीं मिलता और तन ढकने के लिये पूरे कपड़े नहीं मिलते, इस समाज के प्रलोभन की शिकार बनी हैं ।

उड़ीसा की स्थिति बहुत ही खराब है । एक करोड़ लोग न केवल मयूरभंज जिले में विपत्ति में हैं बल्कि बलासोर जिले में विशेषकर उत्तरी बलासोर में, जहां लगातार बाढ़ों और सूखा की

स्थिति बनी रहती है। यहां पर एक तूफान भी आया था जिसके कारण कटक और बलासोर जिले में 25 हजार लोग बह गये। उड़ीसा सरकार ने इस अवसर पर कुछ नहीं किया।

जब ठेकेदार उड़ीसा की भूमि से 2,000 स्त्रियों को फुसला कर ले जा रहे थे तो वह प्रशासन क्या कर रहा था। उड़ीसा के प्रशासन पर यह बड़ी दुखदायी बात आती है। यहाँ के गृह विभाग के कार्यचालन में मुझे पूर्ण विश्वास है। उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। जब तक आदिवासी क्षेत्रों में कोई उद्योग स्थापित नहीं किये जाते तब तक हम उन्हें शोषण से नहीं बचा सकते। उड़ीसा खनिज पदार्थों में समृद्ध है और इसे भारत का **रूहर** कहा जा सकता है। जब तक आदिवासियों की स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाता तब तक हमें ये लाखों लोग कभी क्षमा नहीं करेंगे।

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : आदिवासी लड़कियों के अनैतिक व्यापार का यह मामला कोई नई बात नहीं है क्योंकि ऐसे मामले पहले भी इस सभा तथा सरकार के सम्मुख लाये जा चुके हैं। यह मामला 1967 में आरम्भ हुआ था जबकि उड़ीसा में मयूरभंज जिले में गोरूमासानी तथा बदमपहाड़ की टाटा समूह की खानों को बन्द किया गया था। इस जिले के अधिकांश लोग आदिवासी हैं। इन खानों के बन्द हो जाने से ये सब लोग, जिनकी संख्या 15,000 से कम नहीं है, बेरोजगार हो गये थे। चूंकि वे बेरोजगार थे इसलिये उन्होंने रोजगार की तलाश की। कुछ ठेकेदार उनके रक्षक बन कर उनके पास पहुँचे। किन्तु वे उन्हें कोई लाभ पहुँचाने के लिये नहीं अपितु उनका शोषण करने के लिये वहाँ गये थे। इन्ही ठेकेदारों ने लगभग 2,000 आदिवासी लड़कियों को वहां से ले जाकर देश के विभिन्न भागों में बेच दिया।

Shri Chandra Shalani (Hathras) : It has been admitted by the investigating officer of Orissa Government that about 2000 tribal girls had been sold for immoral purposes. There is nothing new in it such humiliating incidents are common in the lower strata of society. Actually the condition of tribals and people belonging to scheduled castes and scheduled tribes has gone from bad to worse during the last 25 years. They have to suffar humiliation and atrocities at the hands of caste hindus. Economic and social conditions in the country are alse responsible for such incidents. Government should look into it seriously.

A committee of the Members of Parliament should be constituted to investigate into this serious matter and suggest measures to prevent recurrence of such incidents. A separate Ministry should be set up for safe guarding the interests of scheduled castes and schedule tribes people.

Shri M.S. Purty : Even after expiry of 25 years after independence, we have to see such humiliating incidents as the sale of tribal girls for immoral purposes in the country. It is a very sad state of affairs prevailing in India.

There was a similar incident in Rajasthan where about 70 tribal women were brought to work in Khetri Project but they were left there in a state of helplessness. Government should look into all such cases and provide deterrent punishment to those who are found guilty for such herious crimes like rape, abduction and trafficking in girls.

Shri M.G. Uikey (Mandla) : When the mining of iron ore was started in this area of Orissa and Madhya Pradesh which was called Dandakarnya—an area primarily inhabited by the tribles, it was Governments duty to study the culture of local tribals in the first instance. There was a conflict batween the culture of local tribals and that of the outsiders who came there.

I can quote the names of officers who looked the tribal girls I have got the statements of such girls who had given birth or who were pregnant and who were later on left as

destitutes. According to census of 1971, 500 girls were missing. Many persons from different states, mostly from Kerala, married these girls but they are destitutes today.

Tribals are very sensitive and they maintain the trusty of their breed. They are very agitated and they think of occupying Bailadilla with bows and arrows. The Home Ministry should take note of it. They will not allow to lift iron from that place.

I have got with me the names of such officers who have kept the tribal girls one of them had engaged a tribal girl as maid and has got transferred the Adivasi land in her name.

Several Members have demanded the setting up of a factory at Orissa. But before starting mining work these, the tribal people and their children should be given training as to how they should work and live in a civilized manner. Their land should also be protected. The tribals of Madhya Pradesh should be brought under the Sixth Schedule of the constitution.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैंने इस वाद-विवाद को ध्यान पूर्वक सुना है । यह विषय एक मानवीय समस्या से संबंधित है और यह कुछ लालची व्यक्तियों द्वारा अपने स्वार्थों के लिये हमारे समाज के एक बहुत बड़े भाग के शोषण, विशेषकर महिलाओं के शोषण की समस्या है ।

मेरे विचार में ऐसी समस्याओं का सही ढंग से समाधान करने के लिये एक ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाना चाहिये जिससे ऐसी घटनाएं घटें ही नहीं । यह मामला किसी दल से संबंधित नहीं है । चूंकि यह हमारी बहनों की इज्जत का प्रश्न है अतः इसके प्रति देश के प्रत्येक नागरिक के मन में रोष उत्पन्न होना चाहिये । इस प्रश्न का केवल आर्थिक पहलू नहीं है अपितु इसका एक सामाजिक पहलू भी है । इसका हल केवल आर्थिक प्रगति से नहीं किया जा सकता अपितु इसका हल तो तभी हो सकता है जब इसके कारणों का पता लगा कर नेता लोगों के रवैये को बदलने का प्रयास किया जाये । केवल कानून बनाने से इस प्रश्न का हल नहीं होगा । जब तक प्रशासन आदिवासियों के प्रति सहायता करने का रवैया नहीं अपनाता तब तक कोई भी कानून काम नहीं कर सकता । यह वास्तव में ही एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है ।

ऐसी घटनाओं से संबंधित समाचारों के प्रति सरकार उदासीन नहीं हैं । जब कभी ऐसा समाचार मिलता है उसी समय संबंधित राज्य सरकार के साथ कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । इस संबंध में पहला समाचार हमें अगस्त 1969 में प्राप्त हुआ था । यह समाचार उड़ीसा तथा बिहार के औद्योगिक क्षेत्रों से आदिवासी लड़कियों के अपहरण को लेकर आदिवासी लोगों के बीच फैले आतंक से संबंधित था । हमने इस संबंध में तत्काल राज्य सरकारों से सतर्क रहने के लिये कहा और इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिये ठोस कदम उठाने के लिये जोर दिया ।

मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि इस समस्या के आकार को जानने की जिम्मेदारी सरकार को स्वयं उठानी चाहिये । हमने यह सुझाव स्वीकार कर लिया है और भारत सरकार ने आसूचना ब्यूरो द्वारा इस मामले की पूरी जांच करने के लिये आदेश दे दिये हैं । विस्तृत जांच करने तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में ब्यूरो कुछ समय तो लेगा ही । प्रतिवेदन में सभी पहलुओं पर विचार किया जायेगा और इस अपराध को रोकने के लिये समुचित कार्यवाही की जायेगी ।

श्री मिर्धा के इस कथन पर कि यह मामला मुख्य रूप से राज्य सरकार से संबंधित है, सभा में कुछ आपत्ति उठाई गई है । संविधान केन्द्र तथा राज्य सरकारों की जिम्मेदारियों का विभाजन करता है और हम इस मामले पर अपनी जिम्मेदारी के अनुसार कार्य कर रहे हैं । ऐसे मामलों को

निपटाने के लिये राज्य सरकार कोई हमारी प्रत्यक्ष एजेंसी नहीं है। इस प्रकार के विषय राज्य सरकार के विषय हैं और इस मामले में समस्या का समाधान करना और दोषियों को सामने लाना उड़ीसा सरकार का कार्य है। परन्तु इस विषय में यदि उड़ीसा सरकार केन्द्र की सहायता चाहती है तो हम अवश्य करेंगे।

मैंने श्री अरविन्द नेताम का भाषण सुना है और मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ हूं। पहले भी बस्तर की एक विशेष घटना का उल्लेख किया गया था। कुछ दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा अपहरण के मामले दर्ज किये गये हैं। अपहरण से सम्बन्धित धारा 366 के अधीन 18 मामले दर्ज किये गये हैं और पीड़ित आदिवासी लड़कियों के लिये आश्रय गृह खोले गये हैं। आदिवासी लोग इन उपायों से पूर्णतया संतुष्ट हैं। यह कार्यवाही वहां के अधिकारी द्वारा पहल किये जाने पर की गई है।

इसके बाद भारत सरकार को आदिवासी लड़कियों के अपहरण के सम्बन्ध में सूचना 24 अप्रैल 1972 को प्राप्त हुई। यह आरोप लगाया गया है कि लगभग 2000 लड़कियों का अपहरण किया गया है। उड़ीसा सरकार के अनुसार यह संख्या बहुत कम है। अब हम स्वयं इसकी जाँच करायेंगे और तथ्यों का पता लगाया जायेगा।

श्री डी० के० पंडा द्वारा उड़ीसा के गंजम जिले में हुई एक घटना का 25 अप्रैल को उल्लेख किया गया था। इसकी जांच करने के लिए एक जाँच आयोग नियुक्त किया गया था जिसने घटना की जांच की है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में एक अधिकारी को हाथ से पकड़ कर उसका शील भंग करने का दोषी ठहराया है। इस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। जहां तक अन्य अधिकारियों का उसके साथ मिले होने का प्रश्न है. उनको मुक्त कर दिया गया है और उनके विरुद्ध कोई आपत्ति जनक बात नहीं पाई गई है।

यद्यपि महिलाओं और लड़कियों के अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम को समूचे देश में लागू कर दिया गया है और इसको लागू करना पुलिस की जिम्मेदारी है तथापि ऐसी घटनाएं देखने में आती हैं। विभिन्न राज्यों के समाज कल्याण विभागों द्वारा संरक्षण गृह चलाये जा रहे हैं और इस अधिनियम की क्रियान्विति के लिए विभिन्न राज्यों में पूरे समय के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। किन्तु आदिवासियों की हालत सुधारने तथा उनका शोषण रोकने में गैर-सरकारी एजेन्सियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती और उन्हें यह भूमिका निभानी भी चाहिये।

श्री धामनकर (भिवन्डी) : क्या इन सामाजिक एजेन्सियों को प्रोत्साहित किया जायेगा ? वास्तव में तो स्थिति इसके विपरीत ही है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : केवल प्रोत्साहित ही नहीं अपितु उन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती हैं। यह देखने के लिए कि क्या यह धनराशि वास्तव में आदिवासियों के लिए ही खर्च का जाती है हम सबको व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा।

आदिवासियों के ऋणग्रस्त होने के बारे में उल्लेख किया गया है। ये लोग भूमि और वनों पर निर्भर करते हैं और उनकी खेती प्रायः झूमियां खेती होती है। अतः अपनी रोजी रोटी के लिये वे अधिक धन नहीं कमा पाते। वे अपने रीति-रिवाज तथा त्यौहार मनाने के लिये ऋण लेते हैं और साहूकारों द्वारा उनका शोषण किया जाता है। श्री पंडा ने इस सम्बन्ध में उल्लेख किया है कि उड़ीसा सरकार ने आदिवासी लोगों का शोषण रोकने के लिए कुछ कानून बनाये हैं किन्तु वे

प्रभावकारी नहीं हैं । जब तक गैर-सरकारी एजेन्सी तथा प्रशासन दोनों सही रवैया नहीं अपनाते, ये लोग अपनी सहायता नहीं कर पायेंगे और उन्हें इस कानून का लाभ नहीं पहुंच सकता ।

आदिवासियों की स्थिति सुधारने के लिए आदिवासी विकास खण्ड स्थापित किया जाना मुख्य योजनाओं में से एक है । इन विकास खण्डों के लिये चौथी योजना में 32.5 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है जिसमें से 4.72 करोड़ रुपये उड़ीसा के लिए निर्धारित किये गये हैं ।

उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों जैसे कि कोरापट, गंजम, मयूरभन्ज आदि के विकास का उल्लेख किया गया है। यह योजना राज्य सरकार द्वारा भेजी गई है । 1972-73 तथा 1973-74 के लिए गंजम तथा कोरापट के लिए एक एक परियोजना स्वीकृत की गई है । प्रत्येक परियोजना पर लगभग 1.5 करोड़ रुपये खर्च होंगे । मयूरभंज के लिये कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है । इस क्षेत्र के लिये भी एक योजना को शामिल करने की संभावनाओं के बारे में समाज कल्याण मंत्रालय से बातचीत की जायेगी ।

प्रयोगिक परियोजनाओं का भी उल्लेख किया गया है । ऐसी चार परियोजनाएं हैं जिनका उद्देश्य क्षेत्री असंतुलन दूर करना है ताकि वहां पर अत्याधिक गरीब क्षेत्र कोई न रहे । उड़ीसा, बिहार तथा आन्ध्रप्रदेश के अदिवासी क्षेत्रों के लिये हाल ही में ऐसी चार परियोजनायें आरम्भ की गई हैं जिसमें प्रत्येक परियोजना की लागत 150 लाख रुपये है । इस परियोजना के अनुभव के आधार पर आदिवासी लोगों के विकास के लिये और आगे कार्यक्रम तैयार किये जायेंगे ।

त्रिपुरा से आदिवासियों के निकाले जाने के सम्बन्ध में मुझे कोई विशेष सूचना प्राप्त नहीं हुई है । बंगला देश की स्वाधीनता के उपरान्त 25 अप्रैल, 1972 तक 56 बिहारी मुसलमानों ने त्रिपुरा के रास्ते भारत में प्रवेश करने का प्रयत्न किया था जिनमें से 41 व्यक्तियों को त्रिपुरा पुलिस के हवाले कर दिया गया और 15 व्यक्तियों को वापस बंगला देश भेज दिया गया ।

सभापति : अब हम आधे घन्टे की चर्चा आरम्भ करेंगे ।

*पटसन के समर्थन मूल्य में वृद्धि
Increase in Support price of Jute

श्री बी० के० दास चौधरी : यह आधे घंटे की चर्चा पटसन का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में मेरे द्वारा पूछे गये आतारांकित प्रश्न संख्या 6232 के सम्बन्ध में है । मैं ने इस प्रश्न में पूछा था कि क्या सरकार पटसन उत्पादकों के हितों के लिए पटसन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 200 रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित करेगी जिसके उत्तर में कहा गया था कि इस सम्बन्ध में अभी तक कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है वर्ष 1972-73 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि मूल्य आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार निश्चित किया जायेगा । अन्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि को देखते हुए पटसन का समर्थन मूल्य 200 रुपया प्रति क्विंटल कोई ज्यादा नहीं है ।

---

*आधे घंटे की चर्चा
Half an Hour Discussion

पटसन का उत्पादन मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आँन्ध्र प्रदेश, त्रिपुरा तथा मेघालय में होता है। पटसन से ही हम अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित करते है परन्तु देश के विभिन्न भागों में पटसन की खेती करने वालों को अपनी लागत के अनुसार पटसन का न्यूनतम मूल्य नहीं मिलता। पश्चिम बंगाल की सारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पटसन उत्पादकों की कमाई पर निर्भर हैं। केन्द्रीय सरकार पटसन उत्पादकों के हितों की रक्षा करने की ओर कोई ध्यान नही दे रही है। पटसन उत्पादकों के लागत मूल्य में भी बहुत वृद्धि हुई है।

रुई-उत्पादकों के हितों की सुरक्षा हेतु रुई निगम ने रुई उत्पादकों को मुख्य मंड़ी से ही रुई खरीदने के लिये काफी धन दिया है किन्तु पटसन निगम ने ऐसा नहीं किया है। कृषि मूल्य आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार राज्य व्यापार निगम को इस संबंध में अधिकार दिये गये हैं। इस वर्ष भी कहा जा रहा है कि पटसन निगम को मुख्य मण्डी से पटसन खरीदने के अधिकार दिये जाने चाहिये किन्तु सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई वक्तव्य नहीं दिया है।

इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री मंत्री महोदय पर यह जोर डाल रहे हैं कि वह पटसन के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य शीघ्र निर्धारित करें तथा पटसन निगम अथवा किसी अन्य एजेन्सी को इस बात के लिये विवश करें कि वे मुख्य मण्डी से ही खरीद करें ताकि पटसन उत्पादकों के हितों पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। मैं मंत्री महोदय से यह भी पूछना चाहूंगा कि क्या वह इस सिद्धांत से सहमत हैं कि एक मन पटसन का मूल्य 2.1 मन चावल के मूल्य के बराबर होना चाहिए। चूंकि चावल का मूल्य 50 से 55 रुपये प्रति मन है अतः सरकार पटसन का मूल्य 100 रुपए प्रति मन क्यों नहीं निर्धारित करती।

कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों पर बहुत जोर दिया जा रहा है। हमने कुछ सप्ताह पूर्व देखा कि इस आयोग की गेहूं के वसूली मूल्य संबंधी सिफारिश को सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सका। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन लोगों द्वारा कुछ दबाव डाला गया और सिफारिश पहुंचाई गई किन्तु पटसन उत्पादक ऐसा करने में असमर्थ हैं। केन्द्रीय सरकार पटसन से 300 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित करती है। अतः पटसन का मूल्य 200 रुपये प्रति क्विंटल से कम निर्धारित नहीं किया जाना चाहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के बारे में सरकार की क्या नीति है। क्या सरकार पटसन उत्पादकों को मिलमालिकों अथवा उनके एजेन्टों की धाँधली से बचाने के लिए समूचे कच्चे पटसन के व्यापार को अपने हाथ में ले लेगी या वे केवल कागज पर ही मूल्य की घोषणा करेगी जो कि उसके द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता ?

Shri M. C. Daga : We shall get jute from Bangla Desh worth rupees 260 crors whether we shall have any competition from Bangla Desh in this regard ? I would like to know the extent to which the jute price can be increased if no agreement is conclused with Bangla Desh.

श्री त्रिदिव चौधरी (बरहामपुर) : यह बात सभी जानते हैं कि कलकत्ता तथा समूचे बंगाल में कृषकों को मिलने वाले मूल्य 15 पटसन दलालों द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं। सरकार यह कैसे सुनिश्चित करेगी कि पटसन उत्पादकों को उसकी उपज के लिये उचित मूल्य प्राप्त हों।

विदेश व्यापार मंत्री (श्री ललित नारायण मिश्र) : मैं वास्तव में श्री बी० के० दास चौधरी का इस सभा में इस विषय पर चर्चा उठाने के लिये कृतज्ञ हूं। यह सच है कि इस देश में पटसन उत्पादकों को बहुत हानि पहुँची है। उन्हें लगभग 150 अथवा 200 सालों से उनके हक से वंचित रखा गया है। बिचौलियों द्वारा उनका शोषण किया गया है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि पटसन उत्पादकों को उनका हक मिले। सरकार समूचे पटसन व्यापार को अपने हाथ में लेना चाहती है किन्तु यह धीरे धीरे किया जायेगा।

यह बात सच है कि मिलों को सप्लाई करने के मूल्य कृषि मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित किये जाते हैं और पटसन उत्पादकों को बड़ी और छोटी मण्डियों में खेती की लागत भी प्राप्त नहीं होती है। अतः हमने उत्पादकों की सहायता करने के लिए कुछ पग उठाने का निर्णय लिया है।

श्री बी० के० दास चौधरी ने पूछा है कि हमारे द्वारा पटसन का न्यूनतम मूल्य कब निर्धारित किया जायेगा। हमें आशा है कि लगभग 2 सप्ताह के अन्दर यह मूल्य घोषित कर दिया जायेगा। बुवाई की ऋतु से पहले सांविधिक आधार पर पटसन का न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दिया जायेगा ताकि पटसन उत्पादक इस स्थिति में हों कि क्या पटसन की खेती करना उनके लिये लाभदायक है अथवा नहीं।

मैं श्री दास चौधरी को यह बताना चाहूंगा कि बिहार में पटसन उत्पादकों की दशा और भी दयनीय है। मैं उनकी समस्याओं से भली भांति परिचित हूं। अभी तो हम इस दिशा में पहला कदम उठा रहे हैं। समय आयेगा जबकि देश के भीतर मूल्य और खरीद सहित समूचा पटसन व्यापार भारतीय पटसन निगम द्वारा अपने हाथ में ले लिया जायेगा।

अभी तो सरकार द्वारा सांविधिक रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। छोटी और बड़ी मंडियों के लिये सभी प्रकार की पटसन के मूल्य भी निर्धारित कर दिये जायेंगे न कि केवल असम तलहटी की पटसन के लिये। खरीद के काम को गठित करने के लिये भारतीय पटसन निगम द्वारा आगामी वर्षों में अनेक पग उठाये जा रहे हैं। जहाँ गत वर्ष केवल कुछ हजार गांठें खरीदी गई थी वहां आरम्भ में ही 6 लाख गाँठें खरीद ली जायेंगी। यह प्रयास पटसन निगम को करना होगा कि अधिक पटसन के बाजार में आ जाने से मूल्यों पर निराशाजनक प्रभाव न पड़े और बाजार में इसकी अधिक सप्लाई न होने पाये।

पटसन विभागीय क्रय केन्द्रों आत्म निर्भर सहकारी समितियों तथा जहाँ ऐसी एजेन्सियां न हों, गैर-सरकार एजेन्टों द्वारा खरीदा जायेगा। पटसन का भण्डार बनाने के लिये पर्याप्त गादामों की भी व्यवस्था की जायेगी। निगम द्वारा रक्षित भण्डार बनाये जाने की भी सम्भावना है। हमारा प्रस्ताव विभिन्न राज्यों में पटसन मिलों की स्थापना करने का भी है और इस प्रकार इधर-उधर पटसन मिलों की स्थापना करने से बिहार, असम, उड़ीसा, त्रिपुरा और आन्ध्र प्रदेश में पटसन उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलना सुनिश्चित हो जायेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुये उपरोक्त प्रत्येक राज्य में एक पटसन मिल स्थापित करने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और आशा है कि इस संबंध में सरकार के निर्णय की बहुत शीघ्र घोषणा कर दी जायेगी।

पटसन से बनी वस्तुओं के निर्यात में इस वर्ष बहुत प्रगति हुई है। गत् वर्ष 189 करोड़

रुपये के निर्यात की तुलना में इस वर्ष अर्थात 1971-72 में 300 करोड़ रुपये की वस्तुओं का निर्यात किया गया है ।

श्री बी० के० दास चौधरी : प्रति एकड़ उत्पादन लागत क्या है? क्या आपने इसका हिसाब लगाया है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : कृपया हमें बतायें कि उस पटसन जाँच समिति का क्या बना जो संयुक्त मोर्चे की सरकार द्वारा पटसन उत्पादकों की शिकायतों की जाँच करने के लिये नियुक्त की गई थी ।

श्री ललित नारायण मिश्र : मुझे संयुक्त मोर्चे द्वारा की गई कार्यवाही का कुछ पता नहीं है।

कार्य मन्त्रणा समिति

Business Advisory Comittee

तेरहवां प्रतिवेदन

श्री राजबहादुर : श्रीमान मैं कार्य मन्त्रणा समिति का तेरहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

उसके पश्चात् लोक सभा गुरूवार, 25 मई 1972/4 ज्येष्ठ 1894 (शक्) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabh then Adjonrned till Eleven of the Clock on Thursday, 25th May 1972/Jyaistha 4, 1894 (Saka)

Sumer Printing Press, New Delhi-18